भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

संख्या 1

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

अध्याय ।

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

विषय-सूची

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii-iv
विहंगावलोकन		iv-xxii
अध्याय - 1		xx
सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का सामान्य आवलोकन	1	1
भूमिका	1.1	1
सरकारी कम्पनियाँ सामान्य अवलोकन	1.2	1-33
सांविधिक निगम-सामान्य पहलू	1.3	33-36
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	1.4	36-44
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1.5	44-49
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1.6	49-56
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1.7	56-59
अध्याय - 2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	60
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	2 क	61-99
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (नम्बर 11)	2 ख	100-158
नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड	2 ग	159-225

	प्रस्तर	पृष्ठ
मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2 घ	226-278
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2 ड.	279-336
अध्याय - 3		
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कमियों तथा हानियों एवं उनकी जाँचों के सम्बन्ध में समीक्षायें	3	337-384
अध्याय - 4		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय	4	385
सरकारी कम्पनियाँ	4 क	386-398
सांविधिक निगम	4 ख	399
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	4 ख 1	399-414
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	4 ख 2	414-418
परिशिष्ट		
1. उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रूपये से अधिक धनराशि निवेशित की है किन्तु जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है।		419-422
2. सरकारी कम्पनियों की अद्यतन प्रदत्त पूँजी अनिस्तारित ऋण, सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की धनराशि उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशि और अद्यतन कार्यपालन परिणामों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी		423-433
3. समस्त सरकारी कम्पनियों के उस वर्ष हेतु जिसके लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		434-452
4. सांविधिक निगमों के उस अन्तिम वर्ष हेतु जिसके वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		453

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों में आती है:-

सरकारी कम्पनियाँ

सांविधिक निगम एवं

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. प्रस्तुत प्रविदन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामें की चर्चा है तथा यह मार्च 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण । हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश, सरकार में सम्मिलित है ।

3. किन्तु कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो सरकारी निवेश के बावजूद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है, क्योंकि सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाली/द्वारा नियन्त्रित कम्पनियां / निगम 51 प्रतिशत के कम शेयर

धारण करते हैं। ऐसे उपक्रमों की सूची जिनमें 31 मार्च 1988 को सरकार का निवेश 10 लाख रूपये से अधिक था, परिशिष्ट-1 में दी गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मात्र लेखा परीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट) द्वारा की गयी लेखा परीक्षा से स्वतन्त्र रूप से उनके लेखे की लेखा परीक्षा करने के अधिकार प्राप्त है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को पृथक रूप से भेजे जाते हैं ।

5. प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1987-88 की अवधि में लेखे की लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये इनके अतिरिक्त वे मामले भी हैं जो उससे पूर्व वर्षों में देखने में आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में चर्चित नहीं किये जा सके, 1987-88 से परवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहां कहीं आवश्यक समझा गया सम्मिलित कर दिये गये हैं ।

6. अपट्रान इण्डिया लिमिटेड एवं टेलीट्रानिक्स लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर दो समीक्षाएं मार्च 1988 को अन्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पृथक प्रतिवेदन (संख्या-2 वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश शासन में समाविष्ट है।

विहंगावलोकन

31 मार्च 1988 को राज्य में 99 सरकारी कम्पनियाँ (43 सहायक कम्पनियों सहित) कम्पनी अधिनियम की धारा 619.8 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 5 कम्पनियाँ तथा 4 सांविधिक निगम थे। इसके अतिरिक्त 180 कम्पनियां ऐसी थी जिसमें सरकार ने निधियों का निवेश किया था पर वे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं ।

31 मार्च 1988 को 93 सरकारी कम्पनियों की कुल प्राप्त पूँजी 928.67 करोड़ रूपये थी जिसमें राज्य सरकार का निवेश 766.65 करोड़ रूपये तथा केन्द्रीय सरकार का निवेश 143.47 करोड़ रूपये था। 61 कम्पनियों में 31 मार्च 1988 को राज्य सरकार के अनिस्तारित ऋण 334.51 करोड़ रूपये थे। 31 मार्च 1988 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू. पी.एस.ई. बी.) में ऋणों के रूप में राज्य सरकार का निवेश 3898.75 करोड़ रूपये था। जब कि उक्त तिथि को 3 अन्य सांविधिक निगमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की भागेदारी 175.06 करोड़ रूपये थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, दो निगमों एवं 27 कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों की पुनर्भुगतान की गारण्टी दी थी और उनके समक्ष अनिस्तारित ऋण कुल मिलाकर 996.80 करोड़ रूपये थे ।

68 कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के लेखे 1 से 14 वर्षों के बीच बकाये में थे। अधिकांश कम्पनियों द्वारा अनेक वर्षों के लेखे के अन्तिम रूप देने के अभाव में न तो राज्य सरकार द्वारा निवेशित 642.39 करोड़ रूपये की उत्पादकता का निश्चित रूप से सत्यापन किया जा सका और न ही उनकी कार्यसम्पादन तथा कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सका और भी उनके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर ठोस सूचना के अभाव में इन कम्पनियों के संचालन को अपेक्षित निर्देश एवं नियंत्रण से युक्त नहीं समझा गया। 24 कम्पनियों में से जिन्होंने 1987-88 तक अपने लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था, 10 कम्पनियों ने कुल मिलाकर 6.07 करोड़ रूपये का अल्प लाभ अर्जित किया, जब कि 12 कम्पनियों ने कुल मिलाकर 90.14 करोड़ रूपये की भारी हानि उठायी। अन्ततम उपलब्ध लेखे के अनुसार 15 कम्पनियों द्वारा उठाई गई 430.07 करोड़ रूपये की संचित हानियां उनकी 276.30 करोड़ रूपयों की प्रदत्त पूँजी से बहुत अधिक थी। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 बी के अधीन आने वाली पांच मे से चार में सरकार / सरकारी कम्पनियां / निगमों द्वारा निवेश कुल मिलाकर 350.74 लाख रूपये था। एक कम्पनी की संचित हानियां उसकी पूँजी से अधिक थीं जबकि एक कम्पनी ने अपनी दिसम्बर 1975 में अपने प्रारम्भ से अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया था ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 10 कम्पनियों के लेखे की पूरक लेखा परीक्षा के परिणामानुसार दो कम्पनियों में लाभ में 38.73 लाख रूपयों की

वृद्धि, तीन कम्पनियों में लाभ में 138.76 लाख रूपये की कमी तथा 5 कम्पनियों में हानियों में 88.28 लाख रूपयों की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी संवीक्षाओं के फलस्वरूप अपने लेखे पुनरीक्षित कर दिये। 31 मार्च 1988 को राज्य विद्युत परिषद के सम्बन्ध में संचित हानियां 728.13 करोड़ रूपया थी जब कि उक्त तिथि को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की 124.87 करोड़ रूपये (अनन्तिम) की थी ।

(अध्याय-1)

2. पांच सरकारी कम्पनियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यचालन की समीक्षा से निम्न का पता चला:-

2.1 उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड

राज्य स्वामित्व वाले सिंचाई नलकूपों के विद्यमान प्रणाली को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने अधिकार में लेने के अतिरिक्त नलकूपों के निर्माण एवं संचालन को अपने हाथ में लेने के लिये कम्पनी मई 1976 में निगमित की गयी थी। इसने किसी राज्य स्वामित्व वाली सिंचाई प्रणाली को अपने हाथ में नहीं लिया। 1984-85 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इसके द्वारा निर्मित नलकूप भी सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा 1984-85 के बाद किसी भी योजना के अन्तर्गत

(निपेक्ष कार्यों को करने के अतिरिक्त) किसी नलकूपों के निर्माण विकास या उर्जीकरण या यहां तक कि रख-रखाव से भी सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार कम्पनी, उन उद्देश्यों को जिनके लिये यह स्थापित की गयी थी, प्राप्त करने में असफल रही।

कम्पनी ने 1978-79 से 1984-85 तक लघु कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत 799 नलकूपों की खुदायी की जिनमें से 388 पूर्ण एवं 395 अपूर्ण कूप सरकार को 1984-85 में हस्तान्तरित कर दिये गये जब कि 16 कूप असफल रहे। 292.69 लाख रूपये के स्वीकार्य पूँजीगत उपदान के समक्ष कम्पनी ने 569.02 लाख रूपये प्राप्त किये, अधिक धन का अभी तक पुनर्भुगतान नहीं किया गया। कम्पनी ने इन नलकूपों के परिचालन में 1984-85 तक 285.47 लाख रूपये की हानि उठायी, जिसके लिये उपदान स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि नलकूप 1500 घण्टे प्रतिवर्ष नहीं चलाये जा सके।

1978-79 से 1984-85 तक के दौरान गण्डक नहर की वृद्धिकरण योजना के अन्तर्गत खोदे गये 226 नलकूपों में से केवल 50 उर्जीकृत किये गये एवं 1984-85 में सरकार को हस्तान्तरित किये गये, जब कि बचे हुये 176 इस आशय से सरकार के फरवरी 1985 के निर्देशों के बावजूद भी पूर्ण एवं सरकार को हस्तान्तरित नहीं किये गये। यहाँ तक कि सरकार को हस्तान्तरित 50 नलकूप यान्त्रिक विद्युतीय दोषों के कारण परिचालित नहीं किये जा सके। इस प्रकार लगभग 1.28 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाओं के प्रसार हेतु 1978-79 में प्रारम्भ की गयी एवं मार्च 1980 तक समाप्त होने के लिये संकल्पित योजना 9 वर्षों के पश्चात भी अपूर्ण थी,

फलस्वरूप लगभग 3.25 करोड़ रूपये की धनराशि के अवरोधन के अतिरिक्त किसानों को प्रत्याशित लाभों का अनंगीकरण हुआ। यद्यपि 1984-85 के पश्चात् इन 176 अपूर्ण नलकूपों पर कोई कार्य नहीं किया गया, फिर भी कम्पनी ने 1987-88 तक निगरानी इत्यादि पर 16.89 लाख रूपयों का व्यय किया। और भी, यद्यपि निर्धारित शर्तों के अपूर्ण रहने के कारण उपदान स्वीकार्य नहीं था फिर भी सरकार ने 1983-84 एवं 1984-85 में 2.00 करोड़ रूपये का उपदान अवमुक्त कर दिया।

1979-80 से 1983-84 तक के दौरान 59.20 लाख रूपये की अनुमानित लागत के समक्ष 91.88 लाख रूपये की लागत पर बवण्डर एवं तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में 80 नलकूपों की खुदाई की। इसने न तो पुनरीक्षित अनुमान न तो सरकार से अनुमोदित कराये और न ही अधिक व्यय की धनराशि वापस की।

कम्पनी के पास 18 रिगों में से अधिकांश 12,500 फुट प्रतिवर्ष के अनुमानित क्षमता की तुलना में प्रतिवर्ष 7000 फुट तक या उससे कम खुदायी कर सके। यद्यपि अधिकांश रिगों का कम उपयोग किया गया एवं निष्क्रिय समय बहुत अधिक था, इसने 1987-88 में 20.80 लाख रूपये की लागत पर दो और रिंग का क्रय किया।

1981-82 से 1985-86 के दौरान भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों का इति स्टाक 19.4 से 65.8 महीनों के उपयोग के मध्य था। जुलाई 1982 से नवम्बर 1985 के दौरान बचत बैंक

खाते में अवशेष हमेशा एक करोड़ रूपये से अधिक रहे और यदि उन्हे 6 माह के आवधिक निक्षेपों में भी रखा गया होता तो कम्पनी 2.50 लाख रूपये का अतिरिक्त ब्याज अर्जित करती ।

स्थापना पर किया गया व्यय अनुमानित 10 से 12.5 प्रतिशत के विरूद्ध 1981–82 से 1985–86 के दौरान किये गये कार्य के मूल्य का 9.3 और 66.9 प्रतिशत के मध्य रहा ।

कम्पनी 1981–82 से लगातार हानियां उठाती रही और लघु कृषक विकास अभिकरण योजना एवं गण्डक अधिकार क्षेत्रों में आवर्धन योजना के अन्तर्गत मार्च 1986 तक नलकूपों के परिचालन पर हुई 245.94 लाख रूपयों की हानियों के अतिरिक्त 1985–86 तक संचित हानि की धनराशि 138.95 लाख रूपये थी ।

अधिशेष निधियों के पास रहने के बावजूद कम्पनी ने नियत तिथि तक ब्याज सहित 30 लाख रूपयों के पूरक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया, इस प्रकार 6.05 लाख रूपये की छूट खो दी। ऋण अभी भी अनिस्तारित था ।

(प्रस्तर 2क)

2.2 उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नम्बर–2) लिमिटेड

चार नई कताई मिलों के क्रिया–कलापों को प्रबन्धित करने हेतु अगस्त 1974 में स्थापित कम्पनी जून 1981 तक निष्क्रिय रही क्योंकि नियंत्रक कम्पनी उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन

लिमिटेड ने अक्टूबर 1974 में नयी मिलों के क्रियाकलापों को प्रबन्धित करने और बाद में दिसम्बर 1974 में कम्पनी को बन्द न कर देने का निर्णय लिया । सार्वजनिक क्षेत्र में चार नयी मिले स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के निर्णय के बाद कम्पनी जून 1981 में पुनः चालू की गयी।

परियोजना को व्यवहार्य (वाइएविल) दर्शित करने के लिये बलिया तथा जौनपुर के मामलेा में प्रायोजित 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग के समक्ष एवं सभी चारों मिलों के वार्षिक बजट में कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट 85 प्रतिशत के समक्ष भी मेजा एवं बांदा की प्राप्य क्षमता परियोजना प्रतिवेदनों में क्रमशः 93 और 90 प्रतिशत ली गयी।

मिलों के लिये लगभग 24 एकड़ भूमि की आवश्यकता के विरूद्ध कम्पनी ने 50 से 175 एकड़ तक की भूमि प्राप्त की, फलस्वरूप 20.09 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

सभी चारों मिलो का सिविल निर्माण कार्य निविदायें आमन्त्रित किये और प्राक्कलन तैयार किये बिना उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू.पी.आर.एन.एन.) को 15 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभारों को जोड़कर लागत पर प्रदान किया गया। कम्पनी के अनुसार प्रत्येक मिल के सिविल निर्माण कार्यों की लागत में दोषपूर्ण कार्यों तथा यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण लगभग 50 लाख रूपयों की वृद्धि हो गयी थी। अनुबन्धा में उचित

उपवाक्य न होने के कारण यह ठेकेदार पर विलम्ब हेतु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं कर सकी ।

1987-88 के दौरान मेजा एवं बांदा मिलो में धागे की प्राप्ति घट गयी, फलस्वरूप 19.58 लाख रूपये की हानि हुयी। अदृश्य क्षय के कारण हानि 1984-85 से 1987-88 के दौरान 0.5 प्रतिशत के प्रतिमान से 34.30 लाख रूपये अधिक थी ।

मिलों की विक्रय प्राप्तियां किसी भी वर्ष में विक्रय की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं थी और विक्रीत प्रति किलोग्राम की कमी 2.15 रूपये से 13.70 रूपये के मध्य थी । मार्च 1988 की समाप्ति पर संचित हानि उक्त तिथि को 23.57 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूँजी के विरूद्ध 25.92 करोड़ रूपये थी ।

कम्पनी ने दोषपूर्ण मीटर द्वारा दर्ज निम्न विद्युत कारक के लिये अधिभार के रूप में 6.09 लाख रूपये का भुगतान किया जो बाद में विद्युत परिषद द्वारा बदल दिया गया परन्तु वापसी की मांग नहीं की गयी ।

(प्रस्तर 2ख)

2.3 नन्द गंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड

अप्रैल 1975 में निगमित कम्पनी प्रत्येक प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेराई की क्षमता वाली नन्द गंत एवं दरियापुर स्थित दो चीनी फैक्टरियाँ प्रबन्ध करती है।

1987-88 तक पांच वर्षों के दौरान उपयोग क्षमता नन्द गंज के मामले में 15 से 42 प्रतिशत के मध्य तथा दरियापुर के मामले में 33 से 63 प्रतिशत के मध्य थी। क्षमता का कम उपयोग मुख्यतया गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता थी, यद्यपि 1975-76 से 1986-87 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा फैक्टरियों के गन्ना क्षेत्रों में 159.69 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई थी। नन्दगंज फैक्टरी के लिये स्थान के चयन, जिसके चारों ओर की भूमि गन्ना उगाने के लिये उपयुक्त नहीं थी तथा विद्यमान फैक्टरियों को गन्ना क्षेत्र के आवंटन में कमी करते हुये नयी फैक्टरियों की स्थापना हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृति अनुमति ने भी गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता में योगदान दिया ।

गन्ने की क्षीण उपलब्धता एवं परिणामस्वरूप क्षमताओं के कम उपयोग तथा उत्पादन में गिरावट के कारण कम्पनी प्रारम्भ से ही हानियां उठाती रही थी तथा 30 जून 1987 को संचित हानियां 28.28 करोड़ रूपये थी जो प्रदत्त पूँजी (17.20 करोड़ रूपये) का 164.42 प्रतिशत निरूपित करती थीं। प्रति वर्ष हो रही भारी नकद हानियों के फलस्वरूप यह गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करती रही थी ।

भारी परिवहन प्रभारों बिजली एवं ईंधन के अधिक उपभोग तथा बारम्बार होने वाली मशीनी खराबियों के कारण मरम्मत के उच्च आयात के कारण चीनी के उत्पादन की लागत प्रति

कुन्तल औसत विक्रय प्राप्ति की तुलना में अधिक ऊंची थी। दरियापुर फैक्टरी की वास्तविक जन शक्ति भी स्वीकृति जन शक्ति से अधिक थी ।

1976 में 4.77 लाख रूपये से नन्दगंज फैक्टरी हेतु निर्मित रेल पथिका का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया तथा दिसम्बर 1980 में रेलवे द्वारा बन्द कर दी गयी/घोषित कर दी गयी। जनवरी 1987 तक कम्पनी को इस रेल साइडिंग पथिका के लिये 1.88 लाख रूपयों के अनुरक्षण प्रभारों का भी भुगतान करना था ।

(प्रस्तर 2ग)

2.4 मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

20 लाख रूपयों की प्रदत्त पूँजी से मार्च 1977 में निगमित कम्पनी मार्च 1981 तक अपनी पूँजी का उपयोग नहीं कर सकी। प्रदत्त पूँजी पर अर्जित पूँजी ब्याज आयकर के दायित्व के अधीन था जिसके लिये कम्पनी समय से परिलेख दाखिल करने में विफल रही फलस्वरूप यह 1.35 लाख रूपये के दण्डात्मक ब्याज हेतु दायी बन गयी ।

दिसम्बर 1985 में सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों (अप्रैल 1988 में पुनः निर्गत) की अवहेलना करते हुये कम्पनी प्राइवेट पार्टियों से पालीथीन के बोरों की अधिक प्राप्ति की तथा वन विभाग को सम्पूर्ति की । इस प्रयोजन के लिये इसने सम्पूर्ति कर्ता को गलत

प्रलेखों (डाकूमेंटरी) प्रमाण प्रस्तुत करके अपने नाम में कच्चा माल प्राप्त किया तथा उसको बोरों के निर्माण हेतु प्राइवेट पार्टियों को अनाधिकारिक रूप से अपवर्तित कर दिया ।

कम्पनी ने 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान दर अनुबन्ध के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों के बजाय एक स्थानीय सम्पूर्तिकर्ता से पी.वी.सी. पाइपों को कृय किया और इस प्रकार 1.74 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

अल्प पोषित बच्चों, अत्यधिक कुपोषित बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को निःशुल्क वितरण के निमित्त पुष्ट आहार तथा पोष आहार के कृय एवं आपूर्ति में कम्पनी ने न केवल कृय में 5.07 लाख रूपये का अतिरिक्त कृय किया अपितु 1.87 लाख रूपये का लाभ भी अर्जित किया जिसका परिणाम अन्ततः लाभभोगियों को वितरित पुष्ट आहार एवं पोष आहार की मात्रा में 29.9 प्रतिशत की कमी हुयी क्योंकि योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को दिया जाने वाला लाभ धन के रूप में नियत था ।

अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर कृषकों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये कम्पनी ने अप्रैल 1982 और मार्च 1985 के मध्य 1.36 लाख रूपयों की लागत पर 28 सामुदायिक नलकूप निर्मित किये। चूँकि इस सेवा से अप्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी इस लिये परिषद ने फरवरी 1988 में नलकूपों को नीलाम करने का निर्णय लिया । इस प्रकार योजना असफल रही एवं निवेश अधिकांश रूप से निष्फल सिद्ध हुआ ।

[प्रस्तर 2 घ]

2.5. आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड

100 लाख रूपये की प्रदत्त पूँजी से मार्च 1976 में निगमित कम्पनी 1982-83 तक अल्प क्रियाकलापों के कारण अपनी निधियों का उपयोग नहीं कर सका एवं इसलिये इन वर्षों में 73.2 से 100 प्रतिशत निधियों को बैंक निक्षेप में रखा ।

यद्यपि गुलाब का इत्र निकालने के लिये जनवरी 1984 में 5.03 लाख रूपये की पूँजीगत लागत से स्थापित रोज काम्पलेक्स का क्षमता उपयोग 1986-87 तक संस्थापित क्षमता केवल 20.2 से 31 प्रतिशत था। इसकी संस्थापित क्षमता 1.14 लाख रूपये की लागत पर फरवरी-मार्च 1988 में दुगुनी कर दी गई। तैयार माल की कम प्राप्ति के कारण इकाई द्वारा उठाई गई कुल हानियों का योग 5.63 लाख रूपये थी। यद्यपि योजना प्रतिवेदन में संकल्पित था फिर भी कम्पनी ने ऋतु अवधि के बाहर (आफ सीजन) गन्जनी (साइट्रोनेला) इत्यादि के आसवन और इस प्रकार निर्धारित सामान्य व्ययों को आंशिक रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया ।

10.77 लाख रूपये की पूँजी लागत से दिसम्बर 1980 में कसमेरा में स्थापित चावल की मिल 1985-86 तक 11.11 लाख रूपये की संचित हानि उठाने के पश्चात दिसम्बर 1985 में बन्द कर दी गयी जो 1980-81 से 1983-84 तक उत्पादन की उच्चतर लागत तथा चावल की कम पैदावार के कारण थी । वास्तव में, कसमेरा में कारखाने की स्थापना, जहां विशिष्ट प्रकार जिसका कार्य व्यापार मिल द्वारा किया जा सकता था, नहीं उगाया जाता है, सुविचारित नहीं की ।

इन्सेक्टासाइड स्प्रेयर यूनिट प्रोजेक्ट कीटनाशक दिसम्बर 1983 में पुनर्विचार के पश्चात व्यवहार्य नहीं पायी गयी और इस ध्येय हेतु 7.72 लाख रूपये की लागत पर निर्मित भवन 1984 से बेकार पड़ा हुआ है ।

कम्पनी द्वारा प्रारम्भ किये गये व्यापारिक क्रियाकलाप विफल थे। कम विक्रय के कारण पेट्रोल पम्प घाटे पर चल रहे थे, अपर्याप्त कार्य के कारण आटोमोबाइल वर्कशाप घाटे पर चल रहा था, व्यापार (कस्टम) सेवा के अन्तर्गत क्रय किये गये ट्रैक्टर अन्त में नीलाम कर दिये गये।

यद्यपि 1985-86 में आगरा जनपद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं था फिर भी कम्पनी ने मार्च और अप्रैल 1986 के दौरान बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन को 12.31 लाख रूपये मूल्य के पुष्ट आहार की सम्पूर्ति की और उस पर 1.47 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि आहार की सम्पूर्ति किनको की गयी जब कि वहां बाढ़ पाड़ित नहीं थे ।

नवम्बर 1987 से जून 1988 के दौरान 12.51 लाख रूपये मूल्य के पुष्ट आहार के क्रय एवं आपूर्ति में, कम्पनी ने उच्चतर दरों पर चावल के क्रय के कारण 4.17 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया, फलस्वरूप लाभभोगियों को उपर्युक्त मदों की मात्रात्मक उपलब्धता में 50 प्रतिशत की कमी हुयी ।

लघु/सीमित कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कम्पनी ने सितम्बर 1981 से मार्च 1988 के दौरान

123 नलकूपों के निर्माण का कार्य लघु सिंचाई विभाग को प्रदान किया। 123 नलकूपों में से केवल 51 नलकूप ही 1987-88 तक 12.74 लाख रूपये की लागत पर पूर्ण किये जा सके। इन 51 नलकूपों के कार्य सम्पादन की जांच परीक्षा से पता चला कि 1982-83 से 1987-88 की अवधि के दौरान राजस्व में कमी का कुल योग 34.85 लाख रूपये था, प्रत्याशित राजस्व प्रति नलकूप प्रतिवर्ष 12,000 रूपये की दर से था। इन नलकूपों के अलाभकर संचालन के कारण परिषद ने इन सभी नलकूपों को जुलाई 1987 में निस्तारित करने का निर्णय लिया। फिर भी अभी तक कोई विक्रय नहीं किया जा सका है (दिसम्बर 1988) जिसके फलस्वरूप इन नलकूपों के निर्माण पर 12.74 लाख रूपये का निवेश अधिकांशतः निष्फल हो गया ।

(प्रस्तर 2ड.)

2.6. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में हानियाँ तथा कमियाँ एवं उनकी जाँच

वस्तुओं की कमियों एवं नकद तथा वस्तुओं के लेखाकरण में असंगतियों का मूल्य वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा था और 21 मार्च 1988 को यह 15.05 करोड़ रूपये था। 31 खण्डों की जांच परीक्षा से जहां इस मद पर 2.31 करोड़ रूपये अनिस्तारित थे, प्रकट हुआ कि उचित लेखाकरण नियन्त्रण का अभाव था। अलग-अलग कर्मचारियों के समक्ष 0.10 लाख रूपये से अधिक की धनराशि 230 कर्मचारियों के विरूद्ध 129.25 लाख रूपये की जिसमें वसूली की कोई कार्यवाही के बिना 97.53 लाख रूपये सम्मिलित थे।

कार्यवाहियां परिषद के अनुदेशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहियां 4 माह के अन्दर पूरी कर दी जानी आपेक्षित हैं। किन्तु लेखापरीक्षा में जाँच परीक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के 21 मामलों में से 13.49 लाख रूपये निहित हानि के केवल छः मामले विभिन्न स्तरों पर असामान्य विलम्ब जैसे आरोप-पत्र निर्गत करने में विलम्ब जाँच प्रतिवेदन इत्यादि प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण वस्तुत 2 से 16 वर्षों के उपरान्त पूर्ण किये गये। 33.06 लाख रूपये की शेष 15 मामलों में से जो अभी भी लम्बित थे 26.16 लाख रूपये की निहित धनराशि वाले 12 मामलों मे कार्यवाहियां 5 वर्ष बाद प्रारम्भ की गयी थी। इस विलम्बों के कारण 1.20 लाख रूपये की निहित हानि के एक मामले को साक्ष्य के अभाव में इसके पता चलने के 17 वर्षों बाद 1988 में छोड़ देना पड़ा और 2.0 लाख रूपये मूल्य की वस्तुओं की कमी का एक दूसरा मामला वसूली के अयोग्य हो गया क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाहियां कर्मचारी की मृत्यु तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी ।

20 मामलों में से जिनमें सतर्कता कोष्ठ ने कार्यवाही की संस्तुति की थी, 12 मामले परिषद के पास लम्बित पड़े थे।

(अध्याय 3)

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चुनी गया सरकारी कम्पनियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के क्रियाकलापों की समीक्षा के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अभिलेखों की जाँच-परीक्षा से निम्न प्रमुख

अनियमिततायें प्रकाश में आयी:-

3.1 उत्तर प्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने थर्मो प्रिंट पेपर के निर्माण के लिये परियोजना के दोषपूर्ण पूर्व स्वीकृत मूल्यांकन, निवेश की प्रतिभूति से सम्बन्धित प्रावधान का अभित्यांग, कार्योत्तर स्वीकृति मानीटरिंग का अभाव तथा प्रवर्तक (प्रमोटर) से प्राप्यों की वसूली हेतु कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण 13 लाख रूपये की हानि उठायी ।

(प्रस्तर संख्या 4क)

3.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने निम्न कारणों से 21.22 लाख रूपये की हानि उठायी:-

क. ऋण की अदायगी में चूक करने वाली इकाई की सम्पत्ति का कब्जा लेने में कार्यवाही करने में विलम्ब, इकाई का विलम्बित निरीक्षण तथा अनुबन्ध में ऋण लेने वाले के द्वारा बैंक गारण्टी हेतु उप वाक्य को सम्मिलित न करना (12.27 लाख रूपये),

ख. निर्धारित सीमा से अधिक धागों का अनियमित निर्गम (6.84 लाख रूपये) और

ग. आई.डी.बी.आई.से प्राप्त 2 करोड़ रूपये के ऋण की धनराशि को चालू खाता में जमा करने के बजाय प्रारम्भ से ही नकद साख खाता में जमा करने में असफलता (2.11 लाख रूपये)।

(प्रस्तर संख्या 4क.2.1 से 4क.2.3)

3.3 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा शण्ट कैपासिटरों के संस्थापन में विलम्ब के फलस्वरूप 4.40 लाख रूपये के निम्न विद्युत कारक अधिभार परिहार्य भुगतान हुआ ।

(प्रस्तर संख्या 4क.3)

3.4 पिपराइच में अण्ड प्रजनन शाला के लिये भूमि की अवाप्ति के पूर्व ही कार्यालय की स्थापना पर उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड 7.75 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

(प्रगस्तर संख्या 4क.4)

3.5 उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड निम्नतम निविदादाता से 1986-87 हेतु विस्फोटकों की कुल आवश्यकता का क्रय करने में असफलता के फलस्वरूप 1.24 लाख रूपय का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जब कि इकाई स्तर पर ग्राहक के लेजर का रख-रखाव न करने के फलस्वरूप एक फर्म को एक लाख रूपये की अधिक वापसी कर दी गयी ।

(प्रस्तर संख्या 4क.5.1 और 4क.5.2)

3.6 शुल्क पद्धति (टैरिफ) नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा राजस्व का अवनिर्धारण कुल मिलाकर 128.70 लाख रूपये था। जब कि 9.06 लाख रूपये के मूल्य पर आयातित प्राइम मूवर के अनुरूप 10.55 लाख रूपये के मूल्य के देशी ट्रेलर का परिदान लेने में इसके पक्ष में विफलता के फलस्वरूप अक्टूबर 1975 / अप्रैल 1978 में

प्राप्त की तिथि से ही उपस्कर अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।

(प्रस्तर 4ख.1.1.से 4ख.1.5)

3.7 उन वाहनों के सम्बन्ध में जो एक मास से कम नहीं की निरन्तर अवधि के लिये सड़क पर नहीं चल रहे थे, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को समय पर सूचित करने तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को समय पर पंजीयन प्रमाण-पत्र / टोकेन समर्पित करने में विफलता के कारण 5 क्षेत्रों में 10.63 लाख रूपये के मार्ग कर की वापसी हेतु उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के दावे अस्वीकृत कर दिये गये। और भी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को अपेक्षित प्रलेखों को प्रस्तुत करने में इसके पक्ष में शिथिलता के कारण सड़क परिवहन निगम 7 जेनेरेटिंग सेट की अधिप्राप्ति पर 2.66 लाख रूपये का उपदान प्राप्त नहीं कर सका ।

(प्रस्तर संख्या: 4ख.1.1. से 4ख.2.2)

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 भूमिका

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में निवेश, लेखे आदि की स्थिति के विषय में विवरण दिये गये हैं।

प्रस्तर 1.2 सरकारी कम्पनियों का सामान्य अवलोकन प्रस्तुत करता है, प्रस्तर 1.3 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित सामान्य पहलुओं पर विचार करता है और प्रस्तर 1.4 से 1.7 उसके वित्तीय एवं कार्यचालन सम्बन्धी सम्पादन सहित प्रत्येक सांविधिक निगम के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियाँ–सामान्य अवलोकन

1.2.1 31 मार्च 1987 के 97 सरकारी कम्पनियों (42 सहायक कम्पनियों सहित) के समक्ष 31 मार्च 1988 को 99 सरकारी कम्पनियाँ (43 सहायक कम्पनियों सहित) थी ।

1987–88 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की 3 सहायक कम्पनियां अर्थात अपट्रान कम्यूनिकेशन्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड तथा अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा संविलीन कर ली गयी, 5 नयी सरकारी कम्पनियां (4 सहायक कम्पनियों सहित) निगमित की गयीं, जिसके

विवरण नीचे दिये गये हैं:-

कम्पनी का नाम	निगम की तिथि	प्राधिकृत पूँजी (करोड़ रूपये में)
1. उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27 अप्रैल 1987	5.00
2. कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल-इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	27 अप्रैल 1987	0.25
3. उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	10 अगस्त 1987	0.25
4. श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	1 फरवरी 1979	1.15
5. अपट्रान लीजिंग लिमिटेड (अपट्रान इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	5 जनवरी 1988	1.00

निम्न 6 कम्पनियां (4 सहायक कम्पनियों सहित) समापन की प्रक्रिया में थी:-

कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	समापन होने की तिथि
1	2	3
1. दी इंडिया बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973

1	2	3
2. दि इंडियन टरपेंटाइन एण्ड सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इंडिया टरपेंटाइन कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	11 जुलाई 1939	1 अप्रैल 1978
3. उत्तर प्रदेश पाटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	28 जून 1977	27 अप्रैल 1985
4. उत्तर प्रदेश रूफिंग (प्राई-वेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	24 नवम्बर 1973	8 दिसम्बर 1987
5. फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	16 फरवरी 1974	8 सितम्बर 1987
6. गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977

×15 अक्टूबर 1987 से सरकारी कम्पनी बन गयी ।

1.2.2 परिशिष्ट 2 समस्त सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, अनिस्तारित ऋणों, अनिस्तारित गारण्टियों उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशियों, कार्यचालन परिणामों आदि के विवरण प्रस्तुत करता है। संक्षेप में स्थिति निम्नवत् है:-

(क) 31 मार्च 1987 को 93 कम्पनियों (40 सहायक कम्पनियों सहित परन्तु समापनाधीन 4 कम्पनियों को छोड़कर) में 606.94 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूँजी के समक्ष 31 मार्च 1988 को 93 कम्पनियों (39 सहायक कम्पनियों सहित परन्तु समापनाधीन 6 कम्पनियों को छोड़कर) में कुल प्रदत्त पूँजी 929.31 करोड़ रूपये थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

विवरण	कम्पनियों की संख्या	के द्वारा निवेश			
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
		(करोड़	रूपयों	में)	
1. राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	35	699.32	-	-	699.32
2. केन्द्र सरकार/ अन्यों के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	19	63.31	18.55	1.82	83.68
3. सहायक कम्पनियां	39	4.02	-	142.29	146.31
योग	93	×766.65	18.55	144.11	929.31

×वित्त लेखों के अनुसार आकड़े 696.72 करोड़ रूपये है अन्तर समाधान के अधीन था (मार्च 1989)

××विन्ध्याचल अब्रेसिव लिमिटेड के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

31 मार्च 1987 को 65 कम्पनियों में (28 कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में 905.66 करोड़ रूपये (राज्य सरकार 542.33 करोड़ रूपये, अन्य : 344.35 करोड़ रूपये तथा आस्थगित भुगतान साख (क्रेडिट) 18.98 करोड़ रूपये के समक्ष 31 मार्च 1988 को 62 कम्पनियों सहित (26 सहायक कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में अनिस्तारित दीर्घकालीन ऋणों का शेष 702.98 करोड़ रूपये (राज्य सरकार : 334.57 करोड़ रूपये अन्य 354.38 करोड़ रूपये एवं आस्थगित भुगतान साख 14.03 करोड़ रूपये) था।

ग. राज्य सरकार ने 21 कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी। प्रत्याभूत और 31 मार्च 1988 के उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशियां क्रमशः 157.16[x] करोड़ रूपये तथा 127.45[x] करोड़ रूपये थी।

प्रत्याभूति प्राप्त करने के लिये कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार की प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है।

1.2.3 अन्ततम उपलब्ध लेखे पर आधारित समस्त 93 कम्पनियों की वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली एक संक्षिप्त टिप्पणी परिशिष्ट-3 में दी गयी है।

---

x

21 कम्पनियों के सम्बन्ध में वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े क्रमशः 116.01 करोड़ रूपये एवं 85.14 करोड़ रूपये हैं, अन्तर समाधान केअधीन था (1989)।

आठ कम्पनियां अपने लेखे 31 जुलाई / 30 नवम्बर को बन्द करती हैं, इनमें से 5 ने (परिशिष्ट -3 के क्रमांक 8, 28, 38, 39 एवं 84) अपने 1986 - 87 तक के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था तथा एक कम्पनी अर्थात 5 जनवरी 1988 को निगमित अपट्रान लीजिंग लिमिटेड के लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित नहीं था । शेष 84 कम्पनियों में से जिनके सम्बन्ध में 1987-88 तक के लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित था, केवल 19 कम्पनियों ने परिशिष्ट-3 के क्रमांक 7, 13, 14, 18, 24, 30, 31, 34, 50, 61, 62, 85 एवं 21, 45, 69, 82, 86, 88, 90 के अनुसार वर्ष 1987-88 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था। उन 7 कम्पनियों सहित जिन्होने जून 1988 को समाप्त होने वाले अपने लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था । इसके अतिरिक्त 22 कम्पनियों ने पिछले प्रतिवेदन से कुछ पूर्व वर्षों के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया था । (परिशिष्ट 3 के क्रमांक 2, 5, 6, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 35, 36, 42, 53, 54, 57, 60, 65, 66, 67, 76, 78, 80) शेष 43 कम्पनियों ने प्रतिवेदन वाले वर्ष के दौरान किसी भी वर्ष के लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया ।

परिशिष्ट 2 एवं 3 से दृष्टव्य है कि 68 कम्पनियों (24 सहायक कम्पनियों सहित) के लेखे 1 से लेकर 14 वर्ष तक बकाये में थे । स्थिति का सारांश निम्नवत है:-

क्रम संख्या	बकायों की अवधि सीमा	अन्तर्निहित वर्षों की संख्या	अन्तर्निहित कम्पनियों की संख्या कम्पनियां	सहायक कम्पनी	निवेश सरकार अंश पूंजी	ऋण	नियंत्रक कम्पनियां अंशपूंजी	ऋण	परिशिष्ट 3 का क्रम संख्या का सन्दर्भ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(लाख रूपयों में)				
1.	1974-75 से 1987-88	14	--	1	—	—	0.10	—	92×
2.	1975-76 से 1987-88	13	—	2	—	—	8.53	--	15×, 93×
3.	1976-77 से 1987-55	12	—	1	—	—	5.06	0.06	63×
4.	1977-78 से 1987-88	11	1	1	3.06	—	3.10	3.31	4, 16×
5.	1978-79 से 1987-88	10	2	-	577.15	6385	—	—	8, 28×

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1979-80 से1987-88	9	-	2	—	—	7.30	-	64, 74
7.	1980-81 से1987-88	8	2	3	723.49	833.14	30.95	-	18,76[x],49[x],68 70[x]
8.	1981-82 से1987-88	7	5	3	722.80	528.74	88.00	49.50	10,41[x],43,51 55,58[x],60[x],65
9.	1982-83 से1987-88	6	4	1	1540.68	907.80	0.07	1.06	6,23[x],32,52, 54
10.	1983-84 से1987-88	5	4	1	634.16	159.97	28.00	-	36,42[x],47,67 72
11.	1984-85 से1987-88	4	4	-	374.76	-	-	-	20,56,57,73
12.	1985-86 से1987-88	3	7	3	5739.93	890.26	-	98.00	2,11,22,27, 36,48,59,71[x] 77,83[xx]
13.	1985-86 से1987-88	2	1	-	150.00	-	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	1986-87 से 1987-88	2	6	2	1267.33	545.94	2155.08	477.60	5,25,37[x],40, 53,75[x],79, 81
15.	1986-87	1	-	1	298.75	-	670.78	-	12[x]
16.	1987-88	1	8	3	25968.02	22239.66	2682.15	-	1,3,33,44, 46,66,76[x], 78[x],80[x],87,89[x]
	योग		44	24	38070.13	26168.56	5679.12	629.52	

[x] क्रमांक 83 पर अंकित कम्पनी के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

[xx] सहायक कम्पनी इंगित करता है।

बड़ी संख्या में सरकारी कम्पनियों द्वारा अनेक वर्षों (एक वर्ष से लेकर 14 वर्षों की श्रेणी वाले) के लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने के अभाव में न तो राज्य सरकार द्वारा इन कम्पनियों में निवेशित 642.39 करोड़ रूपये (पूँजी 380.70 करोड़ रूपये तथा ऋण 261.69 करोड़ रूपये) की उत्पादकता निश्चित रूप से प्रमाणित की जा सकी और न ही उनके कार्य सम्पादन और कार्यस्थिति का मूल्यांकन किया जा सका। इन सरकारी कम्पनियों के लेखे के भारी बकायों के संचयनने मुख्य अंशधारक राज्य सरकार को एवं साथ ही अन्य अंशधारकों को अवधि के अन्त में वित्तीय स्थिति एवं कार्य सम्पादन तथा इन कम्पनियों में अपने निवेश पर हुये लाभ अथवा हानि के विषय में यथा समय सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार से भी वंचित कर दिया। उनके कार्य सम्पादन के विविध पहलुओं पर महत्त्व पूर्ण सूचना के अभाव में इन कम्पनियों का परिचालन आवश्यक निर्देशन एवं नियन्त्रण से युक्त नहीं माना जा सकता।

लेखे का अन्तिम रूप दिये जाने में बकायों की स्थिति सरकार के मुख्य सचिव की जानकारी में अन्तत: (अक्टूबर 1989) में लायी गयी थी।

1.2.4 कम्पनियों के कार्यचालन परिणामों के सम्बन्ध में निम्नांकित और संवीक्षायें दी जाती हैं:-

1.2.4.1 19 कम्पनियों जिन्होंने 1987-88 के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था एवं 5 कम्पनियों (जिनके 1987-88 के लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित नहीं था) जिन्होंने जुलाई 1987 में समाप्त होने वाले (3 कम्पनियों) एवं सितम्बर 1987 में समाप्त

होने वाले (2 कम्पनियां) वर्ष के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था, के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत थी:-

(क) 10 कम्पनियों ने (5 सहायक कम्पनियों सहित) कुल मिलाकर 6.07 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये उनके सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी		लाभ(+)/हानि(-)		प्राप्त पूँजी से लाभ की प्रतिशतता	
		1986-87	1987-88	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश	6149.75	6869.75	+176.61	+120.03	2.87	1.75
2.	(क) टेलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	121.21	133.21	+3.89	+0.13	3.21	0.10
3.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2238.35	3107.32	+30.22	+76.45	1.35	2.46
4.	(क) चांदपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	390.00	390.00	+55.93	+161.13	14.32	41.32

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	(क)छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	395.71	268.00	-5.54	+77.38	-	28.87
6.	(क) (क) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीच एवं विकास निगम लिमिटेड	19.46	21.85	+2.75	+3.04	14.13	13.91
7.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	14.00	15.00	+78.34	+153.32	522.27	1025.47
8.	(क) (क) अपट्रान पावर ट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	22.00	22.00	+2.69	+4.13	12.22	18.77
9.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	*	10.00	*	+1.39	*	13.90

× 1987-88 कंपनी के लेखे का प्रथम वर्ष था। ×× 30 सितम्बर 1986 तथा 1987 को समाप्त वर्षों के आंकड़े। ××× 31 जुलाई 1986 तथा 1987 को समाप्त वर्षों के आंकड़े। ×××× 30 जून 1987 तथा 1988 को समाप्त वर्षों के आंकड़े।

1	2	3	4	5	7	8	
10.	कुमायूं टेलीविजन लिमिटेड कुमायूं मण्डल विकास निगम	5.03	17.29	+16.21	+9.79	322.27	56.62
	योग				607.29		

किन्तु इनमें से किसी भी कम्पनी ने 1987-88 के दौरान लाभान्श घोषित नहीं किया ।

(ख) 12 कम्पनियों (सात सहायक कम्पनियों सहित) ने कुल मिलाकर 90.14 करोड़ रूपये की हानियां उठायीं। गतवर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये उनके सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी 1986-87	प्रदत्त पूँजी 1987-88	लाभ(+)/हानि(-) 1987-88	लाभ(+)/हानि(-) 1987-88
1	2	3	4	5	6
				(लाख रूपयों में)	
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	8883.94	9776.60	- 971.23	- 583.99

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	8866.84	10613.84	-2349.38	-3284.02
3.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	6153.16	6353.16	-1684.20	-2579.59
4.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	750.00	750.00	-714.20	-628.43
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन	334.81	411.98	-53.04	-34.60
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी(नं0 1) लिमिटेड(उत्तर-प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	3205.84	3668.34	-841.30	-870.75
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 11)लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	2263.85	2356.52	-383.24	-723.5

1	2	3	4	5	6
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	202.22	202.22	-50.51	-101.01
9.	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	106.60	111.68	-88.58	-23.02
10.	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	291.56	291.56	-45.20	-28.85
11.	(क) (क) उत्तरप्रदेश हिल इलेक्टानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	46.26	368.36	-4.62	-13.66
12.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	114.18	114.18	-55.12	-42.17
	योग				9013.59

(क) 30 जून 1987 एवं 1988 को समाप्त वर्षो के आंकड़े

(ब) 12 कम्पनियों (7 कम्पनियों सहित) ने कुल 90.14 करोड़ की हानि उठायी ।

× 30 सितम्बर 1986 एवं 1987 को समाप्त वर्षों के आंकड़े।

उपर्युक्त क्रमांक 2,3,7 एवं 8 पर अंकित कम्पनियों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान हानि में भारी वृद्धि के कारण जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया निम्नवत थे:-

—उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड—

ब्याज वित्त प्रभारों एवं मूल्य ह्रास में वृद्धि

—उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड—

उत्पादन की लागत, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि तथा मूल्य ह्रास एंव ब्याज प्रभारों में सीमान्त वृद्धि

—उत्तर प्रदेश स्टेट स्पीनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या ।।)लिमिटेड—

मूल्य ह्रास तथा ब्याज प्रभारों में वृद्धि

—उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड—

विक्रय में ह्रास कर्मचारियों के व्यय में वृद्धि तथा गत वर्ष प्राप्त 33 लाख रूपयों के समक्ष वर्ष के दौरान हानियों के समक्ष सरकार से सहायक अनुदानों की अप्राप्ति ।

(ग) दो कम्पनियों अर्थात घाटमपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड एवं कमट्रान लिमिटेड 31 मार्च 1988 तक निर्माणावस्था में थीं।

1.2.4.2 जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिखाया गया है, निम्नांकित 15 कम्पनियों (9 सहायक कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में संचित हानियाँ, जैसा कि प्रत्येक के समक्ष अवधि तक प्राप्त लेखे में दर्शित की गयी है, उस वर्ष की समाप्ति पर उनकी प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी।

9 AG-2

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे तैयार थें	वर्ष की समाप्ति पर की प्रदत्त पूँजी	वर्ष तक की संचित हानि	प्रदत्त पूँजी से संचित हानि की प्रतिशतता	परिशिष्ट 2 क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि आद्योगिक निगम लिमिटेड	1981-82	728.93	905.38	124.22	6
2.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1986-87	10613.84	15695.74	147.88	8
3.	किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	703.77	1461.98	207.74	12
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	1987-88	6353.16	8261.16	130.14	14
5.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1987-88	750.00	3551.73	473.56	18
6..	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पीनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	1987-88	3668.34	5881.34	160.33	30

1	2	3	4	5	6	7
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या ।।) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1987-88	2356.52	2591.53	109.97	31
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	1987-88	202.22	563.70	278.16	34
9.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1982-83	65.05	103.28	158.77	35
10.	नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी (उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	1630.73	2834.35	173.81	37
11.	छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1986-87	268.00	325.90	121.64	39
12.	उत्तरप्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1987-88	111.68	462.94	414.52	50

~~शुद्धि पत्र~~

शुद्धि पत्र

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार) नं. 1

पृष्ठ संख्या	संदर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
	~~विषय सूची 4 थी पंक्ति~~	~~सांविधिक~~	~~सांविधिक~~
I	विषय सूची 4 थी पंक्ति	संविधिक	सांविधिक
II	विषय सूची 18 वीं पंक्ति	स्पिनिग	स्पिनिंग
III	प्रस्तावना 7 वीं पंक्ति	प्रविदन	प्रतिवेदन
VII	2.1 की 12 वीं पंक्ति	नलकून	नलकूप
VIII	दूसरी पंक्ति	उर्जीकरण	ऊर्जीकरण
XII	19 वीं पंक्ति	नंद्रगत	नंदगंज
XVIII	प्रथम पंक्ति	इन्सेक्टासाइड	इनसेक्टीसाइड
XIX	15 वीं पंक्ति	पाड़ित	~~पीड़ि~~ पीड़ित
XIX	7 वीं पंक्ति	वस्तुत	वस्तुत:
~~XX~~	~~19 वीं पंक्ति~~	~~बसर~~	~~बसी~~
XX	19 वीं पंक्ति	गया	गयी
XXI	दूसरी पंक्ति	आद्योगिक	औद्योगिक
XXI	9 वीं पंक्ति	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	च 10 वीं पंक्ति	कापरिशन	कापरिशन
11	13 वीं पंक्ति	कम्पन	कम्पनी
12	5 वीं पंक्ति	बीच	बीज
12	14 वीं पंक्ति	मितम्बर	सितम्बर
15	10 वीं पंक्ति	इलेक्टानिक्स	इलेक्ट्रानिक्स
16	15 वीं पंक्ति	चीना	चीनी
23	14 वीं पंक्ति	मैनुअवल	मैनुअल
26	19 वीं पंक्ति ~~पाटीवार~~	पाटीवार	पार्टीवार
27	प्रथम पंक्ति	रूपय	रूपये
29	18 वीं पंक्ति	कम्नी	कम्पनी
30	10 वीं पंक्ति	काक	का
31	च 9 वीं पंक्ति	लाभा	लाभ
38	19 वीं पंक्ति	न	में
39	18 वीं पंक्ति	वाणिज्कि	वाणिज्यक
46	17 वीं पंक्ति	निधियर्यों	निधियाँ
51	17 वीं पंक्ति	यतथा	तथा
60	7 वीं पंक्ति	अनुच्छे	अनुच्छेद
62	11 वीं पंक्ति	उर्जीकृत	ऊर्जीकृत

90	21 वीं पंक्ति	~~धर्म~~ धनशि	धनराशि
93	6 वीं पंक्ति	कियथा	किया
93	17 वीं पंक्ति	उर्जीकरण	ऊर्जीकरण
94	9 वीं पंक्ति	अधिशासा	अधिशासी
99	14 वीं पंक्ति	लिमिटड	लिमिटेड
119	द्वितीय पंक्ति	सार्वजनकि	सार्वजनिक
120	8 वीं पंक्ति	सितम्बन	सितम्बर
122	9 वीं पंक्ति	हाने	होने
129	20 वीं पंक्ति	का	की
131	3 री पंक्ति	~~वचनबदता~~	
131	4 वी ~~पंक्त~~ पंक्ति	वचनबदता	वचनबद्धता
135	12 वीं पंक्ति	आया	आयी
139	द्वितीय पंक्ति	यपी	पी
156	18 वीं पंक्ति	~~पप~~ पारियाँ	पालियाँ
157	22 वीं पंक्ति	ययपे	~~रुपये~~ रूपये
158	11 वीं पंक्ति	लाखं	लाख
192	12 वीं पंक्ति	अनिर्णित अ	अनिर्णीत
205	18 वीं पंक्ति	गिराावट	गिरावट
250	9 वीं पंक्ति	~~व्यय~~ व्पयय	व्यय
257	9 वीं पंक्ति	सम्पूर्तिकर्तताओं	सम्पूर्तिकर्ताओं
264	5 वीं पंक्ति	कद्रों	केन्द्रों
295	चौथी पंक्ति	इण्डिटग्रेटेड	इण्टिग्रेटेड
311	7 वीं पंक्ति	सूतचित	सूचित
321	16 वीं पंक्ति	र्षों	वर्षों
377	प्रथम पंक्ति	ास्तविक	वास्तविक
385	द्वितीय पंक्ति	198	1984
393	7 वीं ~~पंक्ति~~ पंक्ति	सरकार	सरकारी
406	10 वीं पंक्ति	सवदिागत	संविदागत
406	15 वीं ~~पंब~~ पंक्ति	भोक्ताओं	उपभोक्ताओं
		रीक्षण	परीक्षण

1	2	3	4	5	6	7
13.	हथकरघा सघन विकास परियोजना (बिजनौर) लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	1978-79	2.00	3.35	167.50	64
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस कार्पोरेशन, मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1982-83	70.76	162.69	229.92	67
15.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1987-88	114.18	196.29	171.91	90

1.2.5 इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली 5 कम्पनियां थीं, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, जिनमें से केवल 3 कम्पनियों (क्रमांक 1,2 एवं 3) ने वर्ष 1987-88 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया था ।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	को अन्त होने वाले लेखे का वर्ष	के द्वारा अंशदान की गयी प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	सरकारी निगम/ कम्पनियाँ		अन्य स्वायत्त निकाय	योग	वर्ष में लाभ(+) हानि(–)
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	5(ङ.)	6
						(लाख रूपयों में)			
1.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	27 अगस्त 1971	31 अक्टूबर 1987	–	40.00	82.00	78.00	200.00	+16.47
2.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	5 अक्टूबर 1979	31 दिसम्बर 1987	–	–	21.33	2.97	24.25	+0.16
3.	उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	22 जून 1978	30 जून 1988	68.76	51.87	31.87	47.14	199.63	+25.68
4.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	4 अक्टूबर	31 दिसम्बर	–	36.97	17.95	34.92	89.84	+44.86
5.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड	अनुपलब्ध	31 दिसम्बर 1975	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।					

कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन के सम्बन्ध में 47.55 लाख रूपये संचित हानियाँ इसकी 24.25 लाख रूपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी ।

स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड के वर्ष 1980 से 1987 तक के लेखे एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के 1975 में इसके आरम्भ से 1987 तक के लेखे बकाया में थे।

1.2.6 वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित सरकारी कम्पनियों के लेखे के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के फलस्वरूप इंगित कुछ महत्वपूर्ण विन्दु निम्नांकित हैं:-

1. सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सम्बन्धित कम्पनियों के अंशधारकों को अपने प्रतिवेदनों में बताया कि उनके द्वारा उल्लिखित विभिन्न कारणों/ टीका टिप्पणियों/ विशेषताओं की दृष्टि से निम्नांकित दो कम्पनियों के लेखे सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं करते इन कम्पनियों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्न थीं:-

(क) 31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के लेखे के विषय में

—कम्पनी ने लगभग 35 लाख रूपये मूल्य के पुराने मन्द गति शील (स्लो मूविंग) भण्डार को 8.63 लाख रूपये की छूट पर बेचा । जब कि कम्पनी ने सम्पूर्ण विक्रय धन को वर्ष का विक्रय

माना, इसने छूट का 70 प्रतिशत (6.05 लाख रूपये) स्थगित कर दिया, जिससे इस धनराशि से कार्यचालन परिणाम प्रभावित हुये।

—कम्पनी ने 7.30 लाख रूपये में से 5.77 लाख रूपये का विज्ञापन व्यय आस्थगित कर दिया जो उचित नहीं था क्योंकि न तो किसी सम्पत्ति का सृजन हुआ और न ही कोई टिकाऊ स्वरूप का लाभ ही था ।

—बैंक में कुल 2.22 लाख रूपये की जमा की गयी दिखायी गयी धनराशियां जमा नहीं की गयीं तथा गबन कर ली गयी बतायी गयीं । इसलिये बैंक के अवशेषों के आंकड़े सत्य नहीं माने जा सकते ।

(ख) 31 मार्च 1985 को अन्त हुये वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के लेखे के सम्बन्ध में:-

—इकाइयों के कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता के 1.38 लाख रूपये का अंशदान का प्रावधान न करना ।

—स्थापना अंशदान के प्रति उपयोजित तथा सरकार से वसूली योग्य दर्शित 133.14 लाख रूपये में से था, सरकार द्वारा केवल 97.51 लाख रूपये ही अनुमत किये गये। शेष 35.13 लाख रूपये का प्रावधान लेखे में किया जाना चाहिये था।

—16.74 लाख रूपये की धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान हेतु देय था जिसका भुगतान नहीं किया ।

(11) कम्पनी अधिनियम 1956 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों को उनके कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार निर्गत निर्देशों के अनुसरण में 8 कम्पनियों (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 7,8,24,3u,37,38,40 एवं 76) के लेखे पर कम्पनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन अप्रैल 1987 से मार्च 1988 के दौरान प्राप्त हुये। इन प्रतिवेदनों में देखे गये महत्वपूर्ण विन्दु सन्क्षेप में नीचे दिये गये है:-

क्रमांक	त्रुटियों की प्रकृति	कम्पनियां की संख्या जिनमें त्रुटियां पाई गईं	परिशिष्ट-2एवं 3 के क्रमांकका सन्दर्भ
1	2	3	4
1.	लेखा मैनुअल का अभाव	4	7,2,4,37 एवं 38
2.	आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअवल का अभाव	2	24 एवं 38
3.	नियंत्रक लेखे का सामान्य खातों / सहायक खातों से समाधान न किया जाना/ समाधान में विलम्ब	2	24 एवं 40
4.	मानक लागत प्रणाली का अभाव	5	7,8,30,37 एवं 38.
5.	बट्टे खाते डालने, छूटों, वापसियों आदि के लिये प्रक्रिया/ प्रणाली का अभाव	1	38

1	2	3	4
6.	भण्डार/अतिरिक्त पुर्जों की अधिकतम/ न्यूनतम सीमाओं का नियतन किया जाना	6	7, 24, 37, 38, 40एवं 76
7.	लेखा मैनुअलों/निर्देशों का अनुपालन न करना	1	40
8.	निर्गत भण्डारों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली का अभाव	1	40
9.	अधिशेष/अनुपयोगी भण्डारों का निर्धारण न किया जाना	2	7 एवं 40
10.	उधार पर अतर्क संगत छूट तथा ऋणों का अप्रभावशाली अनुपालन	2	24 एवं 76
11.	पूँजीगत राजस्व उत्पादन एवं विक्रय बजटों का तैयार न किया जाना	3	24, 40एवं 76
12.	श्रम/ मशीनरी का निष्क्रिय समय सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली का अभाव	2	30 एवं 38
13.	भण्डारों/ अतिरिक्त पुर्जों की अचल/ मन्द गतिशील मदों को अभिज्ञात करने की प्रणाली का अभाव	1	30
14.	तैयार माल का अधिक संचय	1	30
15.	आन्तरिक लेखा परीक्षण द्वारा उठाये बिन्दुओं के सम्बन्ध में असंतोषजनक अनुवर्ती क्रिया विधि	1	24

(III) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कम्पनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर टीका-टिप्पणी करने या उन्हें अनुपूरित करने का अधिकार है। इस प्रावधान के अन्तर्गत चुने गये मामलों में सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखों की समीक्षा सम्पन्न की जाती है। जनवरी 1988 से दिसम्बर 1988 के दौरान ऐसी समीक्षा के लिये 34 कम्पनियों से सम्बन्धित 36 लेखे चुने गये । इस अनुपूरक लेखापरीक्षण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण टीका-टिप्पणियों का निवल प्रभाव निम्नवत् था:-

क्रमांक	विवरण	लेखे की संख्या	आर्थिक प्रभाव लाख रुपयों में
1.	लाभ में वृद्धि	2	38.73
2.	लाभ में कमी	3	138.76
3.	हानि में वृद्धि	5	88.28
4.	हानि में कमी	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	19	-

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी संवीक्षाओं के फलस्वरूप 30 जून 1988 को अन्त हुये वर्ष हेतु श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के लेखे तथा वर्ष 1987-88 हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पुनरीक्षित कर दिये गये, पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तिम मामलों में लाभ 1.13 लाख रूपये से बढ़ गया ।

समीक्षा हेतु चुनी गयी इन कम्पनियों में से 10 के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित न की गयी, अनुपूरक

लेखा परीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ प्रमुख गलतियाँ और भूले निम्नांकित हैं:-

(क) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च 1985 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

1972 में आगरा में कम्पनी द्वारा अध्याप्त पट्टे की भूमि से सम्बन्धित 7.14 लाख रूपये की अनिस्तारित प्रीमियम के सम्बन्ध में अक्टूबर 1972 से अप्रैल 1974 की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि होने से सम्भूत किन्तु भुगतान न किये गये ब्याज का 4.01 लाख रूपये से अवकथन (अण्डर स्टेटेड) हुआ ।

2. ऋण तथा उद्यमियों में उन सहायक कम्पनियों से प्राप्त 12.37 लाख रूपये सम्मिलित थे जिनको बन्द कर देने के लिये जून 1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गयीं थीं और इस प्रकार उनकी वसूली संदिग्ध थी ।

3. कम्पनी ने 1973-74 से 1984-85 के दौरान आद्योगिक सायबान (शेड्स) के निर्माण पर 31.44 लाख रूपये का व्यय किया जिनको प्राइवेट उद्यमकर्त्ताओं को बैंच दिया । किराये पर दे दिया / न तो सृजित परिसम्पत्तियों के उचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत विधिवत वर्गीकृत विवरण उपलब्ध थे न ही पार्टीवार विवरण जिनसे धनराशि वसूली योग्य थी, उपलब्ध थे ।

4. आगरा डिपों में पड़े हुये 990.607 टन कच्चे लोहे के अन्त स्टाक का नियत 1259 रूपये प्रति टन वसूली योग्य मूल्य के बजाय

1912 रूपय से 2291 रूपये प्रति टन मूल्यांकन करने के कारण 486.32 लाख रूपये के अन्त स्टाक तथा वर्ष हेतु लाभ का 8.72 लाख रूपये से अतिकथन हुआ ।

5. अन्त स्टाक में वर्ष 1984-85 में रेलवे द्वारा परिदान पर घटिया किस्म के पाये गये 1096 टन कच्चे लोहे की 26.60 लाख रूपये लागत सम्मिलित थी ।

6. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को किराये पर दिये गये आद्योगिक सायबानों (शेड्स) के सम्बन्ध में मूल्यह्रास प्रभावित नहीं किया गया यद्यपि उनसे प्राप्त किराया प्रभार कम्पनी की आय माने गये थे ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 30 सितम्बर 1984 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में :-

1. विभिन्न देनदारों का 83.83 लाख रूपये से जो ग्राहक द्वारा सम्पूर्ति माल की लागत के प्रति बिलों के माध्यम से ग्राहक द्वारा की गयी कटौतियां निरूपित करते थे, अतिकथन हुआ ।

2. निम्न कारणों से निवल का 122.22 लाख रूपये से अतिकथन हुआ:-

— अपनी घोषित लेखाकरण के उल्लंघन में अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्य से अधिक धनराशि पर पानी निकालने तथा प्लम कंक्रीट कार्य के लिये किये गये कार्य में 60.80 लाख रूपये के अपने दावे का लेखा करना ।

— ज्ञानपुर पम्प नहर में प्रयुक्त माल का 30.17 लाख रूपये से अवकथन, क्योंकि सिंचाई विभाग से प्राप्त शीट पाइल का लेखे में बिना मूल्य के दर्शायी गयी, यद्यपि अनुबन्ध में निर्गम दर उल्लिखित थी ।

— वर्ष 1983-84 के लिये भारतीय स्टेट बैंक को 20.65 लाख रूपये का प्रत्याभूति कमीशन/बैंक प्रभारों का लेखा न करना ।

— गणना में भूल के कारण ज्ञानपुर पम्प नहर कार्य में किये गये कार्य के मूल्य का 4.51 लाख रूपये से अतिकथन

— विजय वाड़ा कार्य में ग्राहकों को अनुमत किये जाने हेतु सहमत 3.82 लाख रूपये की अनुपातिक छूट का लेखे में न लिया जाना ।

— किशनपुर पम्प घर के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत सीमेण्ट का 45 रूपये से 50 रूपये की पुनरीक्षित दर के बजाय 40 रूपये प्रति बोरी की दर से मूल्यांकन के कारण उपयुक्त सामग्री का 2.27 लाख रूपये से अवकथन ।

3. 11.41 लाख रूपये मूल्य के औजार एवं उपकरण 4867 लाख रूपये के लिये बट्टे खाते में डाले गये इसके फलस्वरूप भी लाभ 37.26 लाख रूपये अवकथित हुआ ।

4. इराकी इकाइयों हेतु विदेशी लेखापरीक्षकों को 4.78 लाख रूपये का भुगतान किया गया उनकी नियुक्ति के लिये कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन अपेक्षित भारत सरकार

का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के 30 सितम्बर 1985 को समाप्त हुय वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में :-

1. भूमि में कानपुर में पट्टे पर ली गयी भूमि (3.12 लाख रूपये) का मूल्य असम्मिलित था जिसका वास्तविक कब्जा नहीं प्राप्त किया गया।

2. 1984-85 के दौरान प्रारम्भ एवं पूर्ण किये गये उरई उपमार्ग पर गोहानी नाला सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये कार्य के सकल मूल्य (9.81 लाख रूपये) का वर्ष के दौरान लेखा नहीं किया गया । फल स्वरूप कारण वर्ष में किये गये कार्य के मूल्य एवं वर्ष हेतु लाभ का तदनुरूप अवकथन हुआ ।

3. वर्ष के समाप्ति पर 6.21 लाख रूपये की धनराशि मैटेरियल एट साइट एकाउंट (उत्स्थल) ऋण अवशेष के रूप में दर्शित की जा रही थी। "मैटीरियल कन्ज्यूम आन वर्क्स" से इस अवशेष की समायोजन न करने के फलस्वरूप किये गये कार्य के मूल्य का 7.05 लाख रूपये से अतिकथन हुआ ।

4. कम्पनी की एक विदेशी शाखा हेतु लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कम्नी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना की गयी। उनको 4.45 लाख रूपये के परिश्रमिक का भुगतान किया गया ।

(घ) प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ

उत्तर प्रदेश के 31 मार्च 1986 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

— कम्पनी ने सम्भूति आधार के बजाय नकद आधार पर सम्व्यवहारों का लेखा करना अपनाया जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 219 के प्रावधानों के विपरीत है तथा व्यापारिक लेखाकरण सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

(ङ.) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड के 31 मार्च 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

1. मिनी सीमेण्ट प्लाण्ट के सम्बन्ध में 177.45 लाख रूपये काक दायित्व जो संयंत्र एवं मशीनरी के सम्पूर्तिकर्ताओं तथा कम्पनी के मध्य तय होना था, प्रकट नहीं किया गया।

2. "रायल्टी एण्ड वेल्फेयर सेस" में 5 मई 1987 से देय बढ़ी रायल्टी के प्रति 81.72 लाख रूपये सम्मिलित नहीं थे। इसके फलस्वरूप वर्ष हेतु चालू दायित्वों एवं हानि का उस सीमा तक अवकथन हुआ।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 1980 को समाप्त हुयें वर्ष के सम्बन्ध में :-

1. "चालू दायित्व एवं प्रावधान" शीर्षक के अन्तर्गत सेरीकल्चर ग्राण्ट फिक्स्ड ऐसेट्स में दर्शित 12.79 लाख रूपये की धनराशि सेरीकल्चर योजना के अन्तर्गत कुछ स्थिर परिसम्पत्तियों के क्रय करने हेतु प्राप्त सहायक अनुदान निरूपित करती थी। चूँकि अनुदान का

पूँजीगत मदों का क्रय करने के प्रयोजन हेतु इस पूँजीगत अनुदान जिसे इसे पूँजीगत अनुदान माना जाना चाहिये था और वह विशेष आरक्षण संचय लेखे में उसी रूप में क्रेडिट किया जाना चाहिये था । और भी प्रत्येक वर्ष आरक्षण लेखे तथा स्थिर परिसम्पत्तियां लेखा प्रत्येक वर्ष अचल परिसम्पत्तियों पर वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर धनराशि से डेबिट/क्रेडिट किया जाना चाहिये था किन्तु कम्पनी ने इन स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया ।

2. कर के पूर्व वर्ष हेतु लाभ (99.05 लाख रूपये) का, विज्ञापन और प्रचार पर व्यय को लाभ हानि खाता को प्रभावित न करने के कारण 6.62 लाख रूपये से अतिकथन हुआ जो इस प्रयोजन हेतु हथकरघा एवं वस्त्र निर्देशक द्वारा प्रावधानित निधियों से पूर्ण किये जाने के लिये अभिप्रेत "डी.एच.टी. प्रदर्शनी पर व्यय" को गलत प्रभावित किया गया ।

(छ) उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड के 31 मार्च 1987 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

1. निवल हानि निम्न कारणों से 22.08 लाख रूपये से अवकथित हुयी :-

— प्रारम्भिक कार्यचालन पूंजी को पूरा करने हेतु प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय का प्रभारित न किया जाना (12.43 लाख रूपये) ।

— विदेशी फर्मों को बेचे सामान पर हानि हेतु प्रावधान न करना (4.15 लाख रूपये) ।

— एक दिवालिया देनदार से वसूली योग्य धनराशि के सम्बन्ध में अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान न करना (3.68 लाख रूपये) और

— घटी दरों पर विक्रय हेतु कम्पनी द्वारा निर्णीत पुराने भण्डार का अधिक मूल्यांकन (18.2 लाख रूपये)

2. 1979-80 से 1985-86 के दौरान पार्टियों को 47.36 लाख रूपये के रियायती बिक्री कर के सम्बन्ध में प्रपत्र "सी" सम्बन्धित पार्टियों से प्रतीक्षित थे । इन लम्बित प्रपत्र "सी" के सम्बन्ध में अन्तरीय बिक्री कर हेतु प्रासंगिक दायित्व प्रकट नहीं किया गया ।

(ज) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के 30 सितम्बर 1987 को अन्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में-

अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी (10613.84 लाख रूपये) में 1347 लाख रूपये सम्मिलित थे जिसके लिये 8 अक्टूबर 1987 को शेयर आवंटित तथा निर्गत किये गये थे ।

(झ) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 1982 को अन्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

प्रतिभूति रहित ऋणों पर राज्य सरकार को देय ब्याज (4.66 लाख रूपये) के कम प्रावधान तथा भारत सरकार द्वारा

खादों के दामों नीचे की ओर पुनरीक्षित करने के कारण हुई हानि (29.19 लाख रूपये) हेतु प्रावधान न करने के कारण 905.38 लाख रूपये की संचित हानि 33.05 लाख रूपये की सीमा तक अपकथित है।

(अ) अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लिमिटेड के 30 जून 1987 के समाप्त हुये वर्ष के लेखे के सम्बन्ध में:-

1. शेयर पूँजी में शेयरों के आवंटन होने पर 22.61 लाख रूपये शेयर आवेदन धनराशि के रूप में सम्मिलित है जो वास्तव में ऐसा नहीं है अपितु विभिन्न लेखे पर क्रेडिट अवशेष है।

1.3 सांविधिक निगम - सामान्य पहलू

1.3.1 31 मार्च 1988 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे अर्थात्-

- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं
- उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.3.2 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5(1) के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुआ था एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा "33" के अन्तर्गत पहली जून 1972 को किया गया था ।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत इन संगठनों की लेखा परीक्षा

एक मात्र भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में निहित है। मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखे पर टीका-टिप्पणी समाविष्ट करते हुये पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इन संगठनों एवं शासन को अलग-अलग निर्गत किये जाते हैं ।

वर्ष 1988-89 हेतु परिषद के लेखा की तैयारी बकाया में थी जब कि अन्तिम रूप दे दिये गये तथा जनवरी 1989 में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत 1987-88 वर्ष के लेखे लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में थे (सितम्बर 1989) । जब कि 8 मई 1989 को परिषद तथा सरकार को निर्गत 1986-87 वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल को अभी प्रस्तुत किया जाना था, वर्ष 1982-83 से 1985-86 हेतु लेखे पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन लेखे के साथ मार्च / अक्टूबर 1988 एवं मार्च 1989 में विधान सभा को प्रस्तुत किये गये थे ।

1.3.3 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1982-83 से 1984-85 वर्षों हेतु अपने पुनरीक्षित लेखे 17 नवम्बर 1987 को तथा वर्ष 1985-86 से 1987-88 हेतु लेखे 27 अप्रैल 1988 को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया । ये सभी लेखे लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में थे (मार्च 1989)। 13 जनवरी 1989 को सरकार को निर्गत वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 के लेखे पृथक प्रतिवेदनों के साथ राज्य विधान मण्डल को अभी प्रस्तुत किये जाने हैं जब कि 21 अप्रैल 1984 को निर्गत वर्ष 1978-79 के लेखे पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ विधान मण्डल के समक्ष 25 फरवरी 1986 को रखे गये थे ।

1.3.4 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का गठन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत एक नवम्बर 1954 को किया गया ।

अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत, निगम के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शास-पत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित किये जाते हैं एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक निगम के लेखे की लेखा परीक्षा हाथ में भी ले सकते हैं। 1984-85 तथा 1985-86 हेतु निगम के लेखे पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को निर्गत कर दिये गये थे (नवम्बर 1988)। जब कि 1986-87 वर्ष हेतु लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गम के अन्तर्गत था । मई 1985 को निर्गत वर्ष 1983-84 के लेखे उन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ विधान मण्डल के सम्मुख 25 फरवरी 1986 को रखे गये ।

1.3.5 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का गठन भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 28(1) के अन्तर्गत 19 मार्च 1958 को किया गया था।

अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत, निगम के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शास-पत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित किये जाते हैं एवं (नियंत्रक महालेखा परीक्षक) निगम के लेखे की लेखा परीक्षा अपने

हाथ में भी ले सकते हैं।

निगम के वर्ष 1984-85 के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया था एवं उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 23 सितम्बर 1988 को निर्गत कर दिया गया। 1985-86 के लेखे जुलाई 1989 में प्राप्त हुये थे, लेखा परीक्षा प्रगति में थी । निगम के वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 के लेखे बकाया में थे । मई 1982 में निर्गत वर्ष 1980-81 के लेखे उन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ विधान मण्डल के सम्मुख 12 सितम्बर 1983 को प्रस्तुत किये गये थे। वर्ष 1981-82 से 1983-84 के लेखे को विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत होने की सूचना प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1989) ।

1.3.6 इन चारों सांविधिक निगमों के कार्य चालन परिणाम, उस अन्ततम वर्ष हेतु जिसके लेखे तैयार कर दिये गये हैं परिशिष्ट 4 में संक्षेप में दिये गये हैं ।

इन निगमों के लेखे एवं भौतिक कार्य सम्पादन से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु प्रस्तर 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

1.4.1 परिषद की पूँजीगत आवश्यकताओं की व्यवस्था शासन जनता, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के रूप में की जाती है। 1986-87 के लेखे के अनुसार परिषद द्वारा प्राप्त कुल मिलाकर दीर्घावधि के ऋण (सरकार से प्राप्त ऋणों सहित) 1986-87 के अन्त में

में 4753.27 करोड़ रूपये थी एवं पिछले वर्ष के अन्त से 341.08 करोड़ रूपये की वृद्धि निरूपित करते थे। राज्य सरकार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त एवं 31 मार्च 1987 एवं 31 मार्च 1988 को अनिस्तारित ऋणों के विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रम संख्या	स्रोत	31 मार्च को अनिस्तारित धनराशि		वृद्धि की प्रतिशतता
		1987	1988	
		(करोड़ रूपयों में)		
1.	राज्य सरकार	3703.96	3898.75	5.26
2.	अन्य स्रोत	1049.31	1195.60	13.94
	योग	**4753.27**	**5094.35**	**7.18**

1.4.2 सरकार ने परिषद द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर ब्याज के भुगतान की 1380.02 करोड़ रूपये की सीमा तक प्रत्याभूति दी थी। प्रत्याभूति 31 मार्च 1988 को अनिस्तारित मूलधन की धनराशि 643.96 करोड़ रूपये थी ।

×वित्तीय लेखे के अनुसार आंकड़े 3736.49 करोड़ रूपये हैं, अन्तर समाधान के अधीन है (मार्च 1989) ।

1.4.3 31 मार्च 1988 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर परिषद की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है:-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
	(करोड़	रूपये	में)
क- देयताओं से प्राप्त दीर्घावधिक ऋण			
(अ) सरकार	3472.37	3703.96	3898.75
(ब) अन्य स्रोत	922.39	1049.31	1195.79
आरक्षण एवं अधिशेष	247.00	319.00	354.75
वर्तमान देयताये एवं प्रावधान	1845.71	2119.41	748.79
योग (क)	6487.47	**7191.68**	**6198.08**
(ख) परिसम्पत्तिया/सकल अचल परिसम्पत्तियां	2603.99	3134.02	3641.51
(1) घटाइये:मूल्य ह्रास	587.36	737.68	845.72
(2) घटाइये: उपभोक्ता अंशदान	172.02	204.35	230.15
निवल अचल परिसम्पत्तियां	1843.61	2191.61	2567.64
पूँजीगत प्रगतिगत निर्माण कार्य	1903.41	1958.93	2010.10
निवेश सहित चालू परिसम्पत्तियां	1858.68	2207.25	827.62
बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय	33.05	38.73	38.77

1	2	3	4
संचित हानिया	848.72	794.78	753.95
योग (ख)	**6487.47**	**7191.60**	**6198.08**
ग- नियोजित पूँजी ×	1911.30	2279.83	2646 47
घ- निवेशित पूँजी××	4641.77	5072.27	5449.29

टिप्पणियां:- नियोजित पूँजी, कार्यचालन पूँजी को जोड़कर निवल अचल परिसम्पत्तियां निरूपित करती हैं ।

××निवेशित पूँजी मुक्त आरक्षित निधि को जोड़कर दीर्घावधिक ऋणों का निरूपण करती है ।

1.4.4 1984-85 तक (सकल) अधिशेष के आवंटन का क्रम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की उस समय विद्यमान धारा 67 के अनुसार नियत किया गया था। 1985-86 तथा आगे के लेखे को लागू वाणिज्यिक लेखा क्रम प्रणाली पर कार्य सम्पादन परिणामों को दर्शाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों को पुनरीक्षित कर दिया गया है ।

परिषद ने पुनरीक्षित लेखाकरण प्रणाली को 1985-86 वर्ष से अपना लिया ।

1987-88 तक 3 वर्षों हेतु तुलनात्मक वाणिज्कि आधार पर परिषद के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
	(करोड़ रूपयों में)		
1. (क) राजस्व प्राप्तियां	674.11	891.10	977.52
(ख) शासन से प्राप्त उपदान	254.90	283.90	424.70
योग	**929.01**	**1175.00**	**1402.22**
2. राजस्व व्यय	629.78	787.70	820.67
3. सकल अधिशेष (1-2)	+299.23	+387.50	+581.55
4. विनियोग	-	-	-
(क) मूल्य ह्रास	71.64	85.78	95.20
(ख) परब्याज			
(1) शासकीय ऋण	226.46	265.80	279.81
(2) अन्य ऋण एवं बन्धपत्र	103.58	131.71.	156.72
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते में डालना	2.13	0.71	1.01
योग	**403.81**	**484.00**	**532.74**
5. निवल अधिशेष(+)/ कमी (-) 3-4	-104.58	-96.70	-48.81
6. नियोजित/निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	+225.46	+300.81	+485.34
7. पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता			
(क) नियोजित पूँजी	11.80	13.19	18.32
(ख) निवेशित पूँजी	4.86	5.93	8.91

परिषद द्वारा हाथ में लिये गये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के कारण हुयी हानियों को प्रतिदानित करने के लिये राज्य सरकार ने मार्च 1979 में केन्द्र सरकार को 1979-80 एवं उससे आगे परिषद को हानि की प्रतिपूर्ति हेतु वचन दिया था। परिषद ने, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु पृथक लेखा रख-रखाव किये बिना सरकार से प्राप्त उपदान के रूप में तदर्थ आधार पर 1546.19 करोड़ रूपये का लेखा कर लिया 753.95 करोड़ की संचित हानि, 1546.19 करोड़ रूपये के परिषद के राजस्व से समायोजन के पश्चात है।

1.4.5 परिषद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निम्नांकित प्रमुख संवीक्षाएं की गयी थीं:-

(1) वर्ष 1986-87 के दौरान किये गये तथा उत्तरवर्ती वर्ष में आहूत निर्धारण के असमायोजन के कारण परिषद की आय चार खण्डों द्वारा 111.04 लाख रूपये से अतिकथित थी ।

(2) क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमरों की मरम्मत पर 273.45 लाख रूपये के व्यय को परिषद के पांच खण्डों द्वारा उसे राजस्व व्यय को प्रभारित करने के बजाय पूँजीकृत कर दिया गया ।

(3) भण्डार सामग्री के 73.12 लाख रूपये के भाड़ा / ढुलाई प्रभार उसे राजस्व व्यय को प्रभारित करने के बजाय पांच खण्डों द्वारा सामग्री के मूल्य में सम्मिलित कर दिया गया और पूँजीकृत कर दिया गया ।

(4) 1986-87 वर्ष के दौरान खरीदी गयी 198.78 लाख मूल्य की सामग्रियों का लेखा कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन

(केसा) कानपुर द्वारा प्राप्ति में नहीं किया ।

(5) परिषद की एक इकाई (केसा) द्वारा नकद तथा बैंक अवशेष 45 लाख रूपये से अतिकथित था ।

(6) नकद तथा बैंक अवशेष में 17.46 लाख रूपये के नकारे गये थे, चेक सम्मिलित थे ।

(7) लेखा परीक्षा में जांच परीक्षित किसी भी इकाई में स्थिर परिसम्पत्ति पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया ।

(8) लेखा परीक्षा में जांच परीक्षित अधिकांश इकाइयों में निर्माण कार्य पंजिका में अद्यावधिक प्रविष्टियां नहीं की गयी थी ।

(9) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में क्रमशः 25.46 लाख रूपये एवं 336.78 लाख रूपये के ऋण अवशेष सम्मिलित थे ।

1.4.6 निम्नांकित तालिका 1987-88 तक तीन वर्षों हेतु परिषद का कार्यचालन सम्बन्धी सम्पादन सूचित करती है:-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
(1) संस्थापित क्षमता (मेगा वाट में)			
1. तापीय (थर्मल)	2908.50	3118.50	3438.50
2. जलीय (हाइडिल)	1422.35	1422.35	1422.35
योग	**4330.85**	**4540.85**	**4860.85**
(2) प्रजनित शक्ति (एम.के.डब्ल्यू.एच.में)			
1. तापीय	7629.40	9516.443	11884.000
2. जलीय	4596.60	5213.068	7707.000
योग	**12226.00**	**14729.511**	**16591.000**

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
(3) घटाइये: अतिरिक्त (आक्ज़िलरी) उपभोग	1051.000	1097.957	1320.000
(4) निवल प्रजनित शक्ति	11175.000	13631.554	15271.000
(5) क्रय की गयी शक्ति	3791.000	3591.000	4516.000
(6) विक्रय के लिये उपलब्ध कुल शक्ति	14966.000	17222.554	19787.000
(7) विक्रीत शक्ति	11887.00	13655.00	14480.000
(8) पारेषण एवं वितरण हानि	3079.000	3567.554	5307.000
(9) संस्थापित क्षमता की प्रतिकिलो वाट की प्रजनित इकाइयां	2823.000	3243.778	3413.189
(10) भार कारक (प्रतिशत)	34.70	40.70	43.20
(11) संस्थापित क्षमता से प्रजनन की प्रतिशतता	32.23	37.03	38.96
(12) पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता	20.50	2071	36.82
(13) वर्ष की समाप्ति पर उर्जित पम्पसेट/कूप (संख्या)	67561	71564	75749
(14) वर्ष की समाप्ति पर उर्जित पम्पसेट/कूप (संख्या)	512413	542495	564412
(15) सबद्ध भार (मेगावाट)	6977.338	7408.729	7948.393

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
(16) उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	27.38	29.28	31.56
(17) कर्मचारियों की संख्या	107819	113684	117416
(18) उपभोक्ताओं को श्रेणियों के ऊर्जा के विक्रय के व्यौरे (एम.के.डब्ल्यू.एच.)			
(क) कृषीय	3723	4937.8	5868.7
(ख) औद्योगिक	4475.00	4776.2	4776.1
(ग) वाणिज्यिक	672	759.5	813.4
(घ) घरेलू	1848	1933.2	1813.2
(ङ.) अन्य	1169	1248.3	1208.6
योग	**11887**	**13655**	**14480**
(19) (क) प्रति के.डब्ल्यू. एच. राजस्व (पैसे में) (उपदान को छोड़कर)	55.11	64.27	66.33
(ख) प्रति के.डब्ल्यू.एच. व्यय (पैसे में)	59.19	64.02	63.32
(ग) लाभ (+)/हानि (-)	4.08	+0.25	+3.01

1.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 निगम की पूँजी 31 मार्च 1987 को 144.71 करोड़ रूपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 198.70 करोड़ रूपये एवं केन्द्र सरकार द्वारा 36.01 करोड़ रूपये) के समक्ष 31 मार्च 1988 को

160.26 करोड़ रूपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 123.70 करोड़ रूपये एवं केन्द्र सरकार द्वारा 36.56 करोड़ रुपये) थी। पूँजीगत अंशदानों पर 6.25 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है। 31 मार्च 1988 को पूँजी तथा ऋणों पर 32.09 करोड़ रूपयों का ब्याज क्रमशः 6.25 तथा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से केन्द्र सरकार (5.22 करोड़ रूपये) एवं राज्य सरकार (26.87 करोड़ रूपये) को देय था ।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1988 को निगम के ऊपर राज्य सरकार का 2 करोड़ रूपये का ऋण था । राज्य सरकार ने निगम द्वारा अन्य स्रोतों से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति भी दी थी एवं 31 मार्च 1988 को उनके समक्ष अनिस्तारित ऐसी प्रत्याभूतियाँ एवं ऋणों की धनराशियां क्रमशः 92.00 करोड़ रूपये तथा 40.35 करोड़ रूपये थी ।

1.5.2 31 मार्च 1988 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है:-

	1985-86	1986-87	1987-88
(क) देयतायें			
पूँजी	103.16	144.71	160.26
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	1.99	2.19	2.36
ऋण	71.05	68.66	80.97

	1985-86 ⊗	1986-87 ⊗	1987-88 ⊗
व्यापारिक देय एवं अन्य वर्तमान देयतायें	101.56	116.86	119.12
योग (क)	**277.76**	**332.42**	**362.71**
(ख) परिसम्पत्तियां			
ग्रास ब्लाक	180.01	220.72	259.95
घटाया मूल्य ह्रास	111.59	120.19	137.08
निवल अचल परिसम्पत्तियां	69.22	100.53	122.87
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	0.92	1.18	2.32
निवेश	0.80	0.80	0.80
चालू परिसम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम	90.01	104.75	111.85
संचित हानियां	116.80	125.16	124.87
योग (ख)	**277.76**	**332.42**	**362.71**
(ग) निवेशित पूँजी ×	139.49	161.82	177.68
(घ) नियोजित पूँजी ××	57.67	88.42	115.60

⊗ तीनों वर्षों के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि लेखे लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में थे ।

× निवेशित पूँजी दीर्घावधि ऋणों एवं अप्रतिबन्धित आरक्षित निधियों को जोड़कर प्रदत्त पूँजी को निरूपित करती है।

×× नियोजित पूँजी कार्यचालन पूँजी को जोड़कर निवल अचल परिसम्पत्तियां निरूपित करती हैं ।

1.5.3 1987-88 तक 3 वर्षों हेतु निगम के कार्य चालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:-

विवरण	1985-86@	1986-87@	1987-88@
	(करोड़	रूपयों	में)
कुल राजस्व	160.80	181.69	223.47
कुल ब्याज			
(क) अन्य योजना ब्याज	163.65	177.95	209.20
(ख) ब्याज	14.67	11.97	14.23
योग	**178.32**	**189.92**	**223.43**
निवल लाभ(+)/हानि(-)	-17.52	-8823	+0.04
(क) नियोजित पूँजी	57.67	88.42	115.60
(ख) निवेशित पूँजी	139.49	161.82	177.68
कुल प्रति लाभ			
(क) नियोजित पूंजी पर	-	4.23	12.30
(ख) निवेशित पूँजी पर	-	2.31	7.10

1.5.4 निम्न तालिका 1987-88 तक 3 वर्षों के दौरान निगम के परिचालन सम्बन्धी कार्य सम्पादन को सूचित करती है:-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
1. धारित वाहनों की औसत संख्या (प्रभावित बेड़ा)	6167	6452	6968

@ सारे 3 वर्षों के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि लेखे लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में थे ।

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
2. सड़क पर चल रहे वाहनों की औसत संख्या	4681	5436	6098
3. उपयोग की प्रतिशतता	76	84	88
4. आवृत्त किलोमीटर –लाखों में)			
सकल	4521	4857	5616
क्रिया शील	4435	4760	5496
निष्क्रिय	86	97	120
5. सकल कि.मी. से निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	1.9	2.0	2.1
6. प्रतिदिन प्रति बस आवृत्त× औसत किलोमीटर	213	222	238
7. प्रति किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	363	382 407	407
8. प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	402	399	407
9. प्रति कि.मी. लाभ (+)/ हानि (–)	–39	–17	–
10. कुल मार्ग कि.मी. (लाखो में)	2.63	3.17	3.84

× वाहनों में बसें, टैक्सियां तथा ट्रक सम्मिलित हैं ।

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
11. परिचालन करने वाले डिपों की संख्या	93	92	94
12. प्रति लाख कि.मी. ब्रेक डाउन की औसत संख्या	0.073	0.050	0.030
13. प्रति लाख कि.मी. दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.16	0.17	0.15
14. निर्धारित यात्री कि.मी. (लाखों में)	229947	246824	296028
15. परिचालित यात्री कि.मी. (लाखों में)	167861	182650	189458
16. अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	73	74	64

1.6 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1.6.1 वर्ष 1987-88 हेतु निगम के लेखे का लेखा परीक्षण अभी किया जाना था इसलिये इस प्रस्तर में दिये गये 1987-88 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

1.6.2 31 मार्च 1987 को 10 करोड़ रूपये (राज्य सरकार 485 करोड़ रूपये, ,भारतीय आद्योगिक विकास बैंक 485 करोड़ रूपये एवं अन्य 0.30 करोड़ रूपये) के समक्ष 31 मार्च 1988 को निगम की प्रदत्त पूँजी 16.47 करोड़ रूपये (राज्य सरकार 11.32 करोड़ रूपये, भारतीय आद्योगिक विकास बैंक 4.85 करोड़ रूपये एवं अन्य 0.30 करोड़ रूपये) थी ।

1.6.3 राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 6(1) के अधीन सरकार ने 9.65 करोड़ रूपये की अंशपूँजी (0.35 करोड़ रूपये की विशेष अंशपूँजी को छोड़कर) के पुनर्भुगतान एवं 3.5 प्रतिशत की दर से उस पर न्यूनतम लांभांश के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी। वर्ष 1987-88 के दौरान निगम की कुल आय 43.78 करोड़ रूपये थी एवं राजस्व व्यय 42.08 करोड़ रूपये था। इस प्रकार, कर के पूर्व 1.70 करोड़ रूपये तथा कर हेतु प्रावधान के उपरान्त 1.16 करोड़ रूपये का लाभ था। विभिन्न आरक्षित निधियों के लिये 0.68 करोड़ रूपये का प्रावधान करने के उपरान्त उपलब्ध अधिशेष 0.48 करोड़ रूपये था।

सरकार ने निगम द्वारा लिये गये 137.76 करोड़ रूपये के बाजार ऋणों (बाण्ड तथा डिबेन्चर द्वारा) के पुनर्भुगतान की भी प्रत्याभूति दी थी। उनके समक्ष अनिस्तारित मूलधन की धनराशि 31 मार्च 1988 को 137.76 करोड़ रूपये थी।

1.6.4 निम्नांकित तालिका 31 मार्च 1988 तक तीन वर्ष की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति सामान्य शीर्षों के अन्तर्गत संक्षेप में प्रस्तुत करती है:-

	1985-86	1986-87	1987-88
	(करोड़	रूपये	में)
(क) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	10.00	10.00	16.47
आरक्षण निधि तथा अधिशेष	9.39	11.30	12.12

	1985-86	1986-87	1987-88
	(करोड़	रूपये में)	
ऋण			
बाण्ड्स एवं डिबेन्चर	87.95	109.67	137.76
अन्य	185.24	248.13	312.18
अन्य देयतायें	7.82	6.61	10.23
योग (क)	**300.40**	**385.71**	**488.76**
(ख) परिसम्पत्तियां			
रोकड़ एवं बैंक शेष	9.24	10.70	15.68
निवेश	0.35	0.35	0.35
ऋण एवं अग्रिम	277.42	355.19	448.02
निवल अचल परिसम्पत्तियां	1.07	1.19	2.04
लाभांश कमी	–	–	–
अन्य परिसम्पत्तियां	12.32	18.28	22.67
योग (ख)	**300.40**	**385.71**	**488.76**

× इसमें अंशपूजी के बदले ऋण 1985-86 में 34.0 करोड़ रूपये, 1986-87 में 49.50 करोड़ रूपये यतथा 1987-88 में 50.03 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं ।

xx 1987-88 में 13.05 करोड़ रूपये 1986-87 में 0.51 करोड़ रूपये की सीमा तक पूँजीगत उपदान के समक्ष अन्य परिसम्पत्तियों में सम्मिलित पूरक ऋण को असम्मिलित करके ।

	1985-86	1986-87	1987-88
	(करोड़ रूपयों में)		
(ग) नियोजित पूँजी [x]	261.43	335.79	428.81
(घ) निवेशित पूँजी [xx]	292.52	379.05	478.53

1.6.5 निगम ने पहली अप्रैल 1981 से व्यापारिक प्रणाली के स्थान पर नकद लेखा प्रणाली को अपना लिया ।

निम्नांकित तालिका 1987-88 तक 3 वर्षों हेतु निगम के कार्य चालन परिणामों के विवरण प्रस्तुत करती है:-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
	(लाख रूपयों में)		
1. आय (क) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	2430.35	3087.09	4265.75
(ख) अन्य आय	65.02	105.75	112.63
योग (1)	**2495.37**	**3192.84**	**4378.35**
2. व्यय (क) दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	1838.75	2437.86	3597.43
(ख) अन्य व्यय	517.11	474.86	610.81
योग (2)	**2355.11**	**2912.72**	**4208.27**

x नियोजित पूँजी प्राप्त पूँजी, बाण्ड तथा डिबेन्चर आरक्षित निधियों ऋणों (पुनर्वित्त पोषण सहित) एवं जमा निधियों के अथ एवं इति शेषों के योग का मध्यमान निरूपित करती है।

xx निवेशित पूँजी वर्ष की समाप्ति पर दीर्घावधि क ऋणों और मुक्त आरक्षित निधियों को जोड़कर प्रदत्त पूँजी निरूपित करती है ।

	1985-86	1986-87	1987-88
	(लाख रुपयों में)		
3. कर के पूर्व लाभ	139.51	278.52	170.08
4. कर हेतु प्रावधान	19.36	62.95	62.55
5. कर के उपरान्त लाभ	120.15	215.57	107.53
6. अन्य विनियोजन	106.50	192.71	68.04
7. लाभांश के लिये उपलब्ध धनराशि	13.65	22.86	39.49
8. देय लाभांश	33.78	33.77	48.48
9. (क) नियोजित पूँजी	26143.00	33579.00	42881.00
(ख) निवेशित पूँजी	29252.00	37805.00	47853.00
10. कुल लाभांश			
(क) नियोजित पूँजी पर	1978.26	2716.38	3767.51
(ख) निवेशित पूँजी पर	1978.26	2716.38	3767.51
11. प्रतिलाभ की प्रतिशतता (प्रतिशत)			
(क) नियोजित पूँजी पर	7.6	8.1	8.8
(ख) निवेशित पूँजी पर	6.9	7.2	7.9

1.6.6 निम्नांकित तालिका 1987-88 तक तीन वर्षों के दौरान ऋणों हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्तियों एवं निस्तारण से सम्बन्धित स्थिति सूचित करती है:-

विवरण	1985-86		1986-87		1987-88		31 मार्च 1988 को से संचित	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(करोड़		रूपये		में)		
1. वर्ष के आरम्भ में लम्बित आवेदन-पत्र	533	42.54	602	60.69	292	38.33	-	-
2. प्राप्त आवेदन-पत्र	4082	275.33	2975	268.21	2341	229.11	51796	1639.36
3. **योग (1+2)**	**4615**	**317.87**	**3577**	**328.90**	**2633**	**267.44**	**51796**	**1639.36**
4. स्वीकृत आवेदन पत्र	2776	156.22	2440	192.86	1815	177.44	28500	786.24
5. निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन-पत्र	1237	92.80	845	79.10	534	58.40	23005	825.37
6. वर्ष की समाप्ति पर अविस्तारित आवेदनपत्र	602	60.69	292	38.33	284	27.76	284	27.76
7. वितरित ऋण	2458	78.03	1842	98.47	1669	120.78	25964	56424.13
8. वर्ष की समाप्ति पर अनिस्तारित धनराशि	-	277.42	-	355.19	-	448.03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(करोड़ रूपये मे)						
9. (1) वर्ष की समाप्ति पर वसूली के लिए अतिप्राप्य (ओवर इयू) धनराशि								
(क) मूलधन	-	26.49	-	31.14	-	42.05	-	-
(ख) ब्याज	-	30.60	-	37.16	-	57.75	-	-
योग	-	**57.09**	-	**68.30**	-	**99.80**	-	-
(2) वसूली प्रमाण पत्र/ दायर किये गये बाद के मामलों में निहित धनराशि	-	28.78	-	40.22	-	43.42	-	-
योग	-	**85.86**	-	**108.52**	-	**143.22**	-	-
10. कुल अनिस्तारित ऋणों से से चूक की प्रतिशतता	-	30.94	-	30.55	-	31.97	-	-
11. सहायता प्राप्त इकाइयाँ	-	उपलब्ध नहीं	-	उपलब्ध नही	-	उपलब्ध नहीं	-	-

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 31 मार्च 1988 की 52088 ऋणियों से 448.03 करोड़ रूपये के अनिस्तारित ऋणों में से 99.80 करोड़ रूपये (57.76 करोड़ रूपये के ब्याज सहित) की धनराशि वसूली के लिये अतिदेय थी । कुल बकाये से अतिदेय धनराशि की प्रतिशतता

1985–86 में 30.9 प्रतिशत से 1986–87 में 30.55 एवं 1987–88 में 31.97 परिवर्तित होती रही ।

अतिदेय ऋणों का अवधिवार विश्लेषण निम्नवत था:-

अतिदेयों की अवधि	इकाइयों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1 वर्ष से कम	5615	4677.17
1 से 2 वर्ष	3658	2389.27
2 वर्ष से अधिक	4386	2913.95
योग	**13659**	**9980.39**

बीमार एवं बन्द हो गयी इकाइयों में निवेश के आंकड़े उपलब्ध नही थे ।

1.6.7 निगम ने 31 मार्च 1988 तक संदिग्ध ऋणों के प्रति 2.33 करोड़ रूपये का संचयी प्रावधान कर रखा था इसके अतिरिक्त निगम ने 3.41 करोड़ रूपये अप्राप्य ऋणों के रूप में 1985–86 (1.63 करोड़ रूपये), 1986–87 (0.70 करोड़ रूपये) एवं 1987–88 (1.08 करोड़ रूपये) के दौरान बट्टेखाते डाला था ।

1.7 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.7.1 31 मार्च 1987 को 4.96 करोड़ रूपये (राज्य सरकार 2.48 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय भण्डारागार निगम 2.48 करोड़ रूपये) के समक्ष 31 मार्च 1988 को निगम की प्रदत्त पूँजी 5.96 करोड़ रूपये (राज्य सरकार 3.48 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय भण्डारागार निगम 2.48 करोड़ रूपये) थी ।

1.7.2 31 मार्च 1986 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी जाती है:-

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख	रूपयों	में)
क. देयतायें			
1. प्रदत्त पूँजी	454.50	472.50	496.50
2. आरक्षित निधि एवं अधिशेष	858.66	855.34	994.96
3. ऋण	966.05	891.65	832.25
4. व्यापारिक देय एवं अन्य चालू देयतायें	533.88	512.99	456.98
योग क.	**2813.09**	**2732.48**	**2780.69**
ख. परिसम्पत्तियाँ			
1. क. ग्रास ब्लाक	2145.88	2150.09	2179.82
ख. घटाया मूल्यह्रास	350.80	404.96	489.43
ग. निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1795.08	1745.93	1690.39
2. पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	9.09	9.48	11.64
3. चालू परिसम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम	991.32	961.97	1066.07
4. विविध व्यय	17.60	15.10	12.59
योग ख.	**2813.09**	**2732.48**	**2780.69**
ग. नियोजित पूँजी	2252.52	2194.91	2299.48
घ. निवेशित पूँजी	2279.21	2219.49	2323.71

1.7.3 1985-86 तक 3 वर्षों हेतु निगम के कार्य चालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:-

	1983-84	1984-85	1985-86
		(लाख रूपये में)	
1. आय			
(क) गोदाम प्रभार	544.48	574.02	756.44
(ख) अन्य आय	11.13	15.42	24.08
योग	**555.61**	**589.44**	**780.52**
2. व्यय			
(क) स्थापना प्रभार	220.39	269.46	279.64
(ख) ब्याज	109.50	101.74	93.72
(ग) अन्य व्यय	196.20	178.49	249.71
योग	**526.09**	**549.69**	**623.07**
वर्ष का निवल लाभ	29.52	39.75	157.45
पूर्व अवधि का समायोजन जोडिये(+) घटाइये(-)	-8277	-20.65	-7.88
3. कर के पूर्व लाभ	-53.25	19.10	149.57
4. कर हेतु प्रावधान	-	-	-
5. अन्य विनियोग	-	-	-
6. लाभांश के लिये उपलब्ध धनराशि	-	19.10	149.57
7. सामान्य आरक्षित निधि से अन्तरण	68.64	3.46	-

	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख	रूपयों	में)
8. प्रस्तावित लाभांश	15.44	22.43	25.69
9. कुल लाभ			
(क) नियोजित पूँजी पर	56.25	120.84	243.29
(ख) निवेशित पूँजी पर	56.25	120.84	243.29
10. प्रतिलाभ की दर			
नियोजित पूँजी पर	2.50	5.50	10.58
निवेशित पूँजी पर	2.47	5.44	10.47

1..7.4 1987-88 तक 3 वर्षों हेतु निगम को भौतिक कार्य सम्पादन संक्षेप में नीचे दिया जाता है :-

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88
आवृत्त केन्द्रों की संख्या	144	145	156
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता		(लाख टनों में)	
क. निजी	9.16	9.16	9.22
ख. किराये वाली	3.37	3.57	3.54
योग	**12.53**	**12.73**	**12.76**
उपयोजित औसत क्षमता	12.60	12.42	12.54
		(प्रतिशत)	
उपयोग का प्रतिशत	99.5	98.3	98.28
		(रूपये प्रति टन)	
औसत राजस्व	64.67	69.11	75.13
औसत व्यय	43.14	47.19	57.83
औसत निवल उपार्जन	21.53	21.92	17.30

अध्याय 2

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

इस अध्याय में निम्न कम्पनियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा अन्तर्विष्ट है:

अनुच्छेद 2क. उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड

अनुच्छेद 2ख उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स (2) लिमिटेड

अनुच्छेद 2ग नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड

अनुच्छे 2घ मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

अनुच्छेद 2ड. आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड

अध्याय 2

अनुच्छेद 2क

सिंचाई विभाग

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड

मुख्य बातें

कम्पनी मई 1976 में इस उद्देश्य से निगमित की गयी थी कि वह नलकूपों एवं अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण अपने हाथ में ले ले और राज्य के स्वामित्व वाली सिंचाई तथा आवर्धन (आगमेंटेशन) नलकूपों की वर्तमान प्रणाली को पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप में सरकार से अपने अधिकार में ले ले, फिर भी कम्पनी ने राज्य के स्वामित्व वाली सिंचाई और आवर्धन नलकूपों को सरकार से अपने अधिकार में नही लिया । इसके स्थान पर कम्पनी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 तक निर्मित नलकूप सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। 1984-85 के बाद, कम्पनी ने नलकूपों के निर्माण या विकास या अनुरक्षण से भी सम्बन्धित कोई कार्य किसी योजना के अन्तर्गत नहीं किया, लेकिन मात्र जमा कार्य ही सम्पादित करती रही । इस प्रकार, कम्पनी उन मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही । जिनके लिये यह

स्थापित की गयी थी। 31 मार्च 1988 को 6 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूँजी के समक्ष कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 4.90 करोड़ रूपये थी। कम्पनी ने राज्य सरकार से मार्च 1983 में प्राप्त 30 लाख रूपये मूलधन का पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज का भुगतान अधिशेष निधियों के रहते हुये भी समय पर न करने के कारण 6.04 लाख रूपये की छूट का लाभ गवां दिया ।

लघु कृषक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत कम्पनी को 801 नलकूपों का निर्माण करना था । यद्यपि कम्पनी ने इन नलकूपों को बनाने के लिये, ग्राह्य धनराशि 292.69 लाख रूपये के विरूद्ध 569.02 लाख रूपये का उपदान प्राप्त किया था, मात्र 799 नलकूप खोदे गये जिनमें से 388 पूर्ण तथा उर्जीकृत किये जा सके तथा 16 असफल रहे । अक्टूबर/नवम्बर 1984 में ये सभी नलकूप (388 पूर्ण तथा 395 अपूर्ण) सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। 1980-81 से 1984-85 की अवधि में इन नलकूपों के परिचालन में कम्पनी को 285.47 लाख रूपये की हानि हुयी ।

वर्ष 1978-79 से 1984-85 की अवधि में कम्पनी ने गण्डक आवर्धन योजना के अन्तर्गत 226 नलकूपों की खुदाई की जिनमें से मात्र 50 ऊर्जीकृत किये जा सके और 1984-85 में सरकार को हस्तान्तरित किये गये। यान्त्रिक / विद्युत दोषों के कारण परिचालित नहीं किये जा सके । शेष 176 नलकूप न तो पूर्ण किये गये और न ही सरकार को अभी तक (दिसम्बर 1988) हस्तान्तरित किये

गये इस प्रकार 1.28 लाख एकड़ में सिंचाई सुविधायें प्रसारित करने हेतु 1978-79 में हाथ में ली गयी और मार्च 1980 तक पूर्ण होने के लिये संकल्पित योजना दिसम्बर 1988 तक भी अपूर्ण रही, जिसका परिणाम 325.27 लाख रूपये की निधि के अवरोध के अतिरिक्त किसानों को सिंचाई सुविधाओं का अनंगीकरण हुआ। यद्यपि 1984-85 के पश्चात इन नलकूपों पर कोई कार्य नही हुआ, दिसम्बर 1988 तक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा भवन के किराये पर 16.89 लाख रूपये व्यय किये गये। चूँकि उपदान की शर्तों में से एक शर्त अर्थात एक वर्ष में 4000 घण्टें न्यूनतम अवधि हेतु नलकूपों का परिचालन पूरी नही हुयी, 143.42 लाख रूपयों (141.01 लाख रूपये ब्याज सहित) का व्यय उपदान के रूप में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था । फिर भी, सरकार ने 200.00 लाख रूपये के उपदान का भुगतान किया ।

आगरा आवर्धन योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष 1977 में आगरा एवं मथुरा जिलों में 28.56 लाख रूपये की लागत से 35 नलकूप निर्मित किये । इनमें से 23 नलकूपों का पानी खारा होने के कारण छोड़ दिया गया शेष 12 नलकूपों के विकास हेतु सरकार के निर्देश के समक्ष कम्पनी ने मात्र 5 नलकूपों का विकास करने हेतु निश्चय किया । अपूर्ण नलकूपों के विकास के लिये अथवा उनमें से पाइपों को निकालने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 1981-82 से 1985-86 की अवधि में, कम्पनी ने इन

नलकूपों के परिचालन तथा रख-रखाव पर 4.70 लाख रूपये व्यय किये, जिसके समक्ष इसने पानी की बिक्री से मात्र 0.16 लाख रूपये अर्जित किये । वर्ष 1979-80 से 1983-84 की अवधि में, कम्पनी ने बवण्डर तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में 80 नलकूपों की खुदाई की जिनमें से 59.20 लाख रूपयों की अनुमानित लागत के समक्ष 91.99 लाख रूपयों की लागत पर 79 नलकूपों का विकास किया । इसने अधिक व्यय के लिये न तो पुनरीक्षित अनुमान तैयार किये और उन्हे सरकार से अनुमोदित कराया और न ही धनराशि सरकार को वापस की ।

कम्पनी के पास नलकूपों की खुदाई से पूर्व भूमिगत पानी के सर्वेक्षण तथा भूमि परीक्षण की कोई पद्धति नहीं थी। परिणाम स्वरूप 1985-86 तक 51 नलकूप (लागत 30.14 लाख रूपये) असफल हो गये । कम्पनी के पास 18 रिग थे जिनमें से अधिकांश प्रत्येक प्रति वर्ष प्रति खुदाई 12,500 फुट की अनुमानित क्षमता के समक्ष किसी भी वर्ष में केवल 7500 फुट या उससे कम खुदाई कर सके । इस प्रकार अधिकांश रिग कम उपयोजित किये गये और बेकार चला गया, समय बहुत अधिक था । कम्पनी ने 1987-88 तथा 1988-89 में 28.90 लाख रूपये की लागत पर 2 और रिग खरीद लिये ।

1981-82 से 1985-86 की अवधि में भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जों का इति स्टाक 19.4 और 65.8 मासों के उपभोग

के बीच था । समुचित रोकड़ प्रबन्ध नही था जैसे जुलाई 1982 से नवम्बर 1985 के दौरान बचत बैंक खातों में रोकड़ बाकी सदैव एक करोड़ रूपये से अधि थी और यदि इसे अर्द्धवार्षिक सावधि जमा में रखा गया होता तो कम्पनी 2.50 लाख रूपयों की अतिरिक्त ब्याज अर्जित किये होती, जब कि एच.डी.एफ.सी. के बजाय, जैसा कि सरकार ने सुझाव दिया था, बैंकों में रखी गयी अल्पावधिक जमा धनराशियों के फलस्वरूप भी 3.29 लाख रूपये ब्याज की हानि हुयी।

1981-82 से 1985-86 के दौरान स्थापना पर किया गया व्यय 10 से 12.5 प्रतिशत अनुमानित व्यय के समक्ष कृत कार्य के मूल्य के 9.3 और 66.9 प्रतिशत के बीच था, इसके फलस्वरूप 112.65 लाख रूपयों का अधिक व्यय हुआ जो मुख्यतया तकनीकी स्टाफ की अधिक नियुक्ति के कारण था । दूसरी तरफ लेखाधिकारियों और लेखाकारों के पद अधिक समय तक रिक्त रहे, इसके परिणाम स्वरूप लेखे बकाया में रहे जिनको केवल 1984-85 तक अन्तिम रूप दिया गया था ।

कम्पनी 1981-82 से लगातार हानिया उठाती रही और 1985-86 तक संचित हानि की धनराशि 138.95 लाख रूपये थी । इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण तथा परिचालन पर 245.95 लाख रूपये की हानियां हुयीं जो सरकार से वसूली योग्य दिखायी गयी थी । यद्यपि वापसी की शर्तों को पूरा न करने के कारण वे वसूली योग्य नहीं थी ।

2क.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड नलकूपों और अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और राज्य सरकार से राज्य स्वामित्व वाली सिंचाई तथा आवर्धन नलकूपों की विद्यमान प्रणाली को भी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपने अधिकार में लेने की दृष्टि से मई 1976 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था।

2क.2 उद्देश्य एवं क्रिया कलाप

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(1) उन नलकूपों तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान, प्रोन्नति, सुधार स्थापना, निष्पादन संस्थापन, प्रबन्ध एवं प्रशासन करना जिनसे कम्पनी की राय में उत्तर प्रदेश राज्य में लघु सिंचाई के विकास की प्रोन्नति या उसको आगे बढ़ाने की सम्भावना हो,

(2) राज्य-स्वामित्व वाली सिंचाई तथा आवर्धन नलकूपों की विद्यमान प्रणाली को पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से सरकार से अपने अधिकार में लेना,

(3) नये नलकूप संस्थापित करना तथा सीधी सिंचाई और विद्यमान अथवा भविष्य नहर प्रणाली में जल आपूर्ति की वृद्धि हेतु उनकी जल वितरण प्रणाली तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण करना, और,

(4) प्राइवेट व्यक्तियो, सांविधिक निकायो, संस्थानों इत्यादि की ओर से नलकूपों तथा अन्य सम्बद्ध कार्यो के संस्थापन तथा निर्माण को अपने हाथ में लेना ।

तथापि कम्पनी ने सरकार से राज्य स्वामित्व वाली सिंचाई तथा नलकूपों की वर्तमान प्रणाली को अपने हाथ में नहीं लिया इसने निम्न से सम्बन्धित क्रिया कलापों को अपने हाथ में लिया था।

(1) 1984-85 तक लघु कृषक विकास अभिकरण नलकूपों का निर्माण तथा संचालन,

(2) 1984-85 तक गण्डक एवं जमुना नहरों के किनारे-किनारे आवर्धन नलकूपों का निर्माण तथा संचालन जो बाद में सरकार को सौंप दिये गये थे,

(3) सरकार के अधिकार में दे देने के लिये 1983-84 तक बवण्डर तथा तूफान से प्रभावित जिलों में नलकूपों की खुदाई तथा विकास, तथा

(4) 1984-85 के बाद सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त निकायों एवं अन्य राज्य सरकारों के जमा कार्य ।

वर्ष 1984-85 के बाद, कम्पनी ने किसी योजना के अन्तर्गत किसी नलकूपों के निर्माण अथवा विकास अथवा ऊर्जीकरण या रख-रखाव से भी सम्बन्धित कोई कार्य नही किया लेकिन मात्र जमा कार्यो को ही निष्पादित करती रही। इसके पास नयी योजनाये नहीं थी और इसके पास 1984-85 से अपूर्ण पड़े हुये नलकूपों को पूर्ण

करने तथा सिंचाई विभाग को सौंप देने का प्रस्ताव भी नहीं था । इस प्रकार नलकूपों के निर्माण तथा परिचालन और राज्य स्वामित्व वाली सिंचाई तथा नलकूपों के आवर्धन की विद्यमान प्रणाली को अपने हाथ में लेने का कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विफल हो गया ।

2क.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

समीक्षा में लघु कृषक विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.), गण्डक नहर की आवर्धन योजना, सूखा प्रवृत्त (ड्राट प्रोन) क्षेत्र कार्यक्रम, इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण समाविष्ट है । इसके अतिरिक्त भण्डार सूची नियंत्रण, निष्क्रिय मशीनें, रोकड़ प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध आदि भी समाविष्ट किये गये हैं । 1980-81 से 1985-86 की अवधि से सम्बन्धित (1985-86 के लेखे अनन्तिम हैं तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लेखे तैयार नहीं किये गये थे), संव्यवहारों की जुलाई से अक्टूबर 1988 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में देखे गये बिन्दु उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

2क.4 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी के क्रिया कलापों का प्रबन्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 14 निदेशकों के एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 1988 को मण्डल में 12 निदेशक थे जिसमें से प्रबन्ध

निदेशक सहित 4 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये थे। कम्पनी में जुलाई 1987 तक एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष थे जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई विभाग के सचिव कम्पनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्य पालक (इक्जीक्यूटिव) है जिसकी सहायता के लिये क्षेत्र में 2 अधीक्षण अभियन्ता तथा 7 अधिशाषी अभियन्ता हैं जो आगरा, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर तथा गोण्डा में नियुक्त हैं। मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये सचिव, वित्तीय, परामर्शदाता तथा मुख्य लेखाधिकारी और 3 अधिशाषी अभियन्ता नियुक्त हैं।

2क5 अर्थ व्यवस्था

2क.5.1 पूँजी संरचना

प्रत्येक 100 रूपये के 6,00,000 शेयरों में विभाजित 6 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूँजी के विरूद्ध 31 मार्च 1988 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 4.90 करोड़ रूपये थी। जो राज्य सरकार (3.90 करोड़ रूपये) और केन्द्र सरकार द्वारा (1.00 करोड़ रूपये) लगाई गयी थी।

2क.5.2 ऋण

लघु विकास अभिकरण तथा आवर्धन योजनाओं की अर्थ व्यवस्था हेतु कम्पनी ने 1980-81 से 1982-83 की अवधि में

भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) से 10.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 996.11 लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया। दो वर्ष के विलम्बन काल (मोरेटोरियम) के साथ ऋण 8 बराबर वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना था। 31 मार्च 1988 को इन ऋणों के समक्ष 361.08 लाख रूपये की धनराशि अनिस्तारित थी। कम्पनी ने मार्च 1983 में राज्य सरकार से 13.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर समय पर पुनर्भुगतान हेतु 3.5 प्रतिशत की छूट के साथ 30 लाख रूपये का पूरक ऋण (ब्रिजिंग लोन) प्राप्त किया। कम्पनी ने मूलधन तथा उस पर ब्याज का भुगतान अपनी आवश्यकताओं से बहुत बड़ी निधि के अधिशेष रहने के बावजूद नहीं किया (दिसम्बर 1988) समय पर ऋण का पूर्ण भुगतान न करने के कारण दिसम्बर 1988 तक खो दी गयी छूट की धनराशि 6.04 लाख रूपये थी।

तथापि, कम्पनी ने अगस्त 1987 में सरकार से ब्याज सहित 30 लाख रूपये के ऋण को प्रदत्त पूँजी में बदलने हेतु प्रस्ताव किया, सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 1988)।

2क.6 नलकूपों का निर्माण

कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण अपने हाथ में लिया। 1981-82 से 1985-86 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा 31 मार्च

1986 तक किये गये व्ययों के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

योजना का नाम परिचालन की अवधि	नलकूपों की संख्या खोदे गये	विकसित	ऊर्जीकृत	31 मार्च 1986 तक किया गया व्यय (लाख-रूपयों में) अनन्तिम
-आगरा नहर अधिकार क्षेत्र में आवर्धन योजना (1976-77 एवं 1977-78)	35	35	16	26.58
पूर्वी यमुना नहर की आवर्धन योजना (1977-78 से 1979-80)	10	6	4	6.03
जमा कार्य (1977-78 से 1985-86)	953	1037	कम्पनी द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं	1035.34
लघु कृषक विकास अभिकरण नलकूप (1978-79 से 1984-85)	799	780	388	1170.77
गण्डक नहर अधिकार क्षेत्र में आवर्धन योजना (1978-79 से 1984-85)	226	226	50	334.95

कुछ योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों की स्थिति एवं परिचालन के परिणामों की विवेचना निम्नवत् है:-

2क.6.1 लघु कृषक विकास अभिकरण नलकूप असिंचित क्षेत्रों को सघन सिंचाई प्रदान करने तथा लघु / सीमान्त कृषकों द्वारा अधिकृत

भूमि को उपजाऊ तथा उत्पादक भूमि में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के 26 जिलों में लघु कृषक विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.) स्थापित किये गये ।

तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 24 जिलों में 1320 नलकूपों के निर्माण के लिये नवम्बर 1978, जनवरी 1979 तथा मार्च 1979 में तीन योजनाओं को स्वीकृति दी। योजना के प्रमुख लक्षण निम्नवत् थे:-

(1) प्रत्येक 1.54 लाख रूपये की दर पर नलकूपों की अनुमानित लागत अनुदानों (25 प्रतिशत) तथा एन.ए.बी.ए.आर.डी. से प्राप्त ऋणों (75 प्रतिशत) से पूरा की जानी थी ।

(2) योजनायें केवल उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जानी थीं जहां लघु तथा सीमान्त कृषकों की जोतें सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र के 50 से 60 प्रतिशत से अधिक थीं ।

(3) एक वर्ष में प्रत्येक नलकूप को 2500 घण्टे चलना था।

(4) यदि नलकूपों को 2500 घण्टे से कम चलना था तथा नलकूप अधिकार क्षेत्र की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे तो लघु तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकतायें पहले पूरी की जानी थीं ।

(5) चूँकि छोटे किसानों को दूसरे किसानों पर लागू दरों के 50 प्रतिशत पर पानी उपलब्ध कराना था और कम्पनी को ऋणों पर ब्याज देना था, योजना को पहले 20 वर्षों में हानि पर चलने की

आशा थी जो प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा उपदानित (सब्सिडाइज्ड) की जानी थी। बाद में दिसम्बर 1982 में योजना प्रत्येक 2.08 लाख रूपये की लागत पर मात्र 801 नलकूपों (1320 के स्थान में) के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित कर दी गयी। एक वर्ष में चलाये जाने वाले घण्टों की संख्या भी घटाकर 1500 (2500 के विरूद्ध) कर दी गयी, लेकिन नलकूपों के एक वर्ष में 1500 घण्टे न चलने की स्थिति में सरकार को नलकूपों के चलने से हानि की देयता स्वीकार नहीं करनी थी।

संशोधित योजना के अन्तर्गत, नलकूप उनके निर्माण तथा ऊर्जीकरण के बाद उनके संचालन तथा रख-रखाव के लिये सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाने थे। कम्पनी ने 1978-79 से 1982-83 की अवधि में एन.ए.बी.ए.आर.डी. से 666.67 लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया तथा राज्य सरकार से 569.02 लाख रूपये का पूँजी उपदान प्राप्त किया। नलकूपों का निर्माण 1978-79 में प्रारम्भ हुआ और 1984-85 तक 1170.77 लाख रूपये की लागत पर 799 नलकूपों की खुदाई की गयी। इनमें से 388 नलकूप पूर्ण तथा ऊर्जीकृत किये गये और 16 नलकूप विकास के दौरान असफल हो गये।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु देखे गये:-

(1) योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने वाले सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार नलकूपों की लागत का 25 प्रतिशत पूँजी उपदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाना था। तदनुसार, नलकूपों के निर्माण पर कम्पनी द्वारा किये गये 1177.77 लाख रूपये

के कुल व्यय पर कम्पनी को 292.69 लाख रूपये का उपदान मिलना था । तथापि, कम्पनी ने 1981-82 तक पहले से ही 569.02 लाख रूपये का उपदान प्राप्त कर लिया था और न तो कम्पनी ने 276.33 लाख रूपये का अधिक प्राप्त उपदान सरकार को वापस किया और न ही सरकार ने कम्पनी से वापस करने के लिये कहा ।

(2) जुलाई 1984 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि 388 पूर्ण तथा 395 अपूर्ण नलकूप सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाय और यह कि ऋणों तथा उन पर ब्याज के रूप में कम्पनी द्वारा की गयी देयताओं का भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा किया जाये। तदनुसार, ये नलकूप अक्टूबर/नवम्बर 1984 में सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। 1985-86 से वर्ष 1987-88 की अवधि में, सिंचाई विभाग ने कम्पनी को मूलधन तथा ऋणों पर ब्याज के भुगतान के प्रति 622.86 लाख रूपये का भुगतान किया। अक्टूबर/नवम्बर 1984 में पूर्ण नलकूपों को सरकार को सौंपने से पहले ये किसानों को भुगतान आधार पर पानी की आपूर्ति हेतु परिचालित किये गये थे। सिंचाई विभाग लाभभोगियों से पानी प्रभारों का संग्रह कर रहा था और राजस्व कम्पनी को दे रहा था। फिर भी इस प्रकार संग्रहित राजस्व के विवरणों के अभाव में उसकी शुद्धता सत्यापित नहीं की जा सकी । प्रति नलकूप परिचालित घण्टों के विवरण उपलब्ध नहीं थे । निम्न तालिका 1980-81 से 1984-85 की अवधि में नलकूपों के संचालन पर व्यय तथा पानी की बिक्री से प्राप्त आय के विवरण सूचित करती है:-

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	योग
		(लाख रूपये में)				
वेतन और मजदूरी	0.18	1.07	3.98	5.09	2.77	13.09
ऋणों पर ब्याज	–	41.84	45.35	64.24	68.80	220.23
विद्युत उपभोग	0.54	4.99	15.24	29.71	13.61	63.64
अन्य खर्चे	0.08	0.38	5.04	6.44	2.94	14.88
कुल खर्चे	0.80	48.28	69.61	105.48	87.67	311.84
पानी की बिक्री से आय	0.26	1.45	8.91	13.10	2.65	26.37
हानि	0.54	46.83	60.70	92.38	85.02	285.47
सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य ऋणों पर ब्याज	–	41.84	45.35	64.24	68.80	220.23
शुद्ध हानि	0.54	4.99	15.35	28.14	16.11	65.24

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कम्पनी किसी भी वर्ष पानी की बिक्री से उपभुक्त विद्युत की लागत को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं थी। नलकूपों के संचालन पर हुई हानियाँ कम्पनी द्वारा अपने लेखे में सरकार से वसूली योग्य के रूप में दिखायी जा रही है यद्यपि कम्पनी एक वर्ष में 1500

घण्टे नलकूपों को चलाने में असफल रही (वर्ष 1982-83 में दो जिलों को छोड़कर) और दिसम्बर 1982 में संशोधित योजना में राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में हानियों के प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान नहीं था। हानियां जो वापसी योग्य थीं, सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं की गयीं (दिसम्बर 1988)।

2क.6.2 गण्डक नहर अधिकार क्षेत्र में आवर्धन योजना चूँकि पश्चिमी गण्डक नहर 8.21 लाख एकड़ कृषि योग्य अधिकार क्षेत्र के समक्ष में केवल 1975 के दौरान रबी में केवल 2.25 लाख एकड़ तथा खरीफ फसल में 2.05 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने में समर्थ थी। सिंचाई मन्त्री की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त कृतिक बल (टास्क फोर्स) ने गण्डक अधिकार क्षेत्र में 2000 आवर्धन नलकूपों के निर्माण की संस्तुति की। ये नलकूप प्रत्येक 3 क्यूसेक क्षमता वाला, कम्पनी द्वारा प्रत्येक 250 के समूह में निर्मित किये जाने थे, अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कम्पनी ने दो चरणों - चरण 1 और चरण 2 में प्रत्येक 250 नलकूपों के निर्माण के लिये मई 1977 में 2 परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जो सरकार द्वारा मार्च 1980 में अनुमोदित किये गये। चरण 1 हेतु परियोजना के प्रमुख लक्षण तथा सरकार की स्वीकृति की शर्तें निम्नवत् थीं:-

(1) परियोजना की अनुमानित लागत 450 लाख रूपये थी और तदनुसार प्रत्येक नलकूप की लागत 1.80 लाख रूपये आयी।

(2) परियोजना के लिये वित्त व्यवस्था राष्ट्रीय कृत बैंकों से प्राप्त ऋणों (360 लाख रूपये) में से और सरकार द्वारा मुक्त की

जाने वाली शेयर पूँजी (90 लाख रूपये) के रूप में की जानी थी ।

(3) नलकूपों का संचालन तथा रख रखाव कम्पनी द्वारा किया जाना था ।

(4) नलकूपों से निकाला गया पानी नहरों में पोषित किया जाना था जिसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा 12 वर्षों तक उपभुक्त विजली का 36 पैसे प्रति यूनिट तथा अगले 8 वर्षों तक 26 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना था। 12 वर्षों की अवधि में होने वाली 256.72 लाख रूपये की अनुमानित हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप मे की जानी थी ।

(5) प्रत्येक नलकूप को एक वर्ष मे लगभग 4000 घण्टे चलना था ।

(6) तीन क्यूसेक औसत क्षमता वाले प्रति नलकूप सिंचाई हेतु प्रस्तावित निवल क्षेत्र 550 एकड़ अनुमानित किया गया था और तदनुसार 250 नलकूपों की क्षमता 1.38 लाख एकड सिंचाई के लिये थी।

बाद में फरवरी 1983 में परियोजना संशोधित कर दी गयी और 1.28 लाख एकड़ की सिंचाई करने के लिये सरकार द्वारा पुनरीक्षित 632.44 लाख रूपये की लागत पर प्रत्येक (2.73 लाख रूपये की लागत पर) निर्मित किये जाने वाले नलकूपों की संख्या घटाकर 232 कर दी गयी जिसके लिये वित्त व्यवस्था ऋणों (506.44 लाख रूपये) में से और शेयर पूँजी (126 लाख रूपये) से की जानी थी। वर्ष 1989-90 तक होने वाली 282.08 लाख

रूपये की प्रत्याशित हानि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जानी थी ।

1978-79 से 1984-85 के दौरान कम्पनी ने 226 नलकूपों की खुदाई की, इनमें से 50 नलकूप 1984-85 के दौरान स्वाधीन पोषकों (इण्डिपेन्डेन्ट फीडर्स) से ऊर्जीकृत किये गये। 1985-86 तक वास्तविक व्यय की धनराशि 334.95 लाख रूपये थी जिसकी वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा अवमुक्त 90 लाख रूपयों की शेयर पूँजी में से तथा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त 329.44 लाख रूपयों और राज्य सरकार से 30 लाख रूपयों के ऋणों से की गयी ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु देखे गये:-

(क) राज्य सरकार ने जुलाई 1984 में परीक्षण के बाद 50 ऊर्जीकृत नलकूपों और पूर्णता के अपने विद्यमान चरणों पर। 76 अनूर्जीकृत नलकूपों को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण करने के आदेश दिये। सरकार को नलकूपों के हस्तान्तरण करने के कारण, यद्यपि सरकार द्वारा प्रतिपादित योजना के अनुसार इनका परिचालन किया जाना कम्पनी द्वारा अपेक्षित था, अभिलेखों में अंकित नहीं था । किन्तु अपूर्ण नलकूप हस्तान्तरित नहीं किये गये।

सरकार ने आगे फरवरी 1985 में आदेश दिया कि ये अपूर्ण नलकूप सिंचाई विभाग को अपूर्ण होने और ऊर्जीकरण के बाद ही हस्तान्तरित किये जाय । वह पूर्ण / ऊर्जीकृत और सिंचाई विभाग को अभी तक हस्तान्तरित नहीं किये गये (दिसम्बर 1988)। कम्पनी ने सभी 226 खोदे गये नलकूपों का विकास किया, लेकिन

मात्र 50 नलकूप उर्जीकृत किये गये। यद्यपि कम्पनी ने 131 नलकूपों को उर्जीकृत करने के लिये आवश्यक सामग्री जैसे पम्प मोटर आदि की अधिप्राप्ति की थी (अप्रैल 1988 तक) लेकिन नलकूप पूरे न किये जाने तथा हस्तान्तरित न करने के कारण अभिलेख में नहीं थे, 1.28 लाख एकड़ को सिंचाई सुविधाओं का लाभ देने हेतु 1978-79 में प्रारम्भ की गयी योजना (परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पहली मार्च 1980 तक पूर्ण होने के लिये संकल्पित) दिसम्बर 1988 तक भी अपूर्ण थी इसके फलस्वरूप 325.27 लाख रूपये की धनराशि के अवरोधन के अतिरिक्त किसानों को सिंचाई सुविधाओं का अस्वीकृतकरण हुआ।

(ख) किन्तु 1984-85 में सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित 50 उर्जीकृत नलकूप भी परिचालित नहीं किये जा सके क्योंकि इनमें यांत्रिक/ वैद्युत दोष थे/ सिंचाई विभाग की गण्डक परियोजना के मुख्य अभियन्ता के अनुसार (जुलाई 1988) इन नलकूपों के दोषों को दूर करने और इन्हें परिचालित तथा अनुरक्षित करने के लिये विभाग के पास उपस्कर तथा तकनीकी स्टाफ नहीं थे।

(ग) सरकार से उपदान की पात्रता के लिये सरकार के मार्च 1980 के आदेशानुसार प्रत्येक नलकूप का प्रतिवर्ष 4000 घण्टे परिचालित होना अपेक्षित था। चूँकि नलकूप किंचित भी परिचालित नहीं किये गये, 1981-82 से 1985-86 की अवधि में कम्पनी द्वारा ऋणों पर ब्याज (141.02 लाख रूपये) और इन नलकूपों के रख रखाव (2.41 लाख रूपये) के प्रति किया गया। 143.42 लाख रूपयों का व्यय सरकार द्वारा उपदान के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य

नहीं था। फिर भी 1983-84 (85 लाख रूपये) और 1984-85 (115 लाख रूपये) में राज्य सरकार ने 200 लाख रूपये का उपदान अवमुक्त कर दिया।

(घ) यद्यपि 1984-85 के बाद इस योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया, 1985-86 में 33 कर्मचारी 1986-87 में 31 कर्मचारी, 1987-88 में 26 कर्मचारी तथा 1988-89 (दिसम्बर 1988) तक में 24 कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लगे रहे जिसमें दिसम्बर 1988 तक उनके वेतन एवं भत्तों (14.90 लाख रूपये) पर वाहनों के रख रखाव एवं मरम्मत (1.44 लाख रूपये) पर और भवन के किराये (0.55 लाख रूपये) पर का व्यय निहित था।

(ङ.) 31 मार्च 1988 को 1986-87 के दौरान खरीदे गये 45.02 लाख रूपये के भण्डार सहित, कार्यों के लिये पृथक-रक्षित 73.02 लाख रूपये मूल्य के भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे भी अनुपयोजित पड़े हुये थे।

2क.6.3 आगरा नहर अधिकार क्षेत्र में आवर्धन योजना

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1982-83 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन के प्रस्तर 11.11 में आगरा और मथुरा जिलों में 28.56 लाख रूपये की लागत पर 35 आवर्धन नलकूपों के निर्माण पर निष्फल व्यय के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। चूँकि मथुरा जिले में निर्मित 23 नलकूपों में पानी खारा पाया गया जो कृषि के लिये हानिकारक था, सरकार द्वारा मार्च 1982 में इनका परित्याग कर दिया गया। चूँकि आगरा जिले में 12 नलकूपों का पानी

अच्छा या सामान्य था, सरकार ने मार्च 1982 में उनके विकास के लिये आदेश दिये किन्तु कम्पनी ने मार्च 1986 में केवल 5 नलकूपों को विकसित करने और शेष 7 नलकूपों से पाइपों को निकालने का निर्णय लिया। फिर भी नलकूपों को विकसित करने या पाइपों को निकालने की अभी तक (दिसम्बर 1988 तक) कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण अभिलेख (रिकार्ड) में नहीं थे । निम्न तालिका 1981-82 से 1985-86 के दौरान इन नलकूपों के परिचालन तथा रख रखाव पर किया गया व्यय और पानी की बिक्री से प्राप्त आय सूचित करती है:-

वर्ष		व्यय	आय	हानि
		(लाख	रूपयों	में)
1981-82		1.33	0.04	1.29
1982-83		1.15	0.12	1.03
1983-84		0.88	-	0.88
1984-85		0.69	-	0.69
1985-86		0.65	-	0.65
	योग	**4.70**	**0.16**	**4.54**

2क.6.4 जमा कार्य

बवण्डर तथा तूफान प्रभावित क्षेत्रों में 80 नलकूपों का निर्माण

राज्य सरकार ने जनवरी 1979 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता से पूरी की जाने वाली 2 करोड़ रूपये की

लागत पर बवण्डर तथा तूफान प्रभावित 14 जिलों में प्रत्येक में 8 नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी। बाद में (जून 1979) जिलों की संख्या घटाकर 10 कर दी गयी तथा प्रत्येक जिले में 8 नलकूपों का निर्माण कराना था । जून 1979 में सरकार ने इच्छा व्यक्त की कि कार्य कम्पनी द्वारा जमा कार्य के रूप में किया जायेगा और कम्पनी व्यय का लेखा मुख्य अभियन्ता सिंचाई को प्रस्तुत करेगी, जिसने मार्च 1979 में इस योजना के लिये 2 करोड़ रूपये प्रदान किया था । बाद में नवम्बर 1981 में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नलकूपों की खुदाई तथा विकास का कार्य कम्पनी द्वारा किया जायेगा और उसके बाद नलकूपों को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । कम्पनी तथा सिंचाई विभाग द्वारा व्यय की जाने वाली प्रत्येक नलकूप की लागत निम्नवत् थी:-

व्यय की जाने वाली प्रति नलकूप कार्य की लागत

	कम्पनी द्वारा	सिंचाई विभाग द्वारा	योग
	(लाख	रूपयों	में)
निर्माण व्यय	0.65	1.56	2.21
अप्रत्यक्ष व्यय	0.09	0.20	0.29
योग	**0.74**	**1.76**	**2.50**

1979-80 से 1983-84 की अवधि में कम्पनी द्वारा 80 नलकूप खोदे गये जिनमें से 79 को विकसित तथा सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये गये । खुदाई तथा विकास की लागत की धनराशि अनुमानित लागत 59.20 लाख रूपये (0.74 लाख रूपये प्रति नलकूप) के विरूद्ध 91.88 लाख रूपये आयी जिसके परिणाम

स्वरूप 32.68 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ जिसके कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया। और भी, कम्पनी में 32.68 लाख रूपयों के अधिक व्यय के लिये न तो पुनरीक्षित अनुमान तैयार किये और उन्हें सरकार से अनुमोदन कराया और न ही धनराशि सरकार को वापस की ।

सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये 200 लाख रूपये मे से 61.90 लाख रूपया 1981-82 से 1985-86 की अवधि में उन्हें वापस कर दिये तथा शेष 46.22 लाख रूपये अभी वापस करने थे।

2क.6.5 असफल नलकूप

कोई नलकूप सफल होगा या नहीं यह निर्धारित करने के लिये स्थान के चुनाव से पहले भूमि का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। किन्तु लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी के पास नलकूपों की खुदाई से पहले भूमिगत जल के सर्वेक्षण तथा भूमि परीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी और न ही इसने किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से कार्य करवाने का प्रबन्ध किया, जिसके फल स्वरूप 51 नलकूप जिन पर 30.14 लाख रूपयों का ब्यय किया गया था असफल हो गये (1985-86 तक)। कम्पनी द्वारा असफल/ब्यक्त नलकूपों से 1400 मीटर पाइपों (मूल्य 6.27 लाख रूपये) को निकालने के प्रयास भी नहीं किये गये ।

इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया कि कम्पनी की वाराणसी इकाई द्वारा 1980-81 तथा 1982-83 के दौरान इलाहाबाद तथा बलिया जिलों में (इलाहाबाद में 3 और

बलिया में ।) 4.03 लाख रूपयों की लागत पर 4 नलकूपों की सफलता पूर्वक खुदाई की गयी। सभी मामलों में परिवर्तक (रिड्यूसर) पर अथवा खाँचेदार (स्लाटेड) पाइपों के जोड़ों पर संयोजन पाइपों (असेम्बली पाइप्स) को नीचे गलाने के दौरान पाइप टूट गये। इन सभी नलकूपों की खुदाई एक ही स्टाफ द्वारा की गयी थी। अतः उन पर किये गये 4.03 लाख रूपयों के व्यय को निष्फल बनाते हुये इन नलकूपों का परित्याग कर दिया गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1988) कि प्रारम्भिक जांच के दौरान नलकूपों की असफलता के लिये डीलर को उत्तरदायी पाया गया और उसकी सेवायें अक्टूबर 1983 में समाप्त कर दी गयी थी ।

जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। फिर भी यह देखा गया कि कर्मचारी की सेवायें ड्यूटी से उसकी लम्बी अनुपस्थिति और हत्या के एक मामले में फंसे होने के कारण समाप्त कर दी गयी थी । न्यायालय द्वारा विमुक्त किये जाने के बाद नवम्बर 1988 में कर्मचारी को बहाल कर दिया गया ।

2क.7 रिग मशीनों का संचालन

अक्टूबर 1977 में कम्पनी के मुख्य अभियन्ता ने रिग मशीन का जीवन एक वर्ष में 35 से 25 नलकूपों के निर्मित किये जाने के साथ 6 से 8 वर्ष अनुमोदित किया था और यह कि एक रिग अपने जीवन के दौरान औसत 500 फुट गहराई वाले 200 नलकूपों की खुदाई कर सकती थी अर्थात् एक मशीन द्वारा औसतन एक लाख

फुट खुदाई की जा सकती थी। इस दर पर एक रिग मशीन को प्रतिवर्ष 12500 फुट से 16500 फुट खुदाई करनी थी ।

निम्न तालिका 1981-82 से 1985-86 की अवधि में कम्पनी द्वारा धारित 18 रिग मशीनों द्वारा की गयी खुदाई का ब्योरा सूचित करती है:-

प्रति रिग मशीन द्वारा खुदाई की गयी खुदाई फुटों में	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(रिग मशीनों की संख्या)				
शून्य	-	-	3	-	-
1000 से कम	-	-	5	1	1
1001 से 3000	-	2	5	9	3
3001 से 5000	8	9	4	5	10
5001 से 7000	6	5	1	3	3
7001 से 9000	-	1	-	-	1
9001 से 12000	4	1	-	-	-

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कोई भी मशीन किसी वर्ष में 12500 फुट खुदाई की न्यूनतम लक्ष्यीकृत क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी। मशीनों के घटिया कार्य सम्पादन/ कम उपयोग हेतु कारणों को विश्लेषित करने की कोई प्रणाली नहीं थी ।

उन मशीनों पर मूल्य ह्रास प्रभारित करने के प्रयोजन के लिये मशीनों का जीवन काल 18 वर्ष अर्थात्

एक वर्ष में प्रत्येक रिग द्वारा 5500 फुट खुदाई, लिया जाता है। अनेक मशीनों द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकी इसके परिणाम स्वरूप 195.56 लाख रूपये का निष्क्रिय समय से सम्बन्धित व्यय हुआ (जैसा कि कम्पनी द्वारा 1982-83 से 1985-86 के निष्क्रिय समय से सम्बन्धित अपने लेखों में अंकित किया गया) यद्यपि विद्यमान 18 मशीने पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लायी जा रहीं थीं और अधिक समय तक निष्क्रिय पड़ी रहीं कम्पनी ने 2 और रिग मशीनें खरीदीं - एक, जुलाई 1986 में आदेशित तथा 13.91 लाख रूपये लागत, अप्रैल 1987 में प्राप्त और दूसरी 14.89 लाख रूपये हेतु अक्टूबर 1988 में आदेशित जो अभी प्राप्त होनी थी (अक्टूबर 1988) ।

लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि खुदाई के लिये कम्पनी द्वारा प्रभावित दरें, जैसा कि नीचे सूचित किया गया है, सिंचाई विभाग की दरों की तुलना में अधिक ऊंची थी:-

	1986-87		1987-88	
	सीधे	उल्टी ओर	सीधे	उल्टी ओर
	(दर प्रति मीटर रूपये में)			
सिंचाई विभाग	157.49	195.22	215.89	208.67
नलकूप निगम	310.00	310.00	310.00	310.00

कम्पनी ने उच्च दरें अपनाने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

कम्पनी ने प्रति मीटर रिग मशीनों के परिचालन की

यथार्थ लागत को सुनिश्चित और अनुमानों में प्रावधानित लागत से तुलना नहीं करती रही। लेखा परीक्षा द्वारा मांगे जाने पर दिसम्बर 1988 में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत खुदाई दर के विवरणों की समीक्षा ने सूचित किया कि परिचालन की लागत 1988-89 में लागू परिचालकों आदि के वेतन और भत्तों की दरों पर भी 298 रूपया प्रति मीटर आयी। इस प्रकार रिग मशीनों के परिचालन की उच्चतर लागत को सम्मिलित करने के कारण नलकूपों को निर्मित करने की अनुमानित लागत अधिक उच्चतर थी और यह आंशिक रूप में कम्पनी को सौंपे गये नलकूपों की संख्या में कमी का कारण बना ।

2क.8 भण्डार सूची नियन्त्रण

निम्नांकित तालिका 1985-86 तक पांच वर्षों की समाप्ति पर भण्डारों एवं अतिरिक्त पुर्जों के इति स्टाक और इन वर्षों में भण्डारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत के विवरण सूचित करती है:-

वर्ष	अन्त शेष (स्थल के शेष का समावेश करते हुये)	वर्ष में उपयुक्त	महीनों के उपभोग की संख्या के अनुसार अन्तशेष
	(लाख	रूपये	में)
1981-82	528.92	327.66	19.4
1982-83	400.34	178.36	26.9
1983-84	312.32	98.49	38.1
1984-85	261.98	47.77	65.8
1985-86	288.87	172.99	20.0

उपर्युक्त व्योरों से यह स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान भण्डार की सूची 19.4 और 65.8 मासों के उपभोग के मध्य रही।

कम्पनी ने स्टाक धारण हेतु प्रतिमान निर्धारित नहीं किये। न्यूनतम, अधिकतम या पुनः व्यवस्थित करने (रिआर्डरिंग) के स्तर भी निर्धारित नहीं किये गये । निम्न अन्य बिन्दु देखे गये:-

(1) वार्षिक भौतिक सत्यापन किसी अन्य अधिकारी के बजाय भण्डारों के अभिरक्षण (कस्टोडियन) द्वारा स्वयं किया जा रहा था।

(2) इकाई स्तर पर रखे गये समूल्य भण्डार खातों (लेजर में) प्रविष्टियां यथा समय नहीं की जा रही थी। मदवार मूल्यों के अभाव में, विभिन्न दरों को अपनाते हुये अनुमान तैयार किये जा रहे थे, परिणाम स्वरूप अशुद्ध अनुमान तैयार किये जाते थे ।

2क.9 क्रय प्रक्रिया

कम्पनी द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार इकाईयों में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल भण्डारों स्टाक, औजार एवं संयंत्रों की सभी मदों की अधिप्राप्ति केन्द्रीय रूप से कम्पनी के मुख्यालय द्वारा की जानी है। 1000 रूपये या उससे कम की छोटी वस्तुयें इकाईयों के प्रभारी अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा अधिप्राप्त की जानी होती है । आवश्यक मामलों में अधीक्षण अभियन्ताओं के अनुमोदन पर अधिशाषी अभियन्ता प्रत्येक मामले में 5000 रूपये तक का क्रय करने के लिये अधिकृत है। स्वामित्व वस्तुओं को छोड़कर 10000 रूपये से अधिक के क्रय खुली निविदाओं के माध्यम से किये जाने होते हैं । कम्पनी के अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्माण के लिये 1.50 लाख रूपये तक की भवन सामग्री तथा अन्य भण्डारों के मामले में 15000 रूपये हेतु क्रय करने का अधिकार है । वे अधिशाषी अभियन्ता

द्वारा 5000 रूपये तक के क्रय को अनुमोदन प्रदान करने में समर्थ हैं। इन शक्तियों का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में अधिशाषी अभियन्ताओं की क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाना है । इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:-

(1) 10,000 रूपये से अधिक के भण्डार सामान्यत: अल्पकालिक निविदा आधार पर अधिप्राप्त किये जा रहे थे और खुली निविदायें आमन्त्रित नहीं की जा रही थी । जिससे तुलनात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया ।

(2) निविदायें समाचार पत्रों के दो के बजाय एक ही निवेशन (इन्सर्शन) में प्रकाशित की गयीं ।

(3) परिप्रश्न (इन्क्वायरीज) या तो डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत या रजिस्टर्ड डाक द्वारा नहीं भेजे गये। और मूल्य विवरणों (कोटेशन) का दस्ती संग्रह किया गया था । अधिकतर सभी मूल्य विवरण / फर्मों / व्यक्तियों से बिक्रीकर पंजीयन संख्या के बिना प्राप्त किये गये थे ।

2क.10 रोकड़ का प्रबन्ध

निम्नांकित तालिका 1985-86 तक 5 वर्षों की समाप्ति पर हस्तगत और चालू / बचत बैंक खातों और नियतकालिक जमा निधियों में बैंको में रोकड़ को सूचित करती है:-

वर्ष	हस्तगत रोकड़	नियत कालिक जमा निधि-यों में	बचत बैंक खातो में	चालू खातों में	डाक घर में बचत बैंक खातों में	योग
	(लाख		रूपयों	में)		
1981-82	1.82	-	25.46	0.38	0.01	27.67
1982-83	2.38	-	183.19	4.02	0.01	189.60
1983-84	4.82	-	174.84	2.72	0.01	182.39
1984-85	3.81	15.00	537.28	116.43	-	672.52
1985-86	1.83	206.95	98.52	0.18	47.28	354.76

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु देखे गये:-

(1) इन वर्षों की अवधि में भारी बकाये बैंकों में बचत बैंक खातों में रखे गये थे जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

वर्ष	बचत बैंक खातों में मासिक बकायों की श्रेणी (लाख रूपये में)
1981-82	26.70 से 411.90
1982-83	22.06 से 270.14
1983-84	130.55 से 329.26
19984-85	114.99 से 392.65
1985-86	62.15 से 205.52

अभिलेखों में कोई कारण अंकित नहीं थे कि कम्पनी ने ऐसे भारी बकायों को बचत बैंक खातों में रखने के बजाय धनराशि को नियत कालिक जमा निधियों में क्यों नही रखा। जुलाई 1982 से

नवम्बर 1985 की अवधि में, बचत बैंक खातों में बकाये सदैव एक करोड़ रूपये से अधिक थे और यदि एक करोड़ रूपये छः माह की मियादी जमा निधियों में निवेशित किये गये होते तो कम्पनी अगस्त 1982 से नवम्बर 1985 तक की अवधि में 2.50 लाख रूपये का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किये होती ।

(2) एक प्राइवेट बैंक में 91 दिवसों से 6 मासों की अवधि हेतु 122.05 लाख रूपयों की छः नियत कालिक जमा निधियों, जो मई 1986 से अगस्त 1986 के दौरान परिपक्व होनी नियत थी, मई 1986 से दिसम्बर 1986 की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर प्रवर्तित विलम्बन काल (मोरेटोरियम) के कारण भुनाई नहीं जा सकी और कम्पनी 91 दिवसों से 6 मास तथा 6 मास से एक वर्ष की बढ़ी हुई अवधि हेतु लागू दर के बजाय उसी दर पर ब्याज अर्जित करती रही, इससे 0.83 लाख रूपयों के ब्याज की हानि हुयी । बैंक परिसमाप्त कर दिया गया और पंजाब नेशनल बैंक में विलीन कर दिया गया ।

(3) राज्य सरकार ने मार्च 1985 में बताया था कि हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी.) द्वारा अनुमत ब्याज की दरें अधिक लाभकारी थीं तथा राज्य में सभी उपक्रमों को अधिशेष धनराशियों को एच.डी.एफ.सी. के साथ निवेश करने की सलाह दी। कम्पनी ने, फिर भी एच.डी.एफ.सी. के साथ निधियों को अल्पकालिक जमा निधियों में निवेश करने पर विचार नहीं किया । लेखा परीक्षा में जांच परीक्षण ने सूचित किया कि यदि कम्पनी अन्य बैंकों के स्थान पर

एच.डी.एफ.सी.के साथ अल्पकालिक जमा निधियां किये होती तो यह जून 1985 से सितम्बर 1988 की अवधि में 3.29 लाख रूपये का अतिरिक्त ब्याज उपार्जित किये होती।

2क.11 जनशक्ति विश्लेषण

निम्नांकित तालिका 1985-86 5 वर्षों की अवधि में कम्पनी द्वारा किये गये कार्य के मूल्य तथा स्थापना पर व्यय सूचित करती है:-

वर्ष	किये गये कार्य का मूल्य (स्थापना-व्यय को छोड़कर)	स्थापना व्यय	किये गये कार्य के मूल्य से स्थापना व्यय की प्रतिशतता
	(लाख	रूपयों में)	
1981-82	545.43	50.65	9.3
1982-83	317.39	81.42	25.7
1983-84	215.57	96.41	44.7
1984-85	155.39	104.00	66.9
1985-86	318.97	105.10	33.00

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि स्थापना पर व्यय किये गये कार्य की लागत के 9.3 और 66.9 प्रतिशत के मध्य था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मार्च 1977 से फरवरी 1981 की अवधि में स्वीकृति गण्डक आवर्धन योजना तथा एस.एफ.डी.ए. परियोजनाओं में स्थापना पर केवल 10 से 12.5 प्रतिशत व्यय का प्रावधान था । जमा कार्यों के सम्बन्ध में भी कम्पनी 15 प्रतिशत से प्रतिशत प्रभार की वसूली करती है जिसमें स्थापना प्रभारों के प्रति

केवल 12.5 प्रतिशत शामिल रहता है। 12.5 प्रतिशत की उच्चतम अनुदेय सीमा से तुलना में कम्पनी ने 1982-83 से 1985-86 की अवधि में 112.65 लाख रूपये का अधिक स्थापना व्यय किया, इसके कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया। कम्पनी ने प्रति नलकूप जनशक्ति की नियुक्ति हेतु कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं कियका। कम्पनी के कार्यचालन पर विचार करने के लिये सिंचाई एवं विद्युत सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न एक बैठक में यह संवीक्षा की गयी कि 250 नलकूपों के निर्माण के लिये 5 प्रखण्ड मुख्यालय पर एक प्रखण्ड एवं सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिये एक प्रखण्ड सहित पर्याप्त थे। तदनुसार कम्पनी को जुलाई 1984 में 10 प्रखण्डों में से 5 प्रखण्डों को सिंचाई विभाग को तुरन्त हस्तान्तरित करने के निदेश दिये गये। फिर भी अभी तक कोई प्रखण्ड हस्तान्तरित नहीं किया गया (दिसम्बर 1988)। 1981-82 से 1985-86 की अवधि में कम्पनी द्वारा निर्मित नलकूपों के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	नलकूपों की खुदाई	पम्प गृहों का निर्माण	नलकूपों का उर्जीकरण
1981-82	385	386	191
1982-83	259	104	83
1983-84	97	109	90
1984-85	204	56	52
1985-86	306	70	32
योग	**1251**	**725**	**448**

समिति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार प्रखण्डों की जनशक्ति आवश्यकता (प्रत्येक में एक अधिशाषी अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता और 8 अवर अभियन्ता) तथा 1981-82 से 1985-86 के दौरान वस्तुत: नियुक्ति जनशक्ति के विवरण नीचे निर्दिष्ट किये जाते हैं:-

वर्ष	पद का नाम	प्रतिमानों के अनुसार आवश्यकता	वास्तविक नियुक्ति	अधिकत:
1981-82	अधिशासी अभियन्ता	8	18	10
	सहायक अभियन्ता	32	47	15
	अवर अभियन्ता	64	96	32
1982-83	अधिशासी अभियन्ता	6	18	12
	सहायक अभियन्ता	24	47	23
	अवर अभियन्ता	48	96	48
1983-84	अधिशासी अभियन्ता	4	13	9
	सहायक अभियन्ता	16	25	9
	अवर अभियन्ता	32	89	57
1984-85	अधिशासी अभियन्ता	5	13	9
	सहायक अभियन्ता	20	25	5
	अवर अभियन्ता	40	89	49
1985-86	अधिशासी अभियन्ता	6	12	6
	सहायक अभियन्ता	24	25	1
	अवर अभियन्ता	48	59	11

इस प्रकार अधिक अभियान्त्रिक स्टाफ का नियोजन स्थापना पर अत्यधिक व्यय का मुख्य कारण था ।

2क.12 लेखों का अन्तिम रूप देना

जैसा कि पूर्वोक्त प्रस्तर में सूचित किया गया है जब कि नियुक्ति अभियान्त्रिक स्टाफ आवश्यकता से बहुत अधिक था, लेखा प्रशाखा में स्टाफ की कमी थी। वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा लेखाधिकारी के पद क्रमशः जून 1983 तथा मई 1983 से रिक्त पड़े थे, लेखाकारों के 9 पद तथा सहायक लेखाकारों के एक से दो पद भी 1981-82 से रिक्त पड़े थे। फलस्वरूप कम्पनी अब तक (अगस्त 1989) केवल 1984-85 तक के लेखों को ही अन्तिम रूप दे देने में समर्थ रही जब कि इसे 1988-89 तक के लेखे को अन्तिम रूप दे देना चाहिये था ।

2क.13 वित्तीय स्थिति

निम्न तालिका कम्पनी की 1985-86 तक 5 वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति संक्षेप में प्रस्तुत करती है:-

क. देयतायें

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख रूपये में)				अनन्तिम
प्रदत्त पूँजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	440.00	440.00	490.00	490.00	490.00
आरक्षण तथा अधिशेष	8.60	4.32	4.32	4.32	4.32
ऋण	548.00	1008.36	957.61	957.61	741.17

व्यापारिक देय, चालू देयताये एवं प्रावधान	965.16	970.99	1294.40	2124.83	2224.60
योग	**1961.76**	**2423.67**	**2746.33**	**3576.76**	**3460.09**
ख- परिसम्पत्तियाँ					
ग्रास ब्लाक	685.74	909.84	1106.01	1124.40	1129.50
घटाइये मूल्य ह्रास	103.18	125.73	148.19	170.56	196.01
निवल अचल परिसम्पत्तिया	582.56	784.11	957.82	953.84	933.49
प्रगतिगत पूँजीगत कार्य	560.02	639.36	678.29	705.86	747.93
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम	818.86	992.88	1041.97	1805.42	1637.57
विविध व्यय	0.32	2.01	3.49	3.05	2.15
संचित हानि	–	5.31	64.76	108.59	138.95
योग	**1961.76**	**2423.67**	**2746.33**	**3576.76**	**3460.09**
प्रयुक्त पूँजी	436.26	806.00	605.39	634.43	346.46
निवल मूल्य	448.28	437.00	426.07	382.68	353.22

टिप्पणी-1. प्रयुक्त पूँजी प्रगतिगत कार्यों को छोड़कर और कार्यचालन पूँजी को जोड़कर निवल अचल परिसम्पत्तियों का निरूपण करती है ।

2. निवल मूल्य आरक्षित निधियों को जोड़कर और अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी का निरूपण करती हैं ।

2क.14 कार्यचालन परिणाम

1985-86 तक पांच वर्षों हेतु कम्पनी के कार्यचालन परिणाम नीचे सूचित किये जाते हैं:-

	लाभ (+) / हानि (-) (लाख रूपये में)
1981-82	(+) 2.39
1982-83	(-) 9.60
1983-84	(-) 59.45
1984-85	(-) 43.83
1985-86	(-) 30.36 (अनन्तिम)

31 मार्च 1986 को संचित हानि की धनराशि 138.95 लाख रूपये थी, जो प्रदत्त पूँजी का 28.4 प्रतिशत निरूपित करती थी।

हानियों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण एवं संचालन पर कम्पनी द्वारा उठायी गयी वे हानियाँ (245.94 लाख रूपये) सम्मिलित नहीं हैं (जैसा कि प्रस्तर 2क.6.1 और 6.2 में उल्लेखित है) जो राज्य सरकार से वसूली योग्य दिखायी गयी थी। 31 मार्च 1986 को इस मद पर सरकार से वसूली योग्य धनराशि 245.94 लाख रूपये थी। नवम्बर 1982 तक कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानियों के सम्बन्ध में, अपेक्षित प्रलेखन (डाकूमेण्टेशन) के अभाव में इसने सरकार के समक्ष दावे प्रस्तुत नहीं किये। जब कि दिसम्बर 1982 और मार्च 1985 के मध्य हुई हानियों के सम्बन्ध में, यह प्रतिपूर्ति की हकदार न थी

क्योंकि नलकूप प्रतिवर्ष न्यूनतम निर्धारित घण्टों हेतु परिचालित नहीं किये गये। फिर भी कम्पनी 1985-86 से ऋणों पर ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रही है, जो योजनाओं पर किये गये व्यय का प्रमुख अंश है।

2क.15 आन्तरिक लेखा परीक्षा

निर्देशक मण्डल ने फरवरी 1979 में एक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद की स्वीकृति दी, 1982-83 में एक लेखा परीक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसने जनवरी 1984 तक कार्य किया। वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने 1981-82 से अप्रैल 1987 तक कार्य किया। एक लागत लेखाकार भी था जिसने कम्पनी में अगस्त 1980 से जून 1984 तक कार्य किया तब से ये सभी पद रिक्त पड़े हुये हैं। यद्यपि इकाईयों की 1983-84 की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के लिये 8000 रूपयों के पारिश्रमिक पर शासपत्रित लेखाकारों के एक फर्म की नियुक्ति की गयी थी किन्तु उन्होने कार्य पूरा नहीं किया क्योंकि पारिश्रमिक अपर्याप्त था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कम्पनी में आन्तरिक लेखा परीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी । आगे यह देखा गया कि निर्देशक मण्डल ने अक्टूबर 1982 में तथा पुनः जून 1988 में यह निर्णय लिया था कि सभी अन्तिम बिल भुगतान करने से पहले मुख्यालय पर लेखा विभाग द्वारा पूर्व लेखा परीक्षित (प्रीआडिटेड) करा लिये जाने चाहिये। इन अनुदेशों का भी पालन नहीं किया गया और पूर्व लेखा परीक्षा बिना इकाइयों द्वारा अन्तिम बिलों का भुगतान किया जा रहा था।

2क.16 अन्य रोचक प्रसंग

2क.16.1 बिक्रीकर का परिहार्य भुगतान

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों सहित सरकारी विभागों द्वारा फार्म "सी" प्रस्तुत करने पर 4 प्रतिशत (8 प्रतिशत के समक्ष) से बिक्रीकर भुगतान योग्य है तथापि जाँच परीक्षण के समय यह देखा गया कि 27.59 लाख रूपये मूल्य के नरम इस्पात पाइपों (माइल्ड स्टील पाइप) के क्रय हेतु जुलाई 1984 और अप्रैल 1985 में दिये गये दो आदेशों के समक्ष फार्म "सी" जारी नहीं किया गया। अतः कम्पनी को 8 प्रतिशत से बिक्रीकर का भुगतान करना पड़ा, इसके परिणाम स्वरूप बिक्री कर के प्रति 1.08 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

इसी प्रकार जनवरी तथा मार्च 1981 में दिये गये आदेशों के विरूद्ध 87.79 लाख रूपयों हेतु स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटड से नरम इस्पात पाइपों के क्रय पर फार्म "सी" दे कर बिक्रीकर की रियायती दर का उपयोग नहीं किया जिसके फलस्वरूप 3.51 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । बिक्रीकर के रूप में 4.59 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय हेतु कोई उत्तर दायित्व निर्धारित नहीं किया गया ।

उपर्युक्त मामले प्रबन्धकों तथा सरकार को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990) ।

अनुच्छेद - 2ख

यू.पी. स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 दो) लिमिटेड

मुख्य बातें

कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली चार नवीन कताई मिलों के क्रिया-कलापों के प्रबन्धन हेतु अगस्त 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी के रूप में निगमित की गयी थी तथापि नियन्त्रक कम्पनी ने अक्टूबर 1974 में इन मिलों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया और बाद में दिसम्बर 1974 में कम्पनी को बन्द कर देने का निर्णय लिया। इस प्रकार कम्पनी को इस निगमन से मात्र चार माह के अन्दर समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा समाप्त करने के निश्चय को छः वर्ष से भी अधिक समय तक प्रवृत्त न रहने के कारण इसे जून 1981 तक निष्क्रिय एवं अकार्यात्मक रहने दियागया। कम्पनी को जून 1981 में पुनः चालू किया गया और इसे प्रत्येक 25,000 तकलियाँ वाली चार नवीन मिलों की स्थापना तथा परिचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

परियोजना को व्यवहार्य प्रदर्शित करने के लिये बलिया तथा जौनपुर मिलों के विषय में प्रायोजित 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग के समक्ष एवं चारों मिलों के वार्षिक आयव्ययक में कम्पनी द्वारा इंगित 85 प्रतिशत के समक्ष हुयी मेजा और बांदा मिलों की प्राप्य

क्षमता परियोजना प्रतिवेदनों में क्रमशः 93 और 90 प्रतिशत ग्रहण की गयी।

मेजा में मिल के लिये स्थल चयन समिति ने एक ऐसे अन्य स्थल की वरीयता में जिसकी लागत 7.25 लाख रूपये अधिक थी किन्तु अन्यथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त था, एक ऐसे स्थल का चयन किया जहाँ यथेष्ट जल उपलब्ध नहीं था तथा एक दूरस्थ स्थान से जल लाने के लिये अनुमानित 20 लाख की धनराशि व्यय की जानी थी। समिति ने निर्णय लेने के पूर्व इन दो स्थलों की क्रय विषयक तुलनात्मक मितव्ययिता का आगणन नहीं किया। तथापि कम्पनी ने एक किलोमीटर दूरी से जल लाने मात्र में लगभग 8 लाख रूपये व्यय किये लेकिन मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जल यथेष्ट नहीं था एव जल के अभाव में आद्रीकरण संयंत्र (ह्यूमिडीकेशन प्लाण्ट) के कम उपयोग के कारण। उत्पादन हानि 20 प्रतिशत अनुमानित की गयी।

इसके विपरीत, जौनपुर में मिल हेतु एक अति महँगे स्थल का चयन किया गया जो स्थल में 5 एकड़ में तालाब होने के बावजूद ऊसर था और बहुत उपजाऊ नहीं था। यह स्थल ग्राम समाज की भूमि वाले एक अन्य स्थल की वरीयता में था जो विद्यमान मात्र एक किलोमीटर लम्बी कच्ची सड़क को मोटर चलने योग्य सड़क में बदलने में व्यय साध्यता के सिवाय सभी दृष्टि से उपयुक्त था।

बाँदा में मिल के लिये भी चयन किये गये स्थल पर यथेष्ट जल नहीं था और 5 किलोमीटर दूरी से मिल द्वारा आपेक्षित जल लाने में 15.13 लाख रूपये का व्यय वहन करना पड़ा।

एक मिल के लिये अपेक्षित 24 एकड़ के समक्ष कम्पनी ने अपनी मिलों के लिये 50 से 175 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जिसके फलस्वरूप 20.09 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

चारो मिलों के सिविल निर्माण कार्य निविदायें आमन्त्रित किये बिना तथा अनुमान तैयार किये बिना उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सितम्बर 1981 में 15 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभारों को जोड़कर लागत पर प्रदान कर दिये गये। यू.पी.आर.एन.एन से अपेक्षा की गयी थी कि वह अनुमान तैयार करें और कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कम्पनी से अनुमोदित करायें लेकिन अधिकांशतः अनुमान कार्यों की समाप्ति पर प्रस्तुत किये गये। कम्पनी के अनुसार यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा दोषपूर्ण कार्यों तथा कार्य पूरा करने में विलम्ब के कारण प्रत्येक मिल के सिविल निर्माण कार्यों की लागत लगभग 50 लाख रूपये बढ़ गयी थी । कम्पनी अनुबन्ध में उपर्युक्त उपवाक्य के अभाव में विलम्ब हेतु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं कर सकी। जौनपुर स्थित मिल के लिये नान लेवी सीमेण्ट की अधिप्राप्ति पर यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा 2.04 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

पूँजीगत व्यय हेतु प्राप्त 88.53 लाख रूपये की निधियाँ कार्य चालन पूँजी हेतु उपयोजित की गयीं। कम्पनी राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों को अधिक पूँजीगत व्यय के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से अधिक प्रतिवेदित करती रही ।

मिलों के लिये मशीनरी की आपूर्ति ट्रक के माध्यम से की गयी। वास्तविक आवश्यकता से अधिक ट्रकों के कार्य में लगाने के कारण 1.32 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा मुख्य रूप से सिविल निर्माण कार्यों के विलम्ब से पूर्ण किये जाने के कारण सभी मिलों में आद्रीकरण संयंत्र (ह्यूमिडिफिकेशन प्लाण्ट) चालू करने में विलम्ब हुआ। तथापि आद्रीकरण संयंत्र के बिना मिलों के परिचालन पर हानियों का निर्धारण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

बांदा और मेजा मिलों में 1987-88 के दौरान सूत उत्पादन में कमी रही जिसके फलस्वरूप 19.58 लाख रूपये की हानि हुयी। सिटरा द्वारा नियत 0.5 प्रतिशत प्रतिमान से अधिक आदृश्य के कारण हानि वर्ष 1984-85 से 1988-89 के दौरान 34.80 लाख रूपये रही ।

मिलों की विक्रय प्राप्तियां विक्रय की लागत को आच्छादित करने में किसी भी वर्ष पर्याप्त नहीं थीं तथा प्रति किलो विक्रीत सूत पर हानि 2.15 रूपये से 13.70 रूपये के मध्य रही। 31 मार्च 1988 को संचित हानियों की धनराशि 23.57 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूँजी के समक्ष 25.92 करोड़ रूपये थी ।

कम्पनी ने दोषपूर्ण मीटर द्वारा दर्ज किये गये (लो पावर फैक्टर हेतु) अधिभार के रूप में 6.09 लाख रूपये का भुगतान किया जो (मीटर) बाद में परिषद द्वारा बदल दिया गया था। तथापि कम्पनी ने धनराशि की वापसी के लिये दावा नहीं किया ।

2ख.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) ने राज्य में स्थापित की जाने वाली 8 नयी कताई मिलों (प्रत्येक चार मिलों) के स्वामित्व ग्रहण करने तथा क्रिया कलापों की व्यवस्था हेतु दो सहायक कम्पनियां चालू करने के लिये नवम्बर 1973 में निर्णय लिया। तदनुसार उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड (यू.पी.एस.एस.एम.-1) तथा उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 2) लिमिटेड (कम्पनी) 20 अगस्त 1974 को निगमित की गयी। यद्यपि कम्पनी काशीपुर, सण्डीला, झाँसी और मेरठ में स्थापित की जाने वाली चार कताई मिलों के क्रिया कलापों की व्यवस्था के उद्देश्य से निगमित की गयी थी, किन्तु राज्य सरकार के अनुमोदन से अक्टूबर 1974 में नियंत्रक कम्पनी ने कम्पनी को आवंटित चारों मिलों के क्रिया कलापों की व्यवस्था स्वयं करने का निर्णय लिया। आगे दिसम्बर 1974 में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में आने वाली कोई नयी योजना नियंत्रक कम्पनी या यू.पी.एस.एस.एम. प्रथम द्वारा क्रियान्वित की जायेगी । और इसलिये कम्पनी को समाप्त करने की कार्यवाही की जाये ।

तदनुसार कम्पनी ने सितम्बर 1977 में हुयी अपनी वार्षिक आम सभा में ऐच्छिक परिसमापन में जाने का संकल्प लिया जो नियंत्रक कम्पनी द्वारा अक्टूबर 1977 में तथा राज्य सरकार द्वारा जनवरी 1978 में अनुमोदित किया गया । तथापि अपने ऐच्छिक

परिसमापन को लागू करने के लिये कम्पनी द्वारा कोई पहल नहीं किया गया ।

इस प्रकार अगस्त 1974 में कथित कम्पनी को मात्र चार माह में अर्थात दिसम्बर 1974 में बन्द कर देने का निर्णय लिया गया। बन्द कर देने के निर्णय को छः वर्ष से अधिक समय तक क्रियान्वित न करके कम्पनी को जून 1981 तक निष्क्रिय तथा अकार्यात्मक रहने दिया गया।

जून 1981 में राज्य सरकार के अनुमोदन से मेजा (इलाहाबाद) बाँदा, बलिया और जौनपुर स्थित चार कताई मिलों की स्थापना एवं परिचालन हेतु कम्पनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया ! कम्पनी ने इन चारो मिलों की स्थापना ग्रहण कर ली तथा क्रमशः फरवरी 1984, अप्रैल 1984, जुलाई 1986 और अप्रैल 1987 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया।

2 ख.2 लक्ष्य

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य हैं:-

1. सूती कताईकरों एवं द्विगुणकों (डब्लर्स) तम्बू निर्माताओं, सूत व्यापारियों, विरंजकों (ब्लीचर्स) एवं रंजकों (डायर्स) के व्यवसाय को जारी रखना।

2. कंघी (काम्ब) खरीदना, कातना, रंगना एवं सूत तथा अन्य रेशेदार वस्तुओं से सम्बन्धित कार्य करना।

3. राज्य में किसी ऐसी कपड़ा मिल की व्यवस्था, नियंत्रण एवं संचालन करना जिसे भारत सरकार अधिग्रहण कर सके।

4. सूती मिलों की स्थापना करना और

5. सभी प्रकार के धागों का निर्माण एवं/अथवा उनसे सम्बन्धित कार्य करना ।

तथापि, कम्पनी ने अपने क्रियाकलापों को सूती धागे तथा बुनियादी धागे के उत्पादन तथा बिक्री तक ही सीमित रखा ।

2 ख.3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी की समीक्षा में स्थापना तथा अन्य सम्बद्ध क्रिया कलापों तथा साथ ही 1981-82 से 1987-88 की अवधि हेतु कम्पनी को सौंपी गयी चारो मिलों के उत्पादन कार्य सम्पादन का समावेश किया गया है ।

जुलाई 1988 से अक्टूबर 1988 के दौरान सम्पन्न लेखा परीक्षा में देखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

2 ख.4 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक तथा आठ अन्य निदेशकों - चार नियंत्रक कम्पनी द्वारा नियुक्त तथा प्रत्येक दो राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियुक्त से गठित एक निदेशक मण्डल में निहित है। नियंत्रक कम्पनी का अध्यक्ष इस कम्पनी का भी अध्यक्ष है ।

प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये संयुक्त प्रबन्ध निदेशक नियंत्रक (वित्त) तथा चारों मिलों में प्रत्येक की देखभाल करने वाले चार मुख्य कार्यपालक (इक्जीक्यूटिव) होते हैं।

2ख.5 अर्थ व्यवस्था

2ख.5.1 पूँजी संरचना

3 करोड़ रूपये की प्रारम्भिक प्राधिकृत पूँजी जो 31 मार्च 1988 तक समय समय पर बढ़ा कर 24 करोड़ रूपये कर दी गयी थी कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 23.57 करोड़ रूपये थी जो नियंत्रक कम्पनी द्वारा पूर्ण तथा अंशदानित थी ।

2ख.5.2 ऋण

प्रत्येक 25,000 तकलियों की क्षमता वाली चार मिलों की स्थापना हेतु कम्पनी ने 1983-84 से 1987-88 के दौरान भारतीय आद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) और भारतीय आद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) से 12.5 से 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरों पर भुगतानों में चूक की स्थिति में 2 प्रतिशत वार्षिक दण्डात्मक ब्याज के साथ 1982 लाख रूपये के ऋण प्राप्त किये ।

31 मार्च 1988 को आई.एफ.सी.आई. तथा आई.डी.बी.आई. को भुगतान हेतु 1698.48 लाख रूपये अनिस्तारित थे ।

2ख.5.3 नकद साख (कैश क्रेडिट) आदि

चार मिलों की कार्यचालन पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कम्पनी ने बैंकों से 17.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर नकद साख सुविधा तथा बिल क्रय सुविधा प्राप्त की। 1983-84 से 1987-88 के दौरान प्रत्येक मिल के लिये कम्पनी द्वारा प्राप्त नकद साख सुविधा तथा बिल क्रय सुविधा 120.40 लाख रूपये से

180 लाख रूपये के मध्य थी ।

31 मार्च 1988 को उपर्युक्त सुविधाओं के अन्तर्गत बैंको को भुगतान हेतु धनराशि 368.79 लाख रूपये थी ।

2ख.6 नई मिलों की स्थापना

2ख.6.1 पृष्ठ भूमि

राज्य सरकार ने जून 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के लिये बड़े एवं मध्यम उद्योगों हेतु एक कार्य संचालन वर्ग का गठन किया जिसने गठित होकर वस्त्र उद्योग पर एक उप कार्य संचालन वर्ग का गठन किया जिसमें वर्ग के अध्यक्ष के रूप में कम्पनी के अध्यक्ष, संचालक के रूप में यू.पी.एस.एस.एम. प्रथम के प्रबन्ध निदेशक तथा प्राइवेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उद्योगों से पांच अन्य सदस्य थे। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (हथकरघा एवं विजली करघा) को सूत की जरूरतों को जुटाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच लाख अतिरिक्त तकलियाँ लगाने के लिये उपकार्य संचालन वर्ग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार ने अक्टूबर 1980 में सार्वजनिक क्षेत्र में जशपुर (नैनीताल), मेजा (इलाहाबाद), बाँदा, सहारनपुर और बस्ती में 5 नई मिलें तथा सहकारी क्षेत्र में सात मिलें प्रत्येक 50,000 तकलियों वाली, लगाने के साथ ही नियंत्रक कम्पनी तथा यू.पी.एस.एस.एम. प्रथम की वर्तमान 8 मिलों की प्रत्येक की 25,000 तकलियों से 50,000 तकलियों तक परिवर्धित करने का निर्णय लिया । तथापि 12 मिलों की क्षमता सरकार द्वारा जनवरी 1981 में 25,000 तकलियों तक प्रतिबन्धित कर दी थी। सार्वजनिक क्षेत्र की पाँच नई मिलों का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा नियंत्रक कम्पनी को सौंप दिया गया ।

मई 1981 में राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ नियंत्रक कम्पनी ने मात्र चार मिलों (जतपुर को छोड़कर) की स्थापना एवं प्रबन्ध कम्पनी को सौंप दिया । मिलों का प्रबन्ध सौंपने के पूर्व नियंत्रक कम्पनी ने मेजा और बाँदा में स्थल चयन, परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी मशीनरी आपूर्ति हेतु आदेश (मूल्य 1323 लाख रूपये) और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.एन.एन.) को जमा कार्यों के रूप में सिविल निर्माण कार्य प्रदान करना इत्यादि जैसे मिलों की स्थापना से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिये थे। अगस्त 1981 में राज्य सरकार ने बस्ती और सहारनपुर के स्थान पर बलिया और जौनपुर में मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया ।

2 ख.6.2 पब्लिक इन्वेस्टमेण्ट बोर्ड द्वारा परियोजना की स्वीकृति (क्लियरेन्स)

क्रमशः 17.07 करोड़ रूपये तथा 16.84 करोड़ रूपये की लागत वाली बाँदा और मेजा में प्रत्येक 50,000 तकलियों वाली कताई मिलों की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) द्वारा मार्च 1981 में अनुमोदित किये गये जब कि 20.50 करोड़ रूपये पूँजी परिव्यय वाली प्रत्येक 50,000 तकलियों वाली बलिया और जौनपुर की मिलों के परियोजना प्रतिवेदन पी.आई.बी. द्वारा अक्टूबर 1981 में अनुमोदित किये गये ।

प्रथम चरण में 25,000 तकलियों वाली मिलों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जनवरी 1981 में लिये गये निर्णयानुसार तथा वित्तीय संस्थानों के दिशा निर्देश पर कम्पनी ने

25,000 तकलियों वाली मिलों के परियोजना प्रतिवेदन निम्नवत पुनरीक्षित कर दिये (1982-83 से 1985-86):-

	मेजा	बाँदा	बलिया	जौनपुर
	(लाख	रूपयों	में	)
भूमि तथा स्थल विकास	22.25	31.00	30.20	35.00
भवन	203.47	188.00	211.00	240.00
संयंत्र एवं मशीनरी	491.54	513.07	529.86	647.00
विविध नियत परि-सम्पत्तियाँ	144.70	129.29	121.00	128.00
सम्भावित व्यय	38.75	39.74	45.00	48.00
आकस्मिक व्यय	74.70	22.78	64.11	24.00
कार्यचालन पूँजी हेतु सीमान्त धन	52.59	56.12	58.83	68.00
योग	**1028.00**	**980.00**	**1060.00**	**1190.00**
		(प्रतिशत)		
प्रतिफल की प्रत्याशित दर	7.67	7.31	8.16	11.31

2ख.6.3 परियोजना की लाभकारिता

मेजा तथा बाँदा मिलों (25,000 तकलियों) के लिये परियोजना प्रतिवेदन कम्पनी द्वारा क्रमशः वर्ष 1982-83 के अन्त की ओर तथा 1983-84 के प्रारम्भ में एवं बलिया एवं जौनपुर मिलों (25,000 तकलियों) के लिये क्रमशः वर्ष 1984-85 के अन्त की ओर तथा वर्ष 1985-86 के प्रारम्भ में तैयार किये गये थे। मिलों की लाभकारिता का आगणन करने के लिये विभिन्न मिलों

हेतु (कार्यचालन के तृतीय वर्ष में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने पर) परियोजना प्रतिवेदनों में ली गयी संयंत्र तथा मशीनरी की प्राप्य क्षमता की प्रतिशतता निम्नवत् थी:-

मिल का स्थान	प्राप्य क्षमता की प्रतिशतता	कार्यचालन का तृतीय वर्ष
मेजा	93	1986-87
बाँदा	90	1986-87
बलिया	85	1988-89
जौनपुर	85	1989-90

सभी मिलों की मशीनरी अधिकांशतः एक ही विशिष्टियों की होने से विभिन्न प्राप्य क्षमताओं के निर्धारण के कारण अभिलेखों में अंकित नहीं थे । तथापि निदेशक मण्डल तथा राज्य सरकार को समय समय पर प्रस्तुत वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के प्रायोजित कार्यसम्पादन आयव्ययकों में मेजा एवं बाँदा मिलों की क्षमता उपयोग 85 प्रतिशत प्रायोजित किया गया । प्रत्याशित प्राप्य क्षमता से कम लक्ष्य निर्धारित करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे ।

निम्न सारणी क्रमशः 93 तथा 90 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर एवं प्रायोजित कार्यसम्पादन आयव्ययकों के अनुसार 85 प्रतिशत पर मेजा और बाँदा मिलों के विषय में निवल अंशदान के विवरण इंगित करती है:-

	मेजा मिल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 93 प्रतिशत क्षमता पर	80 प्रतिशत क्षमता पर	बाँदा मिल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 90 प्रतिशत क्षमता पर	85 प्रतिशत क्षमता पर
1	2	3	4	5
सूत का उत्पादन (लाख किलोग्राम में)	41.00	37.47	41.04	38.76

1	2	3	4	5
उत्पादन की लागत कपास की कीमत	12.46	12.46	12.83	12.83
ब्याज तथा मूल्यह्रास को छोड़कर रूपान्तरण लागत	4.10	4.49	4.45	4.71
ब्याज तथा मूल्य ह्रास	3.36	3.67	3.42	3.62
योग	**19.92**	**20.62**	**20.70**	**21.16**
अपशिष्ट (वेस्ट) सहित सूत विक्रय से प्राप्त राजस्व	20.54	20.54	20.91	20.91
निवल अंशदान	0.62	-0.08	0.21	-0.25

उपर्युक्त विवरणों से यह प्रतीत होगा कि 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर मिलों का संचालन व्यवहार्य नहीं था और इस प्रकार परियोजनाओं को व्यवहार्य प्रदर्शित करने के लिये परियोजना प्रतिवेदनों में प्राप्य क्षमतायें क्रमशः 93 तथा 90 प्रतिशत ग्रहण की गयी थी। और भी, परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिये निर्मित की जाने वाली औसत काउण्ट 19.56 ग्रहण की गयी थी और उस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त मशीनें क्रय की गयीं थीं। तथापि प्रायोजित निष्पादन आयव्यय में 1984-85 से 1987-88 के दौरान निर्माण हेतु प्रस्तावित औसत काउण्ट 19.56 से 23.20 तक इंगित किया गया था, जबकि उपर्युक्त अवधि में सूत के उच्चतर काउण्टों की मांग की पूर्ति के लिए वास्तविक निर्मित औसत काउन्ट 20.80 से 24.20 के प्रक्षेत्र में

रहा तथापि कम्पनी द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में न तो प्रोडक्ट मिक्स तय करने के पूर्व और न अतिरिक्त मशीनों की खरीद के पूर्व ही कोई बाजार सर्वेक्षण किया गया था ।

2 ख.6.4 मिलों की स्थापना हेतु स्थल का चयन

राज्य सरकार ने राज्य में नई कताई मिलों की स्थापना हेतु स्थलों के चयन हेतु नियंत्रक कम्पनी के अध्यक्ष, यू.पी.एस.एस.एम. प्रथम एवं यू.पी.हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशकों, सम्बन्धित जिले के जिलाधीश, क्षेत्र के संयुक्त निदेशक (उद्योग) तथा नियंत्रक कम्पनी द्वारा नामित दो तकनीकी सदस्यों की एक स्थल चयन समिति का गठन किया (अक्टूबर 1980/अप्रैल 1981) ।

2 ख.6.4.1 मेजा मिल

स्थल चयन समिति ने जिला प्रशासन द्वारा सुझाये गये स्थलों का नवम्बर 1980 में निरीक्षण किया तथा मेजा खास में एक स्थल (स्थल क) की संस्तुति की बशर्ते स्थल पर पर्याप्त जल उपलब्ध हो (भू गर्भ सर्वेक्षण के अनुसार उस क्षेत्र में जल उपलब्ध नहीं था) और उस स्थल पर जल की अनुपलब्धता की दशा में समिति ने मेजा रोड कस्बे से दो-तीन किलोमीटर के अन्दर भूमि अधिग्रहीत करने की संस्तुति की। मार्च 1981 में सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट मेजा तथा भूगर्भ जल अनुसंधान संगठन के जल विज्ञानी सहित कम्पनी के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण पुनः किया गया तथा मेजा खास स्थल (स्थल क) की संस्तुति की गयी। संगठन द्वारा स्थल क पर जल की उपलब्धता का परीक्षण किया गया और यह ज्ञात हुआ कि स्थल पर

यथेष्ट जल उपलब्ध नहीं था अपितु तेन्दुआ कला (स्थल से 8 किलोमीटर दूर) पर उपलब्ध था। तदनुसार समिति ने जुलाई 1981 में स्थल "क" की संस्तुति की किन्तु इंगित किया कि तेन्दुआ कला से जल लाने पर 20.0 लाख रूपये व्यय करने होंगे। निदेशक मण्डल ने जुलाई 1981 में स्थल "क" का अनुमोदन कर दिया। मेजा-माण्डा मार्ग के निकट स्थल "क" से लगभग एक किलोमीटर दूर पर निर्मित किसी अन्य नलकूप से नलकूप के विकास तथा पाइपलाइनों के बिछाने पर कम्पनी ने आठ लाख रूपयों का व्यय किया । मिल को जल उपलब्ध कराने के लिये इस व्यय के करने के बाद भी मेजा में जलापूर्ति की स्थिति निकृष्टतम रही और उत्पादन हानि 20 प्रतिशत के आस-पास थी क्योंकि जैसा कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा मई 1985 में सूचित किया गया था यहाँ तक कि पीने के लिये भी, पानी की कमी के कारण आद्रीकरण संयंत्र पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहा था। तथापि यह देखा गया कि स्थल चयन समिति ने मेजा रोड - मेजा तहसील रोड पर एक स्थल (स्थल ख) की संस्तुति भूमि के उच्च मूल्य 15,000 रूपये प्रति एकड़ के कारण नहीं की थी, यद्यपि स्थल अन्य सभी दृष्टियों से उपयुक्त था । भूमि की वास्तविक आवश्यकता 24 एकड़ है फिर भी आवश्यकता 50 एकड़ मान लेने पर भी जैसा कि जौनपुर के विषय में किया गया था (अनुवर्ती प्रस्तर 2ख.6.4.3 में विवेचित) तथा स्थल "क" के लिये कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी लगभग 500 रूपये प्रति एकड़ की दर को ध्यान में रखते हुये स्थल "ख" की भूमि का अतिरिक्त मूल्य मात्र 7.25 लाख रूपये ही होता। इसके विपरीत किये जाने वाले अनुरक्षण व्यय के अतिरिक्त कम्पनी को

8.00 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

इस प्रकार 7.25 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर जल की उपलब्धता वाले स्थल की वरीयता में ऐसे स्थल का चयन जहाँ जल उपलब्ध नहीं था और जल की लगातार कमी का सामना करते रहने के अतिरिक्त 8.00 लाख रूपये का पूंजी ब्यय अतिरिक्त करना पड़ा, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था ।

2ख.6.4.2 बाँदा मिल

दिसम्बर 1980 में, स्थल चयन समिति बाँदा गयी और जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थलों (संख्या में नौं) स्थलों की उपयुक्ता की जांच की । समितिं ने बाँदा चिल्ला रोड पर स्थित एक स्थल की संस्तुति की जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध था और स्थल पक्की सड़क पर स्थित था । स्थल का अनुमोदन कम्पनी तथा राज्य सरकार ने मार्च 1981 में तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल (अप्रैल 1981) ने किया । अगस्त 1981 में स्थल पर एक नलकूप के परिवेधन (बोरिंग) का कार्य उ0प्र0 नलकूप निगम लिमिटेड (नलकूप निगम) को प्रदान कियां गया । सितम्बर 1981 में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नलकूप निगम के अवर अभियन्ता ने कम्पनी को सूचित किया कि स्थानीय जांच पड़ताल के अनुसार उस क्षेत्र में परिवेधन अधिकांशतः भूमिगत कठोर शिलाओं के कारण त्याग दिये थे । तथापि 0.25 लाख रूपये की लागत पर 155 फुट खुदाई करने के बाद नलकूप निगम ने सूचित किया (सितम्बर 1981) कि स्थल पर शिला संस्तर के कारण और आगे परिवेधन असंभव है तथा क्षेत्र में जल प्राप्ति का अवसर अत्यन्त क्षीणं है । अतएव क्षेत्र के भूभौतिकी

सर्वेक्षण का कार्य अक्टूबर 1981 में रुपए 0.10 की लागत पर भूगर्भ जल अनुसंधान संगठन लखनऊ को सौंपा गया और उनके द्वारा स्थल से 5 कि0मी0 की दूरी पर जल की उपलब्धता सूचित की गयी 0.76 लाख रुपए की लागत पर स्थल से 5.15 कि0मी0 की दूरी पर एक नलकूप का परिवेधन किया गया और नलकूप स्थल से मिल स्थल तक पाइप लाइनों के बिछाने पर 5.03 लाख रुपए का व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त, स्थल पर एक स्वच्छ जलाशय, एवं उच्चतर क्षमता वाली शीर्षस्थ (ओवरहेड) टंकी के निर्माण जलाशय से पानी को ऊपर उठाने की व्यवस्था, नलकूप स्थल पर एक डीजल जैनरेटर सेट की अधिप्राप्ति, नलकूप हेतु विद्युत संयोजन, नलकूप स्थल पर सिविल कार्य के निर्माण आदि पर 10.10 लाख रुपयों का व्यय किया गया । कम्पनी नलकूप एवं पाइप लाइन की सुरक्षा हेतु निगरानी अभिरक्षा (वाच एण्ड वार्ड) पर भी आवर्ती व्यय कर रही है ।

तथापि यह देखा गया कि प्राइवेट पार्टियों से भूमि अध्याप्ति की प्रक्रियायेंकहीं जाकर अक्टूबर 1981 में प्रारम्भ की गयीं और भुगतान अध्याप्ति हेतु परिषद से दिसम्बर 1981 में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने के काफी समय बाद किये गये। इस प्रकार नलकूप निगम के अवर अभियन्ता से सितम्बर 1981 में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कम्पनी को अग्रिम कार्यवाही करने के पूर्व इस स्थल के क्रय पर पुनर्विचार करना चाहिये था और सक्षम अभिकरण से भूभौतिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिये था।

प्रसंगतः, स्थल चयन समिति दिसम्बर 1980 में इस निष्कर्ष पर पहुंची और बिना कोई स्रोत या प्राधिकार उद्घृत किये यह सूचित किया कि स्थल पर पर्याप्त जल उपलब्ध था ।

इस प्रकार यह जानने के बावजूद कि जल उपलब्ध नहीं था स्थल के चयन के कारण कम्पनी को 15.13 लाख रूपया का परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

2ख.6.4.3 जौनपुर मिल

जिला प्रशासन द्वारा सुझाये गये चार स्थलो का निरीक्षण कम्पनी के तकनीकी अधिकारियों द्वारा नवम्बर 1981 में किया गया और मिल की स्थापना हेतु जौनपुर से 7 किलोमीटर दूर एक स्थल (स्थल य) की संस्तुति की गयी। उक्त स्थल को स्थल चयन समिति ने नवम्बर 1981 में अनुमोदित किया जब कि राज्य सरकार ने उसे अप्रैल 1982 में अनुमोदित किया। मडियाहू तहसील के बेलवा ग्राम में ग्राम समाज का एक 69 एकड़ का स्थल (स्थल र) भी उपयुक्त पाया गया किन्तु समिति द्वारा इस आधार पर उसकी संस्तुति नहीं की गयी कि परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व एक किलोमीटर सम्पर्क मार्ग, यद्यपि कच्ची सड़क विद्यमान थी, निर्मित किया जाना था और सड़क के निर्माण की लागत ही कम महगी भूमि प्राप्त करने के लाभ को व्यर्थ कर देगी । तथापि चयन किये गये स्थल (स्थल य) हेतु भुगतान योग्य भूमि की कीमत तथा स्थल "र" हेतु सड़क के निर्माण पर होने वाले व्यय का आगणन नहीं किया गया ।

यद्यपि चयन की गयी भूमि (स्थल य) जिलाधिकारी के अनुसार अधिकांशतः ऊसर थी तथा अधिक उपजाऊ नहीं थी फिर भी

कम्पनी ने 28,300 रूपये प्रति एकड़ की बहुत ऊंची कीमत अदा की जिसके कारण कम्पनी ने अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 70.36 एकड़ से घटाकर 46.12 एकड़ कर दिया लेकिन अन्य स्थल (स्थल र) के चयन को वरीयता नहीं दी जो स्थल चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया था, सिवाय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के जो निर्मित कराया जा सकता था जैसे कि बलिया मिल के सम्बन्ध में किया गया था जहाँ 2 किलोमीटर सड़क निर्मित की गयी थी। राज्य सरकार ने भी अगस्त 1982 में किसी अन्य उपयुक्त स्थल के चयन हेतु निर्देश दिये थे लेकिन यह उत्तर दिया गया कि कोई अन्य उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार मेजा के विषय में कम्पनी ने भूमि की उच्चतर कीमत के कारण ग्राम समाज की जल रहित जमीन के क्रय को वरीयता दी जब कि इस मामले में मोटर चलने योग्य सड़क के सिवाय सभी सुविधाओं बाकी ग्राम समाज की भूमि से अधिक मूल्य वाली भूमि के क्रय को वरीयता दी।

2ख.6.5 भूमि का अधिग्रहण

विभिन्न मिलों हेतु अध्याप्त भूमि एवं भूमि की अध्याप्ति पर हुआ व्यय निम्नवत् था:-

मिल का नाम	अध्याप्त भूमि ग्राम समाज (एकड़ में)	प्राइवेट	अदा की गई धनराशि ग्राम समाज (लाख रूपये में)		प्रति एकड़ औसत मूल्य (रूपये)
मेजा	175	–	0.86	–	490
बाँदा	3.82	85.79	अनुपलब्ध	9.03	10081
बलिया	38.13	45.53	तदैव	5.17	6180
जौनपुर	3.92	46.12	0.76	13.05	27700

यू.पी.आर.एन.एन. के अध्यक्ष तथा सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव के अनुसार (जून 1983) प्रत्येक मिलों के लिये भूमि की आवश्यकता मात्र 24 एकड़ थी। जिसके समक्ष कम्पनी ने 50.04 से 175 एकड़ के प्रक्षेत्र में भूमि अध्याप्त की। अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि 302.31 एकड़ थी, जिसका मूल्य 20.09 लाख रूपये था ।

2ख.6.6 जल की आपूर्ति

2ख.6.6.1 मेजा

जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 2ख.6.4.1 में पहले उल्लेख किया गया है, भूगर्भ सर्वेक्षण के प्रतिकूल प्रतिवेदन के बावजूद, कम्पनी ने स्थल का चयन किया और नलकूपों के विकास तथा पाइप लाइनों के बिछाने आदि पर व्यय किया। जल अन्वेषण का कार्य परिषाद के अनुमोदन के बिना भूगर्भ जल अन्वेषण संगठन को मार्च 1981 में प्रदान किया गया। संगठन ने 1.13 लाख रूपयों की लागत पर मिल स्थल के चारों ओर पांच परिवेधी छिद्रों (बोर होल्स) की खुदाई की। इनमें से दो परिवेधी छिद्रों (मेजा-मांडा रोड तथा विकास खण्ड परिसर) से 6000 से 7000 गैलन प्रति घण्टे जल उपलब्ध था जब कि मिल के लिये प्रति घण्टा 5000 गैलन जल की आवश्यकता थी। इन परिवेधी छिद्रों को विकसित करने के बजाय संगठन ने 0.73 लाख रूपये की लागत पर 8 किलोमीटर की दूरी (तेंदुआ कलाँ) पर एक नलकूप की खुदाई की और जून 1981 में मिल की जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में उस नलकूप के विकास का सुझाव दिया। कम्पनी ने जुलाई 1982 में 0.32 लाख रूपये की लागत पर पाइप लाइन

इत्यादि बिछाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड से एक परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार करवाया। जल निगम द्वारा जुलाई 1982 में तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कार्य की लागत 16.55 लाख रूपये थी। तथापि कम्पनी ने नलकूप का उपयोग नहीं किया और इस प्रकार 1.05 लाख रूपये का व्यय (भूमि की 0.15 लाख रूपये लागत छोड़कर) निष्फल सिद्ध हुआ। तदन्तर 0.55 लाख रूपये की लागत से मेजा-माण्डा मार्ग स्थित परिवेधी छिद्र विकसित किया गया। सितम्बर 1982 में कम्पनी ने संगठन से यह परामर्श देने के लिये अनुरोध किया कि क्या उक्त नलकूप जल के स्थायी स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा पम्प-परीक्षण हेतु 0.36 लाख रूपये भुगतान कर दिया। संगठन ने अप्रैल 1983 में सुझाव दिया कि चूँकि नलकूप अच्छी तरह कार्य कर रहा है अतः कोई परीक्षण आवश्यक नहीं है। संगठन द्वारा 0.36 लाख रूपये की वापसी के विस्तृत विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। प्रबन्धकों ने मई 1989 में बताया कि तेन्दुआ कलाँ स्थित नलकूप पर किया गया व्यय निष्फल नहीं था क्योंकि वह विक्रय योग्य था तथा जल निगम को हस्तान्तरित भी किया जा सकता था या वर्तमान नलकूप के असफल होने पर उपयोग भी किया जा सकता था ।

2 ख.6.6.2 बलिया

मिल के परियोजना प्रतिवेदन में कुल 0.40 लाख रूपये की लागत पर चार उथले नलकूपों का प्रावधान था । अगस्त 1986 में भूगर्भ जल अनुसंधान संगठन ने कम्पनी द्वारा निवेदन करने पर (अगस्त 1986) एक 1500 फुट गहरे नलकूप की खुदाई हेतु

2.03 लाख रूपये का अनुमान प्रस्तुत किया। अगस्त 1986 में संगठन से नलकूप के परिवेधन हेतु निवेदन किया गया और 2.03 लाख रूपये अग्रिम का भुगतान किया गया। 590 फिट गहरा नलकूप मार्च 1987 में पूर्ण किया गया किन्तु संगठन से अन्तिम बिल अभी तक (मार्च 1989) प्राप्त नहीं हुआ है। परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित उथले नलकूपों से अतिरिक्त लागत पर गहरे परिवेधन वाले नलकूप को वरीयता देने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भूगर्भ जल अनुसंधान संगठन ने भी जनवरी 1983 में उथले प्रकार के नलकूपों की खुदाई की संस्तुति की थी क्योंकि 25 से 30 मीटर की गहराई पर 10,000 से 12,000 गैलन प्रति घण्टे जल उपलब्ध था जिसे निदेशक मण्डल द्वारा फरवरी 1983 में अनुमोदित भी किया गया था।

2ख.6.7 सिविल निर्माण कार्यों का निष्पादन

सितम्बर 1981 में निदेशक मण्डल ने 15 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभार सहित लागत पर चारो मिलों के समग्र सिविल निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.एन.एन.) को प्रदान करने का अनुमोदन किया तथा यू.पी.आर.एन.एन. को आशय पत्र सितम्बर 1981 में निर्गत किया गया। मेजा और बाँदा मिलों के विषय में एक अनुबन्ध पहली अक्टूबर 1981 को निष्पादन किया गया। अनुबन्ध की शर्तें अन्य बातों के साथ साथ ये थीं:-

(1) कार्यों के निष्पादन के पूर्व यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा

एक प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया जाना था तथा कम्पनी द्वारा अनुमोदित कराया जाना था,

(2) उत्पादन कक्ष के उप भवन ब्लाक को छोड़कर, उत्पादन कक्ष तथा गैर-कारखाना भवन प्रारम्भ होने की तिथि से अठारह माह के अन्दर और अन्य भवन (आवासीय भवन, उत्पादन कक्ष का उपभवन ब्लाक तथा परिसर दीवार इत्यादि) चौबीस माह की अवधि के अन्दर पूर्ण किये जाने थे। सीमेण्ट या स्टील या निधियों की अनुपलब्धता या रेखांकनों इत्यादि को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण भवनों के पूर्ण हाने में विलम्ब की दशा में समय सीमा वृद्धि स्वीकृत की जानी थी तथा इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि हेतु मूल्य वृद्धि देय थी। कार्यों के निष्पादन में विलम्ब विषयक कारणों से सम्बन्धित विवाद की दशा में यू.पी.आर.एन.एन. को अवधि में तीन माह की अनुग्रह अवधि अनुमत की जानी थी तथा केवल इस अवधि में सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि अनुमत की जानी थी। अनुग्रह अवधि के उपरान्त कोई मूल्य वृद्धि देय न होगी ।

(3) कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत आशय पत्र के साथ अग्रिम के रूप में देय था, और

(4) यू.पी.आर.एन.एन. को किये गये अग्रिम भुगतान जब कार्य के लिये अपेक्षित न हों तो बचत बैंक खाते में निवेशित किये जाने थे और प्राप्त ब्याज कम्पनी को क्रेडिट किया जाना था।

अक्टूबर 1975 के राजकीय निर्देशों के अनुसार, सिविल निर्माण कार्य प्रदान करने में यू.पी.आर.एंन.एन. को वरीयता दी जानी थी किन्तु प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त करने के लिये निविदायें आमन्त्रित की जानी थी और प्राइवेट ठेकेदारों से अपेक्षाकृत कम दरें

प्राप्त होने की दशा में मामले पर यू.पी.आर.एन.एन.से समझौता (नेगोशियेशन) किया जाना था लेकिन इस मामले में कम्पनी ने कार्यों के लिये न तो अनुमान तैयार किये और न प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त करने के लिये निविदायें ही आमन्त्रित की और निर्माण कार्य 15 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभारों के साथ जमा कार्य के रूप में यू.पी.आर.एन.एन. को प्रदान कर दिये गये। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य का प्रारम्भिक अनुमान यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा तैयार किया जाना था और कम्पनी द्वारा इसके अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ होना था लेकिन यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा अनुमान या तो कार्य पूर्ण होने के बाद या कार्य का अधिकांश भाग पूर्ण होने के बाद ही प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार वह प्रयोजन जिसके हेतु अर्थात यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा कार्यों पर किये गये व्यय पर वित्तीय नियंत्रण रखने हेतु अनुबन्ध में उपवाक्य सम्मिलित किया गया था अर्थहीन हो गया। इस सम्बन्ध में यह संकेत किया जा सकता है कि मण्डल की दिनांक 13 जुलाई 1987 को आयोजित सभा में कम्पनी ने स्वीकार किया कि सभी मामलों में यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा दोषपूर्ण कार्यों तथा कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के कारण सिविल निर्माण कार्यों की लागत प्रत्येक परियोजना में लगभग 50 लाख रूपये बढ़ गयी। और भी अनुबन्ध में अर्थदण्ड विधयक उपवाक्य के अभाव में यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा कार्यों के पूर्ण करने में विलम्ब के लिये कम्पनी कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं कर सकी ।

विभिन्न मिल स्थलों पर कार्य के निष्पादन के दौरान देखी गयी अन्य प्रमुख बातें निम्नवत् थीं:-

क. मेजा

कम्पनी ने यू.पी.आर.एन.एन को सितम्बर तथा अक्टूबर 1981 में 47.23 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया। फिर भी सिविल निर्माण कार्य मार्च 1982 में प्रारम्भ किये गये और 24 मास के अधिक समय के साथ कहीं जाकर मार्च 1986 में पूर्ण किये गये। किन्तु यू.पी.आर.एन.एन. के कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हेतु अनुबन्ध में उपयुक्त प्रावधान के अभाव में कोई अर्थदण्ड की वसूली नहीं की जा सकी।

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार यू.पी.आर.एन.एन. को सौंपे गये सिविल कार्यों की लागत 203.47 लाख रूपये थी जिसमें 15 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभार एवं स्थल विकास हेतु 21.35 लाख रूपये सम्मिलित थे। 241.52 लाख रूपये का प्रारम्भिक अनुमान यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा नवम्बर 1985 में अर्थात अधिकांश कार्यों के पूर्ण होने के बाद मूल्य वृद्धि (4.50 लाख रूपये) तथा प्रतिशतता प्रभारों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया जो कम्पनी द्वारा 239.64 लाख रूपये हेतु अनुमोदित किया गया। यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा प्रस्तुत संकलित संविदा लेखा (विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणीं) के अनुसार मार्च 1986 तक किये गये कार्य का कुल मूल्य 241.31 लाख रूपये था जिसके समक्ष कम्पनी द्वारा जुलाई 1984 तक 232.34 लाख रूपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। संकलित संविदा लेखा की जाँच नहीं की गयी और यह अभी तक (मई 1989) कम्पनी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। अनुबन्ध में अपेक्षित

अन्तिम बिल यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा अभी तक (मई 1989) प्रस्तुत नहीं किया गया । यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा प्रत्येक कार्य की विस्तृत नाप प्रस्तुत नहीं की गयी तथा सामग्रियों का वास्तविक उपभोग तथा प्रतिमानों के अनुसार उपभोग का आगणन भी नही किया गया ।

ख. बाँदा

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार यू.पी.आर.एन.एन.द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सिविल निर्माण कार्यों की कुल लागत 178.18 लाख रूपये थी जिसमें 15 प्रतिशत से प्रतिशतता प्रभार एवं स्थल विकास के प्रति 20.47 लाख रूपये सम्मिलित थे। कार्य वर्ष 1985-86 के दौरान पूरा किया गया था और यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा प्रस्तुत (मई 1986) अन्तिम लेखे के अनुसार किये गये कार्य का कुल मूल्य 226.40 लाख रूपये था। जिसमें अतिरिक्त मदों के प्रति 23.34 लाख रूपये सम्मिलित थे जिसके समक्ष कम्पनी ने यू.पी.आर.एन.एन को 222.56 लाख रूपये का भुगतान पहले ही कर दिया था। अन्तिम लेखा की कम्पनी द्वारा न तो जाँच की गयी और न ही उसे अभी तक (मई 1989) स्वीकार ही किया गया ।

ग. बलिया

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिशतता प्रभार तथा स्थल विकास के प्रति 23.20 लाख रूपये की धनराशि सहित भवनों की लागत 211 लाख रूपये थी। स्थल जनवरी 1983 में सौंपा

गया और 1983 के दौरान केवल 8.95 लाख रूपये मूल्य का केवल कुछ कार्य किया गया और उसके बाद निधि की कमी के कारण कार्य रोक दिया गया। कार्य जनवरी 1985 में पुनः प्रारम्भ किया गया किन्तु निधि के अभाव के कारण मार्च 1985 में पुनः रोक दिया गया और जुलाई 1985 में पुनः प्रारम्भ किया गया। सितम्बर 1986 में यू.पी.आर.एन.एन. ने 284.40 लाख रूपये का अनुमान प्रस्तुत किया जो कम्पनी द्वारा 281.55 लाख रूपये के लिये अनुमोदित किया गया। जिसमें वर्ष 1983-84 से 1986-87 की अवधि हेतु प्रावधानित मूल्य वृद्धि के प्रति 31.90 लाख रूपये सम्मिलित थे। यू.पी.आर.एन.एन. ने 274.71 लाख रूपये मूल्य का कार्य पूर्ण किया जिसके समक्ष उनको किये गये भुगतानों की धनराशि 274.78 लाख रूपये थी। कम्पनी को 13.60 लाख रूपये मूल्य का कार्य विभागीय स्तर पर कराना पड़ा जो यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा अक्टूबर 1988 तक नहीं किये गये थे, यद्यपि संविदा में उनके लिये प्रावधान था।

घ. जौनपुर

स्थल यू.पी.आर.एन.एन. को फरवरी 1985 में सौंपा गया था लेकिन कम्पनी द्वारा रेखांकनों के अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण सिविल कार्य अक्टूबर 1985 में प्रारम्भ किये गये। यू.पी.आर.एन.एन. ने दिसम्बर 1986 में भवनों हेतु 298.00 लाख रूपयों एवं स्थल विकास हेतु 21.65 लाख रूपये का अनुमान प्रस्तुत किया जो क्रमशः 293.92 लाख रूपये तथा 18.17 लाख रूपये हेतु अनुमोदित किया गया। यू.पी.आर.एन.एन. ने उनको

आवंटित समस्त कार्य पूर्ण नहीं किया और क्वार्टर (अधिकारियों तथा मजदूरों के) अतिथि गृह, कैण्टीन, प्रशासनिक खण्ड, (खण्ड) सड़कें, हाता दीवार, नालियों तथा स्थल विकास जैसे कार्य अधूरे छोड़ दिये गये थे। यू.पी.आर.एन.एन. ने मार्च 1988 तक उनको किये गये 307.36 लाख रूपयों के भुगतान के समक्ष उनके द्वारा किये गये कार्य का कोई व्यय लेखा मार्च 1989 तक प्रस्तुत नहीं किया था।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को कार्यों हेतु सीमेण्ट के अधिग्रहण की व्यवस्था करनी थी। तथापि यह देखा गया कि जुलाई 1986 तक, यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा 2.04 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर 600 टन सीमेण्ट खुले बाजार से खरीदी गयी। जुलाई 1986 के बाद क्रय की गयी नान-लेवी सीमेण्ट और अन्य मिलों पर नान-लेवी सीमेण्ट के क्रय के विवरण कम्पनी द्वारा सूचित नहीं किये गये। खुले बाजार से सीमेण्ट खरीदने के कारण भी कम्पनी द्वारा सुनिश्चित नहीं किये गये।

2ख.7 परियोजनाओं का वित्त पोषण

2ख.7.1 पब्लिक इन्वेस्टमेण्ट बोर्ड ने 1:5:1 ऋण साम्य अनुपात (डेट इक्विटी रेशियो) के आधार पर प्रत्येक 50,000 तकलियों हेतु परियोजनाओं को निर्धारित कर दिया था, जो वित्तीय संस्थानों के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा बाद में दिसम्बर 1982 में बदल कर 1:1 कर दिया गया। 25,000 तकलियों के लिये परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित मिलों के वित्त पोषण तथा 31 मार्च 1988 तक प्राप्त किये गये वास्तविक वित्तपोषण के साधन निम्नवत् थे:-

परियोजना का नाम	अंशपूँजी		सावधि ऋण		उपदान		कुल वित्तपोषण	
	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार	वास्तविक	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार	वास्तविक	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार	वास्तविक	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार	वास्तविक
	(लाख रूपयों में)							
मेजा	510.00	554.00	514.00	459.00	4.00	17.75	1028.00	1030.75
बाँदा	525.00	525.00	425.00	420.00	30.00	27.65	980.00	972.65
बलिया	555.00	564.72	485.00	484.00	20.00	15.00	1060.00	1063.72
जौनपुर	630.00	712.80	530.00	527.00	30.00	25.00	1190.00	1266.80
योग	**2220.00**	**2356.52**	**1954.00**	**1892.00**	**84.00**	**85.40**	**4258.00**	**4333.92**

उपर्युक्त वित्त पोषण के समक्ष 31 मार्च 1988 तक किये गये वास्तविक व्यय के विवरण अधोलिखित हैं:-

		31 मार्च 1988 तक वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)
मेजा	-	884.97
बाँदा	-	881.81

	31 मार्च 1988 तक वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)
बलिया	1029.48
जौनपुर	1183.04
पूँजी आधार की अंशभूत कार्य चालन पूँजी हेतु सीमान्त धनराशि	253.77
यू.पी.एस.ई.बी. के पास प्रतिभूति जमा	6.85
मुख्यालय की अचल परिसम्पत्तियां	5.47
योग	4245.39

85.40 लाख रूपये के उपदान की धनराशि घटाने के बाद, परियोजनाओं पर कुल पूँजीगत व्यय 4159.09 लाख रूपये था तथा अनुमोदित साम्य (इक्विटी) सहभागिता के आधार पर साम्य (इक्विटी) एवं सावधि ऋण की प्रत्येक की धनराशि 2079.00 लाख रूपये होनी चाहिये थी। लेकिन कम्पनी ने ऋण इक्विटी अनुपात के ढांचे को 1:1 के समक्ष 0.80:1 में परिवर्तित इक्विटी 2,356.52 लाख रूपये की सीमा तक इक्विटी तथा 1892.00 लाख रूपये की सावधि ऋण सृजित कर लिया जिसके लिये राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। 4159.99 लाख रूपये की अपेक्षा के समक्ष कम्पनी ने 4258.52 लाख रूपये की सीमा तक वित्त पोषण प्राप्त किये और इस प्रकार पूँजीगत व्यय हेतु प्राप्त 88.53 लाख रूपये का सीमा तक निधियाँ कार्य चालन पूँजी के प्रति उपयोजित की गयी।

नियंत्रक कम्पनी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त अधिक इक्विटी प्राप्त करने के प्रमुख कारणों के विवरण

अधोलिखित हैं:-

(1) आई.एफ.सी.आई. के अनुसार (जनवरी 1983) मेजा की परियोजना लागत उनके द्वारा निर्धारित अन्य समरूप परियोजनाओं की तुलना में 90.80 लाख रूपये अधिक थी। अतएव आई.एफ.सी.आई. ने जनवरी 1983 में निर्णय लिया कि प्रायोजित लागत में अधिक प्रावधान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में वित्त पोषित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार आई.एफ.सी.आई. द्वारा अन्य मिलों परियोजना अनुमानों में अधिक प्रावधान इंगित किये गये थे जिनके विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

(2) आई.डी.बी.आई. के अनुसार (जनवरी 1987), जौनपुर इकाई में रंजक संयंत्र (डाइंग प्लाण्ट) की लागत (35 लाख रूपए) को शामिल करते हुए जिसका प्रावधान परियोजना प्रतिवेदन में नहीं किया गया था, लागत 100 लाख रूपये अधिक थी जो राज्य सरकार से इक्विटी में से पूरी की जानी चाहिए ।

2.ख 7.2 निधियों का अत्यधिक आहरण

31 मार्च 1988 तक हुए 4245.39 लाख रूपयों के कुल पूँजीगत व्यय के समक्ष कम्पनी ने इक्विटी (2356.52 लाख रूपए), सावधि ऋण (1892.00 लाख रूपए) तथा उपदान (85.40 लाख रूपए) के रूप में 4333.92 लाख रूपए प्राप्त किये।

इस सम्बंध में अधोलिखित बिन्दु दृष्टिगोचर हुए:-

(1) कम्पनी को मेजा इकाई हेतु 11 लाख रूपए तथा बांदा इकाई

हेतु 5 लाख रूपए के अत्यधिक ऋण स्वीकृत किए गए थे जो नवम्बर 1985 में प्रत्यर्पित कर दिये गये । वित्तीय संस्थानों ने इन धनराशियों पर एक प्रतिशत की दर से बचन बद्‌ता प्रभार प्रभारित किये जिनकी धनराशि 0.43 लाख रूपये आया ।

(2)1984-85 में ज़ौनपुर इकाई हेतु प्राप्त इक्विटी 83 लाख रूपये की सीमा तक मेजा इकाई के लिए कपास के क्रय हेतु उपयोजित की गयी ।

(3) कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं को सूचित व्यय वास्तविक व्यय से अधिक था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

	मार्च 1987 तक वास्त-व्यय	मार्च 1987में आइ.एफ.सी.आई.को सूचित पूजीगत व्यय	मार्च 1988तक वास्तविक व्यय (लाख रूपये में)	मार्च 1988 में आई.एफ.सी.आई. को सूचित पूँजीगत व्यय
मेजा	875.82	1018.50	884.97	1018.50
बाँदा	871.34	975.30	881.81	975.30
बलिया	994.84	1044.17	1029.44	1069.72
जौनपुर	1092.39	1253.82	1183.04	1292.94
कार्य चालान पूंजी हेतु सीमांत धनराशि	253.35	-	253.77	-
योग	**4088.16**	**4291.79**	**4233.03**	**4356.46**

इसी प्रकार बलिया और जौनपुर परियोजनाओं हेतु इक्विटी के विमोचन के लिये फरवरी 1987 में राज्य सरकार से निवेदन करते समय कम्पनी ने इंगित किया कि इन परियोजनाओं पर मार्च 1987 की समाप्ति तक 994.84 लाख रूपयों और 1092.39 लाख रूपयों के वास्तविक व्यय के समक्ष 1043.12 लाख रूपयों और 1169.30 लाख रूपयों का पूँजीगत व्यय जनवरी 1987 तक पहले ही किया जा चुका था।

इस प्रकार, अपेक्षाकृत अधिक सूचित करके कम्पनी वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा नियंत्रक कम्पनी से इक्विटी आवश्यकता से पर्याप्त पहले प्राप्त करने में सफल हो गयी।

2 ख.8 मशीनरी का क्रय

2 ख.8.1 आदेशों का सम्प्रेक्षण

राज्य सरकार (पी.आई.बी.) द्वारा परियोजना प्रतिवेदनों को निर्बाधता संकेत (क्लियरेंस) देने के पूर्व ही नियंत्रक कम्पनी ने खुली हुयी निविदायें आमन्त्रित करने के बजाय मार्च 1981 में कुछ मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं से सम्पर्क किया तथा मार्च 1981 में उनसे समझौते की बात-चीत की। मिलों की आवश्यकताओं के आधार पर नियन्त्रक कम्पनी के समन्वय समिति द्वारा मशीनरी के क्रय को जुलाई 1981 में अन्तिम रूप दिया गया तथा तकली बिन्दु तक प्रत्येक मिल के लिये 25,000 तकलियों की स्थापना हेतु सभी चारो मिलों के लिये मशीनरी हेतु अगस्त 1981 में चार फर्मों को निर्माण कार्यों तक रेल-भाड़ा मुक्त 1323.02 लाख रूपयों के, कर तथा

शुल्क अतिरिक्त, आदेश किये गये। दीर्घ परिदान अवधि तथा मूल्य में भावी वृद्धि का विचार करके दो फर्मों को आदेश के साथ 127.70 लाख रूपये के अग्रिम का भुगतान भी किया गया। तथापि यह देखा गया कि आदेश सुपुर्दगी की तिथि पर विद्यमान मूल्यों हेतु या मूल्यवृद्धि उपवाक्य के अनुसार मूल्यों हेतु जो भी कम हो बलिया और जौनपुर की आपूर्ति के सम्बन्ध में वास्तविक सुपुर्दगी जून 1985 तथा अप्रैल 1986 में अर्थात आदेश में अनुबन्धित 18 मास के समक्ष आदेश देने के 46 मास और 54 मास बाद प्रारम्भ हुई, और सितम्बर 1986 और मार्च 1987 तक पूरी की गयी। यह देखा गया कि आदेशों में समाविष्ट दीर्घकालीन परिदानों के अतिरिक्त जिसको ध्यान में रखकर आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान किया गया था। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से परिदानों को आस्थगित करने हेतु निवेदन किया था। यह निवेदन मुख्यतया इस लिये किया गया था, क्योंकि मशीनों को लगाने के लिये अपेक्षित अन्त: संरचना (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) तैयार नहीं थी।

इस प्रकार आवश्यकता तथा स्थल के चयन आदि से लगभग 46 से 54 माह पूर्व आदेशों के देने के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान निरूपित करने वाले 70.74 लाख रूपयों की सीमा तक निधियाँ लगभग 30 माह तक अवरूद्ध रही जिस पर कम्पनी ने 14 प्रतिशत की दर से ब्याज के प्रति 24.76 लाख रूपये गवां दिये।

2ख.8.2 मशीनरी का परिवहन

प्रबन्ध निदेशक ने फरवरी 1986 में जौनपुर इकाई के

लिये आपूर्तिकर्ताओं के निर्माण स्थल से मशीनरी उठाने के लिये परिवहन संविदा को अन्तिम रूप देने तथा भुगतान हेतु प्रतिमान नियत करने अर्थात् परिवहन में अन्तर्निहित मशीनरी के ट्रक भार प्रमात्रा के लिये एक समिति नियुक्ति की। फरवरी 1986 में समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अधोलिखित है:-

(1) एक ब्लो रूम लाइन के लिये 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले 11 ट्रक भार

(2) प्रत्येक 476 तकलियों के एक रिंग फ्रेम के लिये एक ट्रक भार

(3) 4 एच.पी. कार्डों के लिये 5 ट्रक भार

(4) 2 ड्रा फ्रेमों के लिये 1 ट्रक भार

(5) प्रत्येक स्पीट फ्रेम के लिये 3 ट्रक भार

निम्न सारणी उक्त मानकों के अनुसार मशीनरी के परिवहन हेतु अपेक्षित ट्रकों और ट्रकों की वास्तविक संख्या, जिनके लिये अन्य मिलों हेतु मशीनरी के परिवहन के लिये वस्तुत: भुगतान किया गया था, के विवरण प्रस्तुत करती है, इसके फलस्वरूप 1.32 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ :-

मशीनरी	परिवहन की गयी मशीनों की संख्या	परिवहन		ट्रकों की संख्या		भुगतान कियागया अधिक ट्रक भार	प्रति ट्रक दर (रूपये)	अतिभुगतान की धनराशि (रूपये)
		से	तक	अपेक्षित	भुगतान की गयी			
ब्लो रूम लाइन	2	बम्बई	मेजा	22	34	12	3771	45252
	2	बम्बई	बाँदा	22	36	14	3675	51450
रिग फ्रेम	52	बम्बई	बलिया	52	54	2	6043	12086
एच.पी.कार्ड	38	कलकत्ता	बाँदा	48	50	2	3214	6428
	39	कलकत्ता	बलिया	49	54	5	3400	17000
						योग		**132216**

प्रबन्धकों ने नवम्बर 1988 में कहा कि इस बात पर विचार नहीं किया गया कि ट्रकें पूरी लदी थीं या नहीं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सूचित ट्रकों के विवरणों के अनुसार भुगतान किये गये थे एवं प्रतिमानों की जाँच यू.यपीं.एस.टी.सी. तथा यू.पी.एस.एस.एम.। से की गयी थी। मई 1989 में आगेकहा गया किअपेक्षाकृत बड़े पैकेज आकार और किंचित भिन्न भिन्न समय में किये गये परिदान

(स्टैगर्ड डेलिवरी) के कारण अधिक संख्या में ट्रके प्रयुक्त की गयी थी क्योंकि मशीनें पैक की हुयी दशा में शीघ्र उपलब्ध नहीं थीं ।

यू.पी.एस.टी.सी. तथा यू.पी.एस.एस.एम. प्रथम के प्रतिमान उक्त तथ्य के सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अपेक्षाकृत बड़े पैकेज आकार तथा भिन्न-भिन्न समय में किये गये परिदान के कारण अपेक्षाकृत अधिक संख्या में ट्रक प्रयुक्त किये गये, यह उत्तर अभिलेखों द्वारा पुष्ट नहीं होता।

2ख.8.3 अर्थदण्ड का अभित्याग

अगस्त 1985 में दिये गये आदेश की शर्तों के अनुसार, मफतलाल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली को जौनपुर मिल को मार्च 1986 तक ग्यारह रिंग डबलिंग मशीनों की आपूर्ति करनी थी जिसमें असफल होने पर अधिकतम आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत तक 1/2 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय था। यद्यपि आपूर्तियाँ अगस्त 1986 तथा अप्रैल 1987 के मध्य सम्पन्न की गयी थी किन्तु 2.45 लाख रूपये का अर्थदण्ड वसूल नहीं किया गया। परिदान अवधि में वृद्धि हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन भी जिसने आदेश की शर्तें अनुमोदित की थी प्राप्त नहीं किया गया। इसी प्रकार फरवरी 1986 के एक आदेश के समक्ष मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को मार्च 1986 तक तीन स्पीड फ्रेम की आपूर्ति करनी अपेक्षित थी। यद्यपि फ्रेमों की सुपुर्दगी अगस्त 1986 में तथा दिसम्बर 1986 में की गयी किन्तु 1.83 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

प्रबन्धकों ने मई 1989 में कहा कि चूँकि मशीनों की विलम्बित सुपुर्दगी के कारण कम्पनी को कोई उत्पादन या अन्य हानि नहीं उठानी पड़ी, अतः अर्थदण्ड न लगाने का निर्णय लिया गया तथा मामला अभिपुष्टि हेतु समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

कम्पनी का उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि अर्थदण्ड विलम्बित परिदानों हेतु आरोपित किया जाता है जब कि निर्धारित क्षतिपूर्तियाँ (लिक्वीडेटेड डैमेजेज) विलम्बित आपूर्तियों द्वारा हुयी परिणामी हानियों हेतु आरोपित की जाती हैं ।

2 ख.8.4 आर्द्रीकरण संयंत्र (ह्यूमीडिफिकेशन प्लाण्ट्स)

जैसा कि निम्नांकित विवरणों से प्रतीत होगा सभी मिलों में आर्द्रीकरण संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के काफी बाद में चालू किये गये थे ।

मिल	मास जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ	मास जिसमें आर्द्रीकरण संयंत्र चालू किया गया	अभ्युक्तियां
मेजा	फरवरी 1984	मार्च 1985	दिसम्बर 1982 में प्रदत्त कार्य सितम्बर 1983 तक पूर्ण होना था।
बाँदा	अप्रैल 1984	जनवरी 1985	तदैव
बलिया	जुलाई 1986	जुलाई 1987	अगस्त 1985 में प्रदत्त कार्य जुलाई 1987 तक पूर्ण होना था ।

मिल	मास जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ	मास जिसमें आर्द्रीकरण संयंत्र चालू किया गया	अभ्युक्तियां
जौनपुर	अप्रैल 1987	अगस्त 1988	मार्च 1985 में प्रदत्त कार्य दिसम्बर 1987 तक पूर्ण होना था

जैसा कि कम्पनी द्वारा अक्टूबर 1988 में संवीक्षा की गयी थी यद्यपि उत्पादित सूत की गुणवत्ता में सर्वतोमुखी गिरावट थी, तथापि न तो कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया और न ही आर्द्रीकरण संयंत्र के बिना मिलों के परिचालन में हुयी हानियां आंकी गयी। प्रबन्धकों ने मई 1989 में कहा कि आर्द्रीकरण प्रणाली के संस्थापन में विलम्ब यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा सिविल कार्यों को विलम्ब से पूरा करने के कारण था।

2ख.9 क्षमता उपयोग

मिलों में वाणिज्यिक उत्पादन अधोलिखित तिथियों से प्रारम्भ हुआ:-

मिलों का नाम	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि
मेजा	1 फरवरी 1984
बाँदा	1 अप्रैल 1984
बलिया	31 जुलाई 1986
जौनपुर	1 अप्रैल 1987

1987-88 तक 4 वर्षों के दौरान संस्थापित तकलियों की संख्या, उपलब्ध तकली तथा कार्य की गयी पारियाँ तथा क्षमता उपयोग के मिल वार विवरण एवं प्रबन्धकों द्वारा विश्लेषित क्षमता के कम उपयोग के कारण भी नीचे दर्शित किये जाते हैं:-

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
मेजा मिल				
संस्थापित तकलियां (लाखों में)	0.24	0.25	0.25	0.25
उपलब्ध तकली पालियां (लाखों में)	251.38	268.69	267.94	269.45
कार्य की गयी तकली पालिया (लाखों में)	189.57	249.31	247.03	242.50
तकलियों का उपयोग (प्रतिशत)	74.8	92.8	92.2	90.00
बाँदा मिल				
संस्थापित तकलियां (लाखों में)	0.22	0.25	0.25	0.25
उपलब्ध तकली पालियां (लाखों में)	238.32	267.94	268.69	269.45
कार्य की गयी तकली पालिया (लाखों में)	195.22	235.92	212.93	240.89
तकलियों का उपयोग (प्रतिशत)	81.9	88	79.2	89.4

बलिया मिल

संस्थापित तकलियाँ (लाखों में)	–	–	0.23	0.25
उपलब्ध तकली पालियां (लाखों में)	–	–	169.19	263.22
कार्य की गयी तकली पालिया (लाखों में)	–	–	122.26	219.93
तकलियों का उपयोग (प्रतिशत)	–	–	76.3	83.1

जौनपुर मिल

संस्थापित तकलियाँ (लाखों में)	–	–	–	0.24
उपलब्ध तकली पालियाँ (लाखों में)	–	–	–	247.70
कार्य की गयी तकली पालियां (लाखों में)	–	–	–	173.13
तकलियों का उपयोग (प्रतिशत)	–	–	–	69.9

क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण

मेजा	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	(प्रतिशतता)			
अनुरक्षण	4.08	4.50	4.68	5.50
श्रम संकट	–	0.02	–	–

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
श्रमिकों की कमी	8.70	0.68	0.51	0.69
विद्युत की कमी	4.03	0.86	1.27	1.84
अन्य कारण	8.38	1.06	1.35	1.97
बाँदा				
अनुरक्षण	4.32	3.54	4.14	5.02
श्रम संकट	-	4.15	4.81	-
श्रमिकों की कमी	2.57	1.71	6.23	0.18
विद्युत की कमी	3.21	1.75	4.05	2.79
अन्य कारण	7.99	0.80	1.52	2.61
बलिया				
अनुरक्षण	-	-	4.42	4.95
श्रम संकट	-	-	-	7.39
श्रमिकों की कमी	-	-	2.87	1.39
विद्युत की कमी	-	-	11.67	1.80
अन्य कारण	-	-	4.72	0.92
जौनपुर				
अनुरक्षण	-	-	-	3.91
श्रम संकट	-	-	-	0.14
श्रमिकों की कमी	-	-	-	12.17
विद्युत की कमी	-	-	-	9.00
अन्य कारण	-	-	-	4.89

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:-

(1) मेजा और बाँदा मिलों के विषय में परियोजना प्रतिवेदन में संकल्पित क्रमशः 93 एवं 90 प्रतिशत का क्षमता उपयोग मिलों द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया गया ।

(2) मेजा में 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान एवं बांदा में 1986-87 के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट का कारण विद्युत की कमी थी । यद्यपि दोनों मिलों को डीजल जेनेरेटर प्रदान किये गये थे तथापि विद्युत की कमी के कारण, कम उपयोग मेजा के मामले में 0.86 से 4.03 प्रतिशत तथा बांदा के मामले में 1.75 से 4.05 प्रतिशत के मध्य रहा ।

2ख.9.2 उत्पादन निष्पादन

जौनपुर मिल को छोड़कर जहां संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) धागे का भी उत्पादन होता है विविध काउण्ट का सूती धागा मिलों का एक मात्र उत्पादन है। अधोलिखित सारणी 1987-88 तक चार वर्षों के दौरान मिलवार प्रायोजित तथा वास्तविक उत्पादन सूचित करती है:-

	मेजा	बांदा	बलिया	जौनपुर
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता के साथ लाख कि.ग्रा. में)			
1984-85				
प्रायोजित	27.25	26.11	-	-
वास्तविक	24.17	22.82	-	-
उपलब्ध की प्रतिशतता	(99.0)	(87.4)	-	-

	मेजा	बाँदा	बलिया	जौनपुर
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता के साथ लाख कि.ग्रा.में)			
1985-86				
प्रायोजित	35.27	36.40	-	-
वास्तविक	35.95	32.00	-	-
उपलब्धि की प्रतिशतता	(102.0)	(88.0)	-	-
1986-87				
प्रायोजित	41.00	41.04	16.89	-
वास्तविक	41.52	33.97	17.92	-
उपलब्धि की प्रतिशतता	(101.3)	(82.8)	(106.1)	-
1987-88				
प्रायोजित	41.00	41.04	35.25	26.90
वास्तविक	35.66	33.38	31.59	22.22
उपलब्धि की प्रतिशतता	(87.0)	(81.3)	(89.6)	(82.6)

बाँदा मिल में किसी भी वर्ष में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता तथा मेजा मिल में 1984-85 तथा 1987-88 के दौरान उत्पादन में गिरावट के लिये प्रबन्धकों ने अक्टूबर 1988 में प्रायोजित की अपेक्षा अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर काउण्टों की कताई को कारण बताया। यह भी बताया गया कि वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान बांदा में अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर काउण्ट उत्पादित किये गये थे क्योंकि इन वर्षों के दौरान उनकी लाभदायकता अपेक्षाकृत निम्न काउण्ट की लाभदायकता की तुलना में अधिक पायी गयी थी। फिर भी सत्यापन करने पर यह देखा गया

कि कम्पनी का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि सभी काउण्टों (38 उत्पादित काउण्टों में से 3 निम्नतर काउण्टों को छोड़कर) के विषय में उत्पादन की लागत विक्रय मूल्य की अपेक्षा अधिक थी ।

2ख.9.3 सूत प्राप्ति

1987-88 तक चार वर्षों के दौरान मिलवार कपास की खपत की प्राप्ति तथा छीजनों (दृश्य तथा अदृश्य) के विवरण निम्नवत् हैं:-

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता सहित लाख कि.ग्रा. में)			
मैना				
उपभुक्त निवल कपास	29.21	41.86	48.38	42.01
प्राप्त सूत	24.17	35.95	41.52	35.66
काता गया औसत काउण्ट	21.90	22.43	20.80	22.70
(अ) दृश्य छीजन	4.71	5.60	6.41	6.08
(ब) अदृश्य छीजन	0.33	0.31	0.45	0.27
उपभुक्त निवल कपास से प्रतिशतता				
(अ) प्राप्त सूत	(82.77)	(85.89)	(85.82)	(84.88)
(ब) दृश्य छीजन	(16.12)	(13.38)	(13.38)	(14.47)
(स) अदृश्य छीजन	(1.11)	(0.73)	(0.93)	(0.65)
बाँदा				
उपयुक्त निवल कपास	27.77	37.49	39.73	39.42
प्राप्त सूत	22.82	32.00	33.97	33.38

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता सहित लाख कि.ग्रा. में)			
काता गया औसत काउण्ट	22.38	23.05	21.39	24.20
(अ) दृश्य छीजन	4.04	5.08	5.23	5.77
(ब) अदृश्य छीजन	0.91	0.41	0.53	0.27
उपभुक्त निवल कपास से प्रतिशतता				
(अ) प्राप्त सूत	(82.18)	(85.34)	(85.50)	(84.69)
(ब) दृश्य छीजन	(14.55)	(13.56)	(13.16)	(14.63)
(स) अदृश्य छीजन	(3.27)	(1.10)	(1.34)	(0.68)
बलिया				
उपभुक्त निवल कपास	–	–	20.92	36.98
प्राप्त सूत	–	–	17.92	31.59
काता गया औसत काउण्ट	–	–	20.95	23.43
छीजन				
(अ) दृश्य	–	–	3.83	5.24
(ब) अदृश्य	–	–	0.17	0.24
उपभुक्त निवल कपास से प्रतिशतता				
(अ) प्राप्त सूत	–	–	(85.66)	(85.85)
(ब) दृश्य छीजन	–	–	(13.53)	(13.88)
(स) अदृश्य छीजन	–	–	(0.81)	(0.67)
जौनपुर				
उपभुक्त निवल कपास	–	–	–	25.58
प्राप्त सूत	–	–	–	22.22

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-8.
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता सहित लाख कि.ग्रा.में)			
काता गया औसत काउण्ट	–	–	–	26.96
छीजन				
(अ) दृश्य	–	–	–	3.17
(ब) अदृश्य	–	–	–	0.19
उपभुक्त निवल कपास से प्रतिशतता				
(अ) प्राप्त सूत	–	–	–	(86.88)
(ब) दृश्य छीजन	–	–	–	(12.39)
(स) अदृश्य छीजन	–	–	–	(0.73)

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:-.

(1) वर्ष 1987-88 में प्राप्त की प्रतिशतता बांदा और मेजा मिलों में घट गयी थी यद्यपि काता औसत काउण्ट उस वर्ष के दौरान उच्चतर था। 1985-86 एवं 1986-87 में औसत सूत प्राप्ति लेने पर वर्ष 1987-88 के दौरान उत्पादन की हानि की धनराशि मेजा में 11.47 लाख रूपये (0.41 लाख किलोग्राम) और बांदा में 8.11 लाख रूपये (0.29 लाख किलोग्राम) थी। प्रबन्धकों ने अक्टूबर 1988 में कहा कि सूत प्राप्ति में कमी, कपास के घटिया गुणत्व के कारण थी। फिर भी, घटिया गुणत्व वाली कपास की अधि प्राप्ति से सम्बन्धित मामले का अन्वेषण नहीं किया गया।

(2) मिलों में प्राप्त सूत की प्रतिशतता 82.18 (बाँदा 1983-84) तथा 86.88 ([illegible]पुर 1987-88) के प्रक्षेत्र में रही।

यद्यपि कम्पनी ने सभी मिलों के लिये केन्द्रीय रूप से एक ही प्रकार की कपास क्रय की थी और उनकी जरूरतों के अनुसार उसका वितरण किया गया था फिर भी सूत प्राप्ति में विस्तृत विभिन्नता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

(3) कम्पनी ने अदृश्य छीजन हेतु कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किया था । साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन (सिटरा) द्वारा निर्धारित 0.5 प्रतिशत की अदृश्य छीजन के समक्ष अदृश्य छीजन की वास्तविक प्रतिशतता 0.65 (मेजा 1987-88) और 3.27 (बाँदा 1983-84) के प्रक्षेत्र में रही । 1987-88 तक चार वर्षों के दौरान 0.5 प्रतिशत से अतिरिक्त अदृश्य छीजन के कारण हानि की धनराशि 34.80 लाख रुपये (लगभग) थी।

2ख.9.4 विक्रय लागत तथा विक्रय प्राप्ति

विक्रीत सूत की मात्रा, विक्रय प्राप्ति, विक्रय लागत तथा विक्रय की लागत पर सीमान्त 1987-88 तक 4 वर्षों के दौरान मिलवार तथा वर्ष वार विवरण नीचे इंगित किये जाते हैं:-

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
मेजा				
विक्रीत सूत (लाख कि.ग्रा. में)	23.23	34.78	41.32	35.95
विक्रय लागत (लाख रूपयों में)	784.65	899.89	846.77	1088.73
विक्रय प्राप्ति (लाख रूपयों में)	578.96	781.23	758.03	945.67
हानि (लाख रूपयों में)	205.69	118.66	88.74	143.06

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
प्रति किलोग्राम विक्रीत सूत पर हानि (रूपये)	8.85	3.41	2.15	3.98
बाँदा				
विक्रीत सूत (लाख कि.ग्रा.में)	20.62	31.92	32.58	34.54
विक्रय लागत (लाख रूपयों में)	732.83	864.12	738.95	1042.65
विक्रय प्राप्ति (लाख रूपयों में)	516.04	734.78	606.66	896.27
हानि (लाख रूपयों में)	216.79	129.34	132.29	146.38
प्रति किलोग्राम विक्रीत सूत पर हानि (रूपये)	10.51	4.05	4.06	4.24
बलिया				
बिक्रीत सूत (लाख कि.ग्रा. में)	–	–	14.26	32.77
विक्रय लागत (लाख रूपयों में)	–	–	407.19	1215.88
विक्रय प्राप्ति (लाख रूपयों में)	–	–	267.64	825.60
हानि (लाख रूपयों में)	–	–	139.55	390.28
प्रति किलोग्राम विक्रीत सूत पर हानि (रूपये)	–	–	9.79	11.91

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
जौनपुर				
विक्रीत सूत (लाख कि.ग्रा.में)	-	-	-	21.11
विक्रय लागत (लाख रूपये में)	-	-	-	977.30
विक्रय प्राप्तियाँ (लाख रूपयों में)	-	-	-	688.16
हानि (लाख रूपयों में)	-	-	-	289.14
प्रति कि.ग्रा. विक्रीत सूत पर हानि (रूपये)	-	-	-	13.70

उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट होगा कि किसी भी वर्ष किसी मिल में विक्रय प्राप्तियां, विक्रय लागत को आच्छादित करने में पर्याप्त नहीं थीं और प्रति किलो विक्रीत सूत पर हानि 2.15 लाख रूपये (मेजा 1986-87 में) और 13.70 लाख रूपये (जौनपुर 1987-88 में) के प्रक्षेत्र में रही ।

2ख.10 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2ख.10.1 1987-88 तक पांच वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति विस्तार से नीचे दी जाती है :-

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	(करोड़	रूपयों	में)		
1	2	3	4	5	6
क. दायित्व					
प्रदत्त पूँजी (अंश पूँजी-के समक्ष अग्रिम सहित)	10.18	13.88	19.88	22.64	23.57

1	2	3	4	5	6
आरक्षित निधि एवं अधिशेष					
पूँजी आरक्षण	-	0.21	0.30	0.43	0.85
निवेश भत्ता आरक्षण	0.85	2.27	2.28	3.56	4.53
अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षण	0.34	0.91	0.91	0.91	0.91
ऋण					
वित्तीय संस्थानों से	7.45	8.74	14.29	18.25	17.06
बैंकों से	0.04	0.65	1.13	2.98	3.69
चालू दायित्व एवं प्रावधान	1.18	3.38	2.07	3.82	7.67
योग क.	**20.04**	**30.04**	**40.86**	**52.59**	**58.28**
ख. परिसम्पत्तियाँ					
ग्रास ब्लाक	6.11	17.38	17.52	26.96	39.61
घटाइये मूल्यह्रास	0.96	4.44	6.99	10.97	18.27
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	5.15	12.94	10.53	15.99	21.34
प्रगतिगत/पूंजीगत कार्य	10.05	2.06	11.36	11.45	0.30
चालू परिसम्पत्तियाँ					
ऋण एवं अग्रिम					
भण्डार सूचियाँ	1.59	5.29	3.40	5.97	9.32
विविध देनदार	0.10	0.60	0.43	1.39	0.65
रोकड़ एवं बैंक अधिशेष	0.66	0.19	3.19	0.37	0.07
ऋण एवं अग्रिम	0.30	0.29	0.49	0.67	0.67

1	2	3	4	5	6
प्रारम्भिक व्यय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
संचित हानि	2.17	8.65	11.45	16.74	25.92
योग ख.	20.04	30.04	40.86	52.59	58.28
ग. नियोजित पूँजी	6.62	15.93	15.97	20.57	24.38
घ. निवल मूल्य	9.18	8.60	11.91	10.79	3.93

2 ख.10.2 1987-88 तक पाँच वर्षों हेतु कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित हैं:-

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
		(लाख	रूपयों	में	)
1	2	3	4	5	6
क. व्यय					
माल की खपत	110.71	1044.61	1216.06	1291.70	2787.06
कार्मिक-व्यय	9.87	124.09	180.39	250.39	418.23
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1.32	24.18	26.91	34.99	69.35
विक्रय व्यय	0.56	14.28	15.10	19.69	44.61
पूर्व परि-चालन व्यय को अन्तरित परीक्षण अवधि के दौरान अंशदान	13.10	-	-	-	-

ब्याज तथा बचनबद्धता प्रभार	8.13	122.28	127.75	170.52	311.23
मूल्य ह्रास	94.16	344.96	255.03	397.32	722.16
प्रावधान तथा बट्टे खाते डालना	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
योग(क)	**238.08**	**1674.63**	**1821.47**	**2164.84**	**4352.87**
(ख) आय					
विक्रय	93.07	1106.89	1534.55	1650.38	3375.36
जोड़िये अंतिम रहतिया	45.90	146.80	141.86	256.66	423.12
योग	138.97	1253.69	1676.41	1907.04	3798.48
घटाइये प्रारम्भिक रहतिया	–	45.90	146.80	155.12	288.72
उत्पादन का मूल्य	138.97	1207.79	1529.61	1751.92	3509.76
अन्य आय	1.56	20.27	12.04	19.42	32.19
योग(ख)	**140.53**	**1228.06**	**1541.65**	**1771.34**	**3541.95**
(ग) कार्य चालान हानि	97.55	446.57	279.82	393.50	810.92

1	2	3	4	5	6
(ग)निवेश भत्ता आरक्षण	118.66	199.28	0.26	128.32	97.00
(ग) पूर्वा- वधि समायोजन	0.04	1.97	0.03	7.63	9.58
(घ)निबल हानि	216.25	647.82	280.05	529.45	917.50

कम्पनी प्रारम्भ से ही हानि उठा रही थी और 31 मार्च, 1988 को संचित हानि की धनराशि उस तिथि को 23.57 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूँजी के समक्ष 25.92 करोड़ रूपये थी। उत्पादन का मूल्य किसी भी वर्ष में निर्माण वाणिज्यिक एवं अन्य व्ययों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

ऐसी भारी हानियों के कारणों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया कि प्रति इकाई (किलोग्राम) उत्पादन की लागत, प्रति इकाई सूत के विक्रय मूल्य की तुलना में उच्चतर था, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	(रूपये प्रति किलोग्राम)				
(क) आय					
सूत का मूल्य	22.31	24.97	22.74	18.64	27.98

अन्य आय	0.29	0.43	0.18	0.19	0.29
योग क.	**22.60**	**25.40**	**22.92**	**18.83**	**28.27**
ख. लागत					
स्वच्छ कपास का मूल्य	15.59	19.14	15.28	11.45	19.01
अन्य लागत एवं मजदूरी एवं वेतन	1.85	2.64	2.65	2.51	3.40
विद्युत	1.85	1.81	1.73	1.86	1.99
ब्याज	1.52	2.60	1.88	1.71	2.53
मूल्यह्रास	17.63	7.34	3.75	3.99	5.87
अन्य व्यय	3.25	2.48	1.35	1.15	2.06
योग ख.	**41.69**	**36.01**	**26.64**	**22.67**	**34.86**
ग. सीमान्त	**-19.09**	**-10.61**	**-3.72**	**-3.84**	**-6.59**

उत्पादन की उच्चतर लागत मुख्यतया निम्न के कारण थी:-

(अ) कपास के मूल्य में वृद्धि

(ब) कर्मचारियों के मजदूरी और वेतन में वृद्धि

(स) मुख्यालय के व्यय में असामान्य वृद्धि जिसमें मिलों ने हिस्सा लिया

(द) विक्रय व्ययों में वृद्धि

(य) परियोजना की वृद्धिगत लागत के कारण ब्याज में वृद्धि

प्रबन्धकों ने मई 1989 में बताया कि कपास का मूल्य कपास के उत्पादन पर निर्भर करता है एवं वेतन तथा मजदूरी में

वृद्धि सरकार द्वारा घोषित मूल्य सूचकांक पर निर्भर है। जिस पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यालय के व्यय में वृद्धि कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण थी एवं विक्रय व्ययों में वृद्धि स्टाक को परिसमाप्त करने के लिये नकद छूट योजना के लागू करने के कारण थी ।

2ख.11 अन्य रोचक विषय

2ख.11.1 निम्न विद्युत कारक (लो पावर फैक्टर) अधिभार का भुगतान

नवम्बर 1982 से प्रभावी विद्युत दरों (इलेक्ट्रीसिटी टैरिफ) के अनुसार, 75 के.डब्ल्यू. से अधिक भार वाले प्रत्येक बड़े एवं भार विद्युत उपभोक्ता के लिये कैपासिटर संस्थापित करना तथा 0.85 पर विद्युत कारक बनाये रखना अपेक्षित था। यदि किसी माह में विद्युत कारक 0.85 से कम पाया गया तो परिषद द्वारा 0.85 से नीचे 0.80 तक विद्युत कारक में प्रत्येक 0.01 गिरावट के लिये बिल की धनराशि के एक प्रतिशत तथा 0.80 से नीचे प्रत्येक 0.01 गिरावट के लिये 2 प्रतिशत से अधिभार आरोपणीय था ।

मेजा मिल (1700 के.वी.ए. भार) के विषय में परिषद द्वारा सृजित ऊर्जा बिलों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने नवम्बर 1983 से अक्टूबर 1984 के दौरान 6.09 लाख रूपये के निम्न विद्युत कारक अधिभार का भुगतान किया था क्योंकि विद्युत कारक 0.50 से 0.83 तक के प्रक्षेत्र में था। यद्यपि कम्पनी द्वारा संस्थापित विद्युत कारक मीटर उक्त अवधि के दौरान विद्युत कारक 0.90 के आस-पास दर्शाता रहा था तथा प्रबन्धकों के अनुसार

(अक्टूबर 1988) परिषद द्वारा संस्थापित मीटर दोषपूर्ण था और बाद में बदलवा दिया गया था फिर भी कम्पनी ने परिषद को भुगतान किये गये निम्न विद्युत कारक अधिभार की वापसी का अभी तक (मई 1989) दावा प्रस्तुत नहीं किया ।

2ख.11.2 विद्युत संस्थापन

मेजा और बाँदा मिलों में एच.टी.संस्थापन प्रणाली के रूपांकन, आपूर्ति संस्थापन तथा चालू करने हेतु मुहर बन्द निविदायें अक्टूबर 1982 में आमन्त्रित की गयीं और खोली गयीं। कम्पनी ने फर्मों द्वारा उद्धत दरों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिये अनुमान तैयार नहीं किये। सात फर्मों ने अपनी दरें अद्धृत की थीं और छः फर्मों (एक फर्म ने समझौतों में भाग नहीं लिया) के साथ समझौतों (10 से 12 जनवरी 1983) के बाद ट्रान्सलेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा उद्धृत प्रत्येक मिल के लिये 16.48 लाख रूपये की निम्नतम दर इस आधार पर स्वीकृत नहीं की गयी कि फर्म ने निविदा विशिष्ट (स्पेसिफिकेशन) में विनिर्दिष्ट ट्रान्सफार्मरों के बजाय स्व निर्मित ट्रान्सफार्मर निवेदित किया था और उन्होने अभी तक 1000 के.वी.ए. रेटिंग के ट्रान्सफार्मर का निर्माण नहीं किया था। अतः जेनलेक लिमिटेड नई दिल्ली का 18.34 लाख रुपये का द्वितीय निम्नतम निवेदन स्वीकार कर लिया गया एवं तदनुसार जनवरी 1983 में फर्म को आदेश भेज दिया गया, यद्यपि फर्म ने आई.टी.एल. निर्माण (मेक) ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति करने हेतु निवेदन किया था जो निविदा प्रलेखों में विनिर्दिष्ट भी नहीं था।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निम्नतम निविदादाता ने समझौता के दौरान (11 जनवरी 1983) को सूचित किया था कि उन्होंने कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडिमिनिस्ट्रेसन सहित विभिन्न विभागों को 1000 के.वी.ए. ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति की थी। अभिलेखों में यह दिखाने के लिये कुछ भी नहीं था कि क्या निविदादाता का दावा सत्यापित किया गया था। इस प्रकार तथ्यों का सत्यापन किये बिना निम्नतम निवेदन को इस आधार पर उपेक्षित करना कि उन्होंने 1000 के.वी.ए. ट्रान्सफार्मरों का निर्माण नहीं किया था, उचित नहीं था। इसके फलस्वरूप 3.72 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

2ख.11.3 दमकल नल (फायर हाइड्रेण्ट) प्रणाली

बाँदा में दमकल नल प्रणाली के अभिकल्प आपूर्ति संस्थापन एवं चालू करनें का कार्य 4.30 लाख रूपये पर नवम्बर 1982 में इण्डस्ट्रियल फायर इंजीनियर्स नई दिल्ली को प्रदान किया गया। कार्य अक्टूबर 1983 तक पूर्ण होना था । अनुबन्ध कम्पनी द्वारा जून 1984 में निर्धारित क्षति पूर्तियाँ आरोपित करने की शर्त के साथ भँग कर दिया गया क्योंकि फर्म द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। फर्म ने 0.81 लाख रूपये के समक्ष 0.79 लाख रूपये की सामग्री की आपूर्ति की थी ।

बाद में यह कार्य जून 1985 में एस.डी.एण्ड कम्पनी कानपुर को 4.45 लाख रूपये हेतु निविदाओं के आधार पर प्रदान किया गया और कम्पंनी के पास 0.79 लाख रूपये की पड़ी हुयी

सामग्री भी निःशुल्क प्रदान की गयी। इस प्रकार कार्य की कुल लागत 5.24 लाख रूपये हो गयी। कार्य पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर 1985 नियत की गयी थी जिसके समक्ष कार्य सितम्बर 1986 में पूर्ण किया गया। प्रथम पार्टी द्वारा कार्य पूरा न करने के कारण कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानि 0.94 लाख रूपये आयी। कम्पनी ने मई 1983 से जनवरी 1986 की अवधि के लिये बीमा प्रीमियम पर छूट के प्रति जो कार्य को पूरा करने में विलम्ब के कारण बीमा कम्पनी से प्राप्त नहीं की जा सकी 0.68 लाख रूपये सहित निर्धारित क्षतिपूर्तियों के कारण इण्डस्ट्रियल फायर इंजीनियर्स नई दिल्ली से 1.19 लाख रूपये की धनराशि की वसूली हेतु सिविल जज कानपुर के न्यायालय में एक याचिका दायर की (1986) जो अनिर्णित थी (मई 1989)।

(2) बलिया और जौनपुर मिलों में कार्य प्रत्येक 5.25 लाख रूपयों पर जून 1985 में एस.डी.एण्ड कम्पनी कानपुर को प्रदान किया गया। कार्य जनवरी 1986 तक पूर्ण होना था जब कि कार्य मार्च 1988 में पूर्ण हुआ। बीमा प्रीमियम में छूट जो दमकल नल प्रणाली के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी, प्रबन्धकों द्वारा सूचित नहीं की गयी। मार्च 1988 में कार्य पूर्ण होने के बाद भी मिलों द्वारा बीमा प्रीमियम में छूट प्राप्त नहीं की जा रही थी, क्योंकि दिल्ली रीजन कौन्सिल द्वारा कार्य का अभी तक (मई 1989) निरीक्षण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त प्रकरण सरकार को फरवरी 1990 में प्रतिवेदित किये गये थे। उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990)।

अनुच्छेद 2ग

चीनी उद्योग निगम

नन्दगंज-सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड

मुख्य बातें

अप्रैल 1975 में निगमित, नन्दगंज - सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड, नन्दगंज (गाजीपुर जनपद) तथा दरियापुर (रायबरेली जनपद) स्थित दो चीनी फैक्टरियों का प्रबन्ध करती है । नन्दगंज फैक्टरी के सम्बन्ध में, वित्त की व्यवस्था करने में विलम्ब के कारण संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति समय से प्रारम्भ नहीं की जा सकी । अतः कम्पनी को मूल्यों में वृद्धि के प्रति आपूर्तिकर्ता को 21 लाख रूपये का भुगतान करना पड़ा। चालू होने की निर्धारित तिथि से लगभग 10 मार्च के विलम्ब के बाद नवम्बर 1978 में संसंत्र संस्थापित किया गया । यद्यपि आपूर्तिकर्ता संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादन गारण्टी देने में असफल रहे और संयंत्र तथा मशीनरी में बहुत से दोष रह गये थे, फिर

भी 16.40 लाख रूपयों की बैंक गारण्टी को व्यय गत (लैप्स) हो जाने दिया गया।

प्रतिदिन गन्ने की 1250 टन की संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक चीनी फैक्टरी 150 दिवस कार्य करके प्रत्येक वर्ष 18.75 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर सकती थी। फिर भी 1987-88 तक 5 वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग नन्दगंज के मामले में 15 और 42 प्रतिशत के बीच तथा दरियागंज के मामले में 33 और 63 प्रतिशत की बीच था। क्षमता उपयोग का 85 प्रतिशत (नियंत्रण कम्पनी द्वारा प्रत्याशित) भी प्राप्त करने में असफलता के फलस्वरूप 1987-88 तक 5 वर्षों के दौरान 34.36 करोड़ रूपये मूल्य की चीनी की उत्पादन हानि हुयी। यद्यपि कम्पनी द्वारा 1975-76 से 1986-87 की अवधि के दौरान गन्ना विकास पर 159.69 लाख रूपयों की धनराशि व्यय की गयी थी, क्षमताओं का कम उपयोग मुख्यतया गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण था। और भी, नन्दगंज में फैक्टरी के लिये चुना गया स्थान जो 10 किलोमीटर की परिधि में ऊसर भूमि से घिरा हुआ था और गन्ने की खेती के लिये अनुपयुक्त था और परिवहन सुविधायें भी उपलब्ध नहीं थीं आदर्श नहीं माना जा सकता। गन्ना आयुक्त / सरकार भी विद्यमान फैक्टरियों की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग हेतु गन्ने की उपलब्धता पर पर्याप्त रूप से विचार किये बिना नयी चीनी फैक्टरियों की स्थापना की अनुमति दे रही थी।

इसके परिणाम स्वरूप 1984-85 में दो नई फैक्टरियां स्थापित की गयीं और गन्ना आयुक्त ने कम्पनी की फैक्टरियों को

आवंटित गन्ना क्षेत्र में कमी कर दी । इन दो कारकों ने अपेक्षित सीमा तक गन्ने की अनुपलब्धता में बहुत सहयोग दिया ।

1983-84 से 1987-88 के दौरान जब कि दरियापुर फैक्टरी के मामले में गौण उत्पादनों में चीनी का चले जाना सीमा के अन्दर था, नन्दगंज फैक्टरी में (गौण उत्पादनों में चीनी के) अत्यधिक चले जाने के कारण 55.91 लाख रूपये मूल्य की चीनी की हानि हुयी ।

1982-83 से 1987-88 के दौरान चीनी की बिक्रियों की लागत बिक्रियों की तुलना में परिवहन प्रभारों (389.80 लाख रूपये) के कारण अधिक थी जो गन्ना उत्पादकों से वसूल किये गये (36.06 लाख रूपये) की अपेक्षा बहुत अधिक थे ।

चीनी उद्योग जाँच कमीशन प्रतिवेदन (1974) के अनुसार, खोई के अनुसार ईंधन की आवश्यकता पेरे गये गन्ने का 26 से 28 प्रतिशत होनी चाहिये। 1982-83 से 1987-88 के दौरान जब कि खोई का उपभोग पेरे गये गन्ने का 31.75 से 45.21 प्रतिशत के बीच रहा, फैकटरियों द्वारा 26.94 लाख रूपये मूल्य के अतिरिक्त ईंधन का प्रयोग किया गया।

सितम्बर 1982 से दिसम्बर 1984 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने चीनी कम्पनियों से चीनी का प्रतिरोधक (बफर) स्टाक बनाये रखने के लिये कहा और इस स्टाक को बनाये रखने में किया गया व्यय उनको उपदान के रूप में वापस दिया जाना था । नन्दगंज फैक्टरी द्वारा कुल मिलाकर3.30 लाख रूपयों के त्रैमासिक

प्रतिरोधक स्टाक उपदान के दावे प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष के विलम्ब के फलस्वरूप नगद साख (कैश क्रेडिट) पर भुगतान किये गये ब्याज के रूप में 1.20 लाख रूपये की हानि हुयी।

दरियापुर फैक्टरी का 1.15 लाख रूपयों की धनराशि का प्रतिरोधक स्टाक उपदान का दावा भारत सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि फैक्टरी ने चीनी की अपेक्षित श्रेणी का रख-रखाव नहीं किया ।

कम्पनी प्रारम्भ से ही हानियां उठाती रही और 30 जून 1987 को संचित हानियां 28.28 करोड़ रूपये थीं जो प्रदत्त पूँजी (17.20 करोड़ रूपये) का 164.42 प्रतिशत निरूपित करती हैं। प्रति वर्ष भारी नगद हानियां उठाकर यह गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करती रही ।

नन्दगंज फैक्टरी के लिये 1976 में 4.77 लाख रूपयों में निर्मित रेल-पथिका (रेलवे साइडिंग) का उपयोग कभी नहीं किया गया और यह दिसम्बर 1980 में रेलवे द्वारा बन्द कर दी गयी घोषित कर दी गयी । कम्पनी को इस पथिका हेतु 1.88 लाख रूपयों के अनुरक्षण प्रभार का भी भुगतान करना पड़ा ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को 1976 में दिया गया चीनी गोदाम के निर्माण का कार्य जनवरी 1979 में रोक दिया गया क्योंकि कम्पनी 3.50 लाख रूपयों का अग्रिम भुगतान करने में असफल रही । अतः शेष कार्य 5.07 लाख

रूपयों की अतिरिक्त लागत पर पूरा किया गया।

2ग.1 प्रस्तावना

नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड एक सहायक कम्पनी के रूप में 18 अप्रैल 1975 को निगमित की गयी थी। कम्पनी के पास अपने नियंत्रण में प्रत्येक 1250 टन प्रतिदिन (टी.पी.डी.) की क्षमता वाली दो फैक्टरियां - एक नन्दगंज (जनपद गाजीपुर) में और दूसरी दरियापुर (जनपद रायबरेली) में, जो निर्माण स्तर पर नियंत्रक कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित कर दी गयी थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय जो नन्दगंज में था, शासकीय सुविधा हेतु 20 सितम्बर 1979 को दरियापुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

2ग.2 उद्देश्य

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य:-

(क) चीनी और गन्ने के गौण उत्पादन, शीरा, गुड़, मद्यसार (अल्कोहल) तथा सभी उत्पादनों और उनके गौण उत्पादनों के व्यवसाय सहित चीनी मिलों का व्यवसाय करना,

(ख) गन्ना, चुकन्दर तथा अन्य फसलों को रोपित करना, कृषि करना, उत्पादित करना और उन्नत करना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों से सम्बन्धित ऐसा अन्य कार्य या व्यवसाय करना जो उचित अथवा आवश्यक हो,

(ग) किसी सरकार, राज्य अथवा प्राधिकरण से ऐसे लाइसेन्सों,

रियायतों, अनुदानों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों की खोज करना तथा खरीदना अथवा अन्यथा प्राप्त करना जो अपने उद्देश्यों हेतु कम्पनी को लाभकारी प्रतीत हों,

(घ) कम्पनी के स्वामित्व वाली अथवा जिनमें कम्पनी की रूचि हो, विशेषकर गन्ना तथा गन्ना क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य हेतु, ऐसी अथवा उनसे सम्बन्धित जमीनों पर भूमि-अधिकारों के संसाधनों को विकसित करना ।

तथापि, वर्तमान समय में कम्पनी डबल सल्फिटेशन प्रक्रिया द्वारा सफेद चीनी के उत्पादन और अपने स्वयं के गन्ना संवर्धन क्षेत्रों (नर्सरी फार्म्स) को विकसित करने में लगी हुयी है।

2ग.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी के कार्यचालन की समीक्षा के अन्तर्गत फैक्टरियों की स्थापना तथा कार्य संचालन, पूंजी संरचना, ऋण, क्षमता उपयोग तथा फैक्टरियों में उत्पादन का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1981-82 से 1987-88 की अवधि को समावेशित करते हुये विक्रय सम्पादन, जन शक्ति विश्लेषण, गन्ना विकास क्रिया कलापों और गन्ना नर्सरी फार्मों का भी अध्ययन किया गया है। अप्रैल से जुलाई 1988 तक की गयी लेखा परीक्षा के दौरान देखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

2ग.4 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है।

31 मार्च 1988 को इसमें 12 निदेशक थे, 5 नियंत्रक कम्पनी द्वारा, छः राज्य सरकार द्वारा और एक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मनोनीत। नियंत्रक कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं।

प्रत्येक फैक्टरी का प्रधान एक पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशक होता है। जिसे दैनिक प्रबन्ध हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अधिकार प्रदान किये गये हैं और उसकी सहायता के लिये एक मुख्य अभियन्ता, एक मुख्य लेखाकार, एक मुख्य गन्ना प्रबन्धक और एक मुख्य केमिस्ट होता है।

2ग.5 अर्थ-व्यवस्था (फण्डिंग)

2ग.5.1 पूँजी

कम्पनी प्रत्येक 1000 रूपये के 2000 (9 प्रतिशत) विमोच्य संचित अधिमान (रिडीमिबुल क्यूमेलेटिव प्रिफरेंस) शेयरों और प्रत्येक 100 रूपये के 2,30,000 सामान्य (इक्विटी) शेयरों में विभाजित 2.5 करोड़ रूपयों की प्राधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत की गयी थी जिसमें समय समय पर वृद्धि की जाती रही और 30 जून 1988 को प्राधिकृत पूँजी 25 करोड़ रूपये थी जिसमें प्रत्येक 100 रूपये के 24,80,000 सामान्य शेयर और प्रत्येक 1000 रूपये के 2000 (9 प्रतिशत) विमोच्य संचित अधिमान शेयर थे।

30 जून 1988 को प्रत्येक 100 रूपये के 18,57,721 सामान्य शेयरों वाली 18.58 करोड़ रूपयों की सम्पूर्ण प्रदत्त पूँजी नियंत्रक कम्पनी द्वारा धारित थी।

2ग.5.2 ऋण

कम्पनी ने समय समय पर विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त किये। लिये गये ऋणों, प्रयोजन और 30 जून 1988 (जब तक लेखों को कम्पनी द्वारा अन्तिम रूप दिया गया था) को अनिस्तारित धनराशियों के विवरण नीचे दिये जाते हैं:-

अभिकरण जिससे जिससे ऋण लिये गये	प्राप्ति का वर्ष	प्राप्त धनराशि (लाख रूपयों में)	प्रयोजन	ब्याज की दर प्रतिशत प्रतिवर्ष	30 जून 1987 को अनिस्तारित धनराशि मूलधन (लाख रूपयों में)	ब्याज	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश स्पेशल फण्ड कमेटी	1982-83 और 1983-84	138.50	गन्ना देयों के भुगतान हेतु	12 से 14.5	138.50	66.26	-
राज्य सरकार	1983-84 और 1984-85	145.66	तदैव	18 से 19.5	145.66	95.14	
नियंत्रक कम्पनी	1977-78	25.00	नन्दगंज फैक्टरी की स्थापना हेतु	10	273.14	204.45	मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। नियंत्रक

1	2	3	4	5	6	7	8
	1979–80 से 1986–87	286.64	कार्यचालन पूँजी हेतु	15.5 से 20.5			कम्पनी ने 1982–83 और 1985–86 के दौरान क्रमशः 33.50 लाख रूपये और 5 लाख रूपये की सीमा तक ऋण को सामान्य शेयरों में परिवर्तित कर दिया।
भारतीय जीवन बीमा निगम	1978–79 से 1982–83	45.00	दरियापुर फैक्टरी के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये	12	1.04	0.27	

1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय आद्योगिक विकास बैंक (आई. डी.बी.आई)	1977-78 से 1979-80	470.00	तदैव	9.5 से 14	212.56	29.78	-
भारतीय औद्योगिक वितत निगम - (आई.एफ.सी.- आई.)	1976-77 से 1981-82	220.00	तदैव	9.5 से 14.5	शून्य	41.35	-

कम्पनी उत्तर प्रदेश स्पेशल फण्ड कमेटी और राज्य सरकार से प्राप्त किये गये ऋणों के सम्बन्धा में ऋणों तथा उन पर ब्याज की किश्तों का भुगतान करने में समर्थ नहीं रही थी और इस लिये समय पर भुगतान हेतु अनुमत ब्याज में 3.5 प्रतिशत छूट को गवां दिया ।

कम्पनी 1986-87 में 175.77 लाख रूपये से 1984-85 में 338.34 लाख रूपये के बीच प्रत्येक वर्ष भारी नगद हानियां उठाकर गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करती रही और

इसीलिये, यह नियमित रूप से ऋणों के पुनर्भुगतान/ ब्याज के भुगतान करने में समर्थ नहीं रही।

2ग.5.3 नगद साख सुविधा (कैश क्रेडिट फेसिलिटी)

कम्पनी ने अपनी कार्य चालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चीनी के स्टाक के बन्धक (प्लेज) तथा भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों के दृष्टि बन्धक (हाइपोथिकेशन) के समक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड से नगर साख सुविधा (अधिकतम सीमा 475 लाख रूपये) भी प्राप्त की। 30 जून 1987 को नगद साख में अनिस्तारित बकाया 389.23 लाख रूपये था।

2ग.5.4 क्रय कर के भुगतान में छूट

राज्य सरकार ने दिसम्बर 1976 में निर्णय लिया कि उनके उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रथम 5 वर्षों के दौरान चीनी फैक्टरियों से प्राप्त गन्ने पर क्रय कर उनके कार्यचालन के नवे वर्ष से पांच समान वार्षिक किश्तों में वसूल किया जायेगा। दोनों फैक्टरियों ने वर्ष 1978-79 में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था। नवे वर्ष अर्थात 1987-88 से देय प्रथम चार वर्षों हेतु कर की धनराशि 41.81 लाख रूपये हुयी जिसमें से पांचवां भाग अर्थात 8.36 लाख रूपयों का भुगतान जो 1987-88 में किया जाना था, नहीं किया गया। इस रियायत के अतिरिक्त, कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 1983 में चीनी मौसम 1982-83 हेतु गन्ना क्रय करके भुगतान से छूट दी गयी थी। 1982-83 से 1987-88

की अवधि हेतु इस छूट के कारण कम्पनी द्वारा लिये गये वित्तीय लाभ की धनराशि 30.09 लाख रूपये आयी। कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा मई 1982 में 1981-82 मौसम के दौरान 16 अप्रैल 1982 से 30 अप्रैल 1982 तक और पहली मई 1982 से फैक्टरियों के बन्द होने तक की अवधि के दौरान क्रय किये गये गन्ने के सम्बन्ध में क्रमशः 0.74 रूपया प्रति कुन्तल तथा 1.25 रूपये प्रति कुन्तल से गन्ना क्रय करके भुगतान से भी छूट अनुमत की गयी थी। इस मद पर कम्पनी को वित्तीय लाभ की धनराशि 5.5 लाख रूपये थी।

2ग.5.5 नई चीनी फैक्टरियों को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने उच्च और औसत चीनी प्राप्ति क्षेत्रों (सुगर रिकवरी एरियाज) के मामले में पांच वर्षों और निम्न चीनी प्राप्ति क्षेत्रों के मामले में 8 वर्षों की अवधि हेतु नई चीनी फैक्टरियों को प्रोत्साहन देने के लिये नवम्बर 1980 में एक योजना प्रारम्भ की।

ये प्रोत्साहन उद्‌गृहण मुक्त (लेवी फ्री) चीनी के उच्चतर कोटा और इस अतिरिक्त मुक्त कोटा पर उद्‌गृहण चीनी में लागू दरों पर आबकारी शुल्क के भुगतान के रूप में थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के रूप में उपलब्ध अधिशेष निधियाँ (सरप्लस फण्ड्स) केवल केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से अनिस्तारित आवधिक ऋणों यदि कोई हों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोजित की जानी थी।

यद्यपि कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत लाभों को प्राप्त किया, किन्तु यह, जैसा कि नीचे दिखाया गया है केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को देय आवधिक ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु अधिशेष निधियों

का उपयोग करने में विफल रही:

वर्ष	नन्द गंज			दरियापुर		
	प्राप्त लाभ	वर्ष के अन्त में केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को देय धनराशि	भुगतान की गई धनराशि (लाख रूपयों में)	प्राप्त लाभ	वर्ष के अन्त में केन्द्रीय वित्ती-य संस्थानों को देय धनराशि	भुगतान की गई धनराशि
1980-81	9.22	522.38	7.57	14.26	161.26	शून्य
1981-82	9.22	597.91	4.00	38.18	257.24	60.91
1982-83	15.29	670.75	1.50	38.23	322.54	47.18
1983-84	24.33	748.71	11.17	60.99	377.64	30.20
1984-85	21.87	843.27	शून्य	54.16	442.77	17.00
योग	**79.93**		**24.24**	**205.82**		**155.29**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 1980-81 से पाँच वर्षों की ग्राह्य अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त 285.75 लाख रूपयों के सम्पूर्ण लाभ में से केवल 179.53 लाख रूपये केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को ऋणों के भुगतान हेतु उपयोजित किये गये, शेष धनराशि कार्य चालन पूँजी के रूप में अपवर्तित कर दी गयी जो योजना को लागू करने की पृष्ठभूमि में निहित प्रयोजनों का उल्लंघन थी ।

2 ग.6 फैक्टरियों का प्रारम्भीकरण (कमिशनिंग)

2 ग.6.1 नन्दगंज

स्थानीय आबादी की माँग पर और उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े जनपद के आर्थिक विकास के प्रयोजन की दृष्टि से राज्य सरकार ने अप्रैल 1972 में उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) के प्रबन्ध के अन्तर्गत नन्दगंज (जनपद गाजीपुर) में प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेराई (टीसीडी) की क्षमता वाली एक नई चीनी फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया। जनवरी 1973 में निर्गत आशय पत्र (लेटर आफ इण्टेण्ट) नवम्बर 1977 तक वैधीकृत) की प्राप्ति पर नियंत्रक कम्पनी द्वारा परियोजना हाथ में ली गयी।

वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की लगात दिसंम्बर 1976 में 650 लाख रूपये आकलित की गयी, किन्तु निदेशक मण्डल ने दिसम्बर 1978 में परियोजना की पुनरीक्षित आकलित लागत को 680 लाख रूपये करते हुए परियोजना की लागत में 30 लाख रूपयों का

अधिक व्यय (ओवर रन) आकलित किया। फैक्टरी की स्थापना हेतु भूमि मई 1975 तक अधिगृहीत कर ली गयी थी।

324 लाख रुपये मूल्य के संयंत्र तथा मशीनरी (अधिष्ठापन तथा चालू करने के प्रभारों सहित) की आपूर्ति हेतु कलकत्ता की टैक्समैको लिमिटेड को अप्रैल 1974 में एक आदेश दिया गया। संयंत्र के अप्रैल 1976 में चालू होने की आशा थी, किन्तु वित्तीय संस्थानों से वित्त के लिए प्रबन्ध में विलम्ब के कारण संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। इस बीच संयंत्र और मशीनरी की लागत में बृद्धि हो गयी और आपूर्तिकर्ताओं के निवेदन पर संयंत्र की लागत में बृद्धि के लिए जुलाई 1976 में बात चीत की गयी और आपूर्तिकर्ताओं को 21 लाख रुपयों की बृद्धि अनुमत की गयी। चालू करने का पुनरीक्षित दिनांक जनवरी 1978 निर्दिष्ट करते हुए 345 लाख रुपयों की पुनरीक्षित लागत पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ नवम्बर 1976 में एक नयी संविदा निष्पादित की गयी।

संविदा में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ताओं संयंत्र के चालू होने के बाद दो पेराई मौसमों की समाप्ति तक वैध रहने वाली कार्यसम्पादन गारण्टी के प्रति 16.40 लाख रुपये (संविदा के मूल्य का पाँच प्रतिशत) की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी थी। फर्म संविदा के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषपूर्ण पाये गये किसी संयंत्र और मशीनरी अथवा उनके पुर्जे की मरम्मत करने को प्रतिष्ठापित करने अथवा लागत वापस देने की दायी थी। संविदा में आगे प्रावधान था कि

दोषपूर्ण संयंत्र तथा मशीनरी अथवा उसके पुर्जों की मरम्मत करने को प्रतिष्ठापित करने के लिये फर्म के दायित्व का विस्तार वास्तविक लागत तक होगा और कार्य सम्पादन गारण्टी की 16.40 लाख रूपयों की धनराशि तक सीमित नहीं होगा ।

जनवरी 1978 के चालू करने के दिनांक के समक्ष संयंत्र वस्तुतः लगभग 10 मासों के विलम्ब के बाद नवम्बर 1978 में चालू किया गया। फर्म ने संयंत्र और मशीनरी में बहुत से दोष छोड़ दिये थे, जिनमें मूल्यवान मदों की मरम्मत/ प्रतिष्ठापन निहित थे। कम्पनी के वरिष्ठ प्रशासकों (इक्जीक्यूटिव्स) और आपूर्तिकर्ताओं ने अनेक संयुक्त बैठकें की और दूर न किये गये दोषों (मूल्य निर्धारित नहीं किया गया) के विवरणों पर विचार विमर्श किया। यद्यपि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संयंत्र के दोषों का परिहार नहीं किया गया और संविदा की शर्तों के अनुसार वे कार्य सम्पादन परीक्षण देने में विफल रहे किन्तु कम्पनी ने 16.40 लाख रूपयों की बैंक गारण्टी (मई 1980 तक वैध) को उसे पुनर्वैध (इनवोकिंग) किये बिना समाप्त हो जाने दिया। फिर भी फर्म को किये जाने वाले भुगतानों से कम्पनी द्वारा 4.72 लाख रूपयों की धनराशि रोक ली गयी। आपूर्तिकर्ताओं ने 5.10 लाख रूपयों तथा ब्याज की वसूली हेतु मई 1981 में एक समादेश याचिका दायर कर दी जो लम्बित (पेण्डिंग) थी।

2ग.6.2 दरियापुर

नियंत्रक कम्पनी ने नियंत्रक कम्पनी की एक इकाई के रूप में रायबरेली में 2000 टी.सी.डी. तक विस्तार के प्रावधान के साथ 1250 टी.सी.डी. क्षमता वाली एक चीनी फैक्टरी स्थापित

करने के लिये नवम्बर 1973 में एक आशय पत्र प्राप्त किया। दो वर्षों के अन्दर फैक्टरी की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1974 (अप्रैल 1977 तक पुनः वैधीकृत) में स्वीकृत किया गया। नियंत्रक कम्पनी की एक स्थान चयन समिति ने जनवरी 1975 में रायबरेली नगर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर दरियापुर रेलवे स्टेशन के समीप दरियापुर में एक स्थान का चयन किया। नियंत्रक कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 2 मार्च 1977 को सम्पन्न हुयी अपनी बैठक में फैक्टरी को कम्पनी के साथ विलीन कर देने का निर्णय लिया। तदनुसार परियोजना 8 मार्च 1978 को कम्पनी के साथ औपचारिक रूप से विलीन कर दी गयी। नियंत्रक कम्पनी द्वारा 7 मार्च 1978 तक इस परियोजना पर किया गया 238.97 लाख रूपयों का निवल व्यय इस कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया। संयंत्र 545.04 लाख रूपयों की कुल पूँजीगत लागत पर 15 फरवरी 1979 को चालू किया गया।

2ग.7 गन्ना विकास क्रिया कलाप तथा गन्ने की उपलब्धता

फैक्टरियों के क्षेत्रों में गन्ना विकास में कम्पनी की भूमिका में निम्नांकित सम्मिलित थे:-

-विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों / बाह्य क्षेत्रों से इसे खरीद कर कृषकों को गन्ना बीज की हाल में विकसित बीज का वितरण,

- खाद/ कीटनाशक दवाओं/ कृषीय उपकरणों के क्रय हेतु उपदान देना,

-ऊसर भूमि का सुधार,

- गन्ना कृषि आदि की विकसित तकनीकों में कृषकों को शिक्षित करना।

1986-87 तक गत छः वर्षों के दौरान गन्ना विकास पर कम्पनी द्वारा किये गये व्यय के विवरण नीचे दिये जाते हैं:-

विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
	(लाख	रूपयों	में)			
वेतन तथा मजदूरी	10.17	10.71	12.86	16.02	16.57	17.81
अन्य व्यय	6.82	2.46	7.91	5.92	4.38	4.65
योग	**16.99**	**13.17**	**20.71**	**21.94**	**20.95**	**22.46**
घटाइये : गन्ना विकास व्ययों के प्रति राज्य सरकार से प्राप्त उपदान	12.65	11.89	18.99	19.18	17.98	19.53
कम्पनी द्वारा किया-गया निवल व्यय	4.34	1.28	1.72	2.76	2.97	2.93
कुल व्यय से वेतन और मजदूरी पर व्यय की प्रतिशतता	60	81	62	73	79	79

उपर्युक्त से यह विदित होगा कि गन्ना विकास पर किया गया व्यय मुख्यतः गन्ना विकास प्रयोजनों हेतु नियुक्त स्टाफ के वेतन तथा मजदूरी पर था जो सम्पूर्ण व्यय के 60 और 81 प्रतिशत के मध्य था। 1983-84 से 1987-88 तक 5 वर्षों के दौरान गन्ना क्षेत्र, गन्ना उत्पादन और कम्पनी की चीनी फैक्टरियों में गन्ना उपलब्धता निम्नवत् थी:-

(1) नन्दगंज	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	12596	11872	11153	11340	12209
16 कि.मी.के व्यासार्ध में गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	5440	4998	4788	4859	5127
गन्ना उत्पादन (लाख-कुन्तलों में)	46.26	42.33	43.66	35.44	38.10
चीनी फैक्टरी को गन्ना उपलब्धता	6.29	2.75	4.35	7.90	7.44
प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन (कुन्तलों में)	367.22	356.55	375.00	312.50	312.00

उपर्युक्त विवरणों से विदित होगा कि गन्ना उत्पादन में प्रति वर्ष गिरावट आ रही थी (1983-84 में 46.26 लाख कुन्तल से 1987-88 में 38.10 लाख कुन्तल) और प्रति एकड़ औसत उत्पादन 1983-84 में 367.22 कुन्तल से गिरकर 1987-88 में 312 कुन्तल रह गया जो दर्शित करता है कि कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये गन्ना विकास क्रिया कलाप प्रभावी नहीं थे। गन्ना उत्पादन में लगातार गिरावट आने के कारणों का कम्पनी द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया।

(2) दरियापुर	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
गन्ना क्षेत्र (हेक्टेएअरों में)	11436	11157	11466	13541	7601
16 किलोमीटर व्यासार्ध में गन्ना क्षेत्र (हेक्टेएयर में)	6427	4134	4316	5169	5940

	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
गन्ना उत्पादन (लाख कुन्तलों में)	19.93	19.23	18.98	22.30	17.79
चीनी फैक्टरी को गन्ना उपलब्धता लाख कुन्तल	8.63	4.64	5.52	7.40	9.70
प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन (कुन्तलों में)	319	450	452	461	321

दोनों फैक्टरियों को गन्ना उपलब्धता इतनी अपर्याप्त थी कि फैक्टरी की क्षमता, जैसा कि प्रस्तर 2 ग.8 में विवेचन किया गया है, कम उपयोजित की गयी ।

2 ग.8 उत्पादन सम्पादन

2 ग.8.1 क्षमता उपयोग

इन कम्पनियों की स्थापना हेतु तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन, यदि कोई हों, कम्पनी के पास अथवा नियंत्रक कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आंकड़ों की तुलना में परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित क्षमता उपयोग, पेराई में चीनी की हानि, कार्य संचालन की लागत, लाभ आदि की लेखा परीक्षा में छान-बीन नहीं की जा सकी ।

कम्पनी की नन्दगंज और दरियापुर फैक्टरियों की प्रतिदिन गन्ना पेराई की संस्थापित क्षमता (टी.सी.डी.)

1250 टन है। तीन पालियों में काम करके 150 दिनों के सामान्य मौसम को दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक फैक्टरी प्रति वर्ष 18.75 लाख कुन्तल पेराई कर सकती थी ।

1987-88 तक पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उपयोजित क्षमता, जैसा कि नीचे दर्शित है, नन्दगंज के मामले में 15 और 42 प्रतिशत के बीच तथा दरियापुर के मामले में 33 और 63 प्रतिशत की बीच थी:-

	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
(1) नन्दगंज					
सकल (ग्रास) मौसम (दिवस)	111	63	78	104	117
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	6.23	2.74	4.34	7.87	7.41
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	33.2	14.6	23.2	42.0	39.5
(2) दरियापुर					
सकल मौसम (दिवस)	103	68	73	111	109
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	10.65	6.16	6.79	11.22	11.86
क्षमता उपयोग-(प्रतिशत)	56.80	32.85	36.21	59.84	63.25

दोनों फैक्टरियों में निम्नतम क्षमता उपयोग 1984-85 और 1985-86 वर्षों में था ।

नियंत्रक कम्पनी के अनुसार (फरवरी 1976) चीनी फैक्टरियों में सामान्य क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता का 85 से 90 प्रतिशत के आस पास था यदि कम्पनी 85 प्रतिशत की निम्नतम क्षमता की सीमा तक भी कार्य किये होती तो 1983-84 से 1987-88 की अवधि के दौरान 34.36 करोड़ रूपये मूल्य की 7.58 लाख कुन्तल चीनी का और अधिक उत्पादन हुआ होता ।

यह देखा गया कि गन्ने की अपर्याप्त आपूर्ति दोनों फैक्टरियों की गन्ना पेराई क्षमता के कम उपयोग हेतु उत्तरदायी मुख्य कारक थी ।

और भी, नन्दगंज में परियोजना हेतु चयनित स्था 10 किलोमीटर के व्यासार्ध में ऊसर भूमि द्वारा घिरा हुआ था जो कृषि के लिये अनुपयुक्त था। परिवहन सुविधायें भी क्षीण थीं क्योंकि सड़कें उचित रूप से सम्बद्ध नहीं थी । अतः गन्ने की नियमित आपूर्ति मिलने की सम्भावना कम थी। इस प्रकार, नन्दगंज में परियोजना के लिये चयनित स्थान को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

मशीनी गड़बड़ी के कारण गन्ना पेराई संचालन के बारम्बार होने वाले अवरोध नन्दगंज फैक्टरी की संस्थापित क्षमता के कम उपयोग के लिये एक अन्य उत्तरदायी कारक था ।

1984-85 और 1985-86 में 150 दिनों से कम पेराई दिवस के निम्न कारण थेः-

–1985–86 के दौरान विलम्ब से वर्षा, बाढ़ और प्रतिकूल मौसम तथा

–1984–85 में सुल्तानपुर और महमूदाबाद में दो नई फैक्टरियों का प्रारम्भ जिसके कारण गन्ना क्षेत्र गन्ना आयुक्त द्वारा पुनः घटाकर कम कर दिया गया। यह स्पष्टतया इंगित करता है कि सरकार / गन्ना आयुक्त इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार किये बिना कि उस क्षेत्र में पहले से स्थापित फैक्टरियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्र में उपलब्ध गन्ना पर्याप्त नहीं है, चीनी फैक्टरियों की स्थापना की अनुमति दे रही थी ।

प्रबन्धकों ने, वार्षिक प्रतिवेदनों में, गन्ने की अपर्याप्त आपूर्ति को संस्थापित क्षमताओं के कम उपयोग का कारण बताया जो निम्न कारणों से थी:–

(क) उत्पादकों को गन्ना मूल्य के भुगतान में विलम्ब जिससे फैक्टरी को गन्ना की कम आपूर्ति हुयी ।

(ख) सीमान्त भूमि वाले गन्ना उत्पादक अपने गन्ने को गुड़ निर्माण की ओर अपवर्तित कर देते हैं ।

(ग) नन्दगंज फैक्टरी में 10 किलोमीटर व्यासार्ध की भूमि ऊसर भूमि है जो गन्ना उत्पादक हेतु उपयुक्त नहीं थी ।

(घ) उगाये गये गन्ने की गुणवत्ता निम्न उत्पादन के किस्म की है ।

(ङ.) क्षीण सिंचाई सुविधायें, परिवहन सुविधाओं और सम्पर्क (लिंक) सड़कों का अभाव ।

फैक्टरियों के चारो ओर ऊसर भूमि और निम्न उपज की किस्म वाले गन्ने की कृषि पर इस तथ्य को दृष्टि में रखकर विचार करना चाहिये कि ऊसर भूमि का सुधार तथा गन्ना बीज का उपचार और वितरण जैसे गन्ना विकास क्रियाकलापों पर 1975-76 से 1986-87 की अवधि के दौरान कम्पनी ने 159.69 लाख रूपयों की धनराशि व्यय की थी ।

2ग.8.2 चीनी की हानि

निम्नांकित तालिका 1987-88 तक पाँच वर्षों के दौरान फैक्टरियों द्वारा पेरे गये गन्ने, उत्पादित चीनी और शीरे, खोई में नष्ट हो गयी चीनी आदि के विवरण सूचित करती है:-

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6
(1) नन्दगंज			(लाख कुन्तलों में)		
पेरा गया गन्ना	6.23	2.74	4.34	7.87	7.41
उत्पादित चीनी	0.53	0.22	0.37	0.69	0.63
		(प्रतिशत)			
गन्ने मे चीनी का अंश	11.42	11.09	11.85	11.58	11.39
गन्ने से चीनी की प्राप्ति	8.52	8.16	8.55	8.70	8.41
नष्ट हो गयी चीनी शीरे में	1.39	1.44	1.79	1.53	1.55
खोई में	1.34	1.33	1.27	1.17	1.17
फिल्टर कैक (प्रेस मड)	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05

1	2	3	4	5	6
		(लाख	कुन्तलों	में)	
अनवधारित (अनडिटर-माइन्ड)	0.12	0.11	0.17	0.11	0.21
योग	**2.90**	**2.93**	**3.30**	**2.88**	**2.98**
(2) दरियापुर					
पेरा गया गन्ना	10.65	6.16	6.79	11.22	11.86
उत्पादित चीनी	1.07	0.62	0.66	1.13	1.17
		(प्रतिशत)			
गन्ने मे चीनी का अंश	12.33	12.33	12.08	12.48	12.55
गन्ने से चीनी की प्राप्ति	9.98	9.97	9.70	10.06	9.81
नष्ट हो गई चीनी शीरे में	1.32	1.31	1.34	1.30	1.45
खोई में	0.96	0.97	0.98	0.98	0.92
फिल्टर केक (प्रेस मड)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
अनवधारित	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04
योग	**2.35**	**2.36**	**2.38**	**2.42**	**2.44**

चीनी उद्योग जाँच आयोग ने 1974 की अपनी रिपोर्ट में संवीक्षा की कि चीनी की हानि शीरे में 1.4 प्रतिशत, खोई में एक प्रतिशत और प्रेस मड तथा अनवधारित प्रत्येक में 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। दरियापुर फैक्टरी में चीनी की हानि

प्रतिमानों (नार्म्स) से अधिक थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान शीरा, खोई तथा अनवधारित में प्रतिमानों से अधिक चीनी की क्षति का मूल्य सम्बन्धित वर्षों के औसत विक्रय मूल्य पर 55.91 लाख रूपये था। चीनी की अधिक क्षति के कारण सूचित नहीं किये गये (अप्रैल 1989)।

2ग.8.3 कार्य समय की क्षति

निम्नांकित तालिका 1987-88 तक गत पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध कुल घण्टों और नष्ट हो गये कुल घण्टों की स्थिति संक्षेप में प्रस्तुत करती है:-

	नन्दगंज					दरियापुर				
	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
पेराई हेतु उपलब्ध घण्टे	2656	1500	1854	2476	2794	2467	1615	1732	2648	2594
निम्न के कारण नष्ट हो-गये घण्टे-										
गन्ना नहीं	785	618	447	290	537	214	288	310	238	150
यांत्रिक व्यवधान (मेकेनिकल ब्रेक डाउन)	78	63	236	147	401	14	2	24	56	50

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
विविध	176	81	66	280	198	234	162	15	240	179
नष्ट हो गये कुल घण्टे	1039	762	749	717	1136	462	452	449	534	379
वास्तविक पेराई के घण्टे	1617	738	1105	1759	1658	2005	1163	1283	2114	2215
उपलब्ध घण्टों से नष्ट हो गये घण्टों की प्रतिशतता	39.1	50.0	40.4	29.0	40.7	18.7	28.0	25.9	20.2	14.6

उपर्युक्त तालिका से यह विदित होगा कि इस तथ्य के बावजूद कि कम्पनी ने फैक्टरियों के गन्ना क्षेत्रों में गन्ना विकास पर 1975-76 से 1986-87 तक राज्य सरकार से उपदान के रूप में प्राप्त 131.47 लाख रूपयों को सम्मिलित करते हुये 159.69 लाख रूपयों की धनराशि ब्यय की थी, गन्ने की कमी दोनो फैक्टरियों में व्यर्थ चले गये समय हेतु उत्तरदायी मुख्य कारक था। नन्दगंज फैक्टरी के मामले में, यांत्रिक व्यवधान व्यर्थ चले गये समय हेतु एक दूसरा मुख्य कारक था यद्यपि संयंत्र 1978 में ही संस्थापित किया गया था और कम्पनी ने संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत पर 1983-84 से 1986-87 की अवधि के दौरान 52.58 लाख रूपयों की धनराशि ब्यय की थी।

2ग.8.4 गन्ना नर्सरी फार्मों का कार्यसम्पादन

कम्पनी की दोनो फैक्टरियों ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना बीच की उच्च चीनी अंश वाली किस्में प्रदान करने हेतु प्रत्येक 6.41 हेक्टेयर के क्षेत्र में गन्ना बीच फार्म की स्थापना की थी। इन फार्मों का अभिप्राय प्रदर्शन तथा बीज गुणन (मल्टी प्लीकेशन) प्रयोजनों से भी था। 1986-87 तक छ: वर्षों के दौरान कृष्ट क्षेत्र (एरिया कल्टीवेटेड), किये गये ब्यय और फार्मों से प्राप्त राजस्व के विवरण निम्नवत् थे:-

विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
(1) नन्दगंज						
ब्यय (लाख रूपयों में)	0.89	0.35	0.41	0.44	0.31.	0.32
राजस्व (लाख रूपयों में)	0.24	0.22	0.34	0.28	0.56	0.53
हानि (-)/ लाभ(+) (लाख रूपयों में)	-0.65	-0.13	-0.07	-0.16	+0.25	+0.21
गन्ना कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	2.20	3.70	3.00	1.84	3.20	3.75
(2) दरियापुर						
ब्यय (लाख रूपयों में)	1.43	1.81	0.54	0.64	0.72	0.53
राजस्व (लाख रूपयों में)	0.31	0.39	0.52	0.18	0.97	0.45

हानि (-)/ लाभ (+) (लाख रूपयों में)	-1.12	-1.42	-0.02	-0.46	+0.25	-0.08
गन्ना कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	5	5.15	6.35,	6.35	6.41	5.26

इन विवरणों से विदित होगा कि 1981-82 से 1986-87 के दौरान कम्पनी ने नन्दगंज फैक्टरी के फार्म के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 0.55 लाख रूपयों और दरियापुर फैक्टरी के फार्म के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 2.85 लाख रूपयों की हानि उठायी। नन्दगंज फैक्टरी में फार्म के निमित्त वाली 6.4 हेक्टेयर भूमि मे से गन्ना कृषि के लिये प्रयुक्त क्षेत्र मात्र 1.84 और 3.75 हेक्टेयर के बीच था और शेष भूमि अनुपयोजित रही जिसके कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे ।

2 ग.8.5 अलग-अलग (इण्डिविजुअल) दुकानों का कार्यसम्पादन

(क) वर्कशाप

कम्पनी की दोनों फैक्टरियों ने मौसम के दौरान संयंत्र की दिन प्रतिदिन की मरम्मतों तथा मौसम इतर (आफ सीजन) के दौरान विशेष मरम्मतों को अपने हाथ में लेने के लिये मुख्य संयंत्र के साथ वर्कशापों की स्थापना की। वर्कशापों में निम्न मशीने संस्थापित की गयी थीं:-

मशीन का प्रकार	नन्द गंज	दरियापुर
लेथे मशीन	2	3
प्लानर	1	1

मशीन का प्रकार	नन्दगंज	दरियापुर
ड्रिलिंग	1	1
शेपर	1	1
ग्राइण्डर	–	1

प्रत्येक वर्कशाप में 20 परिचालन कार्मिक नियुक्त किये गये थे किन्तु इन मशीनों की और साथ ही समष्टि रूप से वर्कशाप की संस्थापित क्षमतायें नहीं निकाली गयी। इन मशीनों के जाब कार्डों/ जाब रजिस्टरों और लाग बुकों का रख-रखाव भी नही किया गया, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि कम्पनी ने यह किस प्रकार सुनिश्चित किया कि मशीनों और कार्मिकों का समुचित रूप से उपयोग किया जा रहा था।

(ख) डीजल जेनेरेटर शाप

दोनों फैक्टरियों के पास बिजली की विफलता की स्थिति में आपातकालिक प्रबन्ध (स्टैण्ड बाई अरेन्जमेंट) के रूप में प्रत्येक 125 किलोवाट के दो डीजल जेनेरेटर सेट हैं। नन्दगंज में 2.95 लाख रूपये मूल्य का एक जेनेरेटर सेट मरम्मत न होने के कारण जुलाई 1985 से बेकार पड़ा हुआ था। 1987-88 तक गत तीन वर्षों हेतु प्रत्येक फैक्टरी में उपयुक्त डीजल, उत्पादित इकाइयां और उत्पादित बिजली की प्रति इकाई उपयुक्त डीजल निम्नवत थे:-

वर्ष	दरियापुर उपयुक्त डीजल (लीटरों में)	उत्पादित इकाइयां	उत्पादन की प्रति इकाई उपयुक्त तेल (लीटरों में)	नन्दगंज उपयुक्त डीजल (लीटरों में)	उत्पादित इकाईयां	उत्पादन की प्रति इकाई उपयुक्त तेल (लीटरो में)
1985-86	23460	82664	0.28	29788	37620	0.79
1986-87	24870	40924	0.61	35780	36528	0.98
1987-88	19422	38796	0.50	34026	25140	0.74

प्रबन्धकों द्वारा डीजल के उपभोग हेतु प्रतिमान (नार्म्स) नियत नहीं किये गये। दोनों फैक्टरियों के बीच डीजल के उपभोग में विस्तृत विभिन्नता हेतु कम्पनी से पूँछे गये कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। फिर भी, 1985-86 में दरियापुर फैक्टरी द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति इकाई 0.28 लीटर डीजल के उपभोग की तुलना में उस फैक्टरी में 1986-87 और 1987-88 के दौरान 0.84 लाख रूपये मूल्य के 21970 लीटर डीजल का अधिक उपभोग हुआ। इसी प्रकार, दरियापुर में 0.28 लीटर अधिकतम उपभोग के सन्दर्भ में नन्दगंज फैक्टरी में 1985-86 से 1987-88 के दौरान अधिक उपभोग 2.68 लाख रूपये मूल्य के 71793 लीटर डीजल
हुआ ।

(ग) चूना भट्ठा

नन्दगंज फैक्टरी ने गन्ने के रस की प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने हेतु चूना पत्थर से चूने के निर्माण हेतु 1978-79 में 0.96 लाख रूपयों की लागत पर एक चूना भट्ठा स्थापित किया। किन्तु यह देखा गया कि 1982-83 से कम्पनी फ़ैक्टरी के प्रयोग हेतु चूना खरीद रही है और भट्ठा बेकार पड़ा हुआ था (अप्रैल 1989)। चूना भट्ठा प्रयोग मे न लाने के कारण न तो अभिलेख में थे और न ही सूचित किये गये ।

(घ) गन्ना बीच उपचार संयंत्र नन्दगंज

निदेशक मण्डल ने गन्ना उत्पादकों को, गरम पानी में विधिवत उपचारित गन्ना बीज की अच्छी और ऊँची पैदावार वाली किस्में प्रदान करने की दृष्टि से नन्दगंज फैक्टरी हेतु जनवरी 1976 में एक गरम जल गन्ना बीज उपचार संयंत्र (हाट वाटर केन सीड ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट) का क्रय अनुमोदित किया। संयंत्र 1976-77 में 0.50 लाख रूपये की लागत पर खरीदा और संस्थापित किया गया। फैक्टरी ने संयंत्र के उपयोग को दर्शित करने के लिये किसी अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया। फिर भी, यह देखा गया कि 1978-79 में फैक्टरी के चालू होने के प्रथम वर्ष में प्रयोग के बाद संयंत्र बेकार पड़ा हुआ था। तब से संयंत्र का न तो प्रयोग किया गया और न ही उसका निस्तारण किया गया ।

दरियापुर

1975–76 के दौरान फैक्टरी ने गन्ना उत्पादकों को गरम पानी में विधिवत उपचारित गन्ना बीज की उच्च पैदावार वाली किस्में प्रदान करने की दृष्टि से 0.85 लाख रूपयों की लागत पर एक मौसम के दौरान 15000 कुन्तल गन्ना बीच उपचारित करने की क्षमता वाला एक गरम जल गन्ना बीचज उपचार संयंत्र (हाट वाटर केन सीड ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट) संस्थापित किया ।

निम्नांकित तालिका 1987–88 तक पाँच वर्षों के दौरान उपचारित बीजों की मात्रा, संयंत्र की उपयोजित क्षमता और उस पर किया गया ब्यय सूचित करती है:-

वर्ष	उपचरित बीजों की मात्रा (कुन्तलों में)	उपयोजित क्षमता (प्रतिशत)	किया गया व्यय (रूपयों में)
1983–84	869	5.8	2400
1984–85	1353	8.02	6128
1985–86	783	5.2	10954
1986–87	346	2.3	10957
1987–88	432	2.9	280

उपर्युक्त तालिका से यह विदित होगा कि वार्षिक व्यय में बृद्धि होती गयी जब कि उपचरित बीजों की मात्रा में धीरे-धीरे गिरावट आती गयी।

संयंत्र की स्थापना के समय यह संकल्पित किया गया

था कि फैक्टरी के समीपवर्ती क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक अपने गन्ना बीजों के बोने के पूर्व फैक्टरी के संयत्र में उपचार हेतु लायेंगे। किन्तु कोई भी गन्ना उत्पादक निहित भारी परिवहन लागत के कारण अपने बीजों को उपचरित कराने के लिए नहीं आया। संयंत्र में एक मात्र उपचरित बीज फैक्टरी का था जो फैक्टरी के नर्सरी फार्म से बेचा गया था।

यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने 1975-76 से 1980-81 के दौरान उत्पादकों को वितरित करने के लिए लगभग 4 लाख कुन्तल गन्ना बीज खरीदा था जिसको भी उपचरित नहीं किया जा सका।

यह बताया गया (अक्टूबर 1988) कि फैक्टरी के समीपस्थ गन्ना उत्पादन क्षेत्र में गिरावट के कारण गरम जल उपचार संयंत्र का उपयोग नहीं किया जा सका।

(इ.) लोहा ढलाई दूकान (आइजन फाउन्ड्री शाप)

नन्दगंज फैक्टरी में 1978-79 के दौरान 2.51 लाख रूपयों की लागत पर एक लोहा ढलाई दुकान स्थापित की गयी। ढलाई दुकान अपनी स्थापना से कभी भी परिचालित नहीं हुयी, जिसके लिए कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे। 1985-86 से 1987-88 के दौरान 0.46 लाख रूपयें मूल्य का ढलाई कार्य फैक्टरी द्वारा बाह्य अभिकरणों के माध्यम से कराया गया। इस

प्रकार दुकान की स्थापना पर किया गया 2.51 लाख रूपयों का व्यय इसकी स्थापना से ही निष्फल रहा ।

(च) खोई गाँठ बनाने वाली मशीन (बगासी बेलिंग मशीन)

दरियापुर इकाई ने बिक्री हेतु खोई की गाँठ बनाने के लिये 1982-83 में 1.28 लाख रूपयों की लागत पर एक खोई की गांठ बनाने वाली मशीन क्रय की। किन्तु फैक्टरी द्वारा जून 1988 तक खोई अधिशेष नहीं पायी गयी । मशीन का उपयोग फरवरी और मार्च 1988 के दौरान केवल कुछ दिनों हेतु किया गया। जब खोई की 7481 गाँठें भण्डारण प्रयोजन हेतु बाहर भेजी गयी । प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1988) कि चूँकि सम्पूर्ण उत्पादित खोई का उपयोग कर लिया गया था, मशीन पूर्ण रूप से उपयोजित नहीं की जा सकी ।

2ग.9 उत्पादन की लागत

2ग.9.1 निम्नांकित तालिका 1986-87 तक छः वर्षों के दौरान लेखे के अनुसार प्रति कुन्तल उत्पादन की लागत बिक्रियों की लागत और प्राप्त औसत विक्रय मूल्य संक्षेप में प्रस्तुत करती है:-

विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
नन्दगंज						
कच्चे माल की लागत	312.78	286.78	300.68	314.09	329.71	352.76
रूपान्तरण लागत	445.18	490.21	569.40	1334.73	793.41	439.54
उत्पादन की लागत	757.96	776.99	870.09	1648.82	1123.12	792.30
पैकिंग तथा विक्रय व्यय	9.20	10.16	12.60	21.71	13.02	7.05
विक्रय लागत	767.16	787.15	882.77	1670.53	1136.14	799.35
औसत विक्रय प्राप्त	388.94	367.85	375.72	413.39	483.60	485.90
दरियापुर						
कच्चे माल की लागत	306.75	255.46	251.72	263.61	289.30	297.10
रूपान्तरण लागत	156.62	213.69	282.64	448.35	387.56	215.96
उत्पादन की लागत	463.37	469.15	534.36	711.96	676.86	513.06
पैकिंग तथा विक्रय ब्यय	7.53	9.79	12.92	20.49	13.09	10.95
विक्रय लागते	470.90	478.94	547.28	732.45	689.95	524.01
औसत विक्रय प्राप्ति	399.93	366.00	375.09	428.57	501.08	488.59

प्रति कुन्तल औसत विक्रय प्राप्ति की तुलना में उत्पादन की उच्चतर लागत के मुख्य कारण, जैसा कि नीचे विवेचन किया गया है भारी परिवहन प्रभार, विजली तथा ईंधन पर भारी ब्यय और मरम्मत तथा अनुरक्षण का उच्च आपात थे।

2ग.9.2 गन्ना परिवहन प्रभार

अधिप्राप्ति केन्द्रों पर खरीदे गये गन्ने के लिये देय गन्ना मूल्य, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, फैक्टरी के फाटक पर गन्ने के लिये देय मूल्य की अपेक्षा 50 पैसे प्रति कुन्तल कम है। लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी थी कि 1987-88 तक छः वर्षों के दौरान 50 पैसे प्रति कुन्तल की दर से कम्पनी द्वारा प्राप्त क्रय मूल्य में कमी, अधिप्राप्ति केन्द्रों से फैक्टरी तक गन्ने के परिवहन पर कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की अपेक्षा बहुत कम थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

	किये गये परिवहन व्यय		गन्ना मूल्यों से कम की गयी धनराशि	
	नन्दगंज	दरियापुर	नन्दगंज	दरियापुर
	(लाख रूपयों में)			
1982-83	25.82	63.47	1.13	6.20
1983-84	24.43	36.09	2.25	4.45
1984-85	8.66	25.23	0.95	2.58
1985-86	17.14	24.26	1.58	2.65
1986-87	41.14	47.61	2.80	4.24
1987-88	37.12	36.93	2.70	4.43
योग	**155.31**	**234.49**	**11.51**	**24.55**

औसत गन्ने की कुल आपूर्ति के दो तिहाई से अधिक आपूर्ति अधिप्राप्ति केन्द्रों पर की जाती है, जो सूचित करती है कि उत्पादक कम दर पर देने को वरीयता देते हैं। गन्ना मूल्य में मात्र 50 पैसे प्रति कुन्तल की कमी उत्पादकों को अधिप्राप्ति केन्द्रों पर गन्ने का परिदान देने से रोकने के लिये पर्याप्त नहीं थी। इसके फलस्वरूप, सम्पूर्ण अधिप्राप्ति के दो-तिहाई से अधिक अधिप्राप्ति जिसका परिदान केन्द्रों पर किया गया था, कम्पनी को फैक्टरी तक अपनी लागत पर परिवहन करनी पड़ी स्पष्टत: यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या फैक्टरी के फाटक तथा बाह्य केन्द्रों पर परिदानित किये जाने वाले गन्ने के मूल्य में 50 पैसे प्रति कुन्तल के अन्तर में फैक्टरी के फाटक पर गन्ने की आपूर्ति करने के लिये किसानों को प्रेरित करने हेतु वृद्धि की जा सकती है।

2ग.9.3 बिजली तथा ईंधन का उपभोग

1974 की चीनी उद्योग जाँच कमीशन प्रतिवेदन के अनुसार, भली-भाँति परिचालित तथा अनुरक्षित फैक्टरी में, खोई के रूप में ईंधन की आवश्यकता पेरे गये गन्ने का 26 से 28 प्रतिशत तक होनी चाहिये। किन्तु यह संवीक्षा की गयी कि कम्पनी की फैक्टरियों ने 1982-83 से 1987-88 के दौरान, नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार, उत्पादित खोई के अतिरिक्त ईंधन का प्रयोग किया:-

वर्ष	पेरे गये गन्ने की प्रतिशतता के रूप में खोई का उपभोग	कोयला तथा ईंधन पर व्यय (लाख रूपयों में)
नन्दगंज		
1982-83	44.45	0.29
1983-84	43.85	2.04
1984-85	43.84	2.35
1985-86	43.53	2.72
1986-87	44.93	2.22
1987-88	45.21	4.82
दरियापुर		
1982-83	32.45	0.69
1983-84	31.75	4.33
1984-85	32.03	2.08
1985-86	32.10	1.93
1986-87	32.52	0.89
1987-88	30.25	2.58
		26.94

उपर्युक्त से यह विदित होगा कि यद्यपि दोनो फैक्टरियों के मामले में खोई का उपभोग सभी वर्षों में निर्धारित प्रतिमानों की अपेक्षा उच्चतर था, फिर भी 26.94 लाख रूपये मूल्य के ईंधन तथा कोयले का प्रयोग किया गया था। जिसके कारण कम्पनी द्वारा सुनिश्चित नहीं किये गये। दरियापुर फैक्टरी

की तुलना में नन्दगंज में खोई के उच्चतर उपभोग के कारणों का भी विश्लेषण नहीं किया गया।

2ग.10 लागत विश्लेषण

जैसा कि कास्ट एकाउण्टिंग रेकाड्स (शुगर) रूल्स 1974 के नियम 3 (अनुसूची I तथा II) के अन्तर्गत अपेक्षित है, कम्पनी ने सामग्रियों के उपयोग, श्रम तथा लागत के अन्य तत्वों से सम्बन्धित समुचित लागत अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया। कच्चे माल, श्रम, बिजली तथा ईंधन आदि के उपभोग हेतु मानक प्रतिमान नियत नहीं किये गये और अन्तरों का विश्लेषण नहीं किया जा रहा था। 1984-85 के दौरान फैक्टरियों में प्रति कुन्तल उत्पादित चीनी में निम्नांकित मदों के उपभोग में बहुत अधिक भिन्नता रही किन्तु इसके कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

मदों के विवरण	नन्दगंज	दरियापुर
1. उपयुक्त बिजली (इकाईयों में)	45.40	26.36
2. गन्धक (किलोग्रामों में)	3.30	1.61
3. चूना (रूपयों में)	5.82	1.98
4. रसायन और प्रयोगशाला भण्डार (रूपयों में)	3.07	1.46
5. भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे (रूपयों में)	48.43	23.47
6. प्रत्यक्ष श्रम (रूपयों में)	49.13	51.90

1984-85 और 1986-87 वर्षों से सम्बन्धित कम्पनी

की दोनों इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा क्रमश: फरवरी 1985 और मार्च 1987 में आदेश दिये गये ।

वर्ष 1984-85 हेतु लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन लागत लेखा परीक्षकों द्वारा जनवरी 1987 में प्रस्तुत कर दिया गया था, जब कि वर्ष 1986-87 हेतु प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (अप्रैल 1989)। लागत लेखा परीक्षकों ने 1984-85 हेतु जनवरी 1987 के अपने प्रतिवेदन में कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लागत लेखा प्रणाली (कास्टिंग सिस्टम) में निम्नांकित कमियाँ इंगित की थीं ।

(क) लागत विवरणियों हेतु प्रदानित तकनीकी आंकड़े वास्तविक नहीं थे अपितु काल्पनिक (गैसवर्क) थे ।

(ख) समुचित लागत अभिलेखों के अभाव में लागत लेखा प्रयोजनों हेतु आंकड़े वित्त लेखे से लिये गये थे ।

लागत लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिवेदित स्थिति को सुधारने हेतु कम्पनी को अभी कार्यवाही करनी है। (अप्रैल 1989)।

2ग.11 विक्रय सम्पादन

2ग.11.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी का कोटा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (कोआपरेटिव फेडेरेशन) के माध्यम से मुक्त किया जाता है। मुक्त चीनी के सम्बन्ध में कम्पनी के पास अपना विपणन संगठन (सेल्स आर्गेनाइजेशन) नहीं है। मुक्त चीनी की बिक्री नियंत्रक कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश, पटना तथा कलकत्ता में नियुक्त विक्रय अभिकर्ताओं द्वारा की जाती है। नियन्त्रक कम्पनी बिक्री की तिथि,

मात्रा, दर, बेची गयी चीनी की गुणवत्ता तथा श्रेणी, वसूल की जाने वाली धनराशि और अवधि जिसके अन्दर चीनी उठायी जानी है, को दर्शाते हुये विक्रय अभिकर्ताओं को विक्रय सूचनायें निर्गत करती हैं। अभिकर्ताओं द्वारा चीनी न उठाये जाने की स्थिति में शर्तों में निर्दिष्ट दरों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का अनुबन्ध था ।

2ग.11.2 मुक्त कोटा का व्यपगमन (लैप्स)

कम्पनी के पास उपलब्ध मुक्त विक्रय हेतु चीनी मे से, चीनी एवं वनस्पति निर्देशालय, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार उसी मास के दौरान बिक्री हेतु समय समय पर चीनी का कोटा मुक्त करता है और मास के अन्त में बची हुयी अबिक्रीत मात्रा व्यपगत हो जाती है। निम्नांकित तालिका 1985-86 से 1987-88 के दौरान फैक्टरी वार उपलब्ध मुक्त विक्रय चीनी की मात्रायें, विक्रय हेतु मुक्त मात्रायें, विक्रीत मात्रायें और व्यपगत मात्रायें सूचित करती हैं:-

वर्ष	विक्रय हेतु उपलब्ध मुक्त विक्रय चीनी की मात्रा	विक्रय हेतु मुक्त मात्रा	विक्रीत मात्रा	व्यपगत मात्रा
	(कुन्तलों में)			
नन्दगंज				
1985-86	22100	18994	10652	8342
1986-87	46929	44918	36126	8792
1987-88	64778	55880	40167	15713
दरियापुर				
1985-86	40662	39202	33515	5687
1986-87	67496	54444	48871	5573
1987-88	78095	64965	64052	913

चूँकि कम्पनी की कार्यचालन ... नगद साख में से पूरी की जाती हैं, अत ... प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याज की देयता पर पड़ता है। ... करने के लिये अभिलेख मे कुछ मैं भी नहीं था, कि ... सरकार द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण मुक्त विक्रय चीनी को बेचने के ... कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी।

2ग.11.3 अर्थदण्ड न लगाना

विक्रय अभिकर्ताओं के साथ नियंत्रक कम्पनी द्वारा सम्पादित अनुबन्धों की शर्तों में, अनुबन्धित दर एवं दर जिस पर चीनी का वास्तव में विक्रय किया गया, के अन्तर के आधार पर आगणित क्षति मूल्यों (डैमेजेज) अतिरिक्त अभिकर्ताओं द्वारा चीनी के न उठाये जाने की स्थिति में 5 रूपये से 10 रूपये प्रति कुन्तल तक अर्थदण्ड आरोपित करने का प्राविधान है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जुलाई 1985 और अप्रैल 1988 के मध्य निर्गत विक्रय सूचनाओं के समक्ष 63 मामलों में नन्दगंज इकाई द्वारा और 21 मामलों में दरियापुर इकाई द्वारा क्रमशः 7,285 और 3,974 कुन्तल चीनी न उठाये जाने के कारण 0.36 लाख रूपये और 0.20 लाख रूपये का धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे।

2ग.11.4 प्रतिरोधक स्टाक उपदान (बफर स्टाक सब्सिडी)

भारत सरकार ने 1981-82 के पेराई मौसम में

982 में एक प्रतिरोधक स्टाक योजना प्रारम्भ की। इस के अन्तर्गत, भारत सरकार की ओर से फैक्टरियों द्वारा चीनी एक निर्दिष्ट स्टाक का अनुरक्षण करना था। अनुरक्षित किये जाने वाला अतिरिक्त प्रतिरोधक स्टाक कोटा भी फैक्टरियों को पेराई मौसम 1982-83 से आवंटित कर दिया गया था। ऐसे स्टाक के अनुरक्षण पर फैक्टरियों द्वारा नगद साख पर ब्याज, भण्डारण तथा बीमा प्रभारों के रूप में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक बिलों की प्रस्तुति पर भारत सरकार द्वारा उपदान के रूप में निम्न शर्तों के अधीन की जानी थी:-

(1) प्रतिरोधक स्टाक पृथक ढ़ेरो (लाट्स) और पृथक गोदामों से भण्डारित किया जाना चाहिये,

(2) अनुरक्षित किया जाने वाला चीनी का प्रतिरोधक स्टाक सी-30 अथवा डी-30 श्रेणियाँ अधिमान्यता (प्रिफरेबली) एक ही श्रेणी का इण्डियन शुगर स्टैण्डर्ड्स (आई.एस.एस.) का होना चाहिये और

(3) प्रतिरोधक स्टाक अविकल (इन्टैक्ट) रखा जाना चाहिये और इसे चीनी निर्देशालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सम्प्रेषित या स्थापित नहीं करना चाहिये। प्रतिरोधक स्टाक योजना दिसम्बर 1984 तक चली। जाँच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि नन्दगंज फैक्टरी द्वारा अक्टूबर 1983 से दिसम्बर 1984 हेतु, फरवरी 1984 से अप्रैल 1985 के दौरान अधिमानित (प्रिफर्ड) प्रतिरोधक स्टाक से सम्बन्धित 3.33 लाख रूपये धनराशि के त्रैमासिक बिल भारत सरकार द्वारा मई 1986 में इस आपत्ति के

साथ लौटा दिये गये कि प्रतिरोधक स्टाकों के त्रैमासिक बिल प्रत्येक त्रैमासिक के लिये अलग-अलग प्रस्तुत किये जाने चाहिये। पुनरीक्षित बिल मई 1986 में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे। किन्तु आपत्तियों पर ध्यान देने के बाद दावे भारत सरकार को कही जाकर अप्रैल 1988 में अर्थात लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किये गये, इससे नगद साख पर 1.20 लाख रूपये के ब्याज (3.33 लाख रूपयों पर दो वर्षों हेतु 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष से परिगणित) के भुगतान की ओर देयता उठायी गयी। उपदान की धनराशि अभी भी प्राप्त की जानी थी (मई 1989)।

दरियापुर फैक्टरी 31 अक्टूबर 1983 तक 9363 बोरे चीनी का प्रतिरोधक स्टाक धारित किये हुयी थी, जिसमें से निम्नतर श्रेणी अर्थात ई-30 की 2240 बोरे चीनी सम्मिलित थी। भारत सरकार को अप्रैल 1984 से अक्टूबर 1986 के दौरान प्रस्तुत किये गये फैक्टरी के 9.74 लाख रूपयों के उपदान के दावे अन्तिम रूप से फरवरी 1987 में केवल 8.59 लाख रूपयों हेतु स्वीकृत किये गये। 2240 बोरे निम्नीकृत (डिग्रेडेड) चीनी हेतु 1.15 लाख रूपयों के प्रतिरोधक स्टाक उपदान का दावा भारत सरकार द्वारा फरवरी 1987 में इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि चीनी की इसी गुणवत्ता पर उपदान स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार प्रतिरोधक स्टाक हेतु अपेक्षित श्रेणी की चीनी का अनुरक्षण न करने के कारण फैक्टरी का 1.15 लाख रूपयों की सीमा तक उत्पादन का दावा अस्वीकृत कर दिया गया।

2ग.12 भण्डार सूची नियंत्रण

2ग.12 भण्डार सूची धारण

1986-87 तक छः वर्षों मे प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभुक्त भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य तथा वर्ष की समाप्ति पर शेष निम्नवत् थे:-

वर्ष	वर्ष के दौरान भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	वर्ष की समाप्ति परभण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का इति स्टाक	महीनों की संख्या के उपभोग के रूप में इति स्टाक
	(लाख	रूपयों	में)
1981-82	27.38	24.29	10.65
1982-83	30.59	44.02	17.27
1983-84	24.60	49.52	24.16
1984-85	19.06	46.79	29.46
1985-86	19.69	43.51	26.53
1986-87	30.40	45.36	17.93

निम्नांकित बिन्दु देखे गये थे:

(1) भण्डारों की मदों हेतु अधिकतम, न्यूनतम और पुनरादेशन (रिन्आर्डरिंग) स्तर निधारित नहीं किये गये थे।

(2) भण्डारों की अगतिमान (नानमूविंग), मन्द गतिमान और तीव्र

गतिमान मदों को सुनिश्चित करने हेतु भण्डारों का क ख ग विश्लेषण नहीं किया गया।

(3) नियमित अन्तरालों में भण्डारों की अप्रयुक्त (आब्सोलीट) तथा अधिशेषमदों को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

(4) प्राप्त स्क्रैप के लेखे का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

(5) महीनों की संख्या के उपभोग के रूप में भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का इति स्टाक जो 1981-82 में 10.65 मास था उत्तरवर्ती वर्षों में बढ़ गया और 1982-83 से 1986-87 के दौरान 17.27 और 29.46 मासों के बीच था।

2 ग.13. जन शक्ति विश्लेषण

2ग.13.1 नियंत्रक कम्पनी ने जून 1978 में नन्दगंज और दरियापुर फैक्टरियें के लिए क्रमशः 749 और 801 मानक जनशक्ति संख्या (स्ट्रेन्थ) निर्धारित की। दरियापुर फैक्टरी की मानक संख्या नियंत्रक कम्पनी द्वारा जुलाई 1985 में पुनरीक्षित करके 816 कर दी गयी। जबकि नन्दगंज की वास्तविक संख्या स्वीकृत बल के अन्दर थी, दरियापुर फैक्टरी की वास्तविक संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक थी, इसके फलस्वरूप 1982-83 से 1987-88 के दौरान , जैसा कि नीचे दिखाया गया है, 25.75 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ:

विवरण	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
			(कार्मिकों की संख्या)			
स्वीकृत संख्या	801	801	801	816	816	816
वास्तविक संख्या	949	840	835	856	851	820
अधिकतम संख्या	145	39	34	40	35	4
न्यूनतम वेतन दर पर						
परिगणत अधिकनियुक्ति स्टाफ को दिया गया भुगतान	10.91	3.35	3.16	3.93	3.95	0.45

विद्यमान स्टाफ जनशक्ति को सरल और कारगर बनाने हेतु कम्पनी ने नियंत्रक कम्पनी से मानक जनशक्ति के पुन: नियतन हेतु निवेदन किया (मार्च 1988) नियंत्रक कम्पनी का निर्णय प्रतीक्षित था (अप्रैल 1989)।

2ग. 13.2 **नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति**

दोनों फैक्टरियाँ नियमित स्टाफ के अतिरिक्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति करती हैं। 1987-88 तक छ: वर्षों के दौरान

दोनों कम्पनियों द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों की नियंक्ति पर किया गया व्यय निम्नवत् था:

	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
दरियापुर	8.3	3.51	3.50	4.05	5.78	5.47
नन्दगंज	5.52	6.56	5.84	1.34	1.29	2.42

उपर्युक्त विवरणों से दृष्टव्य है कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान नन्दगंज इकाई द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति पर किया गया व्यय, इस तथ्य के बावजूद कि नन्दगंज इकाई द्वारा पेरा गया गन्ना दरियापुर इकाई द्वारा पेरे गये गन्नें की अपेक्षा कम था, दरियापुर इकाई में किये गये व्यय से अधिक था।

नन्दगंज इकाई द्वारा नैमित्तिक आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति का इस तथ्य के प्रकाश में अवलोकन करना अपेक्षित है कि लौह ढलाई पर(आइरन फाउण्ड्री), गरम जल बीज उपचार संयंत्र, चूना भट्टा और डीजल जेनेटर बेकार पड़े हुए थे। और फैक्टरी बाहरी पार्टियों से काम करवा रही थी।

2ग.13.3. समेकित (कन्सालीडेटेड) वेतन आधार पर स्टाफ की नियुक्ति

नन्दगंज इकाई ने, नियमित और नैमित्तिक स्टाफ के अतिरिक्त समेकित वेतन आधार पर स्टाफ की नियुक्ति की थी, जो अधिशासी निदेशक की शक्तियों से परे था। समेकित वेतन आधार

पर स्टाफ की नियुक्ति पर 1985-86 से 1987-88 के दौरान इकाई द्वारा किया गया व्यय निम्नवत् था:-

वर्ष	धनराशि (लाख रूपयों में)
1985-86	3.24
1986-87	3.10
1987-88	4.17

ऐसे स्टाफ की नियुक्ति हेतु औचित्य अभिलेख में अंकित नहीं था। किया गया व्यय अभी तक नियमित नहीं किया गया (जून 1988)।

2ग.13.4 समयोपरि भुगतान

क्षमताओं के कम उपयोग के बावजूद, दोनों इकाइयो ने 1982-83 से 1987-88 वर्षों के दौरान 33.07 लाख रूपयों के समयोपरि भुगतान किये (नन्दगंज : 19.90 लाख रूपये और दरियापुर : 13.17 लाख रूपयों), जैसा कि निम्नांकित सारणी में दिखाया गया है:-

विवरण	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7
नन्दगंज						
समयोपरि घण्टे (हजारों में)	51	36	48	13	33	51

1	2	3	4	5	6	7
समयोपरि वेतन (लाख रूपयों में)	3.51	2.85	3.72	1.18	3.26	5.38
दरियापुर						
समयोपरि घण्टे (हजारों में)	39	21	18	15	24	13
समयोपरि वेतन (लाख रूपयों में)	3.13	1.92	1.67	1.63	2.75	2.07

समयोपरि के भुगतान हेतु कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय हैं:-

(1) इस तथ्य के बावजूद कि नन्दगंज इकाई द्वारा पेरा गया गन्ना दरियापुर इकाई द्वारा पेरे गये गन्ने की अपेक्षा कम था, नन्दगंज इकाई द्वारा समयोपरि भुगतान दरियापुर इकाई द्वारा किये गये समयोपरि भुगतान से अधिक थे।

(2) उत्तर प्रदेश फैक्टरी रूल्स, 1950 के नियम 86(111) के अनुसार, किसी कार्यकर्ता द्वारा कार्य के कुल घण्टे 16 घण्टों के समय विस्तार (स्प्रेड ओवर) के साथ 10 से अधिक नहीं होंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में कार्य आरम्भ होने से 24 घण्टों की अवधि में 16 घण्टों से अधिक काम में नहीं लगाया जायेगा। और समयोपरि के घण्टों की संख्या भी किसी त्रैमास में 50 घण्टों से अधिक नहीं होगी।

लेखा परीक्षा में दिसम्बर 1985 से मार्च 1987 हेतु समयोपरि भुगतानों के मासिक बिलों के जाँच-परीक्षण से प्रकट हुआ कि 112 कार्यकर्ताओं को प्रतिमास 51 से 248 घण्टों हेतु समयोपरि पर काम में लगाया गया जिसके हेतु औचित्य अभिलेख में अंकित नहीं था।

2ग.14 आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा आय व्ययक नियंत्रण

2ग.14.1 आन्तरिक लेखा परीक्षा

कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा नियंत्रक कम्पनी द्वारा अपने आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न की जाती है जिसका मुख्यालय दरियाबाद (रायबरेली) में है और जो नियंत्रक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के सीधे नियंत्रण में है ।

नियंत्रक कम्पनी द्वारा निर्धारित (दिसम्बर 1982) मार्ग निर्देशनों (गाइड लाइन्स) के अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कम्पनी के सभी क्रिया कलाप समाविष्ट हैं। आन्तरिक लेखा परीक्षकों को अभ्यर्पित कर्त्तव्य है:

(1) निर्गत आदेशों और निर्धारित क्रिया विधियों के अनुपालन के मामलों को प्रबन्धकों को प्रतिवेदित करना,

(2) लेखा-अभिलेखों की यथार्थता की जाँच करना,

(3) फाटक तथा बाह्य केन्द्रों पर गन्ने की तौल की यथार्थता सुनिश्चित करना,

(4) खरीदों की पूर्व जाँच और आपातिक (इमरजेंसी) खरीदों तथा सभी भुगतानों की उत्तर जाँच (पोस्ट चेक) करना,

(5) भण्डारो और अतिरिक्त पुर्जो तथा तैयार माल का भौतिक सत्यापन और

(6) प्रबन्ध निदेशक, द्वारा सौंपी गयी निर्दिष्ट जाँच पड़तालों का सम्पादन करना ।

आन्तरिक लेखा परीक्षक को मासिक प्रतिवेदन आगामी मास के 10 दिनांक तथा नियंत्रक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को और प्रतिलिपियाँ, इकाइयों के अधिशाषी निदेशकों को प्रस्तुत करने होते हैं जिनसे अपेक्षित है कि वे अपने उत्तर सीधे प्रबन्ध निदेशक को और एक प्रतिलिपि आन्तरिक लेखा परीक्षक को भेजें । अनिस्तारित रह गये बिन्दु लेखा परीक्षक द्वारा अपने अगले मासिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने होते हैं। कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा क्रिया विधि में निम्नांकित सीमा तक कमी थी:-

(क) आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रयोग किये जाने वाले परीक्षणों की प्रतिशतता निर्दिष्ट नहीं की गयी थी ।

(ख) क्योंकि कम्पनी की दो इकाइयाँ हैं, एक आन्तरिक लेखा परीक्षक दोनो फैक्टरियों के सभी क्रिया कलापों को समाविष्ट करने में सक्षम नहीं था ।

(ग) अनिस्तारित रह गये बिन्दु आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा अपने अगले मासिक प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये। इस प्रकार उसके द्वारा की गयी अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्यवाही पर दृष्टि रखने हेतु कोई अभिलेख नहीं था ।

2ग.14.2 आय-व्ययक नियन्त्रण

किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान अनुमानित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आय-व्ययक अग्रिम में तैयार किया जाता है। यह प्रबन्धीय नियंत्रण का एक उपकरण है जिसके द्वारा प्रबन्धक

संस्था की प्रत्येक प्रशाखा का कार्य सम्पादन आंक सकते हैं और अन्तरों हेतु दोष निवारक कार्यवाही कर सकते हैं।

किन्तु कम्पनी द्वारा उत्पादन, विक्रय और वित्तीय आय-व्ययक तैयार नहीं किये गये। इन आय-व्ययकों के तैयार न करने के कारण, कम्पनी का प्रबन्ध / बोर्ड आय-व्ययकों के लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं ।

2ग.15 वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

2ग.15.1 वित्तीय स्थिति

कम्पनी द्वारा अपनाया गया लेखाकर्म वर्ष प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से 30 जून है। निम्नांकित सारणी 30 जून 1987 तक गत छः वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति संक्षेप में प्रस्तुत करती है:- [212]

देयतायें	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
		(लाख	रूपयों	में)		
प्रदत्त पूँजी (अग्रिम-शेयर आवेदन धनराशि सहित	503.00	539.97	539.97	539.97	1630.73	1719.62
आरक्षण तथा अधिशेष	225.23	229.75	232.12	233.29	233.46	233.79
ऋण	1280.67	1597.47	1635.25	1325.62	1035.25	1160.13

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
व्यापारिक देय तथा अन्य वर्तमान देयतायें (प्रावधानों सहित)	595.11	721.72	805.18	1054.03	750.72	655.70
योग	**2604.01**	**3088.91**	**3212.52**	**3152.91**	**3640.16**	**3769.24**
निवल अचल-परिसम्पत्तियाँ	676.05	553.63	481.75	416.28	357.95	307.55
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	5.82	16.58	7.71	10.56	10.45	11.04
निवेश	0.01	0.01	0.01	-	-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ						
ऋण तथा अग्रिम	699.77	888.45	671.52	267.27	437.32	622.46
विविध व्यय	0.27	0.22	0.18	0.13	0.09	0.04
संचित हानि	1222.09	1630.02	2051.35	2458.67	2834.35	2828.15
योग	**2604.01**	**3088.91**	**3212.52**	**3152.91**	**3640.16**	**3769.24**

कम्पनी प्रारम्भ से ही लगातार हानियाँ उठाती रही और 30 जून 1987 को संचित हानियों की धनराशि 28.28 करोड़ रूपये थी जिसने न केवल 17.19 करोड़ रूपयों के शेयर पूँजी अग्रिम

सहित प्रदत्त पूँजी का बल्कि 11.09 करोड़ रूपयों की सीमा तक ऋणों का भी सफाया कर दिया।

30 जून 1987 को संचित हानियां प्रदत्त पूँजी का 164.42 प्रतिशत निरूपित करती थी।

2ग.15.2 कार्यचालन परिणाम

1986-87 तक छः वर्षों हेतु कम्पनी के कार्य चालन परिणाम नीचे सारणीबद्ध किये जाते हैं:-

व्यय	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
उपभुक्त कच्चा माल	642.13	581.75	428.32	232.77	314.39	577.99
भण्डार और अतिरिक्त-पुर्जे	27.38	30.59	24.60	19.06	19.70	30.40
वेतन तथा मजदूरी	94.46	136.48	130.06	134.85	147.00.	191.98
मरम्मत तथा अनुरक्षण	22.68	49.59	38.65	31.19	27.71	48.85
बिजली तथा ईंधन	19.36	15.64	19.18	17.62	20.27	21.16
अन्य व्यय	17.36	19.09	18.18	19.36	18.65	24.16
मूल्य ह्रास	114.18	143.86	100.31	72.17	60.04	53.71
ब्याज	191.60	248.48	286.93	293.41	271.43	162.74

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
विक्रय व्यय	1.40	3.92	4.68	4.10	1.23	2.29
योग	**1130.55**	**1229.40**	**1050.91**	**824.52**	**880.42**	**1113.28**
उत्पादन का मूल्य तथा अन्य आय बिक्रियां	322.76	656.95	829.90	799.69	349.77	662.50
जोडिये: व्यापार में इति स्टाक	615.51	775.79	550.33	151.88	291.20	500.75
योग	**938.17**	**1432.74**	**1380.23**	**951.57**	**640.97**	**1163.25**
घटाइये व्यापार में अथ स्टाक	129.98	615.51	775.79	550.34	151.88	291.20
उत्पादन का मूल्य	808.29	817.23	604.44	401.23	489.09	872.05
अन्य आय	10.41	8.75	12.05	12.78	15.37	11.75
योग	**818.70**	**825.98**	**616.49**	**414.41**	**504.46**	**883.80**
कार्य चालन हानि	311.85	403.42	434.42	401.51	375.96	230.11
निवेश भत्ता, आरम्भिक मूल्य ह्रास तथा शीरा निधि को अन्तरित	0.27	4.65	2.37	1.25	0.20	0.30

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
पिछले वर्षों के प्रावधानों की वसूली जो वापस नहीं किये गये	1.80	0.14	15.47	4.43	0.48	236.00
निवल हानि (-)- लाभ (+)	-310.32	-407.93	-421.32	-407.33	-875.68	+6.19

1986-87 के दौरान नाम मात्र का लाभ इस कारण से था कि कम्पनी ने पिछले वर्षों में किये गये उस ब्याज प्रावधान को प्रतिवर्तित (रिवर्स्ड) कर दिया जो वित्तीय संस्थानों द्वारा अभित्यक्त कर दिये गये थे।

प्रबन्धकों ने वार्षिक प्रतिवेदनों में हानियों के लिये मुख्यतया सुखावन की उच्च प्रतिशतता, परिवहन की उच्च लागत और गन्ने के अनुपलब्धता के कारण संयंत्र क्षमता के कम उपयोग को कारण बताया।

किन्तु लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि स्वीकृत संख्या से अधिक स्टाफ की नियुक्ति, समयोपरि मजदूरी का भारी भुगतान और खोई, शीरा तथा प्रेस मड में चीनी का अधिक चले जांना कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानियों हेतु उत्तरदायी अन्य कारक थे।

2 ग.15.3 1986-87 तक गत छः वर्षों हेतु अलग-अलग फैक्टरियों के कार्यचालन परिणाम नीचे सारणीबद्ध किये जाते हैं:-

फैक्टरी	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
		(लाख	रूपयों	में)		
नन्दगंज						
उत्पादन का मूल्य	189.14	210.88	195.90	109.30	171.27	327.00
अन्य आय	3.11	3.24	18.18	7.60	2.51	223.28
योग	**192.25**	**214.12**	**214.08**	**116.80**	**174.78**	**550.28**
व्यय	387.80	452.34	470.41	374.70	424.77	520.77
निवल हानि (-)- लाभ (+)	195.55	238.22	256.33	257.80	249.99	+29.51
दरियापुर						
उत्पादन का मूल्य	615.15	606.36	408.53	291.94	316.80	545.04
अन्य आय	9.08	5.64	9.35	9.60	13.32	24.52
योग	**628.23**	**612.00**	**417.88**	**301.54**	**330.12**	**569.56**
व्यय	743.00	781.71	582.87	451.07	455.81	592.87
निवल हानि	114.77	169.71	164.99	149.53	125.69	23.31

इन विवरणों से देखा जा सकता है कि उत्पादन का मूल्य (इति स्टाक को जोड़कर और अथ स्टाक को घटाकर कर बिक्रियां) दोनों फैक्टरियों के मामले में किसी भी वर्ष में निर्माण, व्यापार तथा अन्य व्ययों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं था।

2ग.16 अन्य रोचक विषय

2ग.16.1 रेल पथिकर का अनुत्पादक व्यय

1975-76 हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) का प्रस्तर 2.38 सन्दर्भित किया जाता है जिसमें रेल पथिका के मार्च 1976 में पूर्ण होने किन्तु प्रयोग में न लाने के विषय में उल्लेख किया गया था ।

रेल पथिका का उद्घाटन मई 1976 में हुआ, जब प्रथम इंजन और वैगन जमीन में धंस गये और क्रेन, जो बचाव कार्य हेतु आया था, का भी वही हाल हुआ । पथिका की मरम्मत रेलवे द्वारा नहीं की गयी और रेलवे के अनुरोध पर कम्पनी ने 1979 में एक पुलिया निर्मित करायी किन्तु पथिका यातायात हेतु कभी भी पुन: स्थापित नहीं की गयी और दिसम्बर 1980 में अन्तिम रूप से बन्द कर दी गयी घोषित कर दी गयी ।

इसके अतिरिक्त रेलवे ने समय-समय पर 1.88 लाख रूपये के अनुरक्षण प्रभार और ब्याज के दावे किये जिनका भुगतान दिसम्बर 1985 से जनवरी 1987 की अवधि के दौरान किया गया।

अप्रैल 1988 में कम्पनी ने रेलवे से निम्नांकित तीन विकल्पों मे से किसी एक पर कार्यवाही करने का निवेदन करते हुये

प्रस्ताव रखा:-

(I) रेल पथिका का पुनः स्थापन

(II) कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी सभी धनराशियों की वापसी।

(III) यदि रेलवे अनुभव करती है कि मामला विवादास्पद है तो एक विवाचक (आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति।

रेलवे से अप्रैल 1989 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

इस प्रकार लागत (4.77 लाख रूपये), अनुरक्षण प्रभार तथा ब्याज (1.88 लाख रूपये), स्लीपरों की आपूर्ति (0.17 लाख रूपये) और पुलिया की लागत (0.05 लाख रूपये) के प्रति रेलवे को किये गये भुगतानों के रूप में रेल पथिका पर कम्पनी द्वारा किया गया 6.87 लाख रूपयों का व्यय निष्फल रहा।

2ग.16.2 उत्पादकों को गन्ना देयों की सीधे भुगतान के कारण परिहार्य हानि

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का विनियमन) नियमावली के नियम 45 में प्रावधान है कि यदि चीनी फैक्टरी द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ना देयों का भुगतान सीधे किया जाता है तो गन्ना मूल्य के भुगतान पर व्यय के प्रति चीनी फैक्टरी को गन्ना संघ द्वारा भुगतान योग्य पारिश्रमिक गन्ना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निश्चित किया जायेगा।

नन्द गंज फैक्टरी ने 1978-79 से 1987-88 तक गन्ना उत्पादकों को गन्ना देयों का सीधे भुगतान किया, किन्तु

पारिश्रमिक की दर गन्ना आयुक्त द्वारा निश्चित कराने के बजाय, एक गन्ना संघ (सात गन्ना संघों में से) के साथ फरवरी 1981 में 1978-79 से प्रभावी एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार संघ द्वारा भुगतान योग्य पारिश्रमिक गन्ना उत्पादकों को कम्पनी द्वारा सीधे भुगतान किये गये प्रति 1.00 लाख रूपये पर 60 रूपये था इन वर्षों के दौरान वितरण कार्य हेतु स्टाफ की नियुक्ति में फैक्टरी द्वारा किया गया व्यय 1.96 लाख रूपये था। जिसके समक्ष गन्ना संघ से प्राप्त पारिश्रमिक मात्र 0.49 लाखरूपये था। पारिश्रमिक के नियतन का मामला फैक्टरी द्वारा गन्ना आयुक्त के साथ कहीं जाकर जुलाई 1987 मे उठाया गया किन्तु अगस्त 1987 में इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि गन्ना समिति और फैक्टरी के बीच आपसी समझौतों पर नियत पारिश्रमिक पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। फैक्टरी ने गन्ना आयुक्त से अपने आदेश को पुनरीक्षित करने के लिये अक्टूबर 1987 में पुनः प्रस्ताव किया। आगे प्रगति की प्रतीक्षा थी (अप्रैल 1989)।

2ग.16.3 अग्नि के कारण हानि

17 दिसम्बर 1987 को फैक्टरी भवन के अन्दर आग लग गयी जिसमें ए.सी.बी. 3200 एम्पियर 440 वोल्ट एल.एण्ड टी. मेक 1500 के डब्ल्यू टरबाइन सेट पैनेल क्षतिग्रस्त हो गये। क्षतिग्रस्त पैनेल 17 और 27 दिसम्बर 1987 के बीच प्रतिस्थापित कर दिये गये / उनकी मरम्मत कर दी गयी जिस अवधि के दौरान फैक्टरी बन्द रही। मशीनरी तथा अन्य की मरम्मत / प्रतिस्थापन पर आग के कारण कुल हानि कम्पनी द्वारा मई 1988 में नीचे दिये

विवरणों के अनुसार 9.02 लाख रूपये निकाली गयी :

मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन	(लाख रूपयों में)
(वेतन और मजदूरी तथा समयोपरि भुगतानों सहित)	4.50
अपने गुण धर्मों (प्रापर्टीज) को खो देने- वाले प्रगतिगत- रस की लागत फैक्टरी (बन्द होने के दौरान गन्ने का सूख जाना)	4.52
योग	**9.02**

कम्पनी ने वेतन और मजदूरी (2.78 लाख रूपये सम्मिलित करते हुये किन्तु समयोपरि भुगतान (0.16 लाख रूपये) को असम्मिलित करते हुये मशीनरी की मरम्मत और प्रतिस्थापन पर 4.34 लाख रूपयों के व्यय हेतु मार्च 1988 में बीमा कम्पनी के पास दावा दायर किया । दावा मात्र 0.43 लाख रूपये हेतु तय हुआ। किन्तु प्रगतिगत रस और गन्ने की सुखावन हेतु दावा दायर नहीं किये गये जिसके कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे ।

2ग.16.4 चीनी गोदाम का निर्माण

"चीनी गोदाम नम्बर 2" का निर्माण कम्पनी के "अन्य सिविल निर्माण कार्यों" के साथ उसके लिये प्राक्कलन तैयार किये बिना, प्रतिशतता प्रभारों (15 प्रतिशत) को जोड़कर वास्तविक लागत आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू.पी.आर.एन.एन.) लिमिटेड को वर्ष 1976 में सौंपा गया ।

जनवरी 1979 में 5.00 लाख रूपये की लागत पर कार्य की प्रगति तृतीय तुला दण्ड स्तर (बीम लेबिल) तक पहुंचने के बाद, शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा मांगी गयी 3.5 लाख रूपयों की अतिरिक्त धनराशि की कमी के कारण कार्य रोक दिया गया जो कम्पनी निधि की कमी के कारण प्रदान करने में असफल रही'।

कार्य दिसम्बर 1983 तक बन्द रहा जब निविदाओं के आधार पर, शेष कार्य 5 मासों के अन्दर पूरा करने के लिये 4.87 लाख रूपयों (स्टील और जी.सी.आई. सीटों की लागत को छोड़कर) हेतु लखनऊ के एक ठेकेदार को प्रदान किया गया। किन्तु ठेकेदार, उसके पक्ष में मन्द प्रगति के कारण और फैक्टरी के पक्ष में संविदा के प्रावधानों के अनुसार निर्माण सामग्री प्रदान करने में विफलता के कारण भी, अनुबन्धित समय के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं कर सका। कार्य के 4.28 लाख रूपयों के एक भाग को पूरा करने के बाद ठेकेदार की मृत्यु हो गयी (जून 1986) । कम्पनी ने नवम्बर 1986 में शेष कार्य की लागत 0.88 लाख रूपये (स्टील तथा जी.सी.आई. सीटों की लागत छोड़कर) आकलित की। जनवरी 1987 में नई निविदायें आमन्त्रित कीं और शेष कार्य के लिये गोरखपुर के एक ठेकेदार के साथ सितम्बर 1987 में 1.85 लाख रूपयों (0.80 लाख रूपयों की अतिरिक्त मदों सहित) हेतु एक अनुबन्ध निष्कासित किया गया। इस अनुबन्ध के समक्ष, 1.57 लाख रूपयों की राशि का भुगतान पहले ही हो चुका था और 0.35 लाख रूपयों की धनराशि अन्तिम बिल में देय हो गयी थी जिसका भुगतान

सितम्बर 1988 तक नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने उपर्युक्त दो अनुबन्धों में 3.17 लाख रूपये मूल्य की स्टील और जी.सी.आई. सीटें निर्गत की थीं ।

इन्सप्रूफिंग की अतिरिक्त मद का मूल्य (0.80 लाख रूपये) असम्मिलित करते हुये 13.57 लाख रूपयों का व्यय करने के बाद 12 वर्षों के बाद गोदाम अब पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया परिणाम स्वरूप 5.07 लाख रूपयों का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका परिहार्य, यदि कार्य की पूर्णता हेतु यू.पी.आर.एन.एन. को उनके द्वारा मांगे गये 3.50 लाख रूपये प्रदान कर दिये गये होते किया जा सकता था। 13.57 लाख रूपयों के व्यय में ढहाने (डिस्मैटलिंग) और फर्श में परलिन्स तथा ईंटे पुनः बिछाने में व्यय की गयी 0.46 लाख रूपये की धनराशि सम्मिलित थी जो आवश्यक था क्योंकि पहले निष्पादित किया गया ईंट का कार्य इन्सप्रूफिग के लिये उपयुक्त नहीं था ।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 1988) कि निधि की कमी के कारण 3.5 लाख रूपयों की धनराशि यू.पी.आर.एन.एन. को प्रदान नहीं की जा सकी और कार्य लगभग 4 वर्षों के लिये रूका रहा। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1990 तक यू.पी.आर.एन.एन. को दिये गये अग्रिमों में से 2.21 लाख रूपयों की धनराशि सितम्बर 1988 तक उनसे प्राप्य थी ।

2ग.16.5 अनियमित अनुग्रह (एक्सगेसिया) भुगतान

कम्पनी की दरियापुर इकाई 1981-82 वर्ष के

दौरान बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आती थी। दरियापुर इकाई के कार्यकर्ताओं को उनका नैतिक स्तर तथा कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु 2 मास के वेतन के बराबर अनुग्रह भुगतान हेतु 10 मई 1982 को निर्देशक मण्डल के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूँकि राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह भुगतान पर रोंक लगा दी गयी है (फरवरी 1982), अतः मामला राज्य सरकार को उनके अनुमोदन हेतु सन्दर्भित कर दिया जाय । किन्तु फैक्टरी ने राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बिना सितम्बर/ अक्टूबर 1982 के दौरान 6.33 लाख रूपयों का अनुग्रह भुगतान कर दिया ।

भुगतान हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते समय (दिसम्बर 1985) निर्देशक मण्डल ने कम्पनी के अध्यक्ष को 45 दिनों हेतु अनुग्रह भुगतान के सम्बन्ध में दरियापुर इकाई के अधिशाषी निर्देशक के अनुत्तरदायी कार्य की जाँच पड़ताल करने के लिए निदेश दिया । राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन तथा अधिशाषी निर्देशक के विरूद्ध कृत कार्यवाही के विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ।

स्थानीय प्रबन्धक द्वारा यह बताया गया (अक्टूबर 1988) कि अनुग्रह भुगतान कार्यकर्ताओं की बल पूर्वक मांग और 1981-82 के दौरान चीनी के आशातीत एक्स टेम्पोर उत्पादन के कारण किया गया था।

2ग.16.6 गन्ना देयों के भुगतान में विलम्ब

गन्ना के क्रय के 15 दिनों के अन्दर फैक्टरी द्वारा समितियों को गन्ना मूल्य भेजा जाना अपेक्षित है, जिसके न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है ।

यह देखा गया कि फैक्टरियों द्वारा गन्ना देयों के भुगतान में समय-समय पर विलम्ब हुआ जिससे कम्पनी ब्याज के भुगतान हेतु दायी बन गयी । 30 जून 1987 को नन्दगंज तथा दरियापुर फैक्टरियों के मामले में इस मद पर ब्याज की देयता 12.17 लाख रूपये आयी ।

उपर्युक्त मामले सरकार को फरवरी 1990 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990)।

अनुच्छेद 2घ

क्षेत्रीय विकास विभाग

मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

मुख्य बातें

मुरादाबाद मण्डल के तीन जिलों (मुरादाबाद, रामपुर एवं बिजनौर) के आर्थिक विकास हेतु मार्च 1977 में कम्पनी निगमित की गयी थी। 25 लाख रूपये की प्रदत्त पूँजी में से 20 लाख रूपये मार्च 1981 तक बैंकों में जमा रहे। यद्यपि अर्जित ब्याज पर आयकर देय था, आयकर परिलेख दायर करने में तथा अग्रिम कर भुगतान करने में असफल रही और परिणामतः इसे आयकर विभाग द्वारा आरोपित 1.35 लाख रूपये का अर्थदण्ड का भुगतान करना पड़ा।

कम्मनी ने केवल कृषीय निवेशों (इन्पुट्स) के क्रय एवं वितरण हेतु सरकार से 64.60 लाख रूपयों का आवधिक ऋण प्राप्त किया। जब कि ऋण की धनराशि गेहूँ की अधि-प्राप्ति में उपयोजित कर ली गयी, मूलधन एवं ब्याज की धनराशि, अगस्त 1988 तक नियत का भुगतान नहीं किया गया। कम्पनी ने समय पर पुनर्भुगतान के हेतु प्राप्य 1.35 लाख रूपये की छूट का लाभ भी खो दिया।

निर्माण, व्यापारिक क्रियाकलापों तथा कम्पनी द्वारा हाथ में ली गयी सरकार द्वारा पोषित समाज कल्याण की योजनाओं की समीक्षा से निंम्न तथ्य प्रकट हुये:-

निर्माण सम्बन्धी क्रिया कलाप

(I) वन विभाग की निम्न घनत्व वाले पोलीथीन के थैलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिसके निर्माण हेतु कम्पनी ने अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की थी, दिसम्बर 1985 में निर्गत तथा अप्रैल 1988 में पुनरावृत्त शासनादेशों के उल्लघंन में प्राईवेट पार्टियों से थैलों की अधिप्राप्ति की। और भी वन विभाग, सरकार तथा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को, अपने पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपने स्वामित्व तथा प्रबन्ध वाली औद्योगिक इकाइयों का गलत प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करके कम्पनी ने कच्चे माल का आवंटन प्राप्त किया तथा उसको अनधिकृत रूप से प्राइवेट पार्टियों को व्यावर्तित कर दिया। और भी, कम्पनी ने कच्चे माल के क्रय पर 0.54 लाख रूपयों की धनराशि परिहार्य व्यापारियों के कमीशन का भुगतान किया ।

(II) वर्ष 1983-84 से 1987-88 के दौरान 4 ईंट भट्ठे चलाने में क्रिया कलाप की समाप्ति के अतिरिक्त कम्पनी की क्षमताओं के कम उपयोग के कारण 12.55 लाख रूपये की उत्पादन हानि उठानी पड़ी, साथ ही 31 मार्च 1989 को 2.24 लाख रूपये मूल्य का बिना बिका स्टाक पड़ा रहा ।

(III) 1984-85 और 1987-88 के मध्य सौर चूल्हों का निर्माण करने तथा उनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु कम्पनी द्वारा किये गये प्रयत्नों को भी बहुत कम सफलता मिली क्योंकि बिक्री के

लिये उपलब्ध 7,102 चूल्हों में से केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के उपदान के बावजूद केवल 3,153 चूल्हे अन्तिम प्रयोक्ताओं को बेचें जा सके ।

ख. व्यापारिक क्रिया कलाप

(I) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान लघु सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों की नि:शुल्क बोरिंग में प्रयोग हेतु कम्पनी ने, दर संविदा पर इन पाइपों की उपलब्धता के बावजूद एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से उच्चतर दरों पर 34,299 मीटर 4 के.जी./ 6 के.जी. प्रेशर पी.वी.सी. पाइप क्रय किये और 1.74 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय किया ।

(II) भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 1988 में गेहूँ की अधिप्राप्ति में कम्पनी के कार्य सम्पादन में, किसानों को भुगतान किये गये 2 रूपये प्रति कुन्तल प्रोत्साहन के बावजूद, पूर्वगत वर्ष में अधिप्राप्त की तुलना में 20 प्रतिशत गिरावट आ गयी ।

ग. समाज कल्याण योजनाये

(I) कम्पनी ने राज्य द्वारा पोषित बाल विकास / सूखा राहत योजना 1987-88 के अन्तर्गत पुष्ट आहार / पोषण आहार की विभिन्न मदों की क्रय उच्च दरों पर एक ऐसे स्थानीय आपूर्तिकर्ता से किया, जिसने उसी योजना के अन्तर्गत मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड को काफी निम्नतर दरों पर उन्हीं मदों की आपूर्ति की थी तथा 2.84 लाख रूपयों का अतिरिक्त लागत पर अन्य मदों के क्रय के अतिरिक्त 2.23 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने

इसी योजना के अन्तर्गत हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को उच्चतर दरों में इन मदों की आपूर्ति द्वारा 1.87 लाख रूपयों का लाभ भी अर्जित किया। इसके फलस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत 29.3 प्रतिशत की सीमा तक अपेक्षाकृत कम मात्राओं का वितरण हुआ ।

(II) अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर सिंचाई सुविधायें प्रदान करने हेतु कम्पनी ने 1.36 लाख रूपयों की लागत पर 28 सामुदायिक नलकूप अप्रैल 1982 और 1985 के बीच निष्पादित किये। इसके पास लाभान्वितों की संख्या तथा सिंचित भूमि के क्षेत्रफल के विषय में सूचना नहीं दी, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि योजना पर किया गया व्यय उचित था। 1987-88 तक राजस्व प्राप्ति में गिरावट लगभग 1.51 लाख रूपये थी और यह मुख्यतया किसानों को उधार सुविधा प्रदान करने में कम्पनी की असमर्थता के कारण थी । चूँकि इस सेवा से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी अतः फरवरी 1988 में सभी नलकूपों को नीलाम कर देने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार योजना विफल थी और निवेश अधिकांश रूपसे निष्फलं सिद्ध हुआ ।

(III) अनुसूचित जाति के किसानों के खेतों में "निःशुल्क बोरिंग" योजना के अन्तर्गत कम्पनी एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा साथ-साथ किये गये व्यय की तुलना से यह प्रकट हुआ कि कम्पनीने अतिरिक्त मदें प्रदान करके 2.03 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय किया। यद्यपि योजना में सूखे की स्थिति में सिंचाई सुविधा प्रदान करना आयोजित था और बोरिंग कार्य नवम्बर 1987 तक पूर्ण किया जाना नियत था लेकिन कम्पनी ने नवम्बर 1987 तक केवल एक ही

बोरिंग पूर्ण कर सकी। अगस्त 1988 तक पूर्ण की गयी 279 बोरिंगों में से उस दिनांक तक केवल 93 लाभभोगियों को डीजल इंजन के क्रय हेतु ऋण/ उपदान स्वीकृत किया जा सका इससे योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया। कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष अपेक्षित संख्या में निर्देशक मण्डल की बैठकें सम्पन्न नहीं करायी : जो कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लघंन था। 1983-84 तथा आगे के लेखे बकाया में थे इसीलिये लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय परिणामों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सका ।

2घ.1 भूमिका

मुरादाबाद, रामपुर एवं बिजनौर जिलों से समाविष्ट मुरादाबाद मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी विकास को प्रोन्नत करने अथवा प्रगतिशील बनाने की दृष्टि से मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में 30 मार्च 1977 को निगमित किया गया था।

जुलाई 1977 में मुरादाबाद मण्डल की समाप्ति के फलस्वरूप बोर्ड ने अक्टूबर 1977 में कम्पनी की स्वैक्षिक समाप्ति का निर्णय लिया जिसकी बाद में वार्षिक सामान्य बैठक में पुष्टि भी की गयी। लेकिन अगस्त 1981 में मुरादाबाद मण्डल की पुनर्स्थापना के साथ ही इसी माह में कम्पनी पुन: प्रवर्तित कर दी गयी।

2घ.2 उद्देश्य

कम्पनी के लक्ष्य एवं उद्देश्य जैसा कि वे उसके संस्था के ज्ञापन पत्र (मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन) में दिये गये हैं,. पूर्णतया

सर्वांगपूर्ण हैं एवं मण्डल के अधीन तीनों जिलों के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सब प्रकार के विकासात्मक क्रिया कलापों का अपने में समावेश करते हैं। कम्पनी ने अब तक निम्न मुख्य क्रिया कलापों को अपने हाथ में लिया है।

(I) रामपुर में सौर चूल्हों तथा मुरादाबाद में पोलीथीन थैलों एवं ईंटों के निर्माण एवं बिक्री हेतु इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन ।

(II) पी.वी.सी. पाइपों, डीजल इंजनों, खाद, अन्न आधानों (ग्रेन्नबिन्स) और कीटनाशक दवाओं की अधिप्राप्ति एवं विक्रय ।

(III) राज्य सरकार द्वारा पोषित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को चलाना जैसे (क) आंगनवाड़ी एवं सूखा राहत योजना के अन्तर्गत "पुष्टाहार की आपूर्ति" (ख) एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी उपकरणों, डनलप गाड़ियों इत्यादि का विक्रय (ग) विशेष संघटक (कम्पोनन्ट) योजना के अन्तर्गत नलकूपों की निःशुल्क बोरिंग और (घ) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति इत्यादि ।

(I) कस्टम सेवायें प्रदान करना जैसे ट्रैक्टरों को किराये पर लेना तथा सिंचाई के प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति ।

2घ.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

मार्च 1988 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये निर्माण सम्बन्धी क्रिया कलाप, सौर चूल्हे, पोलीथीन के थैले तथा ईंटों के व्यापारिक क्रियाकलाप (पी.वी.सी. पाइप लाइन, खाद एवं कीटनाशक दवायें) तथा समाज कल्याण

योजनाओं (पुष्टाहार की आपूर्ति, सामुदायिक नलकूपों का क्रियान्वयन एवं निःशुल्क बोरिंग योजनायें) की समीक्षा भी लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षित किये गये और उनके निष्कर्ष उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये जाते हैं।

2घ.4 संघटन का ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक तथा दस अन्य निदेशकों, सभी राज्य सरकार द्वारा नामांकित, से युक्त एक निर्देशक मण्डल में निहित है। अंशकालिक अध्यक्ष का पद सर्वदा आयुक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा पदाधिकार रूप में धारण किया जाता है। 31 मार्च 1988 को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सहित 12 निर्देशक थे। प्रबन्ध निर्देशक की सहायता के लिये योजना प्रबन्धक, विपणन प्रबन्धक होते हैं।

19 फरवरी 1981 से 14 दिसम्बर 1988 तक प्रबन्ध निदेशक का पद 6 अधिकारियों द्वारा धारण किया गया है। प्रबन्ध निदेशकों की कार्य अवधि अत्यन्त कम रही, उनमें से पाँच ने बहुत कम समय जैसे 4 मास और 14 दिन, 5 मास एवं 5 दिवस, 5 मास एवं 22 दिवस, 10 मास एवं 26 दिवस और एक वर्ष 5 मास एवं 22 दिवस के लिये प्रभार धारण किया। प्रबन्ध निदेशक के पद धारण काल में प्रायः होने वाले परिवर्तनों के कारण, कम्पनी मुरादाबाद मण्डल विकास हेतु दीर्घकालिक योजनायें प्रारम्भ न कर सकी। कम्पनी ने समय समय पर 4 ईंट भट्ठे का परिचालन, खाद एवं कीटनाशक दवाओं का विक्रय, सामुदायिक नलकूपों की बोरिंग

इत्यादि अपने हाथ में लिया था, जो सभी समय समय पर छोड़ दिये गये। जिससे आभास होता है कि कम्पनी अधिकांशतः अल्पकालीन क्रिया कलाप ग्रहण कर रही थी ।

2घ.5 निधि व्यवस्था

100 लाख रूपये की प्राधिकृत पूँजी के समक्ष 31 मार्च 1988 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 25 लाख रूपये की थी। राज्य सरकार से जुलाई 1977 में प्राप्त 20 लाख रूपये की अंश पूँजी प्रथमतया जुलाई 1977 से जुलाई 1978 के दौरान नियत कालिक जमा (19.40 लाख रूपये) तथा बचत बैंक खाते (0.60 लाख रूपये) में रखी गयी थी। नियत कालिक जमा की सम्पूर्ण धनराशि अप्रैल 1978 में (14.50 लाख रूपये) और जुलाई 1978 में 4.90 लाख रूपये बचत बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी। और मार्च 1981 तक अनुपयोजित पड़ी रही क्योंकि कम्पनी को बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका था और इस प्रकार कम्पनी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी ।

यद्यपि 1977-78 से 1980-81 की अवधि के दौरान इन जमा निधियों पर अर्जित 4.00 लाख रूपये के ब्याज पर कम्पनी आयकर के भुगतान की दायी थी फिर भी यह आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय से परिलेख प्रस्तुत करने में तथा अग्रिम कर जमा करने में भी असफल रही। इसके फलस्वरूप आयकर विभाग ने नवम्बर 1984 में अग्रिम कर जमा न करने के लिये (0.59 लाख रूपये) एवं आयकर परिलेख प्रस्तुत करने में विलम्ब हेतु (0.76 लाख रूपये) 1.25 लाख रूपये का दण्डात्मक

ब्याज आरोपित कर दिया जो कम्पनी द्वारा फरवरी 1985 में आयकर आयुक्त (अपीलीय) के समक्ष अपील दायर की जिसने जून 1985 में कम्पनी के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये 1977-78 से 1980-81 के वर्षों के दौरान किये गये केवल 0.10 लाख रूपयों का व्यय अनुमत किया। उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध कम्पनी द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त लखनऊ के समक्ष अक्टूबर 1985 में दायर एक अपील अनिर्णित पड़ी है (सितम्बर 1989)।

2घं.5.2 ऋण

किसानों को कृषि सम्बन्धी निवेशों (इन्पुट्स) के वितरण के लिये प्रबन्ध करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1985 एवं नवम्बर 1986 में 5 लाख रूपये एवं 59.60 लाख रूपये के दो अल्पावधिक ऋण क्रमशः स्वीकृत किये गये जिनका आहरण कम्पनी द्वारा क्रमशः 31 जनवरी 1986 एवं 12 मार्च 1987 को आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से किया। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:

(1) ऋणों का आहरण तिथि से 6 माह के अन्दर पुनर्भुगतान करना था और ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान करने हेतु 3.5 प्रतिशत वार्षिक छूट के साथ 16.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज धारण करते थे। कम्पनी ने न तो ऋण की धनराशि का पुनर्भुगतान किया और न ब्याज (अगस्त 1989 तक 27.23 लाख रूपये) का ही अब तक (सितम्बर 1989) भुगतान किया ।

(11) 59.60 लाख रूपयों के ऋण के सम्बन्ध में, सरकार ने

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग को दिसम्बर 1986 में ऋण को 30.00 लाख रूपये और 29.60 लाख रूपये की दो किश्तों में वितरित करने के लिये निर्देश दिया। ऋण की दूसरी किश्त प्रथम किश्त हेतु उपभोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही मुक्त की जानी थी। इन आदेशों की अवहेलना कर ऋण की पूर्ण राशि मार्च 1987 में एक किश्त में मुक्त कर दी गयी।

(iii) जब कि ऋण की धनराशि को केवल किसानों को उनके वितरण हेतु उपयोजित की जानी अपेक्षित थी, ऋण का एक बड़ा भाग (1987-88 में 30 लाख रूपये एवं 1988-89 में 10 लाख रूपये) कम्पनी द्वारा बिना राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये गेहूँ की अधिप्राप्ति में उपयोजित किया गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1988) नगद साख सीमा की देर से स्वीकृति के कारण निधियों को गेहूँ की अधिप्राप्ति में उपयोजित कर ली गयी। जो भी हो निधियाँ सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना व्यावर्तित कर दी गयी ।

2घ.6 निर्माण सम्बन्धी क्रिया कलाप

2घ.6.1 पौध घर हेतु निम्न घनत्व के पोलीथीन के थैले

50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि के वनीकरण द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी असंतुलन का सामना करने के लिये राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद् की स्थापना के लिये भारत सरकार के 1985 के निर्णय के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1985 में मण्डलीय विकास निगमों को पोलीथीन थैलों के निर्माण एवं वन

विभाग को उनकी आपूर्ति अपने हाथ में लेने के लिये निर्देश देते समय दुहराया कि निगमों को प्राइवेट पार्टियों से क्रय किये हुये थैलों की आपूर्ति से विरत होना चाहिये ।

इसीलिये जुलाई 1986 में कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निम्न घनत्व वाले पोलीथीन के थैलो के निर्माण हेतु एक औद्योगिक इकाई स्थापित करनें के प्रस्ताव पर विचार किया, जो इसके विक्रय प्रबन्धक द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार न करने के कारण स्थापित नहीं की जा सकी। फिर भी, निदेशक मण्डल ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने का अनुसरण नहीं किया, इसके बदले में इसने नवम्बर 1986 में यह निर्णय लिया कि थैलों की निर्माण के लिये प्राइवेट पार्टियों को ठेके प्रदान करके थैले की आपूर्ति की जाय, यद्यपि यह शासन के निदेशों के उल्लघंन में था ।

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच परीक्षा से निम्न कमियां / अनियमिततायें प्रकाश में आयीं।

2 घ.6.1.1 कच्चा माल

(1) भारत पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) भारत सरकार का एक उपक्रम देशी तथा आयातित दोनों एल.डी.पी.ई. दानों जो पोलीथीन के थैलों कें निर्माण में प्रयुक्त कच्चामाल है का विक्रय मूल्य एवं वितरण नियमित करता है ।

कम्पनी द्वारा दिसम्बर 1986 में एल.डी.पी.ई. के दानों के आवंटन हेतु सम्पर्क करने पर एस.टी.सी./आई.पी.सी.एल.

ने 56 टन एल.डी.पी.ई. आवंटित किया (जनवरी 1987 से जून 1988)। प्रबन्धकों ने न तो एस.टी.सी. के विपणन प्रभाग खण्ड से और न तो सीधे आई.सी.पी.एल. से दानों को उठाया अपितु फरवरी 1987 और जून 1988 के मध्य गाजियाबाद के एक ब्यापारी से क्रय किया। फलस्वरूप 56 टन दानों के क्रय पर ब्यापारी के कमीशन के प्रति 0.54 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

(II) आई.पी.सी.एल.द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न श्रेणियों के पालीमर उत्पादनों के विक्रय मूल्यों में "बी" श्रेणी के मूल्य "ए" (मानक) श्रेणी के मूल्यों की अपेक्षा 500 रूपये प्रति टन कम थे फिर भी, 56 टन एल.डी.पी.ई. के इस क्रय में भुगतान इस तथ्य के बावजूद कि न तो फर्म ने अपने किसी बिल में यह अंकित किया कि आपूर्तियाँ "ए" श्रेणी की थी और न तो श्रेणी से सम्बन्धित गुणत्व का निरीक्षण ही किया गया, "ए" श्रेणी के गुणत्व वाले के लिये लागू दरों पर किया गया, इसके फलस्वरूप फर्म को 0.28 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया।

2घ.6.1.2 पोलीथीन थैलों की अधिप्राप्ति एवं विक्रय नीचे दी गयी तालिका अप्रैल 1987 से जुलाई 1988 के दौरान फर्मवार निर्गत, वापस प्राप्त पोलीथीन के थैलों तथा निर्माताओं के पास पड़े हुये कच्चे माल के अवशेष के विवरण प्रस्तुत करती है :

निर्माता का नाम	निर्गत कच्चे माल का भार	वापस प्राप्त निर्मित पोलीथीन थैलों का भार (किलोग्राम)	फर्म के पास पड़े कच्चे माल का अवशेष
प्रकाश इण्टर प्राइजेज (ए)	9550	9640.500	-90.500
न्यू एरो प्लास्टिक्स (बी)	9875	9410.950	464.000
स्टार पोलीथीन इण्डस्ट्रीज (सी)	21850	21846.750	3.250
प्लास्टिक होम (डी)	9725	8935.400	789.600
योग	51000	49833.600	1166.400

फर्मों से वापस प्राप्त 49833.6 किलोग्राम के थैलों में से, कम्पनी वन विभाग को केवल 38,558.88 किलोग्राम भार के थैलें ही विक्रय कर सकी और शेष 11274.72 किलोग्राम भार के 1.13 करोड़ थैले (मूल्य 4.01 लाख रूपये) भण्डार में पिछले 2 माह से अधिक समय से पड़े हुये थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास 1000 किलोग्राम कच्चे माल (मूल्य 0.31 लाख रूपये) के अतिरिक्त 1166.4 किलोग्राम का भण्डार (मूल्य 0.42 लाख रूपये) फर्मों के पास पड़ा हुआ था।

दर सूचियाँ (कोटेशन) आमन्त्रित करने के उपरान्त, कम्पनी ने 5.10 रूपये प्रति किलोग्राम की न्यूनतम निविदा दर पर उपर्युक्त फर्मों को कम्पनी द्वारा आपूर्ति कच्चे माल मे से पोलीथीन थैलों के निर्माण कार्य प्रदान किया। फिर भी यह देखा गया कि कम्पनी 2.10 रूपये प्रति किलोग्राम अपने निर्धारण के बावजूद

5.10 रूपये प्रति किलोग्राम की न्यूनतम दर पर सहमत हो गयी थी। 1.00 रूपये परिवहन प्रभारों (0.02 रूपया) 2 प्रतिशत छीजनों (0.56 रूपया) तथा 15 प्रतिशत लाभ सीमान्त (0.40 रूपया) के प्रति अनुमत करने के बाद भी परिचालन कम्पनी द्वारा सहमत 5.10 रूपये प्रति किलोग्राम की दर के समक्ष 3.10 रूपये प्रति किलोग्राम आती है। अप्रैल 1987 से जुलाई 1988 के दौरान 49833.60 किलोग्राम निर्मित कराये गये थैलों के सम्बन्ध में इस मद पर कम्पनी द्वारा किया गया अतिरिक्त ब्यय 0.99 लाख रूपये आया।

कार्य निष्पादन की लागत 2.10 रूपये प्रति किलोग्राम निकल आने के उपरान्त अन्तर पर्याप्त (निविदागत दर का लगभग 60 प्रतिशत) होने के कारण कम्पनी को या तो मूल्यों में सम्भव कमी हेतु फर्मों के साथ बात चीत करनी चाहिये थी अथवा कार्य हेतु पुन: निविदा आमन्त्रित करनी चाहिये थी। और भी, विशेष रूप से कम्पनी द्वारा निकाली गयी कार्य निष्पादन की लागतों तथा प्राइवेट फर्मों द्वारा उद्धत दरों में पर्याप्त अन्तर होने की दृष्टि से कम से कम इस स्तर पर कम्पनी को अपनी स्वयं की निर्माण इकाई के स्थापित करने के अपने इससे पहले के निर्णय को पुनर्जीवित करना चाहिये था।

और भी, इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि मार्च 1988 में कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन (रिप्रेसेन्टेशन) पर कि उनकी औद्योगिक इकाई

अर्थात नैनीताल स्थित पर्वत प्लास्टिक्स को वन विभाग द्वारा अपनी निर्माण क्षमता के अनुरूप पोलीथीन थैलों की आपूर्ति करने के आदेश नहीं दिये गये क्योंकि कुछ मण्डलीय विकास निगमों ने, जिनके पास अपनी औद्योगिक इकाइयाँ नहींथी, प्राइवेट पार्टियों से उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् थैलों की आपूर्ति की। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पालीथीन थैलों के व्यापारिक क्रिया कलापों में संलग्न न होने के लिये अनुमत न करने की अपनी नीति स्पष्टतया निर्दिष्ट करते समय मुख्य अरण्यपाल को अप्रैल 1988 में मामले की जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निदेशित किया। प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

कच्चे माल का आवंटन प्राप्त करने के लिये क्रेता द्वारा थैले के निर्माण हेतु संस्थापित मशीनों के समर्थन में प्रलेखी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। फिर भी, कम्पनी ने प्राइवेट निर्माताओं जैसे जेब्राइल पोलीथीन इण्डस्ट्रीज, मुरादाबाद, प्लास्टिक होम, मुरादाबाद इत्यादि से प्राप्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे कि उनके स्वामित्व वाली निर्माण इकाइयाँ कम्पनी को पट्टा / अनुबन्ध आधार पर एक निश्चित समय के लिये हस्तान्तरित की जा रही थी। वास्तव में अनुबन्ध आधार पर इकाइयों को अपने हाथ में लेने हेतु इन पार्टियों के साथ किसी भी समय कोई अनुबन्ध नहीं किये गये थे और ये इकाइयाँ सम्बन्धित स्वामियों द्वारा उस वस्तुओं के साथ साथ कम्पनी द्वारा अपेक्षित पोलीथीन थैलों के निर्माण हेतु परिचालित की जा रही थीं। और भी कम्पंनी ने इन फर्मों के साथ ठेके का काम

(जाब वर्क) के आधार पर ही पोलीथीन थैलों के निर्माण हेतु अनुबन्ध किये थे ।

मुख्य अरण्यपाल द्वारा निर्गत 'आदेशों के क्रियान्वयन में खण्डीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद ने दिसम्बर 1986 में सूचित किया कि कम्पनी ने अपनी स्वयं की निर्माण इकाई "कुण्डरको" में स्थापित की है तथा इकाई को उनके विक्रय प्रबन्धक द्वारा मौखिक रूप से सत्यापित कर दी गयी है। फिर भी, यह देखा गया कि चूँकि एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिये निदेशक मण्डल द्वारा जुलाई 1986 में लिया गया निर्णय व्यवहार्यता प्रतिवेदन की तैयारी के अभाव में लम्बित रखा गया था, निदेशक मण्डल ने केवल नवम्बर 1986 में प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से थैलों के निर्मित कराये जाने का निर्णय लिया। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार एक फैक्टरी के अस्तित्व का अक्टूबर 1986 में सत्यापित किया जाना प्रतिवेदित किया गया था। और भी, यदि कम्पनी ने अक्टूबर 1986 में अपनी प्राइवेट पार्टियों से थैलों की अधिप्राप्ति हेतु नवम्बर 1986 में निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

इस प्रकार अपने पर्यवेक्षण में औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व एवं प्रबन्धन के हेतु गलत प्रलेखी प्रमाण प्रस्तुत करके, कम्पनी ने कच्चे माल का आवंटन प्राप्त किया था जो बाद में प्राइवेट पार्टियों को अनुबन्धित ठेका दरों पर थैलों के निर्माण हेतु अनधिकृत रूप से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था जो स्पष्टतया सरकारी आदेशों के उल्लंघन में था ।

2घ.6.2 **ईंट भट्टों का परिचालन**

मुरादाबाद जिले में ईंटों के अभाव को कम करने की दृष्टि से कम्पनी के निदेशक मण्डल ने जनवरी 1984 में किराये पर ईंटे के क्षेत्रों में ईंट भट्टों का संचालन अनुमादित किया। तदनुसार बिलारी (जनवरी 1984), अकरौली (जनवरी 1984), सहसपुर (सितम्बर 1986) और रामपुर जाट (नवम्बर 1987) में प्रथम तीन भट्टों में 15 रूपये प्रति हजार साँचे में ढली हुयी ईंटों तथा रामपुर जाट भट्टे में 16 रूपये प्रति हजार साँचे में ढली ईंटों के किराये पर चार ईंट भट्टे खोले गये।

नीचे दी गयी तालिका इन ईंट भट्टों की परिचालन कार्यसम्पादन सूचित करती है:

ईंट भट्टे का नाम	अनुबन्ध की अवधि	लक्ष्यीकृत उत्पादन	साँचे में ढली ईंट	नष्ट हो गई कच्ची ईंटें	पकी हुई उत्पादित ईंटे	बिकी ईंटे 31.3.89 तक	31.3.89 को अन्त शेष	अन्तशेष का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(संख्या लाखों में)					
बिलारी	जनवरी से सितम्बर 1984	30	24.33	2.34	21.99	21.90	0.07[x]	0.01
अकलौली	तदैव	30	18.07	0.63	17.44	16.80	0.64[xx]	0.03
सहसपुर	सितम्बर 1986 से सितम्बर 1987	36	27.10	1.19	25.91	25.91	–	–
रामपुर जाट	नवम्बर 1987से नवम्बर 1988	36	15.52	6.35	9.17	0.49	8.68	2.20

[x] सभी घटिया गुणत्व वाली पीली ईंटे।
[xx] सभी टूटी फूटी ईंटे।

अभिलेखों के जाँच परीक्षण से निम्न तथ्य प्रकट हुए:

(1) यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन में प्रत्येक भट्ठे का संचालन 5 वर्षों के लिए संकल्पित था, लेकिन ईंट क्षेत्र के स्वामियों के साथ अनुबन्ध केवल 9-12 मास के लिए किया गया था और भट्टे केवल एक मौसम हेतु चलाये गये थे क्यों कि भट्टों के स्वामी अनुबन्धों को बढ़ाने पुनः निष्पादित करने के लिए सहमत नहीं हुए।

(2) प्रबन्ध, श्रम समस्या के कारण किसी भी ईंट भट्टे में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके परिणाम स्वरूप कम उपयोग के कारण प्रत्येक ईंट भट्टे की औसत लागत पर आकलित 12.55 लाख रुपये की सीमा तक उत्पादन की हानि हुई।

(3) रामपुरा जाट में 9.17 लाख पकी ईंटों में से, 3.81 लाख ईंटों की मात्रा (मूल्य लगभग 1 लाख रूपये) अभी तक (मई 1989) भट्टे के बाहर नहीं निकाली गई क्योंकि जुलाई 1988 में भट्टा प्रभारी के सेवाओं की समाप्ति के पश्चात् वहाँ कोई भट्टा प्रभारी नियक्ति नहीं किया गया। और भी 5.36 लाख निकाली गई ईंटों में से कम्पनी केवल 0.49 लाख ईंटों का 0.11 लाख रूपये में विक्रय कर सकी। शेष ईंटें(4.87 लाख) अपने हीन गुणत्त्व के कारण बिना बिक्री पड़ी हुई थी।

(4) प्रबन्धकों ने 31 मार्च 1989 को 9.41 लाख ईंटों के

संचित स्टाक का मूल्य 2.24 लाख रुपये निकाला जिनमे 0.73 लाख पीली तथा टूटी फूटी ईंटें और 3.81 लाख भट्टे में पड़ी हुई ईंटें सम्मिलित थीं।

(5) कम्पनी ने रामपुरा जाट भट्ठे के सम्बन्ध में वित्तीय विवरणी तैयार नहीं थी। शेष 3 भट्टे के सम्बन्धा में 3.05 लाख रुपये के परियोजित लाभ के विरुद्ध (बिलारी और अकरौली:प्रत्येक 1.08 लाख रुपये, सहसपुर: 0.89 लाख रुपये) कम्पनी केवल 1.14 लाख रुपयों का लाभ अर्जित कर सकी (बिलारी: 0.39 लाख रुपये, अकरौली: 0.50 लाख रुपयों और सहसपुर 0.25 लाख रुपये) । लाभ में कमी कम विक्रय के कारण हुई जो (लाभ) भट्टों के कम उपयोग एवं ईंटों के घटिया गुणत्व के कारण था।

2.घ.6.3 सौर चूल्हा फैक्टरी

सौर उर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निदेशक मण्डल ने दिसम्बर 1983 में रामपुर में 0.27 लाख रुपये की पूँजी की लागत पर 3000 सौर चूल्हे प्रति वर्ष निर्माण करने की संस्थापित क्षमता वाली एक सौर चूल्हा फैक्टरी 0.23 लाख रुपये की वास्तविक लागत से स्थापित की तथा फैक्टरी ने जनवरी 1984 में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

नीचे दी गई तालिका 1987-88 तक 5 वर्षों के

दौरान चूल्हों का वर्षवार उत्पादन तथा विक्रय दर्शाती हैं:

वर्ष	उत्पादन	क्रय	योग	विक्रय: व्यापारियों को	विक्रय: सरकारी विभागों को	विक्रय: फुटकर विक्रय	विक्रय: योग	अन्त शेष
जनवरी 1984 से मार्च 1984 तक	222	-	222	—	—	—	—	222
1984-85	2105	—	2105	1695	250	147	2092	235
1985-86	1177	796	1973	1947	195	-	2142	66
1986-87	952	539	1491	978	461	-	1439	118
1987-88	936	375	1311	555	754	-	1309	120
योग	5392	1710	7102	5175	1660	147	6982	—

अभिलेखों की जॉच परीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(1) कारखानों में 3000 चूल्हों के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य किसी भी वर्ष में कभी भी प्राप्त नहीं किया। प्रबन्धकों ने सितम्बर 1988 में सौर चूल्हों की कम मॉग, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढाव, कर्मचारियों की कमी तथा कर्मचारियों की वृद्धि किये बिना ही सम्बद्ध उत्पादनों से उत्पादन की अनेक रूपता को उत्पादन में गिरावट का करण बताया।

(2) नान कन्वेशंनल इनर्जी डेवलपमेन्ट ऐजन्सी(एन•ई•डी•ए•)द्वारा नियत किये गये चूल्हों पर सौर चूल्हों को लोक प्रिय बनाने तथा बिक्री की दृष्टि से कम्पनी को 300 रुपये प्रति चूल्हो उत्पादन जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में समान रूप से विभाजित होता है, कम्पनी ने व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को चूल्हों की केवल वास्तविक बिक्री पर प्राप्य है जिसकी अन्य शर्ते थी कि–

(क) अनुमोदित विपणन अभिकरण आवश्यक प्रचार तथा उपदानित दरों पर सौर चूल्हों को विपणन की अपनी व्यवस्था स्वंयं करेगा।

(ख) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को एक ही सौर चूल्हा बेचा जायेगा।

व्यापारियों को बेचे गए कुल 5175 चूल्हों में से उपभोक्ताओं को वास्तविक विक्रय 3006 था। इस प्रकार कम्पनी 2159 चूल्हों पर जो उपभोक्ताओं को नहीं बेचे जा सके, 6.51 लाख रुपयों के परिदान का दावा नहीं कर पायी।

(3) 2289 सौर चूल्हों के अन्त स्टाक (व्यापारियों के पास 2,169 तथा कम्पनी के पास 120) का मूल्य 12.02 लाख रुपये आकलित किया गया जो 1987-88 तक समस्त चार वर्षों में कुल बिक्रियों का 32.8 प्रतिशत निरूपित करता था। चूँकि योजना में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही लक्ष्य निहित थे, अतः सौर चूल्हों के प्रयोग को जनप्रिय बनाने में कम्पनी का कार्यसम्पादन प्रत्याशा से कम था ।

(4) 31 मार्च 1988 को कम्पनी का ऋण जो मुख्यतया सौर चूल्हों के उधार विक्रय के कारण संचित हुआ था नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 9.51 लाख रुपये का था:

ऋणी	धन (लाख रुपये में)	ऋणियों की संख्या
एन.ई.डी.ए.	4.33	9
प्राईवेट व्यापारी	3.10	29
सरकारी विभाग/ स्थानीय निकाय	2.08	8
योग	9.51	46

उपर्युक्त में से, 5.4 लाख रुपए एक वर्ष से अधिक से बकाया थे। प्राइवेट व्यापारियों से प्राप्य 3.10

रुपये के विरुद्ध कम्पनी के पास 0.15 लाख की अल्प प्रतिभूति थी।

2घ.7 व्यापारिक क्रिया कलाप

2घ.7.1. पी.वी.सी. पाइपों का क्रय एवं सम्पूर्ति

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ परिचालित "व्यक्तिगत, लघुसिचाई योजना के अन्तर्गत" लघुसिचाई खण्डों द्वारा किये गये" निशुल्क बोरिंग" कार्य की प्रगति की समीक्षा आयुक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा जनवरी 1987 में की गई थी और 1986-87 के शेष रह गये नि:शुल्क बोरिंग के लक्ष्यों को प्राप्ति करने की दृष्टि से नलकूपों की बोरिंग प्रयोग हेतु पी.वी.सी. पाइपों की सम्पूर्ति की कार्य कम्पनी को देने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार आयुक्त मुरादाबाद मण्डल ने फरवरी 1987 में मुरादाबाद एवं बिजनौर के जिलाधीशों को क्रमश: 6000 मीटर तथा 7000 मीटर की आपूर्तियाँ कम्पनी से प्राप्त करने के लिए निदेशित किया।

नीचे दी गई तालिका कम्पनी द्वारा जिलेवार विभिन्न प्रकार के पाईपों, उपकरणों की आपूर्ति सूचित करती है:

अम्पूर्ति पाइपों के विवरण	प्रति मी. क्रय दर (रूपयों में)	प्रति मी0 सम्पूर्ति दर	सम्पूर्तित मात्रा (मीटरों में)					
			मुरादाबाद		बिजनौर		रामपुर	
			1986-87	1987-88	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
प्रत्येक 3 मीटर लम्बाई 110 मि.मी. 6कि0ग्राम प्रेशर/वर्ग से.मी.पी.वी.सी. छिद्रित पाइप	44.20	46.00	5004	6483	1500	4800	—	600
प्रत्येक 6मी.लम्बाई का 110 मि.मी.4कि. ग्राम प्रेशर वर्ग से.मी. पी.वी.सी.पाइप	34.20	36.00	4500	7908	1104	2400	—	—
6 कि.ग्राम पाइप के लिए पी.वी.सी. कम्पट पी.वी.सी. एण्ड केप	9.90	10.40	—	375	—	2375	—	—
110 मि.मी.	9.25	9.75	—	—	—	500	—	—

पी.वी.सी. पाइपों के क्रय एवं सम्पूर्ति से सम्बंधित अभिलेखों की जॉच परीक्षा में निम्न कमियॉ/अनियमिततायें प्रकाश में आयी ।

(1) यह पाइप इस अवधि में भारत पाईप फीटिंग लिमिटेड तथा इफैक्स प्लास्टिक इंजीनियरिंग काम्पेल्स के पास उद्योग निदेश की दर संविदा (डी.आई.आर.सी.) पर थे तथा गंतव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त 110 मि.मीटर 6 किलोग्राम प्रेशर पी.वी.सी. पाइप हेतु 39.97 रूपये प्रति मीटर तथा 110 मि.मीटर 4 किलोग्राम प्रेशर पी.वी.सी. पाइंप हेतु 28.40 लाख रूपये मीटर था। लेकिन प्रबन्ध निदेशक ने 3 स्थानीय सम्पूर्तिकर्तताओं से फरवरी 1987 में मूल्य सूँचिया (कोटेशन) मगॉने के पश्चात् एक स्थानीय सम्पूर्तिकर्ताओं के गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त क्रमशः 44.20 रूपये तथा 34.25 रूपये प्रति मीटर मूल्य का आयुक्त मुरादाबाद से 2 मार्च 1987 को अनुमोदन प्राप्त कर लिया। दो डी.आई.आर.सी.फर्म के पाय उपयुर्क्त पाइपों की उपलब्धता के विषय में लघु सिचाई खण्ड मुरादाबाद द्वारा जनवरी 1987 में कम्पनी की दी गई सूचना तथा दिल्ली की 5 निर्माता फर्मो की सूची भी, स्थानीय सम्पूर्तिकर्त्ता के पक्ष में जिसकी दर अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी थी, उपेछित कर दी गयी।

इस प्रकार स्थानीय सम्पूर्तिकर्त्ता से ऊँची दरों पर पी.वी.सी.पाइपों के क्रय करने के फलस्वरूप 1.74 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ(0.78 लाख रूपये का 18,387 मीटर 6 किलोग्राम प्रेशर पाइप के क्रय पर तथा 0.96 लाख रूपये का

15,912 मीटर 4 किलोग्राम प्रेशर पाइप पर)।

(2) उपर्युक्त पी.वी.सी. पाइपों की सम्पूर्ति हेतु फर्मों के साथ दर संविदा अनुबन्धों की शर्तों में यह स्पष्टतया अनुबंधित था कि प्रत्येक पी.वी.सी. पाइप की सम्पूर्ति पी.वी.सी. कपलर तथा अपेक्षित संयोजक सामग्री (साल्वेट सीमेन्ट) के साथ की जानी थी। फिर भी यह देखा गया कि कम्पनी नें आदेश देने के बाद उसी सम्पूर्तिकर्त्ता से 0.27 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर 2750 कपलर की सम्पूर्ति प्राप्त की तथा इस प्रकार सम्पूर्तिकर्त्ता को उस मद हेतु प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ पहुँचाया जो डी.आई.आर.सी. पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती थी नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार क्रय किये गये पी.वी.सी. पाइपों की लम्बाई के अनुसार पाइपों को जोड़ने के लिये अपेक्षित पी.वी.सी. कपलरों की कुल आवश्यकता 8781 आती है:

क्रीत पी.वी.सी. पाइप की विशिष्ट	क्रीत पाइपकी लम्बाई (मीटरों)	अपेक्षित कपलरों संख्या	क्रीत कपलरों की संख्या	शेष आवश्यकताओं को निरूपित करने वाला अंतर
प्रत्येक 3 मीटर लम्बा 110मि.मी. 6 कि.ग्रा. प्रेशर पाइप	18387	6129	2750	3379
प्रत्येक 6 मीटर लम्बा 100मि.मी. 4कि.ग्रा. प्रेशर पाइप	15912	2652	—	2652
योग	—	8781	2750	6031

इस प्रकार लघु सिंचाई खण्डों का बोरिंग कार्य, जिसको कम्पनी अपेक्षित संख्या में कपलरों की बिना पी.वी.सी. पाइपों की सम्पूर्ति की गई थी तब तक पूर्ण नहीं किया जा सकता जब तक खण्ड स्वयं 0.60 लाख रूपये की लागत पर 603। कपलर की अधिप्राप्ति न कर लें प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 1988) कि उद्योग निदेशक की दर संविदा पर फर्मों के पास पी.वी.सी. पाइप उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अभिलेखों में यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि कम्पनी ने फर्मों से सम्पर्क किया है तथा उन्होंने इंगित किया हो कि उनके पास पी.वी.सी. पाइप उपलब्ध नहीं था। उनकी सम्पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मामले के सम्बंध में उद्योग विभाग को भी नहीं लिखा गया। और भी, कम्पनी का उत्तर इस दृष्टि से तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि लघु सिचाई खण्ड, मुरादाबाद के अधिशाषी अभियन्ता ने कम्पनी को जनवरी 1987 में सूचित किया था कि पाइप डी.आई. दर संविदा पर उपलब्ध है।

7.2 गेहूँ की अधिप्राप्ति

भारत सरकार की मूल्य सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय समुच्चयन (पूल) के लिए प्रत्येक फसल वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर किसानों से सीधे गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाती है। गेहूँ की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है।

कम्पनी गेहूँ अधिप्राप्ति की योजना में वर्ष 1987-88

से सम्मिलित हुई जिसके लिये निदेशक मण्डल ने 1987-88 के दौरान 20 केन्द्र और 1988-89 के दौरान 19 केन्द्र खोलने का अनुमोदन किया (जनवरी 1987 से फरवरी 1988)।

प्रत्येक वर्ष 25 लाख टन अधिप्राप्ति लक्ष्य में से सरकार ने मण्डलीय विकास निगमों के द्वारा वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के लिये क्रमशः 0.40 लाख टन तथा 0.50 लाख टन गेहूँ की अधिप्राप्ति का लक्ष्य नियत किया था। इस मण्डल हेतु नियत पृथक लक्ष्य की, यदि कोई हो, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। नीचे दी गयी तालिका वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में गेहूँ की अधिप्राप्ति में कम्पनी का कार्य सम्पादन दर्शाती है:

वर्ष	खोले गये केन्द्रों की वास्तविक संख्या	गेहूं की अधिप्राप्ति (कुन्तलों में)	गेहूँ का मूल्य	थैलो का मूल्य	आनुसंगिक व्यय	कुल मूल्य	एफ.सी.आई. से वसूल की जाने वाली (धनराशि)	लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-88	20	52121.43	86.51	4.68	3.93	95.12	98.46	3.34
1988-89	8	10318.90	17.95	0.94	1.05	19.94 (अनन्तिम)	20.3	

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच परीक्ष

प्रकाश में आये :

(क) 1987–88 में भयंकर सूखे के कारण केन्द्रीय प्रतिरोधक मात्रा में पर्याप्त कमी तथा 1988–89 के दौरान गेहूँ की अच्छी फसल की आशा दोनो दृष्टियों से मार्च 1988 में गेहूँ की अधिकंतम मात्रा की अधिप्राप्ति के लिये पुनः कहा। इसके बावजूद कम्पनी 1988–89 में केवल 10,318.9 कुन्तल गेहूँ की ही अधिप्राप्ति कर सकी जो कि पिछले वर्ष में अधिप्राप्ति गेहूँ का केवल 19.8 प्रतिशत था।

अधिप्राप्ति की दर में तेजी लाने के लिये, सरकार ने 8 मई 1988 के बाद से क्रय की गयी अधिप्राप्तियों पर किसानों को भुगतान योग्य अधिप्राप्ति का मूल्य 2 रूपये प्रति कुन्तल बढ़ा दिया। यह प्रोत्साहन भी अधिप्राप्ति के त्वरणों पर कोई असर न डाल सकी क्योंकि कुल 10,318.9 कुन्तल गेहूँ में से केवल 5320 कुन्तल ही 8 मई 1988 के बाद अधिप्राप्ति किया जा सका। इतनी कम अधिप्राप्ति के कारण मुख्यतया निम्न थे:

(1) गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु नियत गेहूँ का अलाभकारी मूल्य जो 171 रूपये से 173 रूपये प्रति कुन्तल की श्रेणी में था और

(2) गत वर्ष के स्थानों पर 1988–89 में अधिप्राप्ति केन्द्रों ...थापना न करना तथा सभी केन्द्रों के खोलने में औसतन 15 ... विलम्ब

... कम्पनी ने 1987–88 में खाद्य नियंत्रक मुरादाबाद से ... बोरे की दर से तथा 1988–89 में 9.06 रूपये ... बोरे की सम्पूर्ति प्राप्त की जबकि भारत सरकार ... खाद्य निगम द्वारा भुगतानित बोरे की लागत

8.50 रूपये प्रति बोरा थी, 0.30 लाख रूपये का भुगतान 2 वर्ष बिना वसूल किये पड़ा रहा ।

कम्पनी नेन तो भारतीय खाद्य निगम के मूल्यों के समतुल्य करने के लिये मूल्य को घटाने के लिये क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से समझौता करने और न ही बोरो की वास्तविक मूल्य की वापसी हेतु सम्पर्क करने के लिये प्रयास किया ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से वसूली योग्य धनराशि में 21 जून 1988 को सैदन गली केन्द्र से भारतीय खाद्य निगम को 147.25 कुन्तल गेहूँ के परिदान हेतु 0.29 लाख रूपये की धनराशि सम्मिलित थी जो भारतीय खाद्य निगम से अभी तक (सितम्बर 1988) वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा गेहूँ की पावती कम्पनी के एक कर्मचारी द्वारा खो गयी थी। कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 1988) कि मामले की जाँच हो रही है।

(घ) यद्यपि सभी केन्द्र 25 जून 1988 तक बन्द कर दिये गये थे; 3.20 लाख रूपये की धनराशि केन्द्रों के चालू खातों में पड़ी हुयी थी (सितम्बर 1988) जिस पर कम्पनी ब्याज नहीं अर्जित कर रही थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1988) कि जूट के बोरो के अधिक भुगतान की वापसी हेतु क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक मुरादाबाद से सम्पर्क किया जा रहा है।

2घ.8 समाज कल्याण योजनाये

सरकार की कुछ समाज कल्याण योजनाओं के निष्पादन कम्पनी की भूमिका एवं सम्मिलित होने की विवेचना नीचे की गयी

2घ.8.1 पुष्ट आहार एवं पोष आहार की सम्पूर्ति

2 घ.8.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 1987 में वर्ष 1982-83 हेतु इन्टिग्रेटेड बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लाभ - भोगियों को पुष्ट आहार के वितरण पर जिला नियोजन समिति के अनुमोदन पर निम्न शर्तों के अनुसार आहूत तथा व्यय किये जाने हेतु 6.81 करोड़ रूपये की स्वीकृति जिलाधीशों को सचित की।

(1) 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में अल्प पोषित (अण्डर नरिस्ड) तथा कुपोषित (इल-फेड) बच्चों को तथा साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं / दुग्धपान कराने वाली माताओं को "पुष्टाहार" के विवरण तथा प्रसारित योजना के अधीन लाभ तथा विभिन्न वर्गों के लाभ भोगियों को वर्ष में 300 दिनों (10 मास) हेतु प्राप्य ऐसे व्यय की दर निम्नवत् थी:

लाभ भोगियों का अप्रैल 1987 से प्रति लाभान्वित योजना के अन्तर्गत

वर्ग	प्रतिदिन व्यय की दर (पैसे में)	प्रति लाभ भोगियों पर कुल व्यय (रूपयों में)
	2	3
...षित बच्चे	45	135
... अपोषित तथा- ...बच्चे	95	285
...महिलाओं तथा- ...कराने वाली मातायें	75	225

उपर्युक्त के अतिरिक्त, योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा परिवहन एवं ईंधन की लागत के प्रति किया जाने वाल प्रति लाभ भोगी प्रतिदिन 20 पैसे का व्यय भी स्वीकार्य था।

(2) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि वर्ष 1987-88 में उपयोजित की जानी थी ।

2 घ.8.1.2 मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत तीन बाल विकास परियोजनायें परिचालन के अधीन थी और योजना के अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक को आवंटित धनराशि निम्नवत् थी:

परियोजना का नाम	स्थापना का वर्ष	स्वीकृत कन्द्रों की संख्या	1987-88 में आवंटित धन-राशि (लाख रूपयों में)
1	2	3	4
मुरादाबाद (नगर)	1978-79	100	12.15
बिजनौर			
(अ) हल्दौर	1979-80	100	12.15
(ब) कीरतपुर	1983-84	74	8.10

उपर्युक्त के अतिरिक्त भयंकर सूखे की स्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर 1987 में समस्त जिलाधीशों को (लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर को छोड़कर) वर्ष 1987-88 के लिये 309.48 लाख रूपये की और धनराशि की स्वीकृति की सूचना दी जो निम्न शर्तों के अनुसार "पोष आहार" के वितरण पर आह्त तथा व्यय की जानी थी:

(अ) योजना का संचालन 54 जिलों के 655 ब्लाकों में से विस्तारित कर दिया गया जहाँ इन्टिग्रेटेड बाल विकास परियोजना का संचालन नहीं था और प्रति ब्लाक 47,250 रूपये का व्यय स्वीकृत किया गया। लाभ-भोगियों को दिये जाने वाले संकल्पित लाभ का विस्तार मुरादाबाद में 19 ब्लाकों (8.98 लाख रूपये) रामपुर में 60 ब्लाकों में (2.84 लाख रूपये) तथा बिजनौर में 9 ब्लाकों में (4.25 लाख रूपये) तक कर दिया गया।

(ब) योजनान्तर्गत, गेहूँ की दलिया और मूँग के दाल की खिचड़ी चाहे कच्ची या पकी हुई 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दुग्ध पान कराने वाली माताओं को दी जानी थी तथा प्रतिलाभ भोगी अधिकतम अनुदेय व्यय परिवहन लागत के प्रति 10 पैसे और पकाने हेतु वर्तनों के किराये सहित ईंधन के प्रति 10 पैसे सहित 80 पैसे था।

(स) ऐसा "पोषा आहार" कुछ सार्वजनिक स्थानों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा 1987-88 के अन्त तक वितरित किया जाता था।

नीचे दी गयी तालिका गन्तब्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त दरें तथा जिलाधीशों द्वारा दिये गये अधिक आदेशों के समक्ष विविध बाल विकास परियोजनाओं को उनकी आपूर्ति करने के निदेश के साथ आपूर्तिकर्ताओं से कम्पनी द्वारा खरीदी गयी विभिन्न मदों की मात्रा तथा दरें जिन पर कम्पनी द्वारा "इण्टिग्रेटेड" बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आपूर्ति की गयी थी, सूचित करती है :

पुष्ट आहार की मदों का नाम	मुरादाबाद				बिजनौर			
	क्रय की दर (रुपये प्रति कुन्तल)	क्रीत मात्रा (कुन्तलो में)	धनराशि (लाख रुपयों में)	सम्पूर्ति दर (रुपये प्रति कु0)	क्रय दर (रुपये प्रति कुन्तल)	क्रीत मात्रा (कुन्तलों में)	धनराशि (लाख रुपयों में)	सम्पूर्ति दर (रुपये प्रति कु0)
सोयाबीन कचरी	—	—	—	—	2180	126.58	2.76	2575
दाल मूँग छिलका	—	—	—	—	852	164	1.40	888
भूना चना	905	50	0.45	955	990	331	3.28	1076
	—	—	—	—	738	234	1.73	775
मूँगफली भुनी	—	—	—	—	1245	50	0.62	1440
टाटा नमक	—	—	—	—	150	22.4	0.04	157
सोयाबीन लिघटो	2705	159.76	4.32	2850	—	—	—	—
मूँगफली दाना	1780	100.00	1.78	1875	—	—	—	—
			6.55				9.83	

इसी प्रकार "सूखाराहत योजना 1987-88" के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा क्रीत तथा आपूर्ति "पोषा आहार" की मदें, मात्रा इत्यादि नीचे दी गई:

पोषा-आहार की मद का नाम	क्रयदर (कुन्तलों में)	क्रीत मात्रा (कुन्तलों में)	धनराशि (लाख रुपयों में)	आपूर्ति दर (रुपये-में) प्रति कुन्तल)
सोयाबीन कचरी				
(अ) मुरादाबाद	1930	123	2.37	2030
(ब) बिजनौर	2190	50.65	1.11	2575
बिजनौर को दाल				
मूंग छिलका	852	126.00	1.07	888
रामपुर को गेहूँ की दलिया	452	440.52	2.00	480
		योग	6.55	

2 घ.8.1.3 लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच परीक्षा से निम्न अनियमिततायें / कमियां प्रकाश में आयीं:

(1) मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना के अन्तर्गत "पुष्ट आहार" तथा "पोषा आहार" की विभिन्न मदों की क्रय दरों की जाँच पर यह देखा गया कि मुरादाबाद की उसी फर्म ने गन्तव्य स्थान पर रेल भाड़ा मुक्त दरों के कारण परिवहन के उच्चतर आयात के बावजूद भी उसी योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद स्थित कम्पनी

को की गयी सम्पूर्तियों की तुलना में अत्याधिक निम्नतर दरों पर विभिन्न मदों की आपूर्ति की । इस प्रकार स्थानीय मण्डल ने जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है अत्याधिक ऊँची दरों के कारण 2.23 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया है:

सम्पूर्ति की मदें	मुरादाबाद मण्डल की क्रय दर	मेरठ मण्डल की क्रय दर	दरों में अन्तर	मुरादाबाद द्वारा क्रीत मात्रा (कुन्तल)	अतिरिक्त व्यय (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
सोयाबीन कचरी	1930	1610.25	319.25	123	0.39
भुना चना	905	731.50	173.50	50	0.09
सोया लिघटो	2705	1610.25	1094.75	159.76	1.75
				योग	2.23

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रबन्धकों ने नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार, मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा अन्य आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान की गयी दरों की तुलना में उसी योजना के अन्तर्गत अन्य सम्पूर्तिकर्ताओं से अन्य मदों के क्रय पर 2.84 लाख रूपयों का और भी अतिरिक्त व्यय किया ।

आपूर्ति की मदें	मुरादाबाद मण्डल की क्रय दर	मेरठ मण्डल की क्रय दर	दरों में अन्तर	मुरादाबाद मण्डल द्वारा क्रीत मात्रा (कुन्तल)	अतिरिक्त व्यय (लाख रूपये में)
	(रूपये प्रति कुन्तल)				
1	2	3	4	5	6
दालमूँग छिलका	852	660.25	191.75	290.67	0.56
सोयाबीन कचरी	2180	1610.25	569.75	177.23	1.01
भुना चना	990	731.25	298.50	331.00	0.86
	738	731.50	6.50	234.00	0.02
मूंगफली भुनी	1245	1135.25	109.75	50.00	0.05
गेहूँ की दलिया	452	375.25	76.75	440.52	0.34
				योग	2.84

एक ही योजना के अन्तर्गत सरकार के दो कार्यकर्ताओं (फंक्शनरीज) ने भिन्न रूप से व्यापार किया जिससे 2.23 लाख रूपये की हानि हुयी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने विभिन्न सम्पूर्तिकर्ताओं से क्रयों पर 2.84 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय भी किया।

(1) राज्यादेश के अनुसार "पुष्ट आहार" तथा "पोष आहार" के नि:शुल्क वितरण पर हुआ व्यय धान के रूप में निर्धारित सीमा तक लाभ-भोगियों तक बढ़ा दिया जाना था। उपर्युक्त क्रयों पर कम्पनी द्वारा दिये गये 5.07 लाख रूपये के अतिरिक्त

व्यय के कारण 21.1 प्रतिशत की सीमा तक उपर्युक्त मदों की अपेक्षाकृत कम मात्रा का वितरण हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा 1.87 लाख रूपयों के लाभों के अर्जन ने मात्रा का वितरण 8.2 प्रतिशत तक और कम कर दिया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित को कम वितरित कुल मात्रा 29.3 प्रतिशत आयी।

(3) कम्पनी ने उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स डीलर्स (लाइसेंसिंग एण्ड रेस्ट्रिक्शन आन होर्डिंग) आर्डर 1976 के अन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से खाद्यानों के क्रय विक्रय भण्डारण और विक्रय हेतु लाइसेंस नहीं प्राप्त किया जैसा कि मेरठ मण्डल विकास निगम द्वारा किया गया था।

(4) आदेशों की शर्तों के अनुसार, सम्पूर्तिकर्त्ताओं को 95 प्रतिशत भुगतान परियोजना अधिकारी को मदों के परिदान का प्रमाण पत्र होने के पश्चात् तथा 5 प्रतिशत जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय से भुगतान की प्राप्ति के पश्चात् किये जानें थे। परन्तु यह देखा गया कि 3.87 लाख रूपयें मूल्य के 70 कुन्तल सोया लिघटो और 100 कुन्तल मूँगफली दाना की आपूर्ति के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं को 3.49 लाख रूपयों का भुगतान 14 मार्च 1988 के सत्यापित परिदान चालान के आधार पर मार्च 1988 में किया गया, यद्यपि मदों की सम्पूर्ति वस्तुत: नहीं की गई थी। परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रबन्ध निदेशक को अगस्त 1988 में

प्रतिवेदित मामलों की जाँच के अन्तर्गत बताया गया।

2घ.8.2. सामुदायिक नलकूप योजना

2घ.8.2.1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये इण्डिटग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत कार्य सम्पादन को समीक्षित करने की दृष्टि से कृषि, उत्पादन आयुक्त के सभापतित्व में मई 1982 में एक बैठक हुई। आई.आर.डी.ए. द्वारा विभिन्न मण्डलीय विकास निगमों को अग्रिम दी गई धनराशियों के अनुपयोग पर अत्यन्त असंतोष प्रकट करते हुए यह संकल्प किया गया कि निगम को सामुदायिक नलकूपों का निर्माण अपने हाथ में लेना चाहिए।

वर्ष	संबद्ध जिलों की संख्या	अग्रिम दी गई धनराशि	उपयोजित धनराशि	अवशेष
		(लाख रूपयें में)		
1979-80	31	175.02	8.49	149.53
1980-81	6	3.27	0.63	2.64

तद्नुसार निदेशक मण्डल ने जुलाई 1982 में नलकूपों की बोरिंग द्वारा सामुदायिक सिंचाई से सम्बंधित कार्य अपने

हाथ में लेने का निर्णय लिया।

2 घ.8.2.2 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई को एक संगीन निवेश (इन्पुट) के रूप में मान्यता देते हुए भारत सरकार ने अधःसंरचना की कुल लागत का 50 प्रतिशत उपदान संकल्पित किया बशर्ते कि:

(क) लघु एवं सीमान्त कृषकों के लाभ हेतु कार्य किसी सहकारी समिति, किसी पंचायत या किसी निगत के स्वामित्व वाला हो और उसका रखरखाव उसके द्वारा किया जाना चाहिए।

(ख) ऐसे सामुदायिक सिंचाई कार्य के 50 प्रतिशत से अधिक लाभ भोगी लघु/सीमान्त कृषक हों तथा

(ग) जल प्रभार नियत करते समय लघु/सीमान्त कृषकों के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए रियायती दर नियत की जानी चाहिए।

उपर्युक्त कार्य क्रम के अन्तर्गत, कम्पनी ने अप्रैल 1982 से मार्च 1985 की अवधि में नलकूपों के परिचालन हेतु सात पम्पसेटों की लागत सम्मिलित करते हुए 1.36 लाख रूपये की कुल लागत पर अपने तीन जिलों में से दो जिलों में 28 नलकूपों का छेदन पूर्ण किया जिसमें से 0.66 लाख रूपये सरकार से उपदान के रूप में प्राप्त हुए थे।

2 घ. 8.2.3 लेखापरीक्षा में योजना की जाँच से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(1) नलकूप को हाथ में लेने से पहले परियोजना प्रतिवेदन

तैयार किये गये, जिसके अनुसार प्रति नलकूप छः कृषकों को आवृत्त करते हुये 10.7 एकड़ भूमि की सिंचाई की जानी प्रत्याशित थी। किन्तु कम्पनी के पास इन 28 नलकूपों से लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या तथा सिंचित भूमि के क्षेत्रफल के विषय में सूचना नहीं थी। इन आकड़ों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन नलकूपों पर किया गया व्यय उचित था ।

(2) जल की बिक्री हेतु व परिवार लक्ष्य क्रिया कलाप को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से नियत किये गये थे। जल प्रभारों का संग्रह 8 रूपये से 10 रूपये प्रति घंटा की दर से परिचालन के घण्टों के सन्दर्भ में किया जाता है लेकिन समय-समय पर कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नलकूपों के परिचालन में वास्तविक घण्टों में कमी के फलस्वरूप जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, 1.58 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुयी ।

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (घण्टों में)	उपलब्धि	कमी 8 घण्टों से 10 घण्टों	रूपये प्रति घंटे की दर से राजस्व वसूली में कमी (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1982-83	1500	440	1060	0.08
1983-84	3000	475	2525	0.20
1984-85	1000	572	428	0.03
1985-86	1000	400	600	0.05

1	2	3	4	5
1986-87	7200	800	6400	0.51
1987-88	7200	100	7100	0.71
			योग	1.58

लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी इस बात का द्योतक है कि योजना के लाभों को प्राप्त करने की कृषकों की उदासीनता के कारण नलकूपों का कम उपयोग हुआ, मुख्यतया क्योंकि कम्पनी कृषकों को उधार सुविधा नहीं दे सकी ।

(3) योजना का न्यून कार्य सम्पादन बेचे गये जल के अल्प मूल्य से आंका जा सकता है जो 1982-83 से 1987-88 तक मात्र 0.23 लाख रूपये हुआ । चूँकि सेवा प्रत्याशित परिणाम प्रदान नहीं कर रही थी, निर्देशक मण्डल ने फरवरी 1988 में इन 28 बोरिंग कूपों को कृषकों को बेंच देने का निर्णय लिया — 12 बोरिंग 0.37 लाख रूपये के उनके मूल्य पर कम्पनी ने 7 पम्प सेटों तथा उपसाधनों (जुलाई 1985 तथा जनवरी 1987 में क्षतिग्रस्त छः सहित) की मरम्मत के बाद 0.26 लाख रूपयों के उनके ह्रासित मूल्य पर निस्तारित करने का भी निर्णय लिया। इस दिशा में कृत कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अगस्त 1989) ।

इस प्रकार योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं थी। योजना की विफलता के फलस्वरूप निःशुल्क बोरिंग योजना का अंगीकरण किया गया जिसकी विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

2घ.8.3 **नलकूपों की निःशुल्क बोरिंग**

2 घ.8.3.1 राज्य सरकार ने अगस्त 1987 में निदेश निर्गत किये कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत, विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ परिचालित "व्यक्तिगत लघु सिंचाई योजना" का कार्यान्वयन निम्न मुख्य संशोधनों के साथ 1987-88 के दौरान किया जायेगा।

(अ) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना अनुसूचित जातियों के कृषि क्षेत्रों में नलकूपों की 4 इंच निःशुल्क बोरिंग तक बढ़ा दी गयी थी ।

(ब) 3000 रूपये प्रति बोरिंग के व्यय की दर विशेष मामलों को छोड़कर वही रहनी थी । प्रति बोरिंग 500 रूपये तक का अधिक व्यय अलग-अलग मामलों में अधिकता हेतु कारण बताते हुये जिला समन्वय समिति द्वारा अनुदेय था ।

(स) राज्य हेतु 1987-88 के लिये नियत 10743 बोरिंग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बोरिंग कार्य प्रथमतया लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना था जिसके असफल रहने पर कार्य मण्डल विकास निगमों, उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड इत्यादि को दिया जा सकता था ।

2 घ.8.3.2 उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद में 200 बोरिंग तथा बिजनौर में 160 बोरिंग का कार्य सितम्बर 1987 में कम्पनी को दिया गया तथा लाभ भोगियों की सूची जहां बोरिंग की जानी थी, अक्टूबर / नवम्बर 1987 में प्रस्तुत की गयी।

परन्तु उपर्युक्त कार्य प्रदान किया जाना विचाराधीन रहते हुये, कम्पनी ने, मई 1987 में 4 फर्मों से दर सूचियां आमन्त्रित की और जुलाई 1987 में 3321 रूपये प्रति बोरिंग की मद पर (सामग्रियों की लागत हेतु) 1951 रूपये तथा श्रम प्रभारों हेतु 1370 रूपये अनुमोदित कीं ।

अगस्त 1987 के सरकार के निर्देशों के अनुसार बोरिंग कार्य युद्ध स्तर पर अधिक से अधिक 30 नवम्बर 1987 तक पूर्ण किया जाना था ताकि भयंकर सूखा स्थितियों से बुरी तरह सताये गये कृषक 1987 में रबी की बुआई के दौरान सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा सकें । लेकिन यह देखा गया कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कुल 279 बोरिंग में से ही केवल एक बोरिंग कम्पनी द्वारा 30 नवम्बर 1987 तक की जा सकी:

मास एवं वर्ष	की गई कुल बोरिंग की कुल संख्या	निष्पादित जिलेवार बोरिंग मुरादाबाद	बिजनौर
1	2	3	4.
नवम्बर 1987	01	1	–
दिसम्बर 1987	57	48	9
जनवरी 1988	93	46	47
फरवरी 1988	27	8	19
मार्च 1988	18	13	5
अप्रैल 1988	30	–	30
मई 1988	16	–	16

1	2	3	4
जून 1988	12	–	12
जुलाई 1988	10	2	8
अगस्त 1988	15	1	14
योग	**279**	**119**	**160**

2 घ.8.3.3 लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच परीक्षा से निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

(i) योजना के अन्तर्गत बोरिंग का अधिकांश कार्य (3 जिलों मे 2755 नलकूप) लघु सिंचाई खण्ड मुरादाबाद द्वारा सम्पन्न किया गया था । फिर भी, तुलना से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने अपने 279 नलकूपों की बोरिंग में 2.03 लाख रूपये मूल्य की अतिरिक्त मदों हेतु प्रावधान किया था ।

मद	मात्रा	दर प्रति इकाई (रूपयों में)	धनराशि (लाख रूपयों में)
एम.एस.पाईप4" (मीटर)	1514	97	1.47
फास्ट वाल्व 4" (संख्या में)	279	125	0.35
फ्लैंच 4x4" (संख्या में)	470	25	0.12
अतिरिक्त नट बोल्ट सफेदा पैकिंग इत्यादि	–	–	0.09
	योग		**2.03**

इस प्रकार कम्पनी ने 2.03 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय किया जिसका कोई औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

(2) कम्पनी ने इन कूपों की बोरिंग में लघु सिंचाई खण्ड द्वारा प्रयुक्त से भिन्न मानक का प्रयोग किया, क्योंकि खण्ड ने पी.वी.सी. परफोरेटेड स्टेनर का प्रयोग किया था जबकि कम्पनी ने 0.74 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय करके एम.एस. स्टेनर का प्रयोग किया। एक ही योजना के अन्तर्गत एक ही स्तर के लाभ भोगियों के लिए बोरिंग के दो भिन्न मानक अनुमत करने हेतु औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

(3) योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों द्वारा डीजल इंजन पम्प सेटों के क्रय के लिए ऋण/उपदान का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना था। लेकिन यह देखा गया कि मुरादाबाद में 119 बोरिंग में से केवल 51 लाभ भोगियों को तथा बिजनौर में 160 बोरिंग में से 42 लाभ भोगियों को अब तक (अगस्त 1988) डीजल इंजन पम्प सेटों के क्रय हेतु ऋण स्वीकृत नहीं किये गये। चूँकि डीजल इंजनों के बिना बोरिंग स्वयं पम्प से पानी बाहर नहीं निकाल सकती, इसीलिए योजना के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

(4) यद्यपि मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद ने सितम्बर 1987 में कम्पनी को सूचित किया कि बोरिंग कार्य के लिए प्रतिशतता

प्रभार देय नहीं होगें, कम्पनी ने प्रतिशतता प्रभारों के प्रति 0.46 लाख रूपये धनराशि के बिल सृजित किये जिनके समक्ष भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया ।

2घ.9 निदेशक मण्डल की बैठकें

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अन्तर्गत निदेशक मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार की जानी अपेक्षित है और प्रत्येक वर्ष कम से कम ऐसी चार बैठके होनी चाहिये। लेकिन यह देखा गया कि मार्च 1977 में कम्पनी के निगमन के पश्चात् निदेशक मण्डल की बैठके 1977 में केवल 2 बार, 1981 में 2 बार, 1984 में 3 बार, 1985 में 2 बार, 1987 में 3 बार और 1988 में 2 बार हुयी। जो कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

2घ.10 वित्तीय स्थिति

कम्पनी के लेखे 1983-84 से बकाया में थे। 1983-84 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्न विवरणों के अनुसार थी:

	1981-82	1982-83	1983-84
	(लाख	रूपयों में)	(अनन्तिम)
1	2	3	4
क. दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	20.00	20.00	20.00
आरक्षित निधि एवं-अधिशेष	2.35	1.80	2.31

1	2	3	4
ऋण	–	–	–
चालू दायित्व (प्रावधानों–को सम्मिलित करके)	2.80	3.87	11.54
योग	**25.15**	**25.67**	**33.85**
ख. परिसम्पत्तियाँ			
ग्रास ब्लाक	3.59	4.30	4.36
घटाइये – ह्रास	0.71	1.66	2.33
निवल शुद्ध स्थाई परि–सम्पत्तियाँ	2.88	2.64	2.03
प्रगतिगत पूँजीगत कार्य	–	1.04	1.22
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	21.21	21.19	30.54
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	1.04	0.08	0.06
योग	**25.15**	**25.67**	**33.85**
ग. प्रयुक्त पूँजी	21.29	20.68	21.03
घ. निवल मूल्य	21.31	21.72	22.75

टिप्पणियाँ: (1) प्रयुक्त पूँजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ (प्रगतिगत) कार्य को छोड़कर तथा कार्यशील पूँजी के योग को निरूपित करती है।

(2) निवल मूल्य, आरक्षित निधि तथा अधिशेष को जोड़कर तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी निरूपित करता है।

2घ.11 **कार्य चालन परिणाम**

उस वर्ष तक जिसके लेखे तैयार कर लिये गये हैं तीन वर्षों हेतु कम्पनी के कार्य चालन परिणाम नीचे इंगित किये गये हैं:

	1981-82	1982-83	1983-84
		(लाख रूपयों में)	
1	2	3	4
क. व्यय			
कच्चा माल	-	35.10	43.25
तैयार माल	2.46	76.32	58.91
प्रशासनिक व्यय एवं अन्य-व्यय	1.05	3.51	4.84
मूल्य ह्रास	0.71	0.95	0.67
प्रावधान	0.48	0.35	0.70
बट्टे खाते में डाला गया	0.02	0.02	0.02
योग (क)	**4.72**	**116.25**	**108.39**
ख. आय			
विक्रय	2.49	112.53	95.94
कस्टम सर्विसेज	0.10	0.51	0.23

1	2	3	4
सामुदायिक नलकूप	–	0.04	0.04
अन्य	1.19	0.08	–
अन्त स्टाक	–	3.36	12.69
योग (ख)	**3.78**	**116.52**	**108.90**
ग. लाभ (+)/हानि (–)	**–0.94**	**+0.27**	**+0.51**

1987–88 तक पांच वर्षों के हेतु अन्तिम किये गये लेखे के अभाव में वित्तीय कार्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

2घ.12 अन्य रोचक विषय

अनियमित प्रोन्नति

द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा मई 1982 में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार, 2000 रूपये तक अधिकतम वेतन मान वाले प्रबन्धक स्तरीय पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन कम्पनी के मुख्य कार्यकारी, सम्बन्धित खण्ड के प्रधान, प्रबन्ध द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ एवं सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले एक दूसरी सरकारी कम्पनी के एक मुख्य कार्यभारी से युक्त एक चयन समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित था। 2000 रूपये से अधिकतम वेतनमान वाले पद के लिये कार्मिक के चयन के लिये चयन समिति में सरकार के मुख्य सचिव / वरिष्ठ सचिव की अध्यक्षता में

व्यवसायिक विशेषज्ञ होंगे । और भी, नवम्बर 1987 में निर्गत शासनादेशों में यह प्रावधान था कि 1770 रूपये से अधिकत वैतनमान वाले पद केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही सृजित किये जा सकते हैं । समवाय नियम (आर्टिकिल आफ एसोसिएशन) के नियम 79 (22) में भी निर्धारित था कि कोई भी पद जिसका मूल वेतन 2000 रूपये प्रतिमास से अधिक हो या जिसके वेतनमान का अधिकतम 2000 रूपये से अधिक हो, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित तथा भरा नहीं जा सकता था ।

अभिलेखों की जाँच परीक्षा से प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति की नियुक्ति उसके प्रार्थना पत्र और पंजाब विश्वविद्यालय की अनन्तिम उपाधि की फोटो कापी के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा बिना पद की किसी स्वीकृति के बिना प्रबन्ध निदेशक द्वारा 1200 रूपये प्रतिमास के समेकित वेतन पर एक नवम्बर 1983 से कम्पनी के विक्रय प्रबन्धक के एक सामान्य आवेदन पत्र पर प्रबन्ध द्वारा सितम्बर 1986 में प्रबन्ध निदेशक, परियोजना निदेशक, मुरादाबाद एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से युक्त चयन समिति से उसको नियमित वेतनमान स्वीकृत करने की संस्तुति करने के लिये समिति की संस्तुतियों पर निदेशक मण्डल ने जनवरी 1987 में विक्रय प्रबन्धक का पद सृजित किया और उसे 1 फरवरी 1987 से 850-1600 रूपये के वर्ग-II का वेतनमान स्वीकृत किया। नियमित वेतनमान स्वीकृत करने के 5 माह के अन्दर ही उसे उसके सामान्य निवेदन पर प्रत्येक 40 रूपये के 1 जुलाई 1987 से 5 अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी गयीं । पुनः विक्रय प्रबन्धक के सामान्य प्रार्थना पत्र पर, निदेशक मण्डल ने फरवरी 1988 में उसे मार्च 1988 से विपणन

प्रबन्धक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया, यद्यपि पद न तो निदेशक मण्डल द्वारा सृजित किया गया था और न ही सरकार से अनुमोदन । जैसा कि नवम्बर 1987 में निर्गत शासनादेशों तथा कम्पनी के समवाय नियम 79 (22) में भी अपेक्षित थ, प्राप्त किया गया। और भी, उसको प्रोन्नत करते हुये निदेशक मण्डल ने 1350-2100 रूपये का वर्ग-। वेतनमान प्रदान किया । किसी अतिरिक्त योग्यता की वृद्धि अथवा उसके कार्यों एवं जिम्मेदारियों के स्वरूप में परिवर्तन अथवा कम्पनी की विक्रय प्रणाली की अधः संरचना में कोई परिवर्तन किये बिना उसे 3 अन्तरवर्ती वेतनमानों रूपये 900-1770 एवं 1020-1770 और 1250-1950 की छलांग प्रदान कर दी । इस प्रकार विपणन प्रबन्धक के पद पर प्रोन्नति में न तो चयन प्रक्रिया का पालन किया गया और न पद ही विज्ञापित किया गया। इस प्रोन्नति के 4 माह के अन्दर ही प्रबन्धक ने उसे 1 जुलाई 1988 से प्रत्येक 60 रूपये की तीन और अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिकारी ने 19 अप्रैल 1989 को अपना त्यागपत्र दे दिया, जो उसी दिन स्वीकृत कर लिया गया। अधिकारी कम्पनी द्वारा रख-रखाव किये गये अपने समस्त व्यक्तिगत अभिलेख भी ले गया । इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया कि अनन्तिम उपाधि की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु सन्दर्भित करने पर (मई 1989) वह जाली निकली । इस प्रकार स्वयं नियुक्ति ही जालसाजी से प्राप्त की गयी थी। और

अधिकारी के वेतन एवं ऋणों पर 1.36 लाख रूपयों का भुगतान अनियमित था । और भी, प्रबन्धक ने दण्डिक कार्यवाही आरम्भ करने की दृष्टि से विधिक आशय की छान-बीन भी नहीं की ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1989) कि व्यक्तिगत अभिलेखों के अभाव में उत्तर देना सम्भव नहीं है तथा उन्हें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

उपरोक्त मामले कम्पनी तथा सरकार को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे । उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये ।

अनुच्छेद - 28.

क्षेत्रीय विकास विभाग

आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड

मुख्य बातें

आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड, आगरा मण्डल में समाविष्ट आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनुपरी और मथुरा जिलों के आर्थिक. औद्योगिक एवं कृषीय विकास की प्रोन्नति या प्रगति करने की दृष्टि से 31 मार्च 1986 को निगमित किया गया। 1976-77 में कम्पनी को दी गई 100 लाख रूपये की अंश पूँजी 1982-83 तक अल्प कार्यवाहियों के कारण उपयोग में नहीं लाई गई और इस प्रकार इन वर्षों में निधियों का 73.2 से 100 प्रतिशत तक बैंक में जमा रखा गया। यद्यपि कृषि निवेशों को खरीदने तथा बाँटने के लिए दिसम्बर 1985 तथा जनवरी 1987 में राज्य सरकार से प्राप्त 5 लाख रूपये तथा 30 लाख रूपये के दो ऋणो का पुनर्भुगतान समय पर नहीं किया गया, कम्पनी ने समय से पुनः भुगतान हेतु ग्राह्य छूट के लाभ का दावा किया।

यद्यपि गुलाब का अर्क (रोज आयल) गुलाक का इत्र निकालने के लिए जनवरी 1984 में 5.03 लाख रूपये की पूँजी लागत से स्थापित पाटल कुंज (रोज काम्पेक्स) का क्षमता उपयोग

1986-87 तक संस्थापित क्षमता का मात्र 20.2 से 31 प्रतिशत तक था इसकी संस्थापित क्षमता 1.14 लाख रूपये की लागत से फरवरी/मार्च 1988 में दुगुनी कर दी गयी। तैयार उत्पादकों की कम प्राप्ति के कारण 1987-88 तक इकाई द्वारा उठाई गयी हानियो की धनराशि 5.63 लाख रूपये थी। संयंत्र 1987-88 तक अपने पाँच वर्षों के कार्य चालन में किसी भी वर्ष में अगस्त से नवम्बर तक फूल निकलने की ऋतु में नहीं चला जिसका कारण फूलों की कम उपलब्धता बतायी गई।कम्पनी ने ऋतु -इतर(ऑफ सीजन) में पिपरमेन्ट का सत (मैंथाआवेसिस) पामररोजा और गजंनी(सिट्रीनेला) के आसवन का प्रयत्न नहीं किया यधपि नियत लागतों को आंशिक रूप से प्राप्त करने हेतु यह परियोजना प्रतिवेदन में संकल्पित था।

दिसम्बर 1980 में 10.77 लाख रूपये की पूँजी लागत से स्थापित धान मिल का उपयोग चावल की कम प्राप्ति के कारण उसकी क्षमता का 7.07 से 53.7 प्रतिशत की सीमा तक ही किया गया। यह 11.11 लाख रूपये की संचित हानि उठाने के पश्चात् जो उत्पादन की उच्चतर लागत तथा चावल की कम प्राप्ति के कारण थी, दिसम्बर 1983 में बन्द कर दी गयी। यह भी देखा गया कि कुसमैंरा में मिल की स्थापना पर जहाँ विशेष प्रकार का धान जो मिल में प्रयोग किया जा सके नहीं उगाया जाता है, भली भाँति विचार नहीं किया गया था।

एक कीटनाशक फुहारा इकाई (इन्सेक्टी साइड स्पेयर यूनिट) की स्थापना के लिए 7.22 लाख रूपये की पूँजी

लागत से (2.30 लाख रुपये प्रायोजित लागत के समक्ष) एटा में मई 1984 में निर्मित भवन बेकार पड़ा हुआ था क्योंकि परिषद ने दिसम्बर 1983 में परियोजना पर पुनः विचार करने पर इकाई को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया।

भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 1988-89 में गेंहूँ की अधिप्राप्ति गत वर्ष में परिष्कृत किये गये का 12 प्रतिशत भी नहीं थी।

फरवरी 1983 में 4.50 लाख रुपये की पूँजी लागत से आगरा में और मार्च 1983 में 2.04 लाख रुपये की पूँजी लागत से मथुरा में स्थापित पेट्रोल पम्प हानि में चल रहे थे, जो 1985-86 तक कुल मिला कर 1.54 लाख रुपये हो गयी जो मुख्य रूप से कम विक्री तथा उच्चतर प्रशासनिक लागत के कारण थी।

अक्टूबर 1982 में 1.31 लाख रुपये की पूँजी लागत से एटा में स्थापित आटोमोबाइल वर्कशाप ने 1987-88 तक अप्राप्त कार्य एवं संचालन की उच्चतर दर के कारण उसी अवधि हेतु 1.43 लाख रुपये की प्रयोजित लाभ के समक्ष 1.24 लाखं रुपये की कुल हानि उठायी।

निर्धन कृषकों को प्रथा सेवाऐं(कस्टम सर्विसेज) प्रदान करने हेतु कम्पनी ने मार्च 1978 से मई 1980 की अवधि में 16 ट्रैक्टर (कीमत 10.30 लाख रुपये) एवं सहायक कल पुर्जों (कीमत 2.70 लाख रुपये) खरीदे। प्रथा सेवाओं की कम माँग और परिचालन कीउच्चतर लागत के कारण कम्पनी को 1982-83 तक

15.01 लाख रूपये की कुल हानि उठानी पड़ी। बाद में, फरवरी 1984 से जुलाई 1986 के दौरान 15 ट्रैक्टर 6.93 लाख रूपये में नीलाम कर दिये गये।

यद्यपि 1985-86 में आगरा जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं था, कम्पनी ने मार्च और अप्रैल 1986 में (वर्षाऋतु आरम्भ होने के आठ मास बाद) बाढ़ सहायता योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन को 12.31 लाख रूपये मूल्य का पुष्ट आहार की आपूर्ति की और 1.47 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि पैकेट किनको वितरित किये गये, विशेष रूप से जब क्षेत्र बाढ़ प्रभावित घोषित नही था।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कम्पनी ने नवम्बर 1987 से जून 1988 के दौरान 12.51 लाख रूपये मूल्य के पुष्ट आहार की आपूर्ति की। उच्चतर दरों पर चावल की खरीद के कारण, कम्पनी ने 4.17 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया जो लाभ भोगियों को पुष्ट आहार की उपलब्धता मे लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि कर देता।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के उत्थान हेतु निर्मित आई.आर.डी.पी. योजना के अन्तर्गत 1987-88 तक कम्पनी ने लाभ भोगियों को 369.10 लाख रूपये मूल्य की विभिन्न वस्तुएँ जैसे बुग्गी, किराना, कपड़ा आदि बेचा। इसने उन परिवारों की संख्या जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गये थे सुनिश्चित करने हेतु योजना का मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के 10 वर्षों के बाद भी नहीं किया।

लघु/सीमान्त कृषकों को उचित दरों पर निश्चित रूप से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से कम्पनी ने सितम्बर 1981 से मार्च 1988 की अवधि में लघु सिंचाई विभाग से 123 सामुदायिक नलकूप निर्मित कराये जिनमें से 1987-88 तक केवल 51 नलकूप पूर्ण हो सके (अनुमानित लागत 12.74 लाख रूपये) और शेष 72 अपूर्ण नलकूपों के लिए लघु सिंचाई विभाग के पास पड़े हुए 23.21 लाख रूपयों के अग्रिम का समायोजन प्रतीक्षित था क्योंकि कम्पनी इस योजना को आर्थिक दृष्टि से नहीं चला सकी। (1987-88 तक राजस्व में कुल गिरावट 34.85 लाख रूपये) और इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में असफल रहीं। परिषद ने जुलाई 1987 में सभी नलकूपों के निस्तारण का निर्णय लिया फिर भी अभी इनका निस्तारण होना शेष था।

2ड.1 प्रस्तावना

आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और मथुरा जिलों से समाविष्ट मण्डल में आर्थिक औद्योगिक एवं कृषीय विकास को प्रोन्नत करने या प्रगति करने की दृष्टि से आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड 31 मार्च 1976को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित की गयी।

2ड.2 उद्देश्य

जैसा कि इसके संस्था का ज्ञापन पत्र (मेमोरैण्डम आफ एसोशियेशन) में दिया हुआ है, कम्पनी के उद्देश्य एवं लक्ष्य सर्वांगपूर्ण है तथा इसमें आगरा मण्डल के अन्तर्गत पांच जिलों के

प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु सभी प्रकार के विकासीय कार्यकलाप आते हैं ।

आगरा मण्डल के विकास हेतु अधः संरचना सृजित करने की दृष्टि से परिषद् ने समय-समय पर 44 परियोजनाओं पर चर्चा की किन्तु केवल 15 परियोजनायें अनुमोदित कीं जिनमें से मात्र 8 परियोजनायें ली गयीं तथा एक परियोजना (कीटनाशक फुहारा) अपूर्ण रह गयी। 0.68 लाख रूपये की लागत पर परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के पश्चात् 6 परियोजनायें इस आधार पर त्याग दी गयी कि ये परियोजनायें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थीं, यद्यपि पृथक परियोजना प्रतिवेदन अन्यथा सूचित कर रहे थे ।

कम्पनी द्वारा ली गयी परियोजनायें ये थीं:

— निर्माण इकाइयाँ जैसे (क) पाटल कुंज (रोज काम्पलेक्स)
(ख) धान मिल आदि की स्थापना एवं संचालन ।

— व्यापारिक क्रियाकलाप जैसे (क) पेट्रोल पम्पों का संचालन
(ख) आयातित चीनी की बिक्री
(ग) गेहूँ अधिप्राप्ति आदि और सरकार पोषित विभिन्न समाज कल्याण परियोजनाओं का सेवा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वयन जैसे (क) बाढ़ सहायता एवं बाल विकास योजनाओं के अन्तर्गत पुष्ट आहार की आपूर्ति
(ख) सांमुदायिक नलकूपों का संचालन
(ग) बुग्गियों, कपड़ों आदि की बिक्री ।

2ड.3 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है

जिसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में मण्डल के आयुक्त, एक प्रबन्ध निदेशक तथा 17 अन्य निदेशक होते हैं। प्रबन्ध निदेशक सहित निदेशक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। 31 मार्च 1988 को परिषद् में 19 निदेशक थे। उसके दिन प्रति दिन के कार्यों में प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये एक कम्पनी सचिव, एक प्रबन्ध (तकनीकी सेवायें), एक सेवा प्रबन्धक तथा एक लेखाधिकारी होते हैं। प्रबंन्ध निदेशक का कार्यालय अब तक (नवम्बर 1988) 12 अधिकारियों द्वारा धारित किया जा चुका है, उनमें से पांच ने बहुत कम समय के लिये जैसे 7 माह 2 दिन, 4 माह 28 दिन, 2 माह 28 दिन, 2 माह 14 दिन तथा एक माह 14 दिन प्रभार धारित किया। जैसे कि प्रस्तर 2 घ.4 में उल्लिखित मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड के मामले में था, प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में प्रायः होने वाले परिवर्तनों के कारण, कम्पनी मण्डल के विकास हेतु दीर्घकालीन योजनायें आरम्भ नहीं कर सकी।

2ङ.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1987-88 तक 5 वर्षों की अवधि में कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये निर्माण सम्बन्धी एवं व्यापारिक क्रिया कलाप और साथ ही समाज कल्याण योजनायें 19 सितम्बर 1988 से 11 नवम्बर 1988 के दौरान सम्पन्न लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षित किये गये। लेखा परीक्षा के परिणाम उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2ङ.5 अर्थव्यवस्था (फण्डिंग)

2ङ.5.1 अंशपूँजी

31 मार्च 1988 को कम्पनी की प्राधिकृत साथ ही साथ

प्रदत्त पूँजी 100 लाख रूपये थी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ण अंश दानित थी ।

यद्यपि राज्य सरकार ने अगस्त 1976 में 100 लाख रूपये की प्रदत्त पूँजी प्रदान की थी कम्पनी मात्र 1978-79 से क्रिया कलाप प्रारम्भ कर सकी, वह भी लघु स्तर पर, अत: कम्पनी ने अंशपूँजी की धनराशि को 1976-77 से 1982-83 के दौरान बैंक में जमा रखा जो इस प्रकार प्राप्त धनराशि के 73.2 और 100 प्रतिशत के मध्य थी। निम्नांकित तालिका वर्ष 1976-77 से 1982-83 के दौरान बैंक में जमा रखी गयी अंश पूँजी की धनराशियाँ, उन पर अर्जित ब्याज, कर से पहले लाभ/निवल हानि एवं दिये गये आय कर के ब्योरे सूचित करती है:

वर्ष	निम्न में जमा रखीगई अंश पूँजी की धनराशि नियत कालिक जमा	बचत बैंक खाता	योग	प्राप्त ब्याज	कर से पहले लाभ(+) शुद्ध हानि(-)	भुगतान किया गया आयकर
1	2	3	4	5	6	7
			(लाख रूपयों में)			
1976-77	35.00	65.00	100.00	3.62	+3.32	1.91
1977-78	86.95	5.61	92.56	10.47	+8.04	4.19
1978-79	80.00	1.93	81.93	7.69	+2.37	3.93
1979-80	69.00	4.15	73.15	6.50	+1.27	1.93

1	2	3	4	5	6	7
			(लाख	रूपयों	में)	
1980 -81	73.00	11.87	84.87	7.72	-0.59	0.80
1981 -82	70.00	5.44	75.44	5.00	-8.70	-
1982 -83	54.00	22.48	76.48	4.86	-16.55	-

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 1979-80 तक कम्पनी को लाभ मुख्यत: बैंक में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज से हुआ।

यद्यपि सरकार ने अप्रैल 1980 में निर्देश दिया था कि बैंकों में नियत कालिक जमा के रूप में जमा करके अंश पूँजी पर अर्जित ब्याज को कम्पनी की आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिये, अपितु सरकारी लेखा में क्रेडिट किया जाना चाहिये। कम्पनी ने अनियमित रूप से इसको अपनी आय माना।

2ड.5.2 ऋण

कृषकों को कृषीय निवेशों की विवरण सुविधाओं हेतु, 5 लाख रूपयों और 30 लाख रूपयों के 2 अल्पावधिक ऋण दिसम्बर 1985 तथा जनवरी 1987 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। ऋण आहरण की तिथि से 6 माह के अन्दर पुनर्भुगतान योग्य थे और समय पर पुनर्भुगतान हेतु 3.5 प्रतिशत छूट के साथ उन पर 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देय था ।

3 फरवरी 1986 को आहरित 5 लाख रूपये के ऋण का पुनर्भुगतान कम्पनी ने दिसम्बर 1986 को किया। उपर्युक्त अवधि के लिये 16.5 प्रतिशत की दर से आगणित गणना 0.70 लाख रूपये की कुल ब्याज देयता के समक्ष कम्पनी ने केवल 13 प्रतिशत की दर पर 0.61 लाख रूपये का भुगतान किया।

2 मार्च 1987 को कम्पनी द्वारा आहरित 30 लाख रूपये के ऋण में से केवल 15 लाख रूपये की धनराशि जून 1988 में वापस की गयी। सितम्बर 1988 तक 5.74 लाख रूपये की कुल ब्याज देयता के विरूद्ध कम्पनी ने मार्च 1987 से अगस्त 1987 की अवधि हेतु 16.5 प्रतिशत के विरूद्ध 13 प्रतिशत की दर से आंकलित ब्याज हेतु केवल 1.94 लाख रूपये की धनराशि का भुगतान किया, 15 लाख रूपये के मूलधन के साथ शेष ब्याज की देयता बिना भुगतान के अभी तक पड़ी है (नवम्बर 1988)।

दोनो ऋणों के मामले में सरकार द्वारा नियत ब्याज दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज के भुगतान के कारण अभिलेख में नहीं थे।

2.5.6 निर्माण सम्बन्धी क्रिया कलाप

2.5.6.1 पाटल कुंज (रोज काम्पलेक्स)

मुख्यतः सुगन्ध उद्योग द्वारा अपेक्षित प्रतिशत 500 किलोग्राम गुलाब का अर्क उत्पादित करने की सम्भाव्यता वाले अलीगढ़ और एटा जिलों के गुलाब के कृषकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से जिलाधिकारी अलीगढ़ ने अप्रैल 1977 में गुलाब के अर्क के निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा हसयान (अलीगढ़) में एक

पाटल कुंज की स्थापना का प्रस्ताव किया। अगस्त 1980 में उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेण्ट लिमिटेड (यू.पी.आई.सी.ओ.) से एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार कराया गया, जिसमें संकेत था कि जब तक खस की जड़ों और गंजनी (सिट्रेनिला) की पत्तियों का आसवन नहीं किया जायेगा तब तक यह परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी।

अप्रैल 1982 में कम्पनी द्वारा सम्बन्ध स्थापित करने पर सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिसिन एण्ड एरोमेटिक प्लाण्ट्स की (सी.आई.एम.ए.पी.) लखनऊ, 0.50 लाख रूपये की लागत पर कम्पनी को अपनी नयी तकनीक हस्तान्तरित करने और कम्पनी को एक पाइलट प्लाण्ट प्रदान करने के लिये सहमत हो गया (दिसम्बर 1982)। जिस पर परिषद् ने फरवरी 1983 में पाटल कुंज की स्थापना अनुमोदित कर दी।

सी.आई.एम.ए.पी. से 4.17 लाख रूपयेकीलागत से खरीदे गये सयंत्र और मशीनरी मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संस्थापित की गयी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 0.84 लाख रूपये की लागत पर एक शीर्षस्थ टंकी तथा नलकूप और 0.02 लाख रूपये की लागत पर फर्नीचर / फिक्सचर और बढ़ा दिये। अन्तिम रूप से फैक्टरी ने जनवरी 1984 में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

2ङ.6.1.2 क्षमता उपयोग

आसवन संयंत्र की 25,625 किलोग्राम गुलाब के फूल तथा 12,500 किलोग्राम खस की जड़ों की प्रारम्भिक वार्षिक संस्थापित

क्षमता फरवरी/मार्च 1988 में दुगुनी कर दी गयी। निम्नांकित सारणी 1987-88 तक क्षमता उपयोग दर्शाती है:

विवरण	1983-84		1984-85		1985-86		1986-87		1987-88	
	गुलाब	खस	गुलाब	खस	गुलाब	खस	गुलाब	खस	गुलाब	खस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संस्थापित-क्षमता (किलोग्राम में)	25625	12500	25625	12500	25625	12500	25625	12500	25625	25000
संसाधित मात्रा (किलोग्राम में)	–	12332	5188	25934	7350	37155	7937	39287	5158	–
क्षमता उपयोग की प्रतिशतता	–	98.7	20.2	207.5	28.7	297.0	31.0	314.3	20.1	–

प्रबन्धकों ने गुलाब के फूलों के आसवन हेतु संयंत्र के कम उपयोग का कारण फसल उत्पादन के ढाँचे में परिवर्तन के कारण फूलों की कम उत्पत्ति, 1987–88 में भयंकर सूखे की स्थितियों के कारण कम उत्पादकता तथा प्राप्ति दोनों के लिये उत्तरदायी ओस का कम निर्माण गुलाब के फूलों के मूल्य में वृद्धि आदि को बताया (दिसम्बर 1988)। और भी, खस की जड़ों का आसवन 1986–87 तक 4 वर्षों की अवधि में संस्थापित क्षमता का 98.7 प्रतिशत से 314.3 प्रतिशत तक किया गया था लेकिन 1987–88 में न तो खस जड़ों की अधिप्राप्ति की गयी और न ही आसवन किया गया। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 1987–88 में सूखे के कारण खस की जड़े नष्ट हो गयीं जिससे खस के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी जिससे खस के अर्क का आसवन अलाभकर हो गया।

2ड.6.1.3 विस्तार

यद्यपि 1984–85 से 1986–87 तक 3 वर्षों की अवधि में गुलाब के फूलों के आसवन के क्षमता उपयोग की प्रतिशतता केवल 20.2 और 31.0 के मध्य थी, सी.आई.एम.ए.पी. से प्राप्त रूपांकन और विशिष्टि के आधार पर परिषद ने दिसम्बर 1987 में संयंत्र की आवसन क्षमता को दुगुनी करते हुये संयंत्र का विस्तार अनुमोदित किया, जो फरवरी / मार्च 1988 में 1.14 लाख की लागत पर फरीदाबाद की एक फर्म के माध्यम से कराया गया।

संयंत्र की पूर्व विस्तारित संस्थापित क्षमता के भी पूर्ण

उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा में गुलाब के फूलों के लिये स्रोत सुनिश्चित किये बिना संयंत्र का विस्तार किया जाना उचित नहीं था। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि कम्पनी ने पहली बार सितम्बर 1987 में दिल्ली की एक फर्म को 3.5 किलोग्राम गुलाब के अर्क की आपूर्ति हेतु सुनिश्चित बाजार प्राप्त किया और संयंत्र की वर्तमान क्षमता से उपर्युक्त आदेश की आपूर्ति नहीं की जा सकी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि मूल संयंत्र पहले से ही 5.89 किलोग्राम गुलाब अर्क उत्पादित करने के लिये रूपान्तरित किया गया था ।

2ड.6.1.4 आसवन

परियोजना प्रतिवेदन में 125 किलोग्राम गुलाब के फूल तथा 125 किलोग्राम खस की जड़ों को संसाधित करके प्राप्त 187 ग्राम खस के अर्क को संसाधित करके 28.75 ग्राम गुलाब के अर्क और 50 लीटर मध्यम शक्ति वाले द्वितीय कोटि के गुलाब की प्राप्ति संकल्पित थी। निम्नांकित सारणी प्रतिमानों की तुलना में गुलाब अर्क गुलाब जल तथा खस अर्क की वास्तविक प्राप्ति सूचित करती है।

विवरण	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88
1	2	3	4	5	6
गुलाब का अर्क अधि-प्राप्ति गुलाब के फूल (कुन्तलों में)	-	51.88	73.50	79.37	51.58
प्रतिमान के अनुसार गुलाब अर्क की प्राप्ति (किलोग्राम में)	-	1.193	1.691	1.826	1.186

1	2	3	4	5	6
वास्तविक प्राप्ति (किलोग्राम में)	–	0.649	1.723	1.678	0.841
गिरावट (किलोग्राम में)	–	0.544	–	0.148	0.345
प्रति किलोग्राम औसत वृद्धि दर (रूपयों में)	–	58332	–	81058	80000
हानि (लाख रूपयों में)	–	0.32	–	0.12	0.28
गुलाब जल अधि- प्राप्ति गुलाब के फूल (कुन्तलों में)	–	51.88	73.50	79.37	51.58
प्रतिमानों के अनुसार गुलाब जल की प्राप्ति (लीटरों में)	–	2075	2940	3175	2063
वास्तविक प्राप्ति (लीटरों में)	–	1830	166	1321	20
गिरावट (लीटरों में)	–	245	2774	1854	2043
प्रति लीटर औसत बिक्री दरें (रूपयों में)	–	15.00	5.50	3.41	26.66
हानि (लाख रूपयों में)	–	0.04	0.15	0.06	0.54
खस अर्क –					
संसाधित खस जड़े (कुन्तलों में)	123.32	259.34	371.55	392.87	–
प्रतिमानों के अनुसार खस अर्क की प्राप्ति (किलोग्राम में)	18.449	38.797	55.584	58.773	–

1	2	3	4	5	6
वास्तविक प्राप्ति (किलोग्राम में)	7.035	15.134	13.315	13.465	-
गिरावट (किलो-ग्राम में)	11.414	23.663	42.269	45.308	-
प्रति किलोग्राम औसत बिक्री दरें (रूपयों में)	3000	3000	3502	3504	-
हानि (लाख रूपयों में)	0.34	0.71	1.48	1.59	-

इस प्रकार, 1985-86 में गुलाब अर्क के मामले को छोड़कर तैयार उत्पादन की प्राप्ति निर्धारित प्रतिमान के सदैव नीचे रही । 1987-88 तक तैयार उत्पादनों की कम प्राप्ति के कारण हानि की धनराशि 5.63 लाख रूपये थी (गुलाब अर्क 0.72 लाख रूपये, गुलाब जल 0.79 लाख रूपये और खस अर्क 4.12 लाख रूपये)। प्रबन्धकों ने न तो कम प्राप्ति के कारणों का पता लगाया और न ही कोई प्रतिकारक उपाय किये ।

यह भी देखा गया कि पाटल कुंज के स्वामित्व में 500 किलोग्राम गुलाब अर्क के सम्भाव्य उत्पादन की तुलना में 1987-88 तक 4 वर्षों की अवधि में कम्पनी के यथार्थ योगदान की प्रतिशतता 0.2 से 0.3 प्रतिशत के बीच रही ।

2ड.6.1.5 औसत बिक्री प्राप्ति की तुलना में उत्पादन की लागत

1987-88 तक 5 वर्षों की समाप्ति पर पाटल कुंज की

संचित हानि 3.98 लाख रूपये थी। कम्पनी द्वारा उत्पादनों के उत्पादन की लागत नहीं निकाली गयी। लेखापरीक्षा में किए गये उत्पादन की लागत के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि हानिया मुख्यतया जैसा कि नीच सूसचित किया गया है कि गुलाब अर्क की बिक्री उत्पादन की लागत से काफी कम पर किये जाने के कारण थी।

वर्ष	कमियों को (छोड़कर) उत्पादित गुलाब अर्क की मात्रा (ग्रामों में)	अनुपातिक कुल व्यय (लाख रुपये में)	प्रतिग्राम उत्पादन लागत (रुपयें में)	बेची गई मात्रा (ग्राम में)	कुल राजस्व (रूपयें में)	प्रति ग्राम औसत बिक्री मूल्य प्राप्ति (रुपयें में)
1984-85	649	2.04	314	15	875	58.33
1985-86	1707	2.01	118	1328	107250	80.76
1986-87	1647	1.88	114	2032	164710	81.08
1987-88	841	1.44	171	964	72291	79.96

इस सम्बंध में निम्न और भी बिन्दु उल्लेखनीय है:-

(क) परियोजना स्वभावतय: अत्यधिक सामयिक (सीजनल) थी क्योंकि उत्पादन की अवधि मार्च और अप्रैल में लगभग दो मास तथा अगस्त से नवम्बर तक लगभग चार मास थी। तो भी 1987-88 तक अपने संचालन के पाँच वर्षों की अवधि में यद्यपि संयंत्र मार्च और अप्रैल मौसम में चला किन्तु यह गुलाब के फूलों की ऋतु में अगस्त से नवम्बर तक कभी नहीं चला जिससे प्रत्येक वर्ष कम उत्पादन हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि फूलों की कम उपलब्धता तथा संयंत्र की उच्च परिचालन लागत के कारण संयंत्र किसी भी वर्ष अगस्त से नवम्बर की अवधि में कभी भी नहीं चलाया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने अगस्त 1988 से नवम्बर 1988 के दौरान 42 कुन्तल गुलाब के फूलों की अधिप्राप्ति की दी। और भी संयंत्र के क्षमता विस्तार से पहले, कम्पनी को फूलों की उपलब्धता और संयंत्र परिचालन की लाभकारिता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी।

(ख) जैसा कि दोनों परियोजना प्रतिवेदनों में संकल्पित था, पाटल कुंज की सम्भाव्यता अधिक बढ़ सकी क्योंकि पिपरमेन्ट व्यवहार्यता में वृद्धि की जा सकती थी यदि मेन्था आरवेंसिस पामारोजा तथा सिट्रोनेला का आसवन हाथ में लिया गया होता जो दिसम्बर से मार्च के दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, इससे नियत व्ययों की आंशिक

वसूली हो जाती और इसके मुख्य उत्पादन अर्थात् गुलाब अर्क की उत्पादन की लागत नीचे आ जाती। किन्तु प्रबन्धकों ने इन सभी वर्षों में मेन्था आरवेंसिस पामारोजा और सिट्रोनेला के आसवन का कोई प्रयत्न नहीं किया।

2.ङ.6.2. धान मिल

2.ङ.6.2.1 प्रति वर्ष स्थानीय रूप से उपलब्ध 31500 कुन्तल धान का मिल में प्रयोग करने हेतु 6.91 लाख रुपए की लागत पर करहल (मैनपुरी) में माडर्न राइस मिल की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदित परिषद द्वारा मई 1978 में अनुमोदित किया गया। फैक्टरी का स्थान मार्च 1979 में बदल कर इस आधार पर 25 किलोमीटर दूर कुसमैरा कर दिया गया क्योंकि करहल में पहले से ही धान की मिलें परिचालन में थी।

6.91 लाख रुपए की प्रयोजित लागत तथा पूर्ण किये जाने हेतु 6 मास की समय सूची के समय परियोजना 10.77 लाख रुपयों की पूँजी लागत पर 15 मास में पूरी की गयी और 10 दिसम्बर 1980 को चालू की गयी। मुख्यतया निर्माण में बिलम्ब के कारण कार्य के विभिन्न खण्डों में 3.86 लाख रुपयों की अधिक लागत के आपात् का ज्ञान यू.पी.आई.सी.ओ. द्वारा तैयार किये गये मूल परियोजना प्रतिवेदन के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो हो सका।

2.ड.6.2.2 **क्षमता उपयोग**

परिचालन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 31500 कुन्तल धान के मिल में प्रयोग किये जाने की वार्षिक संस्थापित क्षमता तथा 70,80 और 90 प्रतिशत प्रायोजित क्षमता उपयोग के समक्ष 1983-84 तक चार वर्षों के दौरान यथार्थ क्षमता उपयोग की प्रतिशतता में क्रमशः 11.7,14.5,53.7 और 7 थी जो मुख्यतया अपेक्षित मात्रा में धान की अधिप्राप्ति न होने के कारण थी, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शित है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अधिप्राप्त धान	योग	मिल में प्रयुक्त धान	अन्त शेष	वास्तविक उत्पादन
	(कुन्तलों में)					
1980-81	—	4028	4028	1130	2898	487
1981-82	2898	18095	20993	4560	16433	2099
1982-83	16433	467	16900	16900	—	9512
1983-84	—	2245	2215	2215	—	1255

इस प्रकार अपने संचालन के चार वर्षों में से किसी भी

वर्ष में कम्पनी न तो किसानों से अपेक्षित मात्रा (31500 कुन्तल) में धान अधिप्राप्त कर सकी और न ही नियत व्ययों की लागत वसूल करने के लिए, सरकार के आदेशों के अन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के आवंटन पर, मिल में प्रयोग हेतु अन्य अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्त धान प्राप्त कर सकी। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रदत्त धान का मिल में प्रयोग कम्पनी के लिए सम्भव नहीं था। क्योंकि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नियत वसूली की दर 68 प्रतिशत थी जबकि मिल की वसूली अपेक्षाकृत कम थी।

2•ङ•6•2•3 धान का मिल में प्रयोग

सरकार द्वारा निर्धारित तथा मई 1978 में सम्पन्न परिषद की बैठक की कार्यसूँची में भी 68 प्रतिशत वसूली प्रतिमानों के समक्ष, 1983-84 तक चार वर्षों की अवधि में वास्तविक प्राप्ति की प्रतिशततायें 43•1, 46,56•3, तथा 56•7 थी, इसके परिणाम स्वरूप सम्बंधित वर्षों में औसत विक्रय प्राप्ति पर आकलित 6•48 लाख रूपये मूल्य के 3513•28 कुन्तल चावल की कम वसूली हुई। कम प्राप्ति के कारण न तो अभिलेख में अंकित थे और न ही उन्हें स्पष्ट किया गया (अप्रैल 1989)।

2.5.6.2.4 बिक्री

निम्नांकित सारणी 1981-82 से 1985-86 की अवधि में प्रति कुन्तल चावल के उत्पादन की लागत और औसत बिक्री से प्राप्ति दर्शाती है:-

वर्ष	प्रति कुन्तल उत्पादन की कुल लागत	प्रति कुन्तल औसत बिक्री प्राप्ति	प्रति कुन्तल हानि	बेचे गये चावल की मात्रा	हानि
	(रुपये में)			(कुन्तल में)	(लाख रुपयें में)
1	2	3	4	5	6
1981-82	378.69	172.74	205.95	439.60	0.91
1982-83	378.69	192.74	185.95	2146.62	3.99
	228.20	192.74	35.46	9377.81	3.33
1983-84	228.20	180.54	47.66	70.29	0.03
1984-85	228.20	180.62	47.58	64.03	0.03
	422.46	180.62	241.84	933.58	2.26
1985-86	422.46	190.95	231.51	242.45	0.56
		योग			11.11

इस प्रकार प्रति कुन्तल चावल के उत्पादन की लागत औसत बिक्री उपलब्धि से सदैव अधिक रही जिसके परिणाम स्वरुप 1985-86 तक 11.11 लाख रूपये हानि हुई।

2 उ.6.2.5 मिल की बन्दी

समर्थन मूल्य पर धान की अनुपलब्धता तथा मिल द्वारा उठायी गई लगातार हानियों को देखते हुए परिषद ने दिसम्बर 1983 में मिल को बन्द कर देने और मिल को किसी प्राइवेट पार्टी को पट्टे पर देने की सम्भावना का पता लगाने का निर्णय लिया। चूँकि मिल पट्टे पर नहीं दी जा सकी प्रबन्धकों ने 1986-87 और 1987-88 वर्षों के दौरान 0.87 लाख रूपयों की और हानि उठायी। अन्ततोगत्वा अगस्त 1988 में परिषद ने संयंत्र को आगरा की हिमालय इन्डस्ट्रीज को 8.51 लाख रूपयों में बेचने का निर्णय लिया जिसमें से 4.26 लाख रूपये की धनराशि फर्म द्वारा तुरन्त देय थी और शेष बैंक गारंटी के समक्ष दो किस्तों में भुगतान करना था, जिसे फर्म नें स्वीकार नहीं किया क्योंकि कम्पनी द्वारा पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मिल का अधिकार हस्तान्तरित किया जाना था। मिल अभी तक (अक्टूबर 1988) बिना बिक्री हुयी पड़ी थी। यह भी देखा गया कि इस आधार पर कि करहल में अनेक धान मिले पहले से ही परिचालन में थी, मिल का स्थान करहल से कुसमेरा बदलने पर विचार करते समय कम्पनी ने कुसमेरा में उस समय विद्यमान प्राइवेट धान मिलों पर विचार नहीं किया, जो मिलो में

सेल्हा चावल का प्रयोग कर रही थीं जिससे वसूली अपेक्षाकृत अच्छी थी। इस प्रकार कुसमेरा में जहाँ की मुख्य फसल सेल्हा चावल है, अरवा चावल मिल की स्थापना का विचार ही सुविचारित नहीं थी।

2.5.6.3 कीटनाशक फुहारा (इन्सैक्टिसाइड स्प्रेयर) इकाई

कृषकों द्वारा कृषि उपकरणों के अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग को जो कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु एक निर्णायक निवेश है, मान्यता प्रदान कर, परिषद ने पौधे/फसलों की रक्षा के लिए कीट नाशक और कृमिनाशक दवायें छिड़कने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले कीटनाशक फुहारों के निर्माण हेतु एक इकाई स्थापित करने के लिए दिसम्बर 1978 में अनुमोदित किया। तद्नुसार दिसम्बर 1978 में यू.पी.आई.सी. ओ. द्वारा एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार कराया गया जिसे परिषद ने मार्च 1979 में अनुमोदित कर दिया।

व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना में भूमि की लागत (0.02 लाख रूपये), भवन (2.10 लाख रूपये), संयंत्र और मशीनरी (3.02 लाख रूपये) और अन्य व्ययों (1.04 लाख रूपये) के प्रति 6.36 लाख रूपये व्यय होने थे। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार परिचालन के प्रथम वर्ष प्रारम्भ होने वाले प्रथम चार वर्षों के दौरान 10.51 लाख रूपयों से 21.02 लाख रूपयों के बीच बिक्रियों पर 0.20 लाख रूपयों से 2.07 लाख रूपयों के बीच निबल लाभ भी प्रत्याशित थे।

औद्योगिक भूमि कासगंज (एटा जनपद) में 1.49 लाख रूपये की लागत पर यू.पी.एस.आई.डी.सी. से अधिग्रहीत एक

एकड़ भूमि पर कर्मशाला सायबीन (वर्कशाप शेड), कार्यालय ब्लाक, गोदाम चहार दीवारी और नलकूप घर से युक्त भवन के निर्माण का कार्य लागत धन 12.5 प्रतिशत के आधार पर जमा कार्य के रूप में नवम्बर 1980 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) को प्रदान किया गया। 2.10 लाख रूपये की प्रयोजित लागत तथा 4 मास की समयावधि अर्थात् मार्च, 1981 तक के विरूद्ध यू.पी.एस.आई.डी.सी द्वारा भवन का निर्माण मई 1984 में 6.23 लाख रूपये की लागत से भवन पूरा किया गया। प्रबन्धकों ने 4.13 लाख रूपये की अधिक लागत तथा कार्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्षों के अत्यधिक विलम्ब के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

जब भवन पूर्ण होने के समीप था, तो परिषद ने दिसम्बर 1983 में परियोजना की व्यवहार्यता पर पुनः विचार किया और बाजार में कीटनाशक फुहारों की कठिन स्पर्धा की दृष्टि से 7.72 लाख रूपयों के व्यय को निष्फल बताते हुए परियोजना को समाप्त कर दिया।

यह भी देखा गया कि भूमि (1.49 लाख रूपये) तथा भवन (6.23 लाख रूपये) की लागत, जिला विकास अधिकारी एटा के माध्यम से राज्य सरकार ने मार्च 1980 में प्राप्त 13.89 लाख रूपये के उपदान के समक्ष, जो कृषि उपकरणों की एजेंसी लेने, सामुदायिक नलकूप के संस्थापन तथा इन्टेगरेटेड रूरल डेवलपमेन्ट (आई.आर.डी.) के लिए अतःसंरचना के सृजन के प्रयोजन हेतु था,

मई 1986 में समायोजित किया गया।

एक बन्द करदी गयी परियोजना पर, जिससे लघु और सीमान्त कृषकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उपदान का ऐसा विनियोजन निधियों को अनियमित ब्यावर्तन के तुल्य था। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि निबल परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निधियों को उपयोग योजना के अधिकार क्षेत्र में था और यह कि किसी विशेष उत्पादन कार्यक्रम की समाप्ति व्यय को निष्फल नहीं बना देती और यह कि कम्पनी द्वारा भवन में शीघ्र ही हथकरघा उद्योग स्थापित करने की सम्भावना है।

फिर भी मई 1984 में 6.23 लाख रूपये की लागत से भवन निर्मित हुआ था जो अभी तक अनुपयोजित पड़ा हुआ था। (दिसम्बर 1988)।

2.ड.7 व्यापारिक क्रियाकलाप

2.ड.7.1 गेहूँ की अधिप्राप्ति

भारत सरकार के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय समुच्चय (पूल) गेहूँ की अधिप्राप्ति प्रत्येक फसल वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा नियत मूल्यों पर कृषकों से सीधे की जाती है। गेहूँ की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से जिनमें मण्डलीय विकास निगम भी सम्मिलित हैं, की जाती है। कम्पनी 1982-83 में गेहूँ अधिप्रीप्त की योजना में सम्मिलित हुई।

9 AG-20

वर्ष 1983-84 से 1988-89 के दौरान 20.12 लाख से 25 लाख टन प्रति वर्ष के अधिप्राप्ति लक्ष्यों में से कम्पनी के लिए सरकार द्वारा नियत लक्ष्य 1984-85 तथा 1985-86 के लिए 1000 टन प्रति वर्ष था और 1986-87 तथा आगे के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

निम्नांकित सारणी 1988"89 तक 6 वर्षों के दौरान गेहूँ की अधिप्राप्ति में कम्पनी का कार्य सम्पादन सूचित करती है:-

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा कुन्तलों में	गेहूँ की कुल लागत जिसमें आकस्मिक व्यय बोरे की लागत आदि सम्मिलित है	एफ.सी. आई.से वसूली योग्य धनराशि	वसूली योग्य कमी	योग 5+6	लाभ(+)/हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
1983-84	10	16 788	26.69	26.37	0.63	27.00 +	0.30
1984-85	10	33 561	54.00	54.98	0.20	55.18 +	1.18
1985-86	11	27 520	47.20	47.00	0.04	47.04 -	0.16
1986-87	9	17 286	30.12	30.47	0.04	30.51 +	0.39
1987-88	12	57 145	100.53	102.79	0.22	103.01 +	2.48
1988-89	9	6 430	12.26	12.04	0.02	12.06 -	0.20

1987-88 में भयंकर सूखे के कारण अन्न के केन्द्रीय प्रतिरोध भण्डार में पर्याप्त गिरावट की दृष्टि से और गतवर्ष की तुलना में 1988-89 में गेहूँ की अच्छी फसल की दृष्टि से सरकार ने 1988-89 की अवधि में गेहूँ की अधिकतम मात्रा की अधिप्राप्ति हेतु मार्च 1988 में निर्देश दिए। इसके बावजूद कम्पनी 1988-89 में कुवल 6430 कुन्तल गेहूँ अधिप्राप्ति कर सकी जो गतवर्ष में अधिप्राप्ति गेहूँ का 12 प्रतिशत भी नहीं था। प्रबन्धकों ने दिसम्बर 1988 में बताया कि खुले बाजार में गेहूँ के विक्रय मूल्य उच्चतर थे और कृषक बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र थे।

2ड.7.2 पेट्रोल पम्प

कम्पनी ने फरवरी/मार्च 1983 में दो पेट्रोल पम्प एक आगरा में तथा दूसरा मथुरा में क्रमशः 4.50 लाख रूपये तथा 2.04 लाख रूपये की पूँजी लागत से स्थापित किए। दोनों पेट्रोल पम्पों ने 1 अप्रैल 1983 से कार्य प्रारम्भ किया।

निम्न बिन्दु देखे गये:-

1. वर्ष 1985-86 तक, जब तक के लेखे लेखापरीक्षित हो चुके है, निबल संचित हानियाँ आगरा तथा मथुरा में कुल मिलाकर क्रमशः 0.90 लाख रूपये तथा 0.64 लाख रूपये थी जो मुख्य तथा कम बिक्री और उच्चतर प्रशासनिक लागत के कारण थी।

2. पेट्रोल पम्प मथुरा में प्रबन्धकों द्वारा वर्ष 1983-84

तथा 1985-86 में 0.13 लाख रूपये और 0.25 लाख रूपये के तेल की कमियाँ पाई गयी। चार संदिग्ध दोषी कर्मचारियों की सेवाएं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए बिना अथवा विभागीय जाँच पड़ताल सम्पन्न किए बिना समाप्त कर दी गई।

3. 31 मार्च 1988 को आगरा और मथुरा पेट्रोल पम्प के देनदारों से प्राप्त धनराशियाँ क्रमशः 1.65 लाख रूपये तथा 1.49 लाख रूपये थीं। मथुरा में देनदारों की धनराशियों में 1984-85 के दौरान की गई उधार बिक्रियों के कारण प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त 1.15 लाख रूपये सम्मिलित थे।

2.ड.7.3 वाहन कर्मशाला (आटोमोबाइल वर्कशाप)

एटा में वाहनों हेतु सर्विस और मरम्मत सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने दिसम्बर 1981 में हल्के तथा मध्यम वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत तथा ओवरहालिंग करने के प्रयोजन से तथा अतिरिक्त पुर्जों और स्नेहनों की उचित दरों पर बिक्री करने के लिए भी बहु-उद्देशीय ग्रामीण सेवा केन्द्र एटा में एक वाहन कर्मशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, अक्टूबर 1982 में एटा में कर्मशाला स्थापित की गयी और 1987-88 तक किया गया कुल व्यय संयंत्र और मशीनरी पर (0.90 लाख रूपयें) भवन (0.28 लाख रूपये) और टिनशाड (0.13 लाख रूपये) 1.31 लाख रूपयें था, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) एटा द्वारा दत्त निधियों से पूरा किया गया था।

निम्नांकित सारणी 1987(88 तक पाँच वर्षों की अवधि में कर्मशाला के कार्य चालन परिणामों को दर्शाती है:

वर्ष	कर्मशाला खर्च	मूल्य ह्रास	वेतन तथा मजदूरी अन्य प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय (लाख रूपये में)	कुल आय	हानि
1983-83	0.90	0.11	0.41	1.42	1.35	0.07
1984-86	1.10	0.15	0.41	1.66	1.37	0.34
1985-86	0.39	0.13	0.34	0.86	0.50	0.36
1986-87	1.32	0.11	0.39	1.82	1.67	0.15
1987-88	0.26	0.09	0.33	0.68	0.36	0.32

इस प्रकार 28,600 रूपये प्रति वर्ष की दर से पाँच वर्षों में 1.43 लाख रूपयों के प्रायोजित लाभ के समक्ष कर्मशाला ने 1987-88 तक पहले ही 1.24 लाख रूपये की हानि उठाई। हानियों का मुख्य कारण वर्ष 1983-84 से 1987-88 की अवधि में आय के 21 से 94 प्रतिशत के मध्य उच्चतर सामान्य व्यय था जो पर्याप्त कार्य की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

कर्मशाला चलाने में आवर्ती हानियों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने जून 1984 में प्रबन्धक (तकनीकी सेवायें) को कर्मशाला के कार्यचलान की गहराई से जाँच करने तथा आवर्ती हानियों के कारण देते हुए तथा साथ ही इकाई को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया। लेकिन अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। (नवम्बर 1988)।

और भी, कर्मशाला को लाभ में लाने के उपाय के रूप में परिषद ने दिसम्बर 1987 में कार्यशाला को पेट्रोल पम्प मथुरा के परिसर में से ले जाने के लिए निर्देश दिये। यह अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया (दिसम्बर 1988)। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि कर्मशाला के कार्यचालन में मुख्य बाधा प्राइवेट कर्मशालाओं से तीव्र प्रतिस्पर्धा थी ।

2ड.7.4 कस्टम सर्विस

आगरा मण्डल के निर्धन कृषकों को 8 बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केन्द्रों के माध्यम से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर कस्टम सर्विस (कृषि प्रयोजनों के लिये उपकरणों सहित ट्रैक्टर किराये पर देना) प्रदान करने की दृष्टि से कम्पनी ने मार्च 1978 और मई 1980 के मध्य 10.30 लाख रूपये लागत पर 16 ट्रैक्टर और 2.70 लाख रूपये की लागत पर इनके उपकरण / उपसाधन खरीदे।

अभिलेखों के जाँच परीक्षण से निम्न तथ्य प्रकट हुये:

1. औसतन 15 ट्रैक्टरों के परिचालन में (1977-78 में मात्र 5 ट्रैक्टरों के संचालन को छोड़कर) 1982-83 तक कस्टम सर्विस में कम्पनी द्वारा उठायी गयी कुल हानि की धनराशि 15.01 लाख रुपये थी। कस्टम सर्विस के संचालन में हानि मुख्यतया कस्टम सर्विस की कम माँग के कारण थी।

2. आगे यह देखा गया कि प्रति ट्रैक्टर परिचालन के औसत उत्पादन घंटे घटते हुये 1977-78 में 691.7 से 1982-83 में 324.4 रह गये।

3. परिषद ने यह अनुभव करके कि प्रबन्धक कस्टम हायरिंग सर्विस का प्रबन्ध/परिचालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहे तथा योजना के पुर्नजीवन की कोई आशा नहीं थी, फरवरी 1983 में योजना का संचालन तुरन्त बन्दकर देने का तथा उपकरणों/उपसाधनों सहित सभी ट्रैक्टरों को नीलाम कर देने का निर्णय लिया। तद्नुसार उपकरणों/उपसाधन सहित 15 ट्रैक्टर फरवरी 1984 से जुलाई 1986 के दौरान 6.93 लाख रुपए (ट्रैक्टर 5.65 लाख रुपये) तथा उपकरण/उपसाधनों 1.28 लाख रुपयें रुपये" में नीलाम कर दिये गये। शेष ट्रैक्टर कुछ अपरिचित व्यक्तियों द्वारा अप्रैल 1982 में छीन लिया गया।

2.ड.7.5 चीनी की बिक्री

बाजार में नान-लेवी चीनी की उपलब्धता की असंतोषजनक स्थिति की दृष्टि से भारत सरकार ने बाजार में उचित दरों पर इसकी उपलब्धता बढ़ाकर चीनी की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित

करने के लिए मई 1985 में चीनी निर्यात की। ऐसी निर्यात चीनी एफ.सी.आई. के माध्यम से नीलाम द्वारा तथा राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा बड़े तथा छोटे उपभोक्ताओं को वितरित की जानी थी।

जुलाई 1985 में कम्पनी के निवेदन पर सरकार ने सरकार द्वारा नियत उच्चतम मूल्य के भीतर बड़े/छोटे उपभोक्ताओं की बिक्री हेतु समय-समय पर कम्पनी को चीनी आवंटित की। निम्नांकित सारणी 1987-88 तक तीन वर्षों वर्षों की अवधि में व्यवसाय का आयतन प्रति कुन्तल औसत विक्रय प्राप्ति और कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ सूचित करती है:-

वर्ष	अधिप्राप्त मात्रा (कुन्तलों में)	अधिप्राप्त लागत (लाख रुपये में)	बेची गई मात्रा (कुंतलों में)	बिक्री की कीमत (लाख रुपये में)	औसत विक्रय (रुपयों में)	अर्जित लाभ (लाख रुपयें)
1985-86	53675	279.65	53645	298.84	557.07	17.26
1986-87	64994	338.37	62926	359.29	570.97	27.02
1987-88	85950	464.13	85110	486.83	572.00	18.53

निम्नांकित सारणी 1987-88 तक तीन वर्षों के दौरान प्रबन्धकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गयी चीनी की कमियाँ दर्शाती है:

वर्ष	मात्रा (कुन्तलों में)	मूल्य (लाख रुपयें में)
1985-86	30.00	0.16
1986-87	63.33	0.33
1987-88	147.11	0.79

प्रबन्धकों ने उपयुर्क्त कमियों का कारण एफ.सी.आई. से चीनी की कम प्राप्ति बतायी और कहा कि यद्यपि मामला एफ.सी. आई. को संदर्भित किया गया था, लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.ड.8.1 समाज कल्याण योजनायें

कुछ सरकार पोषित समाज कल्याण योजनाओं के निष्पादन में कम्पनी की भूमिका और सहयोग की चर्चा नीचे की गई है:

2.ड.8.1. बाढ़ सहायता योजना 1985-86 के अन्तर्गत "पुष्ट आहार की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1985 में राज्य के 19 जिलों में 1985-86 में बाढ़ सहायता योजना के अन्तर्गत विशेष पुष्ट आहार के वितरण में निम्नांकित शर्तों के अनुसार आहरण तथा व्यय किये जाने हेतु 232.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की

जिसमें से 12.32 लाख रूपये आगरा जिले को आवंटित किये गये। योजना के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ विशेष पुष्ट आहार के वितरण में भी मिलना था अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अभिज्ञात बाढ़ पीड़ितो के मध्य 75 दिनों हेतु परिवहन की लागत सहित गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं को 100 पैसे तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 70 पैसे प्रतिदिन की दर से खिचड़ी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि 1985-86 के दौरान उपयोजित की जानी थी। विवरण में सुविधा के प्रयोजन हेतु प्रति लाभभोगी 5 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल के पैकेट महीने में एक बार वितरित किये जाने थे और योजना ऐसे ब्लाकों में कार्यान्वित की जानी थी जो इण्टरगरेटेड बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत नहीं आते थे।

कार्य प्रदान किये जाने पर कम्पनी ने आगरा जिले में अनेक ब्लाकों को 57 रूपये प्रति पैकेट की दर से मार्च 1986 में 20,000 पैकेट और अप्रैल 1986 में 1650 पैकेट जिनमें 12.5 किलोग्राम सामान्य चावल तथा 2.50 किलाग्राम दाल मूंग छिलका थी, की आपूर्ति की।

अभिलेखों के जॉच परीक्षण से निम्न कमियों/अनियमितताओं का पता चला:

(क) दिसम्बर 1985 के सरकारी आदेशानुसार लाभभोगियों अर्थात् खिचड़ी पाने के हकदार बाढ़ पीड़ितों की सूची जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अभिज्ञात की जा जानी थी। किन्तु जिलाधिकारी

आगरा ने जनवरी 1986 में सरकार को रिपोर्ट दी कि आगरा जिले में कोई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित घोषित नहीं किया गया और यह भी कि इस प्रकार आवटन का उपयोग सम्भव नहीं है। और भी, बाढ़ ने जुलाई/अगस्त 1985 में क्षति पहुँचाई होगी, जबकि बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को विलम्ब से मार्च/ अप्रैल 1986 में सहायता पहुँची। यह स्पष्ट नहीं है कि बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति कैसे 8 महीने तक इस आशा से प्रतीक्षा करते रहे कि उसको राज्य सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि पैकेट किसको वितरित किये गये थे विशेष रूप से जब क्षेत्र बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था।

(ख) कम्पनी ने 10.84 लाख (सामग्री की लागत 10.01 लाख रूपये तथा पैकिंग सामग्री भाड़ा और अन्य व्ययों के प्रति 0.03 लाख रूपयें) लागत के 21,650 पैकेट खिचड़ी की आपूर्ति में इसके समक्ष 12.31 लाख रूपयों का भुगतान प्राप्त किया और इस प्रकार योजना के अन्तर्गत जो केवल दो महीने (मार्च और अप्रैल 1986) चली लाभ के रूप में 1.47 लाख रूपये प्राप्त किये जिसके परिणामस्वरूप लाभभोगियों को प्राप्त होने वाली मात्रा में 14.7 प्रतिशत परिमाण सम्बंधी उपलब्धातों में कमी हुई।

(ग) सरकार ने सामान्य चावल के थोक एवं फुटकर मूल्य क्रमशः 247 रूपये तथा 253 रूपये प्रति कुन्तल पुनरीक्षित कर दिये (जनवरी 1986)। फिर भी यह देखा गया कि यद्यपि कम्पनी ने सामान्य चावल की अधिप्राप्ति आर.रूप.सी. आगरा से 247 रूपये प्रति कुन्तल थोक मूल्य पर की किन्तु उप विकास आयुक्त आगरा को 57 रूपये प्रति पैकेट

की दर से खिचड़ी पैकेटों (15 किलाग्राम का प्रत्येक पैकेट जिसमें 12.5 किलोग्राम चावल और 2.5 किलोग्राम दाल मूंग छिलका था) की आपूर्ति में अंशभूत चावल का बिक्री मूल्य 317.65 रुपये प्रति कुन्तल आया जो सरकार द्वारा निर्धारित 253 रुपयें प्रति कुन्तल के अनुज्ञेय फुटकर मूल्य से अधिक था। ऐसे अधिक प्रभार 1.06 लाख रुपये आये।

2.ङ.8.2 बाल विकास परियोजना 1987–88 के अन्तर्गत पुष्ट आहार की आपूर्ति:

2.ङ.8.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 1987 में सभी मैजिस्ट्रेटों को वर्ष 1987–88 के लिए 680.95 लाख रुपये की स्वीकृति सूसचित की जो इण्टेगेरटेड बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पुष्ट आहार के वितरण पर जिला नियोजित समिति के अनुमोदन पर आहृत तथा व्यय की जानी थी। 5 जनपदों वाले आगरा मण्डल को जिलावार आवंटन निम्न प्रकार था:

जिले का नाम	धनराशि (लाख रुपयों में)
आगरा	6.00
एटा	15.00
अलीगढ़	20.00
मथुरा	20.25
मैनुपरी	21.60
योग	82.85

योजना के अन्तर्गत आवंटन का उपयोग निम्न शर्तों के अनुसार किया जाना था:

(क) योजना का लाभ 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग में अल्प पोषित कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं दूध पिलाने वाली माताओं को पुष्ट आहार के वितरण पर मिलना था और वर्ष में 300 ग्राह्य दिनों हेतु 45, 95 और 75 पैसे प्रतिदिन की दर से लाभ भोगियों के प्रत्येक वर्ग के लिए क्रमशः 135 रूपये, 285 रूपये और 225 रूपये आया। उपर्युक्त के अतिरिक्त परिवहन तथा ईंधन के प्रति प्रतिदिन प्रति लाभ भोगी 20 पैसे का व्यय योजना के अन्तर्गत ग्राह्य था।

(ख) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि वर्ष के दौरान उपयोजित की जानी थी।

नवम्बर 1987 से अगस्त 1989 तक कम्पनी द्वारा खरीदे गये तथा आगरा जिले के विभिन्न ब्लाकों को आपूर्ति चावल, नमक और गेहूँ दलिया के विवरण नीचे सूचित किये जाते है:-

मद	क्रय और आपूर्ति की मात्रा (कुन्तलों में)	क्रय का मूल्य (लाख रूपये में)	मूल्य जिस पर आपूर्ति की गई
चावल	1930.0	9.25	9.82
नमक	180.2	0.33	0.35
गेहूँ दलिया	690.0	2.22	2.34
योग		11.80	12.51

2.ड.2.2 लेखा परीक्षा में अभिलेखों के जाँच परीक्षण के दौरान देखा गया कि आगरा स्थित बाल विकास परियोजना के 18 ब्लाकों को चावल की अपूर्ति हेतु कम्पनी ने, इस तथ्य के बावजूद कि आर. एफ.सी.आगरा के पास चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, सामान्य चावल 259 रूपये प्रति कुन्तल तथा अच्छा चावल 284 रूपये प्रति कुन्तल नवम्बर 1987 से अगस्त 1988 की अवधि में एक ही स्थानीय आपूर्तिकर्ता अशोक ब्रादर्स आगरा से 9.25 लाख रूपये का मूल्य 1930 कुन्तल चावल (522.50 रूपये प्रति कुन्तल से 322 कुन्तल अच्छा चावल के अतिरिक्त 460.75 रूपये तथा 498.75 रूपये प्रति कुन्तल की दर से सामान्य चावल क्रमशः 1200.6 कुन्तल और 397.4 कुन्तल) क्रय किया। इस प्रकार आर. एफ. सी. आगरा से चावल की अधिप्राप्ति न करने के फल स्वरूप 4.17 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, चूँकि प्रति लाभ भोगी प्रतिवेदन का व्यय धन के रूप में सीमित था, खुले बाजार से उच्चतर दरों पर चावल के अधिप्राप्ति के फलस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार लाभ भोगियों को परिमाणात्मक लाभ में कमी हुई :

उपभोगियों की श्रेणी	प्रतिदिन प्रतिलाभ भोगी व्यय की दर (पैसे में)	योजना के अन्तर्गत ग्राह्य 300 दिन के लिए प्रति लाभ भोगी कुल व्यय (रूपयों में)	5.09 प्रति किलोग्राम की कम्पनी की औसत आपूर्ति दर उपलब्ध चावल की कुल मात्रा (किलोग्राम में)	सामान्य चावल के लिए 2.65 रुपये प्रति किलो सरकारी बिक्री दरों पर उपलब्ध चावल की कुल मात्रा
1	2	3	4	5
अल्पपोषित बच्चे	0.45	135	26.52	51.27
अत्यधिक अल्प पोषित/कुपोषित बच्चे	0.95	285	55.99	108.24
गर्भवती महिलायें / दूध पिलाने वाली मातायें	0.75	225	44.20	85.45

इस प्रकार यदि 4.17 लाख रूपये का अधिक व्यय न किया गया होता तो लाभ भोगियों को उपलब्ध मात्रात्मक लाभ 100 प्रतिशत और अधिक हुआ होता। प्रबन्धकों का यह कथन (दिसम्बर 1988) कि आर.एफ.सी. से यह अपेक्षित नहीं था कि वह विभिन्न राशन की दुकानों को चावल की आपूर्ति कम कर दे और इसे योजना को व्यावर्तित कर दे स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास उत्तर प्रदेश ने जनवरी 1986 में कम्पनी से खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम आदि से चावल की आपूर्ति की अधिप्राप्ति करने के लिये कहा था और उपर्युक्त अभिकरणों से चावल अधिप्राप्त न करने के कारण प्रबन्धकों द्वारा निवेदित नहीं किये गये। 2.ड.8.2.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दु भी देखे गये ।

(क) 7 अक्टूबर 1987 को खोली गई निविदा जाँच के उत्तर में एक स्थानीय आपूर्ति कर्ता द्वारा निवेदित सामान्य प्रकार के चावल की 394.5 रूपये प्रति कुन्तल की निम्नतम निबल दर प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार नहीं की गयी जिसके हेतु कारण अभिलेख में नहीं थे। बाद में दिसम्बर 1987 में प्रबन्धकों ने 460.75 रूपये प्रति कुन्तल सामान्य चावल की आपूर्ति हेतु उसी आपूर्तिकर्ता का एक मात्र निवेदन स्वीकृत कर लिया और जनवरी से जुलाई 1988 के दौरान 1200 कुन्तल उस दर से तथा 397.4 कुन्तल 498.75 रूपये प्रति कुन्तल की दर से (बाद की उच्चतर दर 13 ब्लाकों को चावल की आपूर्ति के कारण अनुमति की गयी) क्रय किया। इसके फलस्वरूप 394.25 रूपये प्रति कुन्तल की प्रारम्भिक निविदा में दी गयी दर की तुलना में 1.21 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मेरठ मण्डल विका निगम लिमिटेड ने उसी अवधि में उसी योजना के अन्तर्गत 376.20 रूपये प्रति कुन्तल की दर से सामान्य चावल खरीदा जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी दरें बाजार मल्यों की अपेक्षा उच्चतर थीं। इन दरों से तुलना करने पर कम्पनी ने 1.50 लाख रूपये अधिक व्यय किये।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना संगत होगा कि भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा कृषकों से सीधे की जाती है और फसल वर्ष 1987-88 के लिए सामान्य तथा अच्छे धान हेतु नियत किया गया मूल्य क्रमश: 150 रूपये तथा 154 रूपये प्रति कुन्तल था जिससे क्रमश: 68 और 66.5 प्रतिशत चावल की

प्राप्ति होनी थी। नवम्बर और मार्च की अवधि के दौरान बाजार में प्रत्येक प्रकार के चावल का नया स्टाक आ जाने पर पिछले महीनों की तुलना में चावल के मूल्य काफी गिर गये। इसके विपरीति प्रबन्धकों ने बाजार भाव विशेष कर इस दृष्टि से कि उसी आपूर्ति कर्ता ने 7 दिसम्बर 1987 को (फसल कटाई मौसम का प्रारम्भ) सामान्य चावल के लिए 394.25 रूपये प्रति कुन्तल की दर उद्धत की थी, फरवरी और अगस्त 1988 के मध्य 460.75 रूपये से 498.75 रूपये प्रति कुन्तल ी दरों पर 1598 कुन्तल सामान्य चावल खरीदा।

और भी प्रबन्धकों ने धान की अधिप्राप्ति तथा दिसम्बर 1980 में 10.77 लाख रूपये की लागत से स्थापित चावल मिल जो 1984-85 से आगे बन्द पड़ी हुई थी, इसके प्रयोग हेतु कोई प्रयास नहीं किया।

प्रबन्धकों का यह दावा (दिसम्बर 1988) कि सामान्य चावल के लिए 460.75 रूपये ओर 498.75 रूपये प्रति कुन्तल की दरे कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अनुमति की गयी थी और यह कि प्रत्येक आपूर्ति हेतु नई निविदायें आमंत्रित करने से कोई औचित्य नहीं थी। उपयुर्क्त कारणों से और इस दृष्टि से भी सही नहीं है कि उसी आपूर्तिकर्ता का 17 दिसम्बर 1987 को प्राप्त एकमात्र निवेदन 18 दिसम्बर 1987 को अनुमोदित किया गया था और बाद में जनवरी तथा जुलाई 1988 के मध्य उसी आपूर्तिकर्ता के साथ उसी दर पर तीन संविदायें निष्पादित की गई थी।

(ख) **खुले बाजार** से सचावल की अधिप्राप्ति करने के **अतिरिक्त कम्पनी और** भी आगे निकल गई और जिला हरिजन तथा **समाज विभाग के** उच्चतर दरों पर पुष्ट आहार की आपूर्ति से 0.71 **लाख रूपयों** का लाभ कमाया जिसक फलस्वरूप लाभ भोगियों की **मात्रात्मक लाभ** का और भी अस्वीकरण हुआ यद्यपि कि योजना के क्षेत्र **की पहुँच निर्धन** तथा कुपोषित मनुष्यों के इस स्तर तक था।

(ग) मार्च 1988 तक धनराशि के उपयोग +ारा लाभ भोगियों को लाभ पहुँचाने हेतु स्पष्ट रूप से अनुबन्धित करने वाले सार के अगस्त 1987 के निर्देश के विपरीत कम्पनी ने अप्रैल तथा अगस्त 1988 के बीच 7.12 लाख रूपये मूल्य का चावल, गेहूँ, दलिया और नमक कृय किया और आपूर्ति की। यद्यपि कम्पनी ने मार्च 1988 तक जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से योजना के अन्तर्गत कुल आपूर्तियों हेतु 12.51 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया विलम्ब द्वारा निष्पादन में हुए विलम्ब ने अभिप्रेत वर्ष 1987-88 के अन्दर मूलभूत लाभ भोगियों को वास्तविक लाभ उपलब्ध कराने को वस्तुतः व्यर्थ कर दिया।

2.इ.8.3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का स्तर ऊपर उठाने और ऋण एवं उपदान के रूप में आर्थिक मदद देकर उनके रोजगार के लिए नये मार्ग के सृजन की दृष्टि

से समान भागीदार के आधार पर केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रवर्तित तथा वित्त पोषित "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" अक्टूबर 1980 में सभी ब्लाकों तक बढ़ा दिया गया, योजना के अन्तर्गत उन सभी परिवारों को लाभ पहुँचाना संकल्पित था जिनकी वार्षिक आय 4800 रूपये से कम थी किन्तु वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3500 रूपये या उससे कम थी आर्थिक सहायता के लिए लाभ भागगियों के रूप में पहले चयनित किये जाने थे ताकि उनकी वार्षिक आय 6400 रूपये तक पहुँच जाये।

उपयुर्क्त योजना के अन्तर्गत भूमि रहित कृषीय मजदूरों, कुशल तकनीकी और सीमान्त कृषकों को, जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम जोते हैं 33.33 प्रतिशत तथा छोटे कृषकों को जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम किन्तु 2.5 एकड़ से अधिक जोते है 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को 50 प्रतिशत की दर से प्रत्येक परिवार को परियोजना लागत का 3000 रूपये तक उपदान स्वीकार्य हैं।

योजना के अन्तर्गत चयनित लाभ भोगियों की सूची डी.डी.ओ./डी.आर.डी.ए. द्वारा बैंकों को अग्रसारित की जाती है जो आपूर्तित की जाने वाली सामग्री की लाभ भोगीवार माँग कम्पनी को प्रस्तुत करते हैं और उनके समक्ष बैंक के पास बिल सृजित करते हैं जो अन्तत: ऐसे लाभ-भोगियों को ऋण तथा उपदान वितरण करता है।

उपयुर्क्त योजना के अन्तर्गत, कम्पनी ने 1978-79 से

बुग्गियों/खड़खड़ा कृषीय यंत्रों (चाफ कटर, कल्टीवेटर, हेरों तथा थ्रेसर) सिंलाई मशीनें आदि की आपूर्ति करना प्रारम्भ किया और बाद में 1983-84 से आगे साइकिल, रिक्शा, बक्से, कपड़े और किराना की आपूर्ति को भी जोड़ दिया। निम्नांकित सारणी 1978-79 से 1987-88 की अवधि में कम्पनी द्वारा क्रीत तथा विक्रीत मदों का मूल्य सूचित करती है:

मद	क्रय	विक्रय (लाख रूपयों में)	अन्तिम शेष
1	2	3	4
बुग्गियाँ	62.36	65.41	0.07
सोज रहित खड़खड़ा	6.49	7.35	0.04
चाफ कटर	59.85	63.26	0.37
हेरो	4.07	4.44	0.02
कल्टीवेटर	0.30	0.18	0.07
थ्रेसर	3.67	2.93	0.37
सिलाई मशीन	3.72	3.84	0.04
पायदान	—	—	0.01
साईकिल	13.48	13.35	0.03
रिक्शा	0.29	0.28	0.02
बक्से	3.82	3.83	0.13
कपड़े	90.26	88.40	0.00
किराना	112.26	115.82	3.03
इन्टर लाकिंग मशीनें	0.01	0.01	—
योग	**360.58**	**369.10**	**10.20**

लेखा परीक्षा में अभिलेखों के जाँच परीक्षण से निम्न बातों का पता चला:

(1) मार्च 1988 की समाप्ति पर कम्पनी द्वारा धारित 12.20 लाख रूपये मूल्य के अन्तिम स्टाक में से विभिन्न मदों के स्टाक का मूल्यांकन उनके क्रय मूल्यों की तुलना में 0.83 लाख रूपये कम किया गया था। यह मुख्यतया 80 थ्रेसरों के 0.48 लाख रूपये मूल्य खो देने के कारण था क्योंकि वे पुराने और बेकार हो गये थे।

इसके अतिरिक्त कपड़े और किराना के अन्तिम स्टाक में 0.27 लाख रूपये मूल्य का बिना बिका पड़ा हुआ कपड़ा सम्मिलित था जो जून 1987 में दिये गये 0.50 लाख रूपये के अग्रिम के विरुद्ध खादी ग्राम उद्योग बोर्ड लखनऊ से जून और अगस्त 1987 में प्राप्त हुआ था और शेष पड़ी धनराशि वापस नहीं की गयी। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि धनराशि का दावा किया गया था।

(2) कम्पनी द्वारा योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया और इसलिए योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के 10 वर्ष बाद भी गरीबी रेखा से ऊपर लाये गये परिवारों की संख्या आँकी नहीं जा सकी। यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि कम्पनी ने लाभ भोगियों को उनके द्वारा फेरियों के माध्यम से उपभोक्ताओं की अन्तिम बिक्री हेतु तथा गरीबी रेखा के ऊपर अपना स्तर उठाने के लिए उस पर लाभ अर्जित करने हेतु हाल में बड़े पैमाने पर (1986(87 में 72.28 लाख रूपये और 1987(88 में 80.98 लाख रूपये) किराना तथा कपड़े की आपूर्ति प्रारम्भ की थी।

(3) मथुरा जिले के विभिन्न ब्लाकों में वर्ष 1987 से 1982 की अवधि में खरीदी गयी 56 बुग्गियों में से 46 बुग्गियों निम्नतर मूल्यों

मूल्यों पर 0.27 लाख रूपये की हानि उठाते हुए बेचनी पड़ी जैसा कि आन्तरिक लेखा परीक्षा ने मई 1985 में प्रतिवेदित किया था और जिसने हानियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की भी संस्तुति की थी।

(4) उपयुर्क्त योजना के अन्तर्गत 0.58 लाख रूपये मूल्य की विभिन्न मदों की कमियां 1987-88 तक समय-समय पर प्रतिवेदित की गयी, जिनमें 0.29 लाख रूपये मूल्य के 51 चाफकटर तथा 0.16 लाख रूपये मूल्य के 15 थ्रेशर की हानि शामिल थी। उपयुर्क्त कमियाँ जाँच के अन्तर्गत बतायी गयी (दिसम्बर 1988)।

(5) कृषीय उपकरणों, औद्योगिक इकाइयों हेतु उपसाधनों और लघु सिंचाई हेतु पम्पसेटों सामुदायिक नलकूपों के निमार्ण तथा आई.आर.डी पी. के अन्तर्गत अत: संरचना के सृजन हेतु लाभ भोगियों को आपूर्तियों के प्रति उपयोग हेतु सरकार द्वारा मार्च 1980 में कम्पनी को 27.09 लाख रूपये की धनराशि दी गयी थी।

निम्नांकित सारणी मार्च 1988 तक अनुदान के उपयोग की जिलेवार स्थिति दर्शाती है:

जिले का नाम	कम्पनी को प्रबन्ध के अधीन रखी गयी धनराशि (लाख रुपयें में)	निम्न के प्रति उपयोजित			
		आपूर्तित सामग्री पर उपदान	वर्कशाप	कृषीय उपकरण	योग
एटा	13.89	4.88	1.28	7.73	13.89
मथुरा	8.55	8.35	—	—	8.35
मैनपुरी	4.65	3.28	—	—	3.28
योग	**27.09**	**16.51**	**1.28**	**7.73**	**25.52**

इसके अतिरिक्त लाभ भोगियों को आपूर्तित अधिक सामग्री हेतु और ऐसे जिलों के लाभभोगियों को आपूर्ति करने हेतु भी जहाँ उपदान पृथक रक्षित (इअरमार्क्ड) नहीं था, उपदान की वसूली हेतु 31 मार्च 1988 को अनेक डी.आर.डी.ए. के समक्ष 5.27 लाख रुपये की धनराशि (डी.आर.डी.ए. एटा 1.13 लाख रुपये अलीगढ़ 0.75 लाख रुपये, आगरा 1.64 लाख रुपये और मथुरा 1.77 लाख रुपये) बकाया थी।

2.ड.8.4 सामुदायिक नलकूप

सघन कृषि के माध्यम से व्यक्तिगत कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से लघु/सीमान्त कृषकों को उचित दरों पर निश्चित रूप से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से आई.आर.डी./एस.एफ.डी.ए. से उपलब्ध उपदान के ढाचे के अन्दर 10 लाख रुपयों की अनुमानित लागत और प्रति नलकूप 0.12 लाख रुपये के वार्षिक अर्जन पर मैनपुरी जिले में 17 सामुदायिक नलकूपों के निर्माण हेतु लघु सिंचाई विभाग और रामगंगा नहर परियोजना अभिकरण के परामर्श से तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन बोर्ड द्वारा सितम्बर 1981 में अनुमोदित किया गया और प्रबन्ध निदेशक को अन्य जिलों में भी सामुदायिक नलकूपों का संस्थापन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

तद्नुसार कम्पनी ने मण्डल के सभी पाँच जिलों में नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सामुदायिक नलकूपों की बोरिंग की एक

योजना तैयार की:-

जिलों का नाम	बोरिंग की संख्या	अनुमानित लागत	लाभभोगियों की संख्या	आवृत्त की जाने के लिये संकल्पित अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें
1	2	3	4	5
मथुरा	24	15.36	168	336
एटा	25	12.12	175	400
आगरा	39	13.26	273	390
मैनपुरी	35	23.22	245	560
मथुरा	66	(हरिजन समाज विभाग अलीगढ़ को हस्तान्तरित)		

कम्पनी ने नलकूपों की बोरिंग तथा पम्प हाउसों के निर्माण का कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा तथा जून 1981 और मार्च 1988 के मध्य 35.95 लाख रूपये की धनराशि (आगरा : 8.12 लाख रूपये, एटा : 3.28 लाख रूपये, मैनपुरी : 6.86 लाख रूपये, मथुरा : 1.92 लाख रूपये तथा अलीगढ़ : 15.77 लाख रूपये) अग्रिम दी गयी। यद्यपि निर्माण कार्य फरवरी 1982 से सितम्बर 1983 के दौरान प्रारम्भ किया गया था, नलकूपों के निर्माण में किये गये व्यय के विवरण कम्पनी को अभी तक प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 1988)।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(1) कम्पनी ने व्यय के विवरणों के अभाव मे 51 पूर्ण

नलकूपों पर 12.74 लाख रूपये की धनराशि का अनुमानित आधार पर पूँजीकरण कर दिया। और भी, सामुदायिक नलकूपों के परिचालन की दृष्टि से 1982-83 और 1985-86 के मध्य कम्पनी द्वारा 4.29 लाख रूपये मूल्य के डीजल इंजन तथा उपसाधन खरीदे गये।

(2) नलकूपों के निर्माण हेतु अनुमान में यह संकल्पित था कि प्रत्येक नलकूप 1500 घण्टे परिचालित होगा और प्रति वर्ष 12,000 रूपये राजस्व अर्जित करेगा। किन्तु कार्य सम्पादन के जाँच परीक्षण से प्रकट हुआ कि 1982-83 से 1987-88 की अवधि में राजस्व की कमी की धनराशि कुल मिलाकर 34.85 लाख रूपये थी ।

(3) आगरा, अलीगढ़, मथुरा और एटा जिलों के सम्बन्ध में 1981-82 और 1984-85 के बीच उपदान के प्रति सरकार से 48.09 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुयी थी और इसमें से केवल 4.10 लाख रूपये का अनुमान आधार पर पूँजीकरण किया जा सका। 8.19 लाख रूपये की धनराशि (आधार अथवा विवरण लेखा परीक्षा को नहीं दिखाये गये) मैनपुरी में व्यय की गयी थी (यद्यपि इस जिले के लिये कोई उपदान नहीं प्राप्त हुआ था) लेकिन कम्पनी ने आई.आर.डी. प्राधिकारियोंकेसाथ उपदान का समायोजन अभी तक (नवम्बर 1988) नहीं किया।

परिषद् ने अप्रैल 1985 के आगे नलकूपों के कार्यचालन की समीक्षा की और यह पाकर कि कम्पनी के लिये इन नलकूपों का आर्थिक दृष्टि से परिचालन सम्भव नहीं था, जुलाई 1987 में निर्णय लिया कि न्यूनतम मूल्य नियत करने के बाद नलकूप नीलाम द्वारा अथवा लाभभोगियों को बेच दिये जायें। क्योंकि ऐसा नहीं किया जा

सका, परिषद् ने पुनः विचार किया और अगस्त 1987 में निर्णय लिया कि नलकूपों का भौतिक सत्यापन कराया जाय और बेचने के लिये नये सिरे से कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाये और यह भी निदेश दिया कि प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारी और कम्पनी के एक अधिकारी से युक्त एक विक्रय समिति गठित की जाये।

सभी नलकूपों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (अप्रैल 1988) सेवा अभियन्ता द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गयी जिससे पता चला कि 123 निर्मित नलकूपों में से 51 नलकूप कार्य करने की स्थिति में थे। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद परिषद ने अप्रैल 1988 में निर्णय लिया कि ये 51 नलकूप जिलाधिकारी द्वारा गठित बिक्री समिति के माध्यम से एक-एक करके बेचे दिये जायें। तो भी, अभी तक कोई बिक्री नहीं की जा सकी (नवम्बर 1988)। इस प्रकार नलकूपों के निर्माण पर 12.74 लाख रूपये (अनुमानित) का निवेश अधिकांश रूप से निष्फल हो गया ।

उन नलकूपों के सम्बन्ध में जो अपूर्ण थे / कार्य करने की स्थिति में नहीं थे, व्यय के विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। अतः लेखे में इस मद पर पूँजीकरण दर्शित नहीं किया गया।

प्रगतिगत नलकूपों को पूर्ण करने अथवा नलकूपों को कार्य करने की स्थिति में लाने में कृत कार्यवाही में विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

2ड.9 आन्तरिक लेखा-परीक्षा

अगस्त 1979 में बोर्ड द्वारा सृजित आन्तरिक लेखा परीक्षक का पद पहली अक्टूबर 1980 को भरा गया। इसके अतिरिक्त 1982 -83 से 1987-88 की अवधि हेतु आन्तरिक लेखा परीक्षक का कार्य कम्पनी द्वारा शासपत्रित लेखाकारों की एक फर्म को 0.23 लाख रूपये की लागत पर मार्च 1982 में प्रदान किया गया । आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सभी इकाइयों के लेखे की नियमित अन्तरालों पर लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिये न तो साइकिल रजिस्टर और न ही प्रोग्राम रजिस्टर का रख रखाव किया गया था जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष अनेक इकाइयाँ निम्न तालिका के अनुसार लेखापरीक्षित होने से छूट गयी जो (तालिका) प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार 1987-88 तक गत 5 वर्षों की अवधि में विद्यमान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या तथा लेखा परीक्षा में ब्यतीत किये गये वास्तविक दिन सूचित करती है:-

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखा परीक्षा की वास्तविक अवधि (दिनों में)
1	2	3	4
1983-84	13	6	35
1984-85	14	11	24
1985-86	15	6	2
1986-87	15	5	11
1987-88	15	2	3

2ड.10 आर्थिक स्थित

1987-88 तक पाँच वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की आर्थिक स्थिति निम्न विवरणों के अनुसार थी:

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)	1987-88 (अनन्तिम)
					(लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
क. दायित्व					
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
आरक्षित एवं-अधिशेष	-	-	-	9.01	9.01
ऋण	6.07	7.35	5.87	30.93	33.18
चालू दायित्व (प्रावधान के साथ)	84.53	99.98	93.98	79.23	79.42
योग क.	**190.60**	**207.33**	**199.76**	**219.19**	**221.61**
ख. परिसम्पत्तियाँ					
ग्रास ब्लाक	46.58	45.27	45.89	42.89	53.52
घटाइये-ह्रास	17.48	13.31	15.99	14.00	10.24
शुद्ध अचल-सम्पत्तियाँ	29.10	31.96	29.90	28.89	43.28
प्रगतिगत में-पूँजी कार्य	16.55	37.19	37.19	34.27	24.55

1	2	3	4	5	6
चालू परि-सम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम•	105.07	89.93	87.43	123.74	128.70
विविध व्यय	1.74	0.95	0.87	0.43	0.27
संचित हानियाँ	38.14	47.70	44.37	31.84	24.81
योग ख.	**190.60**	**207.33**	**199.76**	**219.17**	**221.61**
ग. कार्यशील					
पूँजी	49.64	21.51	23.44	73.40	92.55
(घ) शुद्ध मूल्य	60.12	51.35	54.76	76.74	83.93

टिप्पणी- (1) नियोजित पूँजी शुद्ध अचल परिसम्पत्ति व कार्यशील पूँजी (प्रगतिगत कार्य को छोड़कर) के योग को दर्शाती है।

(2) शुद्ध मूल्य आरक्षित निधियों को जोड़कर तथा अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी का निरूपण करता है।

2ङ.1 कार्यचालन परिणाम

1987-88 तक पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के कार्य चालन परिणाम नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार थे:-

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)	1987-88 (अनन्तिम)

(लाख रूपये में)

1	2	3	4	5	6
क. व्यय					
उपभुक्त कच्चा माल	4.43	1.06	2.09	3.32	2.90

1	2	3	4	5	6
खरीदा गया तैयार माल (शुद्ध)	55.24	167.40	433.55	515.29	733.98
प्रशासनिक व्यय-एवं अन्य व्यय	20.97	21.10	23.37	27.10	36.51
ब्याज	1.74	1.43	1.73	1.24	5.07
मूल्य ह्रास	2.11	3.06	2.69	2.75	1.05
प्रावधान	0.45	0.64	0.91	1.22	1.18
बट्टा खाता	0.08	0.08	0.08	2.27	0.06
योग क.	**85.02**	**194.77**	**464.42**	**553.19**	**780.55**
ख. आय					
बिक्री	61.08	175.53	464.72	556.98	777.49
सामुदायिक-नलकूपों से आय	0.14	0.62	0.23	0.46	0.35
अन्य आय	6.19	9.05	2.80	7.20	10.82
योग ख.	**67.41**	**185.20**	**467.75**	**564.64**	**788.66**
लाभ(+)/हानि(-)	-17.61	-9.57	-3.33	+11.45	+8.11

वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान क्रमशः 11.45 लाख रूपये तथा 8.11 लाख रूपये के अनन्तिम लाभ मुख्यतया इन कारणों से थे:

(क) 45.55 लाख रूपये का लाभ 1986-87 (27.02 लाख रूपये) तथा 1987-88 (18.53 लाख रूपये) में आयातित चीनी की

बिक्री पर अर्जित और

(ख) वर्ष 1976-77 से 1986-87 तक से सम्बन्धित 5.13 लाख रूपये के मूल्य ह्रास को 1987-88 में वापसी और मूल्य ह्रास प्रभारित करने की पद्धति में बदलाव के कारण 1987-88 के दौरान 1.96 लाख रूपये के मूल्य ह्रास का कम प्रावधान।

31 मार्च 1988 तक कम्पनी की संचित हानियाँ 24.81 लाख रूपये थीं, जो मुख्यतया चावल मिल, पाटल कुन्ज और सामुदायिक नलकूपों की अमितव्ययी कार्य प्रणाली के कारण थीं।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि चावल मिल उद्यम में भारी हानियाँ मुख्यतया समर्थन मूल्यों पर धान की अनुपलब्धता के कारण हुई और सरकारी अभिकरण द्वारा जो कुछ भी धान प्राप्त किया गया था वह खाता भार (बुक वेट) पर हस्तान्तरित किया गया था । यद्यपि इस प्रकार हस्तान्तरित किये गये धान का भौतिक भार सुखावन के कारण बहुत कम होता था और ऐसे आपात का मिल के कार्य चालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिससे मिल को बन्द कर देना पड़ा ।

2ङ.12 अन्य रोचक विषय

मकान किराया भत्ता का अधिक आहरण

सरकार द्वारा जुलाई 1986 में दिये निर्गत निदेश के अनुसार प्रबन्ध निदेशक (एक राज्य सिविल सेवा अधिकारी) जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर अगस्त 1987 में कार्य ग्रहण किया था, किराया मुक्त आवास के हकदार न थे लेकिन अपने मूल वेतन के 10 प्रतिशत से किराये की वसूली पर सितम्बर 1987 तक 1000 रूपये तथा अक्टूबर

1987 से 1200 रूपये अधिकतम मासिक किराये पर कम्पनी द्वारा किराये पर लिये गये आवास के हकदार थे ।

किन्तु अभिलेखों के जाँच परीक्षण से प्रकट हुआ कि प्रबन्ध निदेशक ने अगस्त 1987 से 1250 रूपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता आहरित किया जब कि यह जुलाई 1986 के सरकारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। उस रूप में मकान किराया भत्ता का भुगतान मात्र दिसम्बर 1981 के सरकारी आदेशों के द्वारा नियन्त्रित हो सकता था जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक स्वयं आहृत 1250 रूपये प्रति माह के समक्ष अगस्त 1987 से अक्टूबर 1988 के दौरान 400 रूपये से 850 रूपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता आहृत करने के अधिकारी थे। प्रबन्ध निदेशक अगस्त 1986 से अधिक मकान किराया भत्ता का आहरण करते रहे जिसका आपात अक्टूबर 1988 (लेखा परीक्षा माह) तक कुल मिलाकर निम्न विवरण के अनुसार 11,179.05 रूपये था ।

अवधि	उपलब्धियां	देय मकान किराया भत्ता	आहृत मकान किराया भत्ता	अधिक आहृत	अधिक आहरण की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
20 अगस्त 1987 से 31 अगस्त 1987	1503	154.85	483.90	329.05	329.05
सितम्बर 1987	2450	400.00	1250.00	850.00	850.00
अक्टूबर 1987 से जून 1988	2575	400.00	1250.00	850.00	7650.00

1	2	3	4	5	6
जुलाई 1988 से					
सितम्बर 1988	4481	600.00	1250.00	650.00	1950.00
अक्टूबर 1988	4506	850.00	1250.00	400.00	400.00
			योग	11179.05	

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1988) कि चूँकि कम्पनी द्वारा प्रबन्ध निदेशक को कोई अधिकारिक आवास प्रदान नहीं किया गया था अतः उनके वेतन से वेतन के 10 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी। किन्तु प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार्य दरों से उच्चतर दरों पर मकान किराया भत्ते का भुगतान करने के कारण नहीं बताये गये। इस प्रकार प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिक मकान किराया भत्ता के आहरण जो अभी भी (दिसम्बर 1988) किया जा रहा था, की वसूली नियमितीकरण अपेक्षित था।

उपर्युक्त मामले सरकार को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990)।

अध्याय – 3

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सम्बन्ध में समीक्षा

इस अध्याय में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, में कमियाँ तथा हानियाँ और उनकी जाँच पर एक अनुभागीय समीक्षा समाविष्ट है ।

9 AG-22

अध्याय – 3

विद्युत विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

हानियां और कमियाँ तथा उनकी जाँच

मुख्य बातें

रोकड़ तथा सामग्रियों के लेखाकरण में खण्डीय अधिकारियों द्वारा देखी गयी सामग्रियों की कमियों तथा असंगतियों का मूल्य वसूलियों अथवा समाधान द्वारा अथवा बट्टेखाते में डालकर बाद में समायोजन हेतु "मैटेरियल शार्टेजेज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन" तथा "एमाउन्ट्स रिकवरेबुल फ्राम इम्पलाइज / एक्स इम्पलाइज" के अन्तर्गत खाते में डाला जाता है। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाये वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहे थे और 1987–88 की समाप्ति पर 15.05 करोड़ रूपये थे। 31 खण्डों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण से, जिनमें इस मद में 2.31 करोड़ रूपये अनिस्तारित थे, प्रकट हुआ कि समुचित लेखाकरण नियंत्रण का अभाव था ।

इन दो उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत धनराशियाँ वसूली के लिये पर्याप्त कार्यवाही किये बिना नैत्यक ढंग से खाते में डाली जा रही थी। व्यक्तिगत कर्मचारियों के विरूद्ध 0.10 लाख से अधिक की अनिस्तारित धनराशि 230 कर्मचारियों के विरूद्ध 129.25 लाख रूपये थी, जिसमें से 187 कर्मचारियों के विरूद्ध 97.53 लाख रूपयों की

वसूली प्रारम्भ करने की कार्यवाही अभी की जानी थी (82 कर्मचारियों के विरूद्ध पांच वर्षों से अधिक अवधि हेतु प्राप्य 32.40 लाख रूपये सहित)।

अनुशासनात्मक मामलों के विभिन्न स्तरों की समेकित स्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र / प्रणाली नहीं थी। जाँच परीक्षण से पता चला कि 46.55 लाख रूपयों की निहित हानि वाले 21 अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामलों में से 13.49 लाख रूपये की निहित हानि वाले छः मामलों में चार मास के अन्दर पूर्ण की जाने हेतु अपेक्षित जाँचे कर्मचारियों को गबन का दोषी पाते हुये वस्तुतः 2 से 16 वर्ष बाद पूर्ण की गयी तथा 33.06 लाख रूपये की निहित हानि वाले 15 मामलों में (पांच वर्ष पहले प्रारम्भ किये गये 26.16 लाख रूपयों की निहित हानि वाले 12 मामलों सहित) जाँच अपूर्ण रह गयी। पूर्ण की गयी जांचों के सम्बन्ध में विलम्ब में निम्नांकित सम्मिलित थे:

— एक अवर अभियन्ता द्वारा 5.64 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों का प्रभार न दिया जाना जिसमें आरोप पत्र पांच वर्षों बाद निर्गत किया गया था, जाँच अन्य दो वर्षों के बाद पूर्ण की गयी और दण्ड अन्य तीन वर्षों के बाद दिया गया।

— एक सहायक भण्डारी के विरूद्ध 2.14 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों की कमियों, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ दो वर्षों के बाद प्रारम्भ की गयीं, जाँच अन्य आठ वर्षों बाद पूर्ण हुयी और उस पर कार्यवाही विचाराधीन थी,

— 2.98 लाख रूपये मूल्य की सामग्री की कमी जिसके लिये आरोप पत्र को पांच वर्षों से अधिक समय तक तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया जब कर्मचारियों ने 2.29 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों का और गबन नहीं कर लिया। जब कि पहले मामले में 10 वर्षों बाद प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही 18 मास से अधिक से विचाराधीन थी, दूसरे मामले में आरोप पत्र सात वर्षों के बाद भी तामील नहीं किया गया और

— 1.09 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों की कमी जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियां नौ वर्षों बाद प्रारम्भ की गयीं, जाँच रिपोर्अ अन्य सात वर्षों बाद प्रस्तुत की गयी और उसके बाद तीन वर्षों तक रिपोर्ट अनिस्तारित पड़ी रही ।

अनिर्णीत अनुशासनात्मक जाँच के मामलों में निम्न सम्मिलित थे:

— 1971 में पकड़ी गयी और 1977 में सतर्कता जाँच में सिद्ध 1.20 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों की हानि जो अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब के कारण साक्ष्य के अभाव में जून 1988 में समाप्त कर देनी पड़ी ।

— जून 1981 में पकड़ी गयी 2.30 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों की कमी आरोप पत्र निर्गत होने के पूर्व ही फरवरी 1982 में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने से वसूली अयोग्य होगी ।

कुल मिलाकार 4.90 लाख रूपयों की सामग्रियों की कमियों हेतु दो अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध 1983 में अर्थात् दो वर्ष

बाद प्रारम्भ की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामले ठप्प पड़े रहे क्योंकि आरोप पत्र अनुमोदित नहीं किये गये थे ।

--- 20 मामलों में से, जिनमें सतर्कता द्वारा कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी, 12 मामले परिषद् के पास अनिर्णीत पड़े थे।

3.1 **प्रस्तावना**

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रारम्भ से ही पालन की गयी लेखाकरण क्रिया विधि के अनुसार, रोकड़ तथा सामग्रियों के लेखाकरण में खण्डीयअधिकारियों द्वारा देखी गयी सामग्रियों की कमियों और असंगतियों के मूल्य का लेखा उचन्त शीर्षो "मैटेरियल शार्टेज़ेज पेन्डिंग इन्वेस्टिगेशन" और एमाउण्ट रिकवरेबुल फ्राम इम्प्लाइज / एक्स इम्प्ल्वाइज" के अन्तर्गत कर्मचारियों के विरूद्ध विविध अग्रिम लेखे में किया जाता है। इन मदों की विस्तृत जांच करने पर मदों को अन्य शीर्षो को अन्तरित करने अथवा दोषी कर्मचारियों से वसूली हेतु आदेश निर्गत किये जाते हैं। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध जनता तथा सरकार से परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायतों के माध्यम से जानकारी में आने वाले मामले साथ ही साथ अन्य अनियमिततायें जैसे अंनुचित पक्षपात, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय चूकें इत्यादि प्रारम्भिक जाँच करने के लिये सम्बन्धित परियोजना के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (सी.जेड.ई.) महाप्रबन्धक (जी.एम.) को सन्दर्भित किये जाते हैं। उन मामलों में जिनमें प्रारम्भिक जाँच के दौरान मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाता है। मामला परिषद् के अध्यक्ष के माध्यम से विस्तृत जाँच हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ अथवा परिषद की आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रशाखा को सन्दर्भित किया जाता है

सतर्कता / आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रशाखा द्वारा छान-बीन की समाप्ति के बाद, यदि संकल्पित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां सहायक अभियन्ता (ए.ई.) अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के कम से कम एक अधिकारी से सम्बद्ध है तो अध्यक्ष मामले को मुख्य अभियन्ता (जांच) को सन्दर्भित करता है। उन मामलों में जिनमें सम्बद्ध कर्मचारी सहायक अभियन्ता के स्तर से नीचे के होते हैं मामले अनुशासनात्मक कार्यवाहियां सम्पन्न करने हेतु नियुक्त प्राधिकारियों को सन्दर्भित किये जाते हैं।

निम्नांकित तालिका 1987-88 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर उपर्युक्त उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत कर्मचारियों से वसूली योग्य धनराशि के अनिस्तारित बकाये सूचित करती है:

	1985-86	1986-87	1987-88
	(लाख	रूपयों में)	
आदि शेष	610.07	1074.45	1330.35
वर्ष के दौरान लेखे में-अंकित धनराशि	1411.26	540.19	539.30
वर्ष के दौरान शोधित-धनराशि	946.88	248.29	365.01
अन्त शेष	1074.45	1330.35	1504.64

(वर्ष 1987-88 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

3.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

31 मार्च 1988 को परिषद् के पास 25 लेखाकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्गीकृत 460 लेखाकरण इकाइयाँ थीं। अप्रैल-

सितम्बर 1988 के दौरान सम्पन्न की गयी लेखा परीक्षा में 31 खण्डों के, जिनमें 31 मार्च 1988 को उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकाये कुल मिलाकर 230.72 लाख रूपये थे। "एमाउण्ट रिकवरेबुल फ्राम इम्प्लाइज / एक्स- इम्प्लाइज" तथा "मैटेरियल शार्टेजेज पेन्डिंग इंन्वेस्टिगेशन" लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों से सम्बन्धित अभिलेखा जाँच परीक्षण किये गये। विभागीय तथा सतर्कता जाँचों के प्रसंग में परिषद् के मुख्यालय तथा मुख्य अभियन्ता (हाइडेल) (सी.ई.एच.) के कार्यालय के अभिलेखा भी जांच परीक्षित किये गये।

3.3 कर्मचारियों के विरूद्ध विविध अग्रिम

3.3.1 परिषद् की कार्यविधि

विस्तृत लेखा उचन्त पंजिका में रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक मद हेतु अपेक्षित विवरण अंकित किये जाते हैं ताकि प्रत्येक मद के शोधन पर दृष्टि रखी जा सके। पंजिका की समीक्षा खण्डीय अधिकारी द्वारा मासिक तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वर्ष में एक बार की जानी है ताकि अनिस्तारित बकायों की शोधन वसूली अथवा समायोजन द्वारा शीघ्रता से किया जा सके।

उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों की समीक्षा करने के उपरान्त, परिषद् ने नवम्बर 1970 में भारी बकायों का कारण उचन्त पंजिकाओं का अनुचित रख रखाव बताया और इसलिये उस प्रत्येक मद के विवरणों सहित, जिसका बाद के वर्षों में मदों के निस्तारित होने तक पूर्ण विवरणों सहित आगे ले जाना अपेक्षित है,

लेखे का पार्टीवार रखरखाव निर्धारित किया। मई 1977 में, परिषद् ने देखा कि कर्मचारियों के विरूद्ध गत अनेक वर्षों से भारी संचित बकाये अनिस्तारित पड़े हुये थे और दोषी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगकर तथा वसूली आदेश जारी करके, दीवानी बाद प्रारम्भ करके तथा दाण्डिक अभियोग आरम्भ करके बकायों के शीघ्र शोधन हेतु क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु विस्तृत कार्य विधि निर्धारित की। इन अनुदेशों के बावजूद, उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकाये बढ़ते ही गये। जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया बकायों में वृद्धि के मुख्य कारण ये थे:-

(1) परिषद् के मुख्यालय पर बकायों की आवधिक समीक्षा का अभाव,

(2) बकायों पर लेखाकरण नियंत्रण का अभाव,

(3) उचन्त पंजिकाओं का अनुचित रख रखाव,

(4) उचन्त के अन्तर्गत धनराशि का नैत्यक ढंग से रखा जाना और

(5) मामलों के अनुसरण हेतु समय समय पर परिषद् द्वारा निर्गत अनुदेशों का क्षेत्र अधिकारियों द्वारा पालन न किया जाना।

3.3.2 मुख्यालय पर बकायों की समीक्षा न करना

यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्षेत्र अधिकारी पर्याप्त जांचों (चेक्स) का प्रयोग करते हैं, परिषद् ने कर्मचारियों के विरूद्ध अनिस्तारित बकायों के विवरण तथा इस पर कृत कार्यवाही क्षेत्र अधिकारियों द्वारा किसी परिलेख का आवधिक प्रस्तुतीकरण निर्धारित

नहीं किया। यद्यपि परिषद् ने नवम्बर 1981 में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिये थे कि वे ऐसे उचन्त बकाया की त्रैमासिक समीक्षा करें और तीन मास से अधिक की अवधि से अनिस्तारित मदों के समय पर शोधन / निस्तारण हेतु उपचारी कदम उठायें, इसने उसको किसी आवधिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण निर्धारित नहीं किया। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं से ऐसे प्रतिवेदनों के अभाव में परिषद् मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा कृत कार्यवाही और बकायों में निरन्तर वृद्धि के कारण भूत कारकों की पहचान निर्धारित करने में असमर्थ थी।

3.3.3 कर्मचारियों से वसूली योग्य बकायों पर लेखाकरण नियंत्रण का अभाव

1987-88 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर कर्मचारियों से वसूली योग्य धनराशि क्रमशः 10.74 करोड़ रूपये, 13.30 करोड़ रूपये और 15.05 करोड़ रूपये थी। परिषद् के पास इन बकायों के क्षेत्रवार और खण्डवार विवरण नहीं थे। खण्डीय स्तर पर अथवा क्षेत्रीय स्तर पर अथवा मुख्यालय पर बकायों के समाधान की कोई प्रणाली नहीं है।

जून अगस्त 1988 के दौरान जाँच परीक्षण में यह देखा गया कि खण्डों द्वारा गलत बकाये प्रतिवेदित किये जा रहे थे, जैसा कि नीचे दिखा गया है:-

(क) निम्नांकित तीन खण्डों ने अन्त बकायों को प्रतिवेदित करते समय आदि बकायों को गणना में नहीं लिया, जिसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे:-

खण्ड का नाम	लेखावर्ष	आदि बकाया जिस पर विचार नहीं किया गया
इलेक्ट्रीसिट स्टोर- डिवीजन, आगरा	1987-88	0.10
इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन- डिवीजन-2, गोरखपुर	1986-87	4.65
इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन- डिवीजन, आगरा	1987-88	0.04

(ख) निम्न खण्डों के मामले में, उनके द्वारा मासिक लेखे के माध्यम से प्रतिवेदन उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकाये उनकी उचन्त पंजिकाओं में दर्शित आंकड़ों की अपेक्षा बहुत कम थे:

खण्ड का नाम	लेखावर्ष	अन्त बकाया मासिक लेखे के अनुसार	उचन्त पंजिकाओं के अनुसार	लेखे में न लिया गया बकाया
1	2	3	4	5
(1) इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन- डिवीजन-1, वाराणसी	1983-84	1.27	4.28	3.01
(2) इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन- डिवीजन-2, गोरखपुर	1985-86	12.53	15.48	2.95
(3) इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन- डिवीजन-2, कानपुर	1987-88	1.15	2.60	1.45
(4) इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन- डिवीजन -2 वाराणसी	1985-86	0.54	1.15	0.61

1	2	3	4	5
(5) इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन-डिवीजन-2 गोरखपुर	1987-88	3.67	8.89	5.22

3.3.4 उचन्त पंजिकाओं का अनुपयुक्त रख-रखाव

अनिस्तारित मदों के सन्दर्भ और प्रभावी निगरानी तथा शोधन को सुगम बनाने की दृष्टि से परिषद् ने नवम्बर 1970 में, अन्य बातों के साथ साथ बाउचरों का सन्दर्भ, कर्मचारियों तथा संब्यवहारों की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे सूचित करने वाले विवरणों को सूचित करने वाले विवरणों को सूचित करने वाली एक पंजिका के रख रखाव का निर्णय लिया। 31 खण्डों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण के दौरान निम्नांकित बिन्दु देखे गये:-

(1) बाउचर संख्याओं के विवरण किसी भी खण्ड द्वारा अंकित नहीं किये गये। चार खण्डों मे न तो वाउचर का सन्दर्भ और न तो 7.02 लाख रूपये मूल्य की मदों का सम्बन्धित मास ही अंकित किया गयां इन मदों की खण्डों द्वारा छानबीन नहीं की गयी और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों हेतु किसी कार्यवाही के बिना निरन्तर अनिस्तारित बने रहे।

(2) आठ खण्डों में कुल मिलाकर 34.05 लाख रूपयों की मदों के समक्ष संब्यवहारों की प्रकृति सूचित नहीं की गयी, फलस्वरूप पुरानी मदें असमीक्षित पड़ी रहीं ।

(3) 11 खण्डों में न तो संव्यवहारों की प्रकृति और न ही कुल मिलाकर 111.83 लाख रूपयों की मदों के समक्ष संव्यवहारों से सम्बन्धित मास इंगित किया गया और मदें वसूली / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों हेतु बिना किसी कार्यवाही के अनिस्तारित पड़ी थीं ।

(4) छः खण्डों में कर्मचारियों से वसूली योग्य धनराशियों के विवरण भी उचन्त पंजिकाओं में, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उपलब्ध नहीं थे:

खण्ड का नाम	लेखे का वर्ष	वसूली योग्य धनराशि		मूल्य जिसके विवरण उपलब्ध नहीं हैं
		पंजिकाओं के अनुसार	लेखे के अनुसार	
		(लाख रूपयों में)		
1	2	3	4	5
वाराणसी इलेक्ट्रिक इकाई-अण्डर टेकिंग	1984-85	2.97	3.27	0.30
इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन फिरोजाबाद	1985-86	10.00	11.67	1.67
इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन-डिवीजन-1, गोरखपुर	1985-86	1.90	4.31	2.41
इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन-डिवीजन लखनऊ	1987-88	3.05	0.23	क्रमशः

1	2	3	4	5
इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन डिवीजन-2, वाराणसी	1987-88	0.72	1.50	0.78
इलेक्ट्रीसिटी टेस्ट-डिवीजन, वाराणसी	1987-88	0.40	0.86	0.46
	योग			**5.85**

(5) उचन्त पंजिकाओं का मासिक बन्द किया जाना अपेक्षित है और बकायों का मासिक लेखे से समाधान किया जाना अपेक्षित है। किन्तु यह देखा गया कि 19 खण्डों के सम्बन्ध में उचन्त पंजिकाओं में प्रविष्टियों का अंकन बकाये में था और इस प्रकार उचन्त पंजिकाओं का बन्द किया जाना छः मास से नौ वर्षों तक बकाये में था।

(6) विविध वसूलियों हेतु भूतपूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य बकायों का, इनका समुचित अनुसारण और वसूली सुगम बनाने के लिये मासिक लेखे में पृथक उपशीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाना अपेक्षित है। किन्तु मार्च 1988 की समाप्ति पर 25 भूतपूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य 6.72 लाख रूपये 18 खण्डों द्वारा नियमित कर्मचारियों से वसूलीयोग्य धनराशियों के रूप में दिखाये जा रहे थे। इसमें 23 मामलों में 5.19 लाख रूपये सम्मिलित थे जिनमें सम्बन्धित खण्डों द्वारा वसूली हेतु कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। चार मामलों (0.74 लाख रूपये) को छोड़कर जिनमें अवधि उपलब्ध

नहीं थी, ऐसे मामलों की मार्च 1988 की समाप्ति पर अवधिवार विश्लेषण नीचे दिया जाता है:

अवधि	खण्डों की संख्या	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख-रूपयों में)
1	2	3	4
15 वर्षों से अधिक अवधिसेदेय	5	5	0.66
10 वर्षों से अधिक किन्तु 15 वर्षों से कम अवधि से देय	3	4	0.85
5 वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्षों से कम अवधि से देय	5	6	2.47
5 वर्षों से कम अवधि से देय	2	4	0.47
योग	**15**	**19**	**4.45**

खण्ड अधिकारियों द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गयी और न तो कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ न करने के लिये कोई औचित्य प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों के पक्ष में चूकों हेतु उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

(7) नौ खण्डों द्वारा अनुरक्षित उचन्त पंजिकायें उन कर्मचारियों के विवरण दर्शित नहीं करती थीं जिनसे 15.66 लाख रूपये (पांच वर्षों से अधिक से अनिस्तारित 13.31 लाख रूपये सहित) वसूली योग्य थे। धनराशि पंजिकाओं में लम्बी अवधि से

अंकित पड़ी थी और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का केवल पदनाम सूचित करती थी । विवरणों के अभाव में, खण्ड हानि को पूरा करने के लिये इन मदों का अनुसरण करने में असमर्थ थे ।

(8) इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-1 वाराणसी में 1987-88 की समाप्ति पर "मैटेरियल शार्टेज पेण्डिंग इन्वस्टीगेशन" शीर्ष के अन्तर्गत 53.24 लाख रूपयों का बकाया था। कमियों के विवरण, घटना (अकरेंस) की अवधि तथा उत्तरदायी अधिकारियों के नाम उपलब्ध नहीं थे। मामले बिना किसी छानबीन के खण्ड द्वारा अनुसरण किये बिना पड़े रहे (मार्च 1989)।

(9) लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग ने 20 वर्ष से अधिक अवधि से कर्मचारियों के विरूद्ध खाता में अंकित धनराशियों और उनके शोधन के विवरण दर्शित करने वाली उचन्त पंजिका का रख रखाव नहीं किया। मार्च 1988 की समाप्ति पर कर्मचारियों से वसूली योग्य धनराशि 11.03 लाख रूपये थी जिसके समक्ष न तो विवरण उपलब्ध थे और न ही वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गयी ।

3.3.5 अग्रिमों का खाता में नैत्यक ढंग से अंकन

3.3.5.1 सामग्रियों का लेखा न करना

विविध अग्रिमों के अन्तर्गत बकायों को कम करने के लिये परिषद् ने नवम्बर 1981 में आदेश दिया कि अग्रिम विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध विस्तृत छान बीन के बिना नैत्यक रूप में नहीं

रखे जाने चाहिये। किन्तु यह देखा गया कि जब कि अन्य खण्डों से हस्तान्तरण पर प्राप्त सामग्रियाँ लेखाबद्ध नहीं की गयीं, हस्तान्तरण खण्डों से प्राप्त हस्तान्तरण नामे की सूचनायें (एटीडीज) अनुभाग अधिकारियों के विरूद्ध विविध अग्रिमों के अन्तर्गत धनराशि को अंकित करके नियमित रूप से स्वीकृत की गयी। लेखाबद्ध न की गयी सामग्रियों के सम्बन्ध में समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये बिना ऐसी हस्तान्तरण सूचनाओं की नियमित स्वीकृति अनियमित थी।

1984-85 से 1987-88 के दौरान, 47.47 लाख रूपये मूल्य की पांच खण्डों में लेखाबद्ध न की गयी सामग्रियाँ उस शीर्ष के अन्तर्गत अंकित की गयी थीं जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:-

खण्ड	कर्मचारियों की संख्या	सूचनाओं की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त सामग्रियों का मूल्य 1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
			(लाख रूपयों में)				
आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग	15	33	-	-	15.52	9.39	24.91
इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-2, गोरखपुर	19	80	-	0.75	7.91	0.50	9.16

1	2	3	4	5	6	7	8
			(लाख	रूपयों	में)		
इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-1 आजमगढ़	5	5	0.18	0.54	-	-	0.72
400 के.वी. सब स्टेशन डिवीजन, कानपुर	1	1	-	-	-	10.99	10.00
इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-2, मथुरा	1	6	-	1.69	-	-	1.69
योग	**41**	**125**	**0.18**	**2.98**	**23.43**	**20.88**	**47.47**

कर्मचारियों से वसूली प्रारम्भ करने के लिये न तो कार्यवाही की गयी और न परिषद् द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही ही की गयी।

3.3.5.2 अस्थायी अग्रिम

अस्थायी अग्रिम / अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अति आवश्यक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिये कर्मचारियों को खण्ड अधिकारियों द्वारा स्वीकृति किये जाते हैं जो शीघ्र समायोजित किये

जाने अपेक्षित हैं। अन्य खण्डों को स्थानान्तरित कर्मचारियों के मामले में अग्रिम की अनिस्तारित धनराशि अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित की जानी अपेक्षित है। किन्तु यह देखा गया कि 13 खण्डों में 185 मामलों में 3.69 लाख रूपयों (3 वर्षों से अधिक अवधि से अनिस्तारित 2.20 लाख रूपयों सहित) के अनिस्तारित अग्रिम वसूली करने अथवा उनकी अन्य खण्डों द्वारा वसूली करवाने के बजाय कर्मचारियों से वसूली योग्य धनराशि के रूप में उचन्त लेखाशीर्ष को अन्तरित कर दिये गये। इनमें इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, आगरा के 29 कर्मचारियों के विरूद्ध 1982-83 से 1985-86 के दौरान अग्रिम दिये गये कुल मिलाकर 0.68 लाख रूपये के 63 अग्रिम सम्मिलित हैं यद्यपि द्वितीय अग्रिम स्वीकार्य न था जब तक कि पहले लिया गया अग्रिम समायोजित न हो जाये। अनिस्तारित अग्रिमों के अशोधन हेतु कारण नहीं दिये गये (सितम्बर 1988) ।

3.3.6 अग्रिमों के अनुसरण में कमी

3.3.6.1 कर्मचारियों के विरूद्ध अग्रिमों के शोधन हेतु परिषद् द्वारा समय समय पर निर्धारित कार्यविधि निम्नवत् है:-

(1) औचित्य प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों को बुलाने हेतु नोटिसें जारी करना ।

(2) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच करना और वसूली हेतु प्रस्तावित दण्ड प्रदान करने के लिये कारण बताओ नोटिसें जारी करना ।

(3) वसूली हेतु आदेश निर्गत करना ।

(4) ऐसे कर्मचारियों को जिनके विरूद्ध 0.10 लाख रूपयों से अधिक के अग्रिम अनिस्तारित हैं, कर्मचारियों द्वारा अग्रिमों के समाधान हेतु अवसर प्रदान करने हेतु एक मास के लिये उनके वर्तमान प्रभार से मुक्त करना ।

(5) यदि कर्मचारियों के सेवाकाल के अन्दर वसूली सम्भव नहीं है तो ऐसी स्थिति में विभागीय तथा विधिक कार्यवाही आरम्भ करना ।

किन्तु जांच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि अग्रिमों के शोधन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रूप से अनुसरण नहीं किया जा रहा था। 31 खण्डों में जहां 230 कर्मचारियों के विरूद्ध 0.10 लाख रूपयों से अधिक के अग्रिम (129.25 लाख रूपये की धनराशि) अनिस्तारित थे, लेखा परीक्षा में मामलों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल मिलाकर 26.16 लाख रूपयों के अग्रिमों के लिये केवल 26 कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ / पूर्ण की गयी थी। शेष धनराशि 17 कर्मचारियों के विरूद्ध 5.56 लाख रूपये छोड़कर जिसके विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे का अवधिवार विश्लेषण निम्नवत् था:

अवधि हेतु अनिस्तारित	अनिस्तारित धनराशि (लाख रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1 वर्ष तक	10.12	12
1 वर्ष तक	10.12	12
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	35.29	66

1	2	3
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	19.72	27
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	21.86	48
10 वर्ष से अधिक	10.54	34
योग	**97.53**	**187**

उपर्युक्त में दो समाप्त (डिफेक्ट) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन डिवीजन द्वारा, जो 1974-75 में इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-1 गोरखपुर तथा इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन आगरा में विलीन कर दिये गये थे, 1974-75 तक 73 कर्मचारियों के विरूद्ध खातांकित (बुक्ड) कुल मिलाकर 2.87 लाख रूपयों के विविध अग्रिम सम्मिलित हैं। खण्डों में बकायों के ग्रहण करने के समय से कर्मचारियों के साथ मदों का अनुसरण कभी नहीं किया गया और वे निरन्तर अनिस्तारित रहे (मार्च 1989)। अवधि जब से धनराशियाँ अनिस्तारित थीं और सम्व्यवहारों की प्रकृति के विवरण भी उपलब्ध नहीं थे।

3.3.6.2 जाँच परीक्षण (जून अगस्त 1988) में देखे गये कुछ रोचक प्रकरणों की चर्चा नीचे की जाती है:-

(1) मार्च 1983 में वाराणसी स्टोर सेण्टर के भौतिक सत्यापन के दौरान 0.91 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों में कमी देखी जो जून 1983 में भण्डारक से वसूलीयोग्य धनराशियों के रूप

में खातांकित की गयी थीं। फिर भी, जुलाई 1987 तक, जब वह वाराणसी स्थित नवसृजित भण्डार खण्ड स्थानान्तरित कर दिया गया था, भण्डारक से वसूली करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सम्पूर्ण प्रकरण मई 1988 में नवसृजित खण्ड को अग्रसारित कर दिया गया। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी वसूली पूरी करने के लिये न तो मामले की छानबीन की गयी और न भण्डारक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ही प्रारम्भ की गयी ।

(2) इलेक्ट्रीसिटी स्टोर डिवीजन लखनऊ के अधीन इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सेण्टर फैजाबाद के एक सहायक भण्डारक ने फरवरी 1979 में दो आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त 0.43 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों को लेखे में नहीं लिया। जब फैजाबाद स्टोर सेण्टर के प्रयोजनार्थ सामग्रियों के लिये फर्मो के विरूद्ध अनिस्तारित भुगतानों हेतु सितम्बर 1978 में सृजित हस्तान्तरण नामे की सूचना (ए.टी.डी.) फैजाबाद स्टोर सेण्टर द्वारा वापस कर दी गयी क्योंकि फर्मो द्वारा आपूर्तियां पहले ही निष्पादित की जा चुकी थीं, खण्ड ने सामग्रियों को लेखे में न लेने के लिये सहायक भण्डारक के विरूद्ध विविध अग्रिम के रूप में 0.43 लाख रूपये डालकर जून 1980 में हस्तान्तरण नामे की सूचना को पुनरीक्षित कर दिया। खण्ड ने सहायक भण्डारक को मार्च 1979 और अक्टूबर 1987 के मध्य सात पत्र प्रेषित किये किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि 10 वर्ष ब्यतीत हो गये हैं, किन्तु, जैसा कि परिषाद् ने अगस्त 1978 में निर्धारित किया था, न तो वसूली के लिये कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया और न सहायक भण्डारक के विरूद्ध अब तक (मार्च 1989) कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ही प्रारम्भ की गयी ।

(3) मई-जून 1982 में सहायक अभियन्ता द्वारा इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सेण्टर बुलन्दशहर के भौतिक सत्यापन के दौरान 1.54 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों की कमी का पता चला जो सहायक भण्डारक के विरूद्ध विविध अग्रिम के अन्तर्गत डाल दी गयी। सहायक भण्डारक से धनराशि की वसूली हेतु इलेक्ट्रीसिटी स्टोर डिवीजन गाजियाबाद द्वारा मार्च 1989 तक इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी कि उच्च न्यायालय ने मई 1979 में स्थगन आदेश स्वीकृत किया था, जो रिक्त नहीं कराया गया था। खण्ड द्वारा लिया गया आधार उचित नहीं है क्योंकि सन्दर्भित स्थगन आदेश एक पूर्णतया भिन्न प्रकरण में निर्गत किया गया था, और भी, सहायक भण्डारक के पक्ष में चूक हेतु न तो विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयीं और न वसूली हेतु ही कार्यवाही प्रारम्भ की गयी (मार्च 1989)। सहायक भण्डारक को अक्टूबर 1989 में सेवा निवृत्त होना है।

(4) इलेक्ट्रीसिटी स्टोर डिवीजन लखनऊ के सहायक भण्डारी ने नवम्बर 1975 से फरवरी 1979 के दौरान 0.36 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों को लेखे में नहीं लिया और धनराशि मार्च 1979 से अगस्त 1981 के दौरान उसके विरूद्ध विविध अग्रिम के अन्तर्गत डाल दी गयी । सहायक भण्डारक को अग्रिमों को समाधानित करने हेतु उसके सामान्य कर्तव्यों से कभी मुक्त नहीं किया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करके अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी प्रारम्भ नहीं की गयीं । इस बीच फरवरी 1982 में कर्मचारी की मृत्यु हो गयी । चूक के लिये

उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (मार्च 1989) ।

एक अन्य प्रकरण में, उसी अधिकारी के विरूद्ध जुलाई दिसम्बर 1977 के दौरान खाता में अंकित 0.18 लाख रूपये की धनराशि भी उसकी मृत्यु पर्यन्त वसूली हेतु कोई कार्यवाही किये बिना अनिस्तारित पड़ी रही ।

3.3.7 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां

3.3.7.1 परिषद् की कार्यविधि

वर्तमान वेतन क्रम में निम्नतर स्तर में पदावनति और सेवाच्युति / सेवा से हटाये जाने का औचित्य प्रमाणित करने वाले गम्भीर आरोपों हेतु कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ की जानी अपेक्षित हैं। कार्यवाहियों के स्तर विस्तार से निम्न वत् हैं:

(क) ऐसी कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने की वांछनीयता निर्धारित करने के लिये उपलब्ध साक्ष्यों के सन्दर्भ में क्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रारम्भिक छानबीन और नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

(ख) अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी का औपचारिक निर्णय तथा जाँच अधिकारी की नियुक्ति ।

(ग) जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र का निर्गम, लिखित तथा मौखिक साक्ष्यों की जाँच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(घ) प्रस्तावित दण्ड हेतु दोषारोपित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करना ।

(ङ.) कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् दण्ड देना ।

परिषद् द्वारा अंगीकृत हाइडेल मैनुअल आफ आर्डर्स (एच.एम.डी.) के प्रस्तर 137 में प्रावधान है कि जब कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ की जाती हैं तो जांच के सभी स्तरों में शीघ्रता लाने हेतु प्रत्येक सम्भव बात करनी चाहिये और उसमें निम्नांकित समय अनुसूची निर्धारित की गयी है:

(1) आरोप पत्र का निर्गम	औपचारिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के निर्णय की तिथि से 15 दिन ।
(2) दोषारोपित अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय	एक पक्ष और किसी भी स्थिति में 30 दिनों से अधिक नहीं
(3) साक्ष्य की मौखिक जाँच	लिखित कथन के प्रस्तुत करने से एक मास ।
(4) नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण	मौखिक जाँच समाप्त होने के एक पक्ष के अन्दर ।
(5) कारण बताओ नोटिस निर्गत करना	रिपोर्ट की प्राप्ति से एक माह के अन्दर ।
(6) अन्तिम आदेशों का निर्गम	कारण बताओ नोटिस के निर्गम से एक मास के अन्दर ।

उन प्रकरणों में, जिनमें सहायक अभियन्ता अथवा उससे

ऊपर की श्रेणी का कम से कम एक अधिकारी सम्बद्ध होता है, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद मुख्य अभियन्ता (जाँच) द्वारा सम्पन्न की जाती है ।

3.3.7.2 प्रगति की मानीटरिंग

यद्यपि अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा के गम्भीर आरोपों हेतु प्रारम्भ की जाती हैं किन्तु परिषद् में कोई तन्त्र / प्रणाली विद्यमान नहीं है जिससे यह उन प्रकरणों की जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ प्रगति में हैं, समेकित संख्या तथा उन प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैं, जानने में समर्थ हो ।

हानियाँ तथा कमियाँ मुख्य रूप से अवर अभियन्ताओं और भण्डारकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों में होती हैं। जिसमें अनुशासन प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता (एच) और अधीक्षण अभियन्ता इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सर्किल है। मुख्य अभियन्ता (एच) तथा अधीक्षण अभियन्ता इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सर्किल के कार्यालयों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण (अगस्त - सितम्बर 1988) में यह देखा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अधीन प्रकरणों के विवरण सूचित करने वाले किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया।

आठ इकाइयों की लेखा परीक्षा (जून-सितम्बर 1988) में देखे गये अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अधीन 21 प्रकरणों की समीक्षा से निम्न तथ्यों का पता चला:-

3.3.7.3 पूर्ण की गई जाँचें

नवम्बर 1970 से मई 1978 के दौरान 13.49 लाख रूपयों का पता चली हानि की वसूली से सम्बद्ध दोषारोपित अधिकारियों के विरूद्ध छः प्रकरणों में जाँच रिपोर्ट, जिनमें कर्मचारी सामग्रियों के दुर्विनियोग के दोषी पाये गये थे, जैसा कि नीचे दर्शित किया गया है, हानि का पता चलने के बाद 2 से 10 वर्षोंपरान्त (फरवरी 1978 से जुलाई 1988) प्राप्त हुयी थी:

जाँचों के पूर्ण होने की अवधि	प्रकरणों की संख्या	हानि की धनराशि (लाख रूपयों में)
1	2	3
एक वर्ष के अन्दर	–	–
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	1	0.29
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	1	1.36
5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक	1	5.64
10 वर्ष से अधिक	3	6.20
योग	**6**	**13.49**

जाँच के विभिन्न स्तरों की पूर्णता हेतु एच.एम.ओ. में प्रावधानित समय के समक्ष लिया गया समय, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है, असामान्यतया अधिक था :-

(1) अरोप पत्रों के निर्गम में असामान्य विलम्ब हुआ था। मात्र एक प्रकरण में 15 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर आरोप

तैयार किये गये थे। 9.70 लाख रूपयों की निहित हानि वाले 3 प्रकरणों में आरोप पत्रों को तैयार करने तथा निर्गत करने में 5 वर्षों से अधिक विलम्ब हुआ था ।

(2) सभी छः प्रकरणों में जाँच अधिकारियों ने हानियों की धनराशि की वसूली की संस्तुति की थी, इन मामलों में प्राधिकारी द्वारा अब तक (मार्च 1989) की गयी अन्तिम कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् थी:

(क) दिया गया दण्ड	रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 वर्ष बाद 5.6 लाख रूपये के निहित धनराशि का एक प्रकरण ।
(ख) से अधिक अवधि हेतु विचाराधीन जाँच रिपोर्ट	
1 मास	2.14 लाख रूपये की निहित धनराशि का एक प्रकरण ।
1 वर्ष	2.97 लाख रूपयों की निहित धनराशि का एक प्रकरण ।
3 वर्ष	1.09 लाख रूपयों की निहित धनराशि का एक प्रकरण ।
(ग) 9 वर्षों से अधिक अवधि तक जाँच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उसके बाद नवीन विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयीं	1.36 लाख रूपये की निहित धनराशि का एक प्रकरण ।

(घ) दण्ड (सेवा की समाप्ति) वापस लिया गया 0.20 लाख रूपये के निहित धनराशि का एक प्रकरण

(3) आरोप पत्रों को जारी करने और जाँच अधिकारियों की रिपोर्टों पर अन्तिम कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण जाॅच को ध्यान मे रखते हुये निलम्बित 3 कर्मचारियों को 1 से 8 वर्षों के निलम्बन के बाद बहाल करना पड़ा ।

कुछ मामलों की चर्चा जिनमें पर्याप्त विलम्ब हुआ था, नीचे की जाती है:

(क) फरवरी 1975 में इलेक्ट्रीसिटी मेन्टीनेन्स डिवीजन, धामपुर के अवर अभियन्ता को हरदुआगंज प्रोजेक्ट को स्थानान्तरण पर उसके प्रभार में सामग्रियों को अधिकार में लिये बिना मुक्त कर दिया गया जिसका मूल्य सितम्बर 1976 में खण्ड द्वारा 5.64 लाख रूपये निश्चित किया गया। मामला चूक के लिये विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रीसिटी मेन्टीनेन्स तथा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन सर्किल बरेली द्वारा मुख्य अभियन्ता (एच) को अक्टूबर 1976 में प्रतिवेदित किया गया। प्रकरण की जाँच करने के बाद मुख्य अभियन्ता (एच) ने कर्मचारी को नवम्बर 1976 में निलम्बित कर दिया और विभागीय कार्यवाहियाँ सम्पन्न करने के लिये एक जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया । चूँकि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर आरोप नहीं लगाये जा सके, अवर अभियन्ता मार्च 1978 में बहाल कर दिया गया। अधिकारी को आरोप पत्र कहीं जाकर अप्रैल 1982 में निर्गत किया गया और जाँच

रिपोर्ट अगस्त 1984 में अर्थात् 2 वर्षों से अधिक अवधि के बाद पस्तुत की गयी। दण्डित करने वाले प्राधिकारियों ने अक्टूबर 1986 में यह निर्णय लिया कि आरोप सिद्ध हो गये हैं और इसलिये निम्नांकित दण्ड के साथ कारण बताओ नोटिस निर्गत कर दी:

(1) वेतन में पाँच स्तरों तक कमी।

(2) अधिक्षेप (सेन्सर) तथा 1971-72 से 1974-75 हेतु सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र का रोक लिया जाना।

(3) दोषारोपित अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन धामपुर को सामग्रियों को अधिकार आदेश की प्राप्ति से तीन मास के अन्दर दिया जाना था जिसके न करने पर सामग्रियों की लागत की वसूली हेतु कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जानी थी।

(4) उससे पहले ही भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते के अलावा उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था।

अगस्त 1987 में कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर, दण्ड देने वाला आदेश सितम्बर 1987 में निर्गत किया गया। यद्यपि कार्यवाहियों की समाप्ति पर दण्ड दिये जाने के ही मामले का पता चलने से 10 वर्षों से अधिक समय लिया, अब तक की कमियों की वसूली किये बिना अथवा सामग्रियों का प्रभार लिये बिना एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है (मार्च 1989)।

(ख) इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सेण्टर, फैज़ाबाद का सहायक भण्डारक, भौतिक सत्यापन के दौरान सहायक अभियन्ता द्वारा

मई 1978 में पकड़े गये 2.14 लाख रूपये मूल्य की 8.375 टन ताबें के कतरन के दुर्विनियोग के लिये मई 1978 में निलम्बित कर दिया गया था। विभागीय कार्यवाहियाँ अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रीसिटी स्टोर्स सेण्टर, लखनऊ द्वारा जून 1980 में अर्थात घटना के 2 वर्ष बाद प्रारम्भ की गयी थी। जाँच अधिकारी ने सहायक भण्डारक को उत्तरदायी मानते हुये अपनी रिपोर्ट जुलाई 1988 में प्रस्तुत की । जाँच रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता के विचाराधीन थी (मार्च 1989) । जिसके होने तक वसूली प्रारम्भ नहीं की गयी थी ।

(ग) अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रीसिटी मेण्टीनेन्स एण्ड रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन सर्किल, वाराणसी ने लाइनों का अधिकार प्रदान न करने हेतु तथा उससे वसूली योग्य अन्य धनराशियों हेतु एक अवर अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ आरम्भ करने के लिये अधिशाषी अभियन्ता इलेक्ट्रीसिटी मेण्टीनेन्स डिवीजन 2, वाराणसी को फरवरी 1976 में निदेश दिये। अवर अभियन्ता दिसम्बर 1976 में निलम्बित कर दिया गया । जाँच अधिकारी जो अप्रैल 1977 में नियुक्त किया गया था अरोप पत्र के अभाव में, जो मात्र सितम्बर 1981 में उपलब्ध कराया गया था, जाँच प्रारम्भ नहीं कर सका। इस बीच आरोप पत्र तामील न होने के कारण अवर अभियन्ता पहले ही जून 1978 में बहाल कर दिया गया ।

यद्यपि परिषद् ने आरोप पत्र तामील किये जाने में असामान्य विलम्ब को गम्भीरता से लिया और विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व के नियतन की इच्छा व्यक्त की

किन्तु अभी तक (मार्च 1989) दायित्व नियत नहीं किया गया। किन्तु मार्च 1966 से जून 1970 की अवधि से सम्बन्धित असमायोजित अस्थायी अग्रिमों सामग्रियों में कमियों तथा अधिक निर्गम के प्रति 2.98 लाख रूपये की वसूली से समाविष्ट आरोप पत्र केवल नवम्बर 1981 में निर्गत किया गया ।

जाँच अधिकारी ने मुख्य अभियन्ता (एच) को अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1986 में प्रस्तुत की । रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था (मार्च 1989) और सम्पूर्ण धनराशि निरन्तर अनिस्तारित पड़ी हुयी थी ।

इसी बीच अवर अभियन्ता नवम्बर 1980 से मार्च 1981 की अवधि हेतु भण्डार लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा और फरवरी 1981 में एक अन्य उपखण्ड को अपने स्थानान्तरण पर सामग्रियों (खाता मूल्य 2.29 लाख रूपये) का प्रभार भी हस्तान्तरित नहीं किया। मुख्य अभियन्ता (एच) ने मार्च 1981 में एक अन्य जांच अधिकारी नियुक्त किया। आरोप पत्र के निर्गम हेतु 15 दिनों की अवधि सीमा के समक्ष, आलेख्य आरोप पत्र फरवरी 1983 में तैयार किया गया और निर्गम हेतु मुख्य अभियन्ता (एच) द्वारा केवल जनवरी 1988 में अनुमोदित किया गया जो फरवरी 1988 में तामील किया गया । जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (मार्च 1989) । जिसकी अप्राप्ति पर कर्मचारियों से वसूली प्रारम्भ नहीं की जा सकी । अभी तक (मार्च 1989) विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

(घ) विद्युत अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी के एक अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण पर जून 1969 में, "वसूली योग्य" धनराशि शीर्ष के अन्तर्गत खातांकित 2.13 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों का उससे प्रभार लिये बिना कार्यमुक्त कर दिया गया। अवर अभियन्ता ने 1971-72 के दौरान 2.13 लाख रूपये का भण्डार निर्गत लेखा प्रस्तुत किया जिसमें से 1.04 लाख रूपये धनराशि की सामग्रियों का निर्गम 1.09 लाख रूपयों का अवशेष छोड़ते हुये स्वीकृत किया गया तथा अप्रैल 1975 में लेखे में समायोजित किया गया। खण्ड अधिकारी ने जनवरी 1975 में आलेख्य आरोप पत्र अग्रसारित करते समय मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता वाराणसी से विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने का निवेदन किया जो मुख्य अभियन्ता (एच) द्वारा अगस्त 1970 में स्वीकृत किया गया। जाँच अधिकारी जिसे अगस्त 1978 में नियुक्त किया गया था, खण्ड अधिकारी द्वारा अभिलेखों तथा साक्ष्यों की प्रस्तुति में विलम्ब के कारण केवल जुलाई 1985 में अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे सका। जाँच अधिकारी ने प्रतिवेदन को मुख्य अभियन्ता (एच) को जो सक्षम प्राधिकारी थे, भेजने के बजाय रिपोर्ट को सीधे परिषद् को भेजा। प्रतिवेदन पर परिषद् का निर्णय अब भी (मार्च 1989) प्रतीक्षित था। इस बीच में 1.09 लाख रूपये की कुल धनराशि 17 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर अनिस्तारित पड़ी हुयी थी।

3.3.7.3 अनिर्णीत (पेण्डिंग) जाँचे

अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के औपचारिक निर्णय के चार माह के अन्दर जाँचों का पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

लेकिन यह देखा गया कि लेखा परीक्षा में समीक्षित 21 मामलों में से 15 मामलों में जाँच नीचे दिखायी गयी अवधि से लम्बित है:

लम्बन की अवधि	मामलों की संख्या	निहित धनराशि (लाख रूपयों में)
1 वर्ष से 3 वर्ष	1	3.31
3 वर्ष से 5 वर्ष	2	3.59
5 वर्ष से 10 वर्ष	6	17.11
10 वर्ष से अधिक	6	9.05
योग	**15**	**33.06**

कार्यवाहियों के अतिरिक्त, जाँचों के पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण आरोप तैयार करने में विलम्ब तथा दोषारोपित अधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलम्ब था। 17.48 लाख रूपये की निहित धनराशि के 9 मामलों में आरोप पत्र निर्गत करने में विलम्ब की सीमा 5 वर्ष और 11 वर्ष के बीच रही। जाँचों को पूर्ण करने में विलम्ब न केवल धनराशि की वसूली आस्थगित कर देता है अपितु उस प्रयोजन को भी समाप्त कर देता है। जिसके लिये विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाती हैं। परिणाम स्वरूप हानियाँ पूरी नहीं हो पातीं। कुछ अत्याधिक विलम्ब वाले मामलों की चर्चा नीचे की जाती है:

(क) विद्युत वितरण खण्ड, रूड़की के एक अवर अभियन्ता द्वारा 1969 में परिषद् को पहुंचायी गयी 1.20 लाख रूपये की हानि का एक मामला परिषद् की विशेष लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा

सितम्बर 1971 में पकड़ा गया। विद्यमान हाईटेंशन लाइन से 3.6 किलोमीटर लाइन के अनुमान के विरूद्ध एक सब स्टेशन से एक लघु शक्ति उपभोक्ता को कनेक्शन देने हेतु 6.111 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन बिछाई गयी दिखायी गई, फलस्वरूप 0.70 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त 0.50 लाख रूपये मूल्य की 22 मदें लाइन पर भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा से अधिक निर्गत की गयी थी। परिषद् ने मामला विस्तृत विवेचन हेतु दिसम्बर 1971 में सतर्कता को सन्दर्भित कर दिया और नवम्बर 1977 में अर्थात् 6 वर्ष बाद उनके जाँच परिणामों की प्राप्ति पर अवर अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियाँ आरम्भ करने हेतु मामले को नवम्बर 1977 में मुख्य अभियन्ता (एच) को अग्रसारित कर दिया। अधीक्षण अभियन्त, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की द्वारा आलेख्य अरोप पत्र जुलाई 1981 में अर्थात् लगभग चार वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया जो अपूर्ण था और सितम्बर 1981 में अधीक्षण अभियन्ता को लाइन के भौतिक सत्यापन का साक्ष्य प्रस्तुत करने को निदेशित किया गया, जो सितम्बर 1981 और जुलाई 1987 के मध्य मुख्य अभियन्ता (एच) द्वारा निर्गत 30 अनुस्मारकों के बाद भी आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।. मुख्य अभियन्ता (एच) ने विभागीय कार्यवाहियो के संचालन हेतु अगस्त 1987 में एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति की तथा अधीक्षण अभियन्ता को एक आरोप के समक्ष रिक्त छोड़े गये साक्ष्य का उल्लेख करने के लिये उसे निदेश देते हुये परिनिरीक्षित आरोप पत्र को भी सितम्बर 1987 में वापस कर दिया। परिनिरीक्षित आरोप पत्र अधीक्षण अभियन्ता द्वारा

मई 1988 में इस आधार पर वापस कर दिया गया कि महत्वपूर्ण साक्ष्य अर्थात् लाइन की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी तथा आरोपों की तद्नुसार जाँच कर ली जाये और उन्हें संशोधित कर दिया जाये। मुख्य अभियन्ता (एच) ने पहले से प्रारम्भ की गयी विभागीय कार्यवाहियों को इस आधार पर समाप्त कर दिया (जून 1988) कि महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी विभागीय कार्यवाहियाँ जारी रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। लाइन बिछाने में हुये अतिरिक्त व्यय (0.70 लाख रूपये) से सम्बन्धित दूसरे आरोप के सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता (एच) ने जुलाई 1988 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल रूड़की को दोषारोपित कर्मचारी को उचित अवसर देने के बाद वसूली की कार्यवाही करने के लिये निदेशित किया। अपने उत्तर (अक्टूबर 1988) में मुख्य अभियन्ता (एच) ने बताया कि अपूर्ण साक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुये मामले को समाप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है और यह कि अधीक्षण अभियन्ता को अवर अभियन्ता से 0.70 लाख रूपये की शेष धनराशि की वसूली करने हेतु निदेशित किया जा रहा है।

15 वर्ष से अधिक के विलम्ब के फलस्वरूप, अवर अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप 0.50 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों के दुर्विनियोग के आरोप में से एक आरोप ही समाप्त नहीं हुआ, अपितु कर्मचारी से अन्य आरोप के समक्ष 0.70 लाख रूपये की वसूली भी असामान्य रूप से आस्थगित करनी पड़ी।

(ख) अगस्त और दिसम्बर 1980 के मध्य किये गये विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई के भण्डारों के भौतिक सत्यापन के दौरान कुल मिलाकर 3.31 लाख रूपये की सामग्रियों की कमियाँ देखी गयी। मामला छः मास उपरान्त जून 1981 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत भण्डार मण्डल लखनऊ को प्रतिवेदित किया गया जिसने भण्डारी को जुलाई 1981 में निलम्बित कर दिया तथा खण्ड अधिकारी को आरोप पत्र तथा मामले को प्रस्तुत करने में छः मास के विलम्ब के कारण भी शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने के लिये निदेशित किया गया जिससे भण्डारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाये। फरवरी 1982 में भण्डारी की मृत्यु के समय तक आरोप तैयार नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ नहीं की जा सकीं। भण्डार लेखे के समाधान के उपरान्त खण्ड अधिकारी ने मार्च 1982 में भण्डारी के विरूद्ध भण्डार में 2.03 लाख रूपये की कमी के अन्तिम आंकड़े प्रतिवेदित किया। आरोप पत्र निर्गत करने में विलम्ब के फलस्वरूप, धन अप्राप्य हो गया। खण्ड ने आरोप पत्र के निर्गम में विलम्ब के लिये उत्तर दायित्व निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी (मार्च 1989)।

(ग) सितम्बर 1981 के दौरान विद्युत वितरण खण्ड वाराणसी ने 71 उपभोक्ताओं को संयोजन देने में 1978-79 से 1980-81 के दौरान उसके द्वारा 0.62 लाख रूपये के भण्डार के अधिक निर्गम के अतिरिक्त अवर अभियन्ता के भण्डार लेखे में 7.34 लाख रूपये की सामग्रियों की कमी देखी। तदनुसार विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के लिये सितम्बर 1981 में मुख्य अभियन्ता

(एच) को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसने अक्टूबर 1981 में कर्मचारी के निलम्बन हेतु निदेश दिया और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संचालन हेतु एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया। आरोप पत्र जनवरी 1982 में तामील किया गया । अवर अभियन्ता जो मुख्य अभियन्ता (एच) के अक्टूबर 1983 के आदेशों द्वारा के 20 मास बाद जून 1983 में निलम्बित किया गया था, दिसम्बर 1983 में बहाल कर दिया गया क्योंकि खण्ड आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। समाधान के पश्चात् अवर अभियन्ता से वसूली योग्य बकाया 5.57 लाख रूपये निश्चित किया गया जिसके विरूद्ध वसूली प्रारम्भ नहीं की गयी (मार्च 1989) क्योंकि 7 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ अभी तक अपूर्ण थी।

(घ) अक्टूबर 1982 में मुख्य अभियन्ता (एच) ने जनवरी 1980 में देखी गयी 2.73 लाख रूपये की सामग्रियों की कमी के लिये विद्युत वितरण खण्ड-2, वाराणसी के अवर अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियों के संचालन हेतु एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया। चूँकि उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 1983 में निर्गत आरोप पत्र अवर अभियन्ता द्वारा अनुत्तरित रहा, मुख्य अभियन्ता (एच) ने जाँच अधिकारी को मई 1986 में दोषारोपित अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर देने के उपरान्त एक पक्षीय निष्कर्ष तैयार करने के निदेश दिये। तदनुसार जाँच अधिकारी अवर अभियन्ता द्वारा मार्च 1987 में उपस्थित होने के लिये निदेशित किया गया। किन्तु दोषारोपित अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। दोषारोपित

अधिकारी से उत्तर के अभाव में जाँच प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया (मार्च 1989)। नौ साल से अधिक ब्यतीत हो चुके हैं किन्तु वसूली प्रारम्भ नहीं हुयी (मार्च 1989)।

(ङ.) 1.93 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों का प्रभार लिये बिना विद्युत वितरण खण्ड-1 वाराणसी के एक अवर अभियन्ता को एम दूसरे खण्ड मे स्थानान्तरण पर जुलाई 1980 में कार्य मुक्त कर दिया गया। कर्मचारी के विरूद्ध एक अन्य अनुभाग अधिकारी को अप्रैल 1980 में मिथ्या हस्तान्तरण दर्शित करके 0.88 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों का कथित दुर्विनियोग का एक अन्य मामला खण्ड द्वारा दिसम्बर 1981 में पकड़ा गया। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आलेख्य आरोप पत्र के साथ मामले अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को दिसम्बर 1981 में प्रतिवेदित किये गये। मुख्य अभियन्ता (एच) ने विभागीय कार्यवाहियों के संचालन हेतु अप्रैल 1983 में एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया। यद्यपि लगभग 6 वर्ष ब्यतीत हो चुके थे (जून 1988), जाँच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र तक निर्गत नहीं किया गया था, सात वर्षों से अधिक की अवधि से अवर अभियन्ता के विरूद्ध अनिस्तारित 2.81 लाख रूपये की वसूली भी प्रारम्भ नहीं की गयी है (मार्च 1989)।

(च) अक्टूबर 1976 से मार्च 1979 के दौरान विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी के एक अवर अभियन्ता ने 33 के.वी. पैटलाट लाइन के लिये जिसका न तो निर्माण हुआ था और न कार्य स्थल पर सामग्रियां (0.40 लाख रूपये) उपलब्ध थीं, 2.09 लाख रूपये मूल्य

की सामग्रियाँ निर्गत कीं और निर्माताओं (फेब्रिकेटर्स) को आवश्यकता से अधिक सामग्री निर्गत की (1.69 लाख रूपये)। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल हल्द्वानी ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संचालन हेतु आलेख्य आरोप पत्र के साथ मामला मुख्य अभियन्ता (एच) को प्रस्तुत किया। मुख्य अभियन्ता (एच) ने कुछ स्पष्टीकरणों हेतु उसे जनवरी 1984 में वापस कर दिया, जो मुख्य अभियन्ता (एच) द्वारा अक्टूबर 1985 और मई 1988 के मध्य निर्गत 15 अनुस्मारकों के बावजूद अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 1989)। इस प्रकार 7 वर्ष से अधिक पूर्व देखी गयी कमियों के लिये, न तो विभागीय कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयीं और न वसूली ही आरम्भ की गयी (1989)।

मुख्य अभियन्ता (एच) ने अक्टूबर 1988 में बताया कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है एवं विलम्ब हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

(छ) विद्युत भण्डार और केन्द्र आजमगढ़ के एक भण्डारी ने 0.91 लाख रूपये मूल्य के 3241 किलोग्राम ताँबे की छीजन की चोरी के सम्बन्ध में अप्रैल 1983 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस अधिकारियों ने अप्रैल 1984 में बताया कि जाँच के दौरान स्थल के निरीक्षण और गवाहों के बयानों से चोरी की घटना साबित नहीं हुयी तथा विभाग को कमी के लिये भण्डारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सलाह दी। पुलिस से अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति डेढ़ वर्ष पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संचालन हेतु

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार वृत्त लखनऊ द्वारा अक्टूबर 1985 में एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया, जब कि भण्डारी मई 1989 में सेवा निवृत्त हो गया, जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था तथा वसूली नहीं की गयी थी (जुलाई 1989)।

3.4 सतर्कता प्रकोष्ठ (सेल)

3.4.1 परिषद् ने जुलाई 1970 में परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के एक अधिकारी के सर्वोपरि नियंत्रण के अधीन एक सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना की। प्रकोष्ठ में दो प्रशाखायें हैं जिन्हें प्रवर्तन (इन्फोर्स मेण्ट) तथा सतर्कता के कार्य सौंपे गये हैं और पुलिस अधीक्षक की श्रेणी का एक अधिकारी प्रत्येक का प्रधान होता है। प्राथमिक जाँच और साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रकोष्ठ को सीधे सन्दर्भित मामलों की जाँच पड़ताल के दौरान आरोपों के प्रथम दृष्टि से प्रमाणित हो जाने के बाद जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है, प्रकोष्ठ की सतर्कता प्रशाखा को जनता तथा विभागीय अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों की छान बीन का काम सौंपा जाता है। सतर्कता को सन्दर्भित अधिकांश मामले कमियों तथा हानियों तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित होते हैं। परिषद् ने 1983 तक आदेशित जाँचों के विवरण तथा उनकी जाँच रिपोर्टों की प्राप्ति की स्थिति दर्शित करने वाले अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया।

निम्नांकित तालिका वर्ष 198 से 1987 के दौरान प्रकोष्ठ से सन्दर्भित मामलों तथा प्राप्त जाँच रिपोर्टों के विवरण सूचित करती है:

	1984	1985	1986	1987
मुख्यालय पर वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	261	647	349	251
सतर्कता जाँच के लिये आदेशित मामलों की संख्या	12	26	41	18
मामलों की संख्या जिनमें अन्तिम जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गये	2	7	16	21
मामलों की संख्या जहाँ वर्ष के दौरान जाँचे वापस ली गयीं	-	1	-	2
वर्ष के अन्त में अनिस्तारित मामलों की कुल संख्या	10	28	53	48

31 मार्च 1988 को सतर्कता के पास लम्बित जाँचों में 2 वर्ष से अधिक की अवधि से अनिस्तारित 21 मामले सम्मिलित थे। अगस्त 1989 में जैसा कि सतर्कता प्रकोश्ठ द्वारा सूचित किया गया जाँचों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के मुख्य कारण ये थे:

(1) जाँच अधिकारियों की कमी, क्योंकि 19 निरीक्षकों की आवश्यकता के समक्ष केवल आठ निरीक्षक नियुक्त किये गये थे।

(2) उपाधीक्षकों को प्रवर्तन तथा सतर्कता के दोहरे कार्यों के सौंपे जाने के कारण जाँच अधिकारियों के कार्य संचालन पर उचित पर्यवेक्षण की कमी।

(3) शासन द्वारा निरन्तर सौंपी प्राथमिकता की जाँचों के लेने के लिये कक्ष के अन्तर्गत अलग खण्ड के अभाव में जैसा कि प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया (जनवरी 1987)। परिषद् द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी (अगस्त 1989)।

3.4.2 1987-88 तक चार वर्षों के दौरान 20 मामलों में से जिनमें अपने प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सतर्कता प्रकोष्ठ ने विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी, लेखा परीक्षा में 17 मामलों की जाँच परीक्षा की गयी, जिससे प्रकट हुआ कि 5 मामले दण्ड आरोपित करने के बाद परिषद् द्वारा बन्द किये जा चुके थे तथा 12 मामले लम्बित थे। जाँच रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा की जानी वाली अपेक्षित उचित अनुवर्ती कार्यवाही में कमी देखी गयी, जिसके उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(1) सहारनपुर के एक उच्च शक्ति उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की चोरी के सम्बन्ध में जून 1985 में एक संवाददाता द्वारा भारत सरकार को की गयी शिकायत के फलस्वरूप परिषद् के मुख्यालय के अधिकारियों ने उपभोक्ता के अधिष्ठान का जून 1985 में निरीक्षण किया और मीटरों के हस्तक्षेप को रोकने के लिये मीटर से सम्बन्धित उपकरणों पर कागज की सील लगा दी, जब खण्ड एक विशिष्ट अधिशाषी अभियन्ता के अधीन था तो नवम्बर 1984 से फरवरी 1985 तक औसत उपभोग 14.25 लाख रूपये प्रति माह था। मार्च 1985 में एक अन्य अधिशाषी अभियन्ता ने कार्य ग्रहण किया और जून 1985 तक औसत मासिक उपभोग 10.90 लाख रूपये प्रतिमाह हो गया, जून 1985 में परिषद् अधिकारियों द्वारा कागज की सील

लगा देने के पश्चात् उपभोग बढ़कर 22.60 लाख रूपये प्रति मास हो गया ।

सतर्कता जाँच सितम्बर 1985 में स्वीकृत की गयी। सतर्कता प्रकोष्ठ ने नवम्बर 1985 के अपने निष्कर्षों में बताया कि तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध कम उपभोग दर्ज करने का आरोप प्रमाणित है बशर्ते उसके स्थानान्तरण के पश्चात् उपभोग में उत्तरवर्ती वृद्धि हेतु कोई तकनीकी कारण न हो तथा विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की। तदनुसार परिषाद् ने मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता मेरठ को जून 1987 में विस्तृत जाँच सम्पन्न करने तथा अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिये निदेशित किया जो अब तक प्राप्त नहीं हुयी हैं (मार्च 1989) ।

(2) जाली प्रलेखों पर नियुक्ति

परिषाद् में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में 1984 की प्रेस रिपोर्ट के आधार पर, परिषाद् ने जुलाई 1985 में अर्थात् एक वर्ष पश्चात् मामला सतर्कता प्रकोष्ठ को सन्दर्भित किया। कार्य विधि यह थी कि जाली स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये तथा व्यक्तियों ने दूसरे खण्डों में कार्य ग्रहण कर लिया। ऐसे जाली स्थानान्तरण आदेशों पर कार्यरत 12 कर्मचारियों के सम्बन्ध में सतर्कता कोष्ठ ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1986 में प्रस्तुत की। खण्डवार स्थिति संक्षेप में नीचे दी जाती है:

खण्ड का नाम	जाली स्थानान्तरण आदेशों पर व्यक्तियों की संख्या	कार्यरत अवधि	कर्मचारियों के विवरण वेतन तथा भत्तों की भुगतानित धनराशि (लाख रूपयों में)
1	2	3	4
विद्युत जांच खण्ड गोण्डा	4	फरवरी 1982 से जून 1984 तक	0.79

1	2	3	4
विद्युत वितरण खण्ड बस्ती	5	जून 1979 से अगस्त 1984 तक	आकलित नहीं की गई
विद्युत वितरण खण्ड बहराइच	2	सितम्बर 1981 से जुलाई 1984 तक	0.36
विद्युत वितरण खण्ड फैज़ाबाद	1	अगस्त 1982 से जनवरी 1984 तक	0.11

सतर्कता ने निम्नांकित को खण्डों द्वारा मामलों के पता लगाने में असामान्य विलम्ब का कारण बताया:

(अ) मुख्य अभियन्ता (एच) के फरवरी 1969 के आदेशों की अवहेलना में सम्बन्धित खण्डों से अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र तथा सेवा पुस्तिकायें यथासमय मंगाने में कर्मचारियों की उपेक्षा ।

(ब) सम्बन्धित खण्डों को पदधारियों के कार्य ग्रहण करने की तिथि सूचित न करना और

(स) प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जाली स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त कार्यग्रहण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने में असफलता।

सतर्कता के 9 अधिकारियों एवं 22 कर्मचारियों को परिषद् को पहुंचायी गयी हानि के लिये उत्तरदायी ठहराया तथा विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की। अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु मामला (सितम्बर 1986) में

मुख्य अभियन्ता (जाँच) को सन्दर्भित किया गया जब कि अभी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी शेष थी, उत्तरदायी ठहराये गये तीन अधिकारी पहले ही मार्च 1989 तक सेवा निवृत्त हो चुके थे।

(3) ओबरा तापीय (थर्मल) बिजली घर के जल उपचार संयंत्र एवं कोयला संचालन वृत्त में नियुक्त एक सहायक अभियन्ता के विरूद्ध कर्मचारियों के एक संघ द्वारा नवम्बर 1983 की एक शिकायत में लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों में मार्च 1984 में सतर्कता जाँच निदेशित किया। सतर्कता ने मार्च 1987 के अपने प्रतिवेदन में सहायक अभियन्ता को अपनी पत्नी के व्यापारिक हित को जो उसी वृत्त में अन्य बातों के साथ साथ निष्पादन मरम्मत तथा रखरखाव कार्य करने वाली एक फर्म में हिस्सेदार थी, सूचित न करने में दुराचरण का दोषी ठहराया तथा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की।

कुल 0.15 लाख रूपये के तीन कार्यादेशों के विरूद्ध जनवरी–जून 1981 के दौरान प्रश्नगत फर्म को दिये गये भण्डारण टंकियों में रबर लाइनिंग के मरम्मत कार्य में दोषयुक्त गुणत्व के सम्बन्ध में एक अन्य आरोप के सम्बन्ध में मरम्मत की गयी टंकियों से जून 1982 से 2 लाख रूपये के तेजाब के रिसाव के लिये अंकित कारणों के अभाव में आरोप प्रमाणित नहीं किया जा सका। सतर्कता ने क्षतिग्रस्त भण्डार टंकियों के निरीक्षण से किये गये कार्य का गुणत्व निर्धारित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की जो (गुणत्व निर्धारण परियोजना के) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिसाव के समय ही

निर्धारित किया जाना चाहिये था । अपनी पत्नी के हित प्रकट न करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी को चेतावनी निर्गत करने के बाद किन्तु हानि के मामले में उत्तरदायित्व नियत करने हेतु विभागीय जाँच न करने के लिये परियोजना अधिकारियों से कारण सुनिश्चित किये बिना परिषद् ने मामले को मई 1988 में बन्द कर दिया ।

(4) सरकार ने ऊर्जा की चोरी में आठ लघु शक्ति उपभोक्ताओं के साथ सांठ-गांठ हेतु विद्युत वितरण खण्ड-III, गोरखपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मई 1986 में सतर्कता जाँच स्वीकृत की। नवम्बर 1986 में सतर्कता ने रिपोर्ट दी कि पिछली घटनाओं के प्रमाणों के अभाव में सील तोड़कर मीटर रीडिंग को पीछे करने का आरोप प्रमाणित नहीं किया जा सका। किन्तु सतर्कता द्वारा न तो विद्युत की आपूर्ति के घण्टों की तुलना में उपभोग की प्रवृष्टि का विश्लेषण किया गया और न जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद परिषद् द्वारा ही मांगा गया ताकि परिषद् द्वारा न्यायसंगत निवारक कार्यवाही के अर्थात् उच्चतर अधिकारियों की उपस्थित में मीटरिंग उपकरणों की चेक मीटर सीलिंग के संस्थापन, इत्यादि द्वारा प्रथम दृष्टि में ऊर्जा की चोरी का मामला निर्धारित किया जाये। 1985 के दौरान 8 माह तक निरन्तर एक उपभोक्ता की मीटर रीडिंग न लेने के संस्तुति पर विभागीय कार्यवाही चालू है। सतर्कता द्वारा प्रस्तुत एक सहायक अभियन्ता तथा चार अवर अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति में थी (मार्च 1989)।

(5) परिषद् ने अगस्त 1984 में हरदुआगंज तापीय बिजली घर के कर्मचारियों के विरूद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रकृति के अनेक

आरोपों की सतर्कता जाँच स्वीकृति की। नवम्बर 1985 में सतर्कता ने अपने प्रतिवेदन में माना कि प्रशासनिक प्रकृति के दो आरोप प्रमाणित नहीं हुये। जब कि कर्मचारियों के परिवारिक सदस्यों द्वारा संचालित फर्मों को परियोजना के ठेके प्रदान करने से सम्बन्धित एक अन्य आरोप प्रमाणित पाया गया। ऐसी फर्मों को दिये गये लाभ की सीमा सुनिश्चित करने की दृष्टि से मामले की आगे जाँच करने के बजाय सतर्कता ने इस प्रयोजन हेतु परिषद् को और अनुसंधान करने की आवश्यकता पर विचार करने की संस्तुति की। परिषद् के मुख्यालय ने भी मामले में आगे अनुसन्धान करने की वांछनीयता पर निर्णय करने के बजाय दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मामले को सितम्बर 1987 में परियोजना के महाप्रबन्धक को अग्रसारित कर दिया। परिषद् को हुई हानि की सीमा सूचित करने वाली तथा इसके लिये उत्तरदायी ब्यक्तियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (मार्च 1989)।

(6) शासन ने जनवरी 1986 में गोरखपुर में नियुक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिसम्बर 1985 की शिकायत में 15 दिन के अन्दर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ सतर्कता जाँच की स्वीकृति दी।

सतर्कता ने एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद मार्च 1987 में अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ताओं को विद्युत की नियमित आपूर्ति और सही बिलों का निर्गम सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्तुति की। घटिया सिविल निर्माण कार्यों के भुगतान में वित्तीय अनियमितताओं तथा 6 गावों के विद्युतीकरण हेतु

एक अवर अभियन्ता द्वारा निर्गत भण्डारों के अनुपयोग के सम्बन्ध में सतर्कता ने परिषद् द्वारा उठायी गयी हानि की सीमा निर्धारित करने हेतु तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा आगे जाँच करने की संस्तुति की। आरोपों की तकनीकी जाँच हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ किये बिना परिषद् ने मामले की जाँच करने और अपनी ओर से कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट को अगस्त 1987 में मुख्य अभियन्ता (वितरण) को अग्रसारित कर दिया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक (मार्च 1989) प्राप्त नहीं हुयी।

उपर्युक्त मामले परिषद् तथा सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 1990)।

अध्याय – 4

सरकार कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय

खण्ड 4क. सरकारी कम्पनियाँ

खण्ड 4ख सांविधिक निगम

4ख.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

4ख.2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

अध्याय – 4

विविध रोचक विषय

खण्ड 4क

सरकारी कम्पनियाँ

4क.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

अनियमित निवेश के कारण हानि

फरवरी 1979 में कम्पनी ने दिल्ली की हिन्दुस्तान थर्मो प्रिन्ट्स को साहिबाबाद (जिला गाजियाबाद) में थर्मो प्रिन्ट्स पेपर निर्मित करने हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिये 13 लाख रूपये की "इक्विटी पार्टीसिपेशन असिस्टेन्स" स्वीकृत की। कम्पनी ने पूरी धनराशि मार्च 1981 में भुगतान कर दी और तृतीय पार्टी की गारण्टी प्राप्त करने तथा प्रवर्तकों द्वारा सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में धारित समतुल्य मूल्य के शेयरों को कम्पनी के पास बन्धक रखने की शर्तों में ढील देकर प्रत्येक 10 रूपये के 1,30,000 शेयर प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने मई 1988 तक सम्पूर्ण सहभागिता को वापस क्रय करने का अप्रैल 1981 में एक अनुबन्ध किया। अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी को फर्म के बोर्ड के दो निदेशकों को नामित करने का अधिकार प्राप्त था और वह संवीक्षकों की नियुक्ति भी कर सकती थी ।

लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण के दौरान (जुलाई 1986) यह देखा गया कि जिस इकाई द्वारा दिसम्बर 1981 में

उत्पादन प्रारम्भ करना अनुमानित किया जाता था वह चालू नहीं की गयी थी और प्रवर्तकों ने सितम्बर 1983 में परियोजना कर परित्याग कर दिया। तत्पश्चात् फर्म 1986 में समाप्त कर दी गयी ।

कम्पनी ने दिसम्बर 1982 मे अपने एक अधिकारी को फर्म का निदेशक नामित किया। यद्यपि नामित निदेशक ने फर्म के बोर्ड की बैठक के लिये नोटिसें तथा कार्यसूची प्राप्त नहीं की और यह तथ्य कि प्रवर्तक तथा दूसरे निदेशकों ने त्याग पत्र दे दिया था कम्पनी को सितम्बर 1983 में ज्ञात हो गया था फिर भी मई 1986 तक देय राशियों की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जब प्रवर्तकों को पुनः क्रय की सूचना भेजी गयी जिसने शेयरों को पुनः क्रय करने से इन्कार कर दिया क्योंकि ये तब तक संक्राम्य करणपन (निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेण्ट्स) नहीं रह गये थे क्योंकि फर्म का परिसमापन पहले ही हो चुका था ।

उत्तर प्रदेश लोक निधि (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार देयों की वसूली हेतु 24.09 लाख रूपये का वसूली प्रमाण पत्र मई 1981 से फरवरी 1988 तक 12.5 प्रतिशत की दर से 11.09 रूपये के प्रीमियम सहित भी मार्च 1988 में जारी किया गया था लेकिन कोई वसूली नहीं की जा सकी। आखिर कार कम्पनी ने निवेश की सम्पूर्ण धनराशि को मार्च 1988 में बट्टे खाते में डाल दिया ।

इस प्रकार, परियोजना के दोषपूर्ण स्वीकृति, पूर्व मूल्यांकन, विशेषतया जब कि उत्पादन को अपनी किस्म का पहला

होना बताया गया था, निवेश की जमानत से सम्बन्धित प्रावधानों के अभित्याग, स्वीकृति के बाद मानीटरिंग के अभाव तथा देयों की वसूली के लिये कार्यवाही करने में विलम्ब के फलस्वरूप 13 लाख रूपये की हानि हुयी।

मामला शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1989)।

4क.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4क.2.1 मशीनों के अधिग्रहण की कार्यवाही में विलम्ब के फलस्वरूप ऋण की सन्दिग्ध वसूली

जून 1973 में कम्पनी ने उन्नाव की सुप्रीम रिफ्रैक्टरीज के मालिकों को गलनरोधी पदार्थों (रिफ्रैक्टरीज) के उत्पादन हेतु एक फैक्टरी स्थापित करने के लिये 5.60 लाख रूपये का किराया क्रय ऋण स्वीकृत किया। तदनुसार फरवरी – जुलाई और सितम्बर 1974 में आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद फरवरी 1974 से सितम्बर 1974 के दौरान इकाई को 5.42 लाख रूपये (किराया क्रय मूल्य 6.74 लाख रूपये) मूल्य की 17 मशीनों की आपूर्ति की गयी। किराया क्रय ऋण का पुनर्भुगतान फरवरी 1975 से प्रारम्भ करके नौ अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जाना था। किराया क्रेता के साथ 1974 में निष्पादित अनुबन्ध में किराया क्रेता के द्वारा आपूर्ति मशीनों के मूल्य के समक्ष या तो बैंक गारण्टी या समान प्रतिभूति हेतु प्रावधान के लिये कोई उपलब्ध नहीं था ताकि कम्पनी मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में पार्टी की विफलता की स्थिति में ऐसी बैंक गारण्टी अथवा प्रतिभूति भुना सके।

कम्पनी के किराया क्रय निरीक्षक द्वारा मई - अगस्त तथा अक्टूबर 1974 में इकाई के लेखा परीक्षण के दौरान न तो फैक्टरी का भवन निर्मित पाया गया और न मशीनें संस्थापित पायी गयीं। इकाई ने फरवरी 1975 में देय प्रथम किस्त का भुगतान भी नहीं किया किन्तु केवल 7500 रूपये मार्च 1977 में जमा किये। अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार मशीनों का अधिग्रहण करने के बजाय, कम्पनी ने मई 1979 में 6.74 लाख रूपये का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। फरवरी 1982 में 12.12 लाख रूपये (अद्यतन ब्याज शामिल करते हुये) था, वसूली प्रमाण पत्र पुनः जारी किया गया लेकिन इसका भी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। यद्यपि उन्नाव - कानपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, कम्पनी के खण्डीय प्रबन्धक ने अक्टूबर 1974 में आखिरी निरीक्षण के आठ वर्ष बाद मार्च 1982 में इकाई का निरीक्षण किया और पाया कि फैक्टरी गत 2 वर्षों से बन्द पड़ी हुयी थी तथा मशीनो की हालत बड़ी खराब थी। मालिकों का भी कोई अता-पता नहीं था। अभी तक सम्पत्ति को अधिग्रहण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्षेत्र के नायब तहसीलदार की उपस्थिति में अप्रैल 1983 में पुनः निरीक्षण किया गया और 8 मशीनें गायब पायी गयीं। 7 दिसम्बर 1984 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी और 14.40 लाख रूपये का संशोधित वसूली प्रमाण पत्र भी सितम्बर 1985 में जिला अधिकारी उन्नाव तथा बरेली को जारी किया गया किन्तु वह उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा सितम्बर 1985 में इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया

कि इकाई को नीलाम करने की कार्यवाही पहले ही 26 बार की जा चुकी थी लेकिन कोई बोली लगाने वाला नहीं आया और अत: देयों की वसूली सम्भव नहीं थी। जिला मैजिस्ट्रेट को निर्गत 12.27 लाख रूपये (देयों की अद्यतन स्थिति) का वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को जून 1988 में पुन: जारी किया गया जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ (अगस्त 1988)।

इस प्रकार इकाई की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने में विलम्ब, इकाई का विलम्बित निरीक्षण और अनुबन्ध में ऋणी द्वारा बैंक गारण्टी हेतु एक उपवाक्य न सम्मिलित किये जाने के कारण कम्पनी को 12.27 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1988) कि देयों की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन को मामला जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1989)।

4क.2.2 धागे का अनियमित निर्गम

लकम्पनी कालीन निर्माताओं / लघु उद्योग इकाइयों को अपने भदोही डिपो (जिला वाराणसी) से ऊनी कालीन धागे की आपूर्ति उधार आधार पर करती है। उधार की अधिकतम अवधि 90 दिन है और 90 दिनों के बाद की अवधि हेतु बैंक दरों पर ब्याज प्रभारित किया जाता है। उधार पर धागे का निर्गम इकाइयों के पक्ष में स्वीकृत उधार सीमा से अधिक नहीं होना था।

जून 1987 में लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने औराई की एक इकाई को 7 सितम्बर 1983 को 1.40 लाख रूपये की उधार सीमा स्वीकृत की थी और मात्र एक वर्ष के लिये अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। किन्तु कम्पनी की भदोही इकाई ने 26 जुलाई 1983 से 5 दिसम्बर 1983 की अवधि के दौरान अर्थात उधार सीमा की स्वीकृति के पूर्व ही 0.86 लाख रूपये मूल्य के धागे निर्गत कर दिये। और भी, 1.40 लाख रूपये की स्वीकृति उधार सीमा को ध्यान में रखे बिना दिसम्बर 1983 से जनवरी 1985 के दौरान 5.98 लाख रूपये मूल्य का धागा भी उधार पर निर्गत कर दिया गया। कम्पनी के देयों का भुगतान करने में इकाई की असफलता पर उत्तर प्रदेश लोक निधि (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत ब्याज सहित 9.86 लाख रूपये का वसूली प्रमाण पत्र अप्रैल 1987 में जारी किया गया। अभी तक कोई धनराशि वसूल नहीं हो पायी (नवम्बर 1988)। इस प्रकार निर्धारित उधार सीमा से अधिक धागे के अनियमित निर्गत के कारण कम्पनी को 6.84 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी जिसके लिये अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (अप्रैल 1989)।

मामला कम्पनी को जून 1988 में तथा शासन को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4 क.2.3 कैश क्रेडिट खाते में चेक जमा करने में विलम्ब के कारण परिहार्य ब्याज देयता

लघु उद्योग विकास निधि की बाजार सहायता योजना के

अन्तर्गत कम्पनी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) कानपुर से 30 मार्च 1987 को 2 करोड़ रूपये का एक ऋण प्राप्त किया और इसे 31 मार्च 1987 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, कानपुर में अपने चालू खाते में जमा कर दिया। यह धनराशि बाद में 23 अप्रैल 1987 को भारतीय स्टेट बैंक, फजलगंज शाखा कानपुर में परिचालित कैश क्रेडिट खाते में अन्तरित कर दी गयी। धनराशि को चालू खाते में जमा करने के कारण अभिलेख पर दर्ज नहीं पाये गये। यदि उक्त धनराशि प्रारम्भ में ही कैश क्रेडिट खाते में जमा की गयी होती तो 2 करोड़ रूपये पर 23 दिनों के लिये 16.75 प्रतिशत की दर से ब्याज देयता की सम्भूति का परिहार किया जा सकता था ।

मामला कम्पनी को अगस्त 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 को प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्त प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4क.3 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

शण्ट कैपासिटरों के अधिष्ठापन में विलम्ब के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

एक नवम्बर 1982 से लागू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की प्रशुल्क सूची (टैरिफ) के अनुसार 75 किलोवाट से अधिक संविदागत भार वाले प्रत्येक उपभोक्ता से अपेक्षित है कि वह 0.85 लैगिंग पावर पर विद्युत कारक के अनुरक्षण हेतु शण्ट कैपासिटर अधिष्ठापित करें । यदि कैपासिटर अधिष्ठापित नहीं किया

गया और विद्युत कारक किसी माह में 0.85 लैंगिंग से नीचे आता है तो 0.80 तक विद्युत कारक में प्रत्येक 0.01 गिरावट के लिये बिल की धनराशि के एक प्रतिशत तथा 0.80 से नीचे प्रत्येक 0.01 की गिरावट के लिये 2 प्रतिशत की दर से परिषद् को अधिभार देय होगा।

कम्पनी को घुंघली चीनी मिल, घुघली (गोरखपुर) ने जिसके पास 200 किलोवाट का संवदिागत भार था और जो दिसम्बर 1987 में बढ़ाकर 529.42 के.वी.ए. कर दिया गया था, जुलाई 1988 तक शण्ट कैपासिटर अधिष्ठापित नहीं किये जब 0.42 लाख रूपये मूल्य के 11 शण्ट कैपासिटर खरीदे गये और अगस्त 1988 में अधिष्ठापित किये गये। इस लिये इकाई को निम्न विद्युत कारक के कारण जो दिसम्बर 1984 से मई 1988 की अवधि में 0.43 और 0.76 के मध्य था, बोर्ड को 4.40 लाख रूपये के अधिभार का भुगतान करना पड़ा ।

इकाई के प्रबन्धकों नेबताया (जून 1988) कि मार्च 1986 में चार कैपासिटर खरीदे गये थें परन्तु जब नवम्बर में संस्थापित किये गये तो वे दोषापूर्ण पाये गये (दोषपूर्ण कैपासिटरों के लिये भुगतान नहीं किया गया)।

मामला कम्पनी को अगस्त 1988 में तथा शासन को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जून 1989) ।

४क.४ उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

भूमि अधिग्रहण से पूर्व कार्यालय की स्थापना पर निष्फल व्यय

विश्व बैंक अन्तर्देशीय मीन उद्योग परियोजना (वर्ल्ड बैंक इन्लैण्ड फिशरीज प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कम्पनी ने 1982 में पिपराइच (गोरखपुर) में एक हैचरी बनाने का निर्णय लिया और 37.50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला प्राधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किया। 6.38 लाख रूपये के मुआवजा की सम्पूर्ण धनराशि कम्पनी द्वारा जिला प्राधिकारियों के पास अप्रैल 1984 में जमा कर दी गयी। यद्यपि भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत आती थी, मामला विवाद ग्रस्त था तथा निर्धारित प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन था। कम्पनी के निवेदन पर मुआवजे की धनराशि में 0.28 लाख रूपये व्यय के प्रति काटने के बाद जनवरी 1986 में वापस कर दी गयी। इसी बीच कम्पनी ने हैचरी की स्थापना के लिये एक परियोजना अभियन्ता एवं छः अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ प्रारम्भिक जाँच पड़ताल तथा अपेक्षित कदम उठाने के लिये 1983 में गोरखपुर में एक कार्यालय स्थापित किया और 1983-84 से 1985-86 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 2.75 लाख रूपयों का व्यय किया ।

निदेशक मण्डल ने अगस्त 1986 में गोरखपुर कार्यालय को बन्द करने का निर्णय लिया और निदेशित किया कि भविष्य में भूमि अधिग्रहण के पूर्व इस प्रकार के प्रशासनिक व्यय न किये जाने चाहिये। इस प्रकार कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण के पूर्व

कार्यालय की स्थापना पर 2.75 लाख रूपये का परिहार्य व्यय वहन किया ।

मामला प्रबन्धकों को मई 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4क.5 उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड

4क.5.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

1986-87 की आवश्यकता हेतु विभिन्न श्रेणियों के ज्वलनशील पदार्थों की खरीद के लिये एक अल्पावधि सूचना के उत्तर में, चार पार्टियों ने मार्च 1986 में अपन दरें उद्धत कीं। रायपुर की नवभारत एक्सप्लोसिब्स कम्पनी द्वारा निवेदित निम्नतम दरें इस आधार पर स्वीकार नहीं की गयी कि गत समय में पार्टी द्वारा आपूर्तित 25 मिमी ज्वलनशील पदार्थों का कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नहीं पाया गया था, यद्यपि दूसरी कोटि के ज्वलनशील पदार्थों का गुणत्व अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पदार्थों की तरह अच्छा था। तदनुसार, दिल्ली की इण्डो गल्फ एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड - द्वितीय निम्नतम को 25 मिमी कोटि से अन्य श्रेणियों के ज्वलनशील पदार्थों की 48 टन (80.525 मिली : 3 टन, 83 मिमी : 13 टन तथा 126 मिमी: 32 टन) आपूर्ति हेतु मई से अक्टूबर 1986 के दौरान आदेश दिये गये ।

यद्यपि फर्म ने अपने कोटेशन में यह आश्वासन दिया था कि उनके ज्वलनशील पदार्थों की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी थी

तथा वे अपेक्षाकृत किफायती थे, दिल्ली की फर्म द्वारा आपूर्तित ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किफायती नहीं पाया गया और अतएव शेष आवश्यकता के लिये फर्म को आगे आदेश नहीं दिये गये। क्रय समिति ने, इसलिये जनवरी 1987 में जनवरी - मार्च 1987 की आवश्यकता के समक्ष रायपुर फर्म से 17 टन ज्वलनशील पदार्थों (125 मिमी : 12 टन और 83 मिमी : 5 टन) के क्रय करने का निर्णय लिया और तदनुसार 2.11 लाख रूपये (कर तथा भाड़ा सहित) मूल्य के 17 टन ज्वलनशील पदार्थों की आपूर्ति हेतु जनवरी 1987 में आदेश दिया जिनकी आपूर्ति फर्म द्वारा जनवरी / फरवरी 1987 में की गयी ।

रायपुर की फर्म को 25 मिमी से अन्य श्रेणियों के ज्वलनशील पदार्थों के लिये, विशेषतया जब उनके द्वारा आपूर्तित इन श्रेणियों के ज्वलनशील पदार्थों की गुणवत्ता दूसरे आपूर्तिकर्ताओं की तरह ही अच्छी थी, रायपुर फर्म को आदेश न दिये जाने का औचित्य न तो अभिलेख में दर्ज पाया गया और न सूचित ही किया गया। यदि ज्वलनशील पदार्थों का क्रय प्रारम्भ में ही रायपुर की फर्म से किया गया होता तो कम्पनी 48 टन ज्वलनशील पदार्थों की खरीद पर 1.24 लाख रूपये की बचत कर सकती थी ।

मामला कम्पनी को जून 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989) ।

4क.5.2 अधिक वापसी

फरवरी 1977 से सितम्बर 1988 की अवधि में कम्पनी के पास बिहारी ब्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगंज, नेपाल ने सीमण्ट नियन्त्रक, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्राधिभार पत्र के समक्ष सीमेण्ट की आपूर्ति हेतु कम्पनी के पास 13.05 लाख रूपये अग्रिम के रूप में जमा किये। कम्पनी ने मार्च 1977 से सितम्बर 1988 की अवधि में 10.24 लाख रूपये मूल्य की 2857.95 टन सीमेण्ट की आपूर्ति की और 2.81 लाख रूपये की शेष धनराशि के समक्ष 3.81 लाख रूपये नवम्बर 1977 और अक्टूबर 1979 में वापस कर दिये। इससे फर्म को एक लाख रूपये की अधिक वापसी हो गयी। चूँकि कम्पनी के अभिलेख में अंकित पते पर फर्म का पता नहीं चल सका, अतः अधिक भुगतान की वापसी नहीं ली जा सकी।

प्रबन्धकों ने अधिक भुगतान का कारण उक्त अवधि के दौरान इकाई स्तर पर उपभोक्ताओं के लेजर का रख रखाव न किया जाना बताया और यह बताया कि वापसियाँ बिक्री बिभाग की सलाह पर की गयी थी। फिर भी, जून 1988 में विस्तार से जाँच करने तथा एक पखवारे के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति निर्मित की गयी। किन्तु रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुयी (अगस्त 1988)।

मामला कम्पनी को जून 1988 में तथा शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4क.6 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

ब्याज की हानि

कम्पनी ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, लखनऊ में मार्च 1975 में एक चालू खाता तथा अप्रैल 1976 में एक बचत बैंक खाता खोला। बचत बैंक खाता खोलने के बाद चालू खाता परिचालित नहीं किया गया ।

अक्टूबर 1987 में लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी की एक इकाई द्वारा चार लाख रूपये की धनराशि हस्तान्तरित की गयी जो बैंक द्वारा 30 मार्च 1983 को चालू खाते मे जमा कर दी गयी। 5 सितम्बर 1983 को कम्पनी ने 4,01,260 रूपये (उक्त दिनांक को चालू खाते की बकाया धनराशि) अपने बचत बैंक खाते में हस्तान्तरित करने के लिये अनुरोध किया जो बैंक द्वारा केवल 12 अगस्त 1987 को अर्थात लगभग चार वर्ष बीतने के पश्चात जमा किये गये। लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि कम्पनी ने फरवरी 1987 तक बैंक के साथ मामले का अनुसरण नहीं किया। कम्पनी ने अक्टूबर 1983 से जुलाई 1987 की अवधि के लिये 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से आंकलित 0.83 लाख रूपये के ब्याज की हानि उठायी। प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1987) कि मामले को बैंक के साथ उठाया गया है। फिर भी ब्याज की धनराशि अभी तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गयी है (जून 1989)।

मामला शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

अनुच्छे – 4ख

सांविधिक निगम

4ख.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

4ख.1.1 परिषाद के अभिलेखों के जाँच परीक्षण में राजस्व की अवसूली / कम वसूली के निम्नांकित मामले देखे गये:-

(क) शण्ट कैपासिटरों के अनधिष्ठापन हेतु अधिभार का न लगाया जाना

जुलाई 1984 में निर्गत परिषद् के आदेशानुसार राजकीय नलकूप (एस.टी.डब्ल्यू.) / पम्प नहर (पी.सी.) तथा डाल सिंचाई (एल.आई.) उपभोक्ताओं से जिनके पास 5 वी.एच.पी. से अधिक भार था, अपेक्षित था कि वे अधिक से अधिक दिसम्बर 1984 तक (25 बी.एच.पी. से अधिभार) और जून 1985 तक (5 बी.एच.पी. से अधिभार) उपर्युक्त श्रेणियों के शण्ट कैपासिटर अधिष्ठापित करें जिसके न करने पर उसके बाद प्रत्येक मास ऊर्जा प्रभारों का 5 प्रतिशत अधिभार आरोपित किया जाना था। सात विद्युत वितरण खण्डों के लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि यद्यपि उपभोक्ताओं द्वारा शण्ट कैपासिटर नहीं लगाये गये थे, किन्तु कोई अधिभार निर्धारित नहीं किया गया, फलस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार 47.26 लाख रूपये के अधिभार का निर्धारण नहीं हुआ :

इकाई का नाम	अधिभार हेतु अवधि	उपभोक्ता की श्रेणी	अधिभार की धनराशि (लाख रूपयों में)
1	2	3	4
ई.डी.डी. II- वाराणसी	जनवरी 1986 से दिसम्बर 1988	एस.टी.डब्ल्यू.	13.29
ई.डी.डी. अल्मोड़ा	जनवरी 1985 से अप्रैल 1987	पी.सी.एल.आई.	0.95
ई.डी.डी. II- फैजाबाद	फरवरी 1986 से सितम्बर 1987	एस.टी.डब्ल्यू.	4.49
ई.डी.डी. II- इलाहाबाद	जुलाई 1985 से दिसम्बर 1988	एस.टी.डब्ल्यू.	4.90
ई.डी.डी. II- इलाहाबाद	जुलाई 1985 से सितम्बर 1988	एस.टी.डब्ल्यू.	13.74
ई.डी.डी. उरई	जनवरी 1987 से	एस.टी.डब्ल्यू.	9.89
			47.26

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ई.डी.डी. I तथा II इलाहाबाद ने 18.64 लाख रूपये के बिल तथा ई.डी.डी. उरई ने 9.89 लाख रूपये के बिल सृजित किये। ई.डी.डी. II वाराणसी के सम्बन्ध में खण्ड अधिकारी ने बताया (जनवरी 1989)

कि बिल जारी किये जा रहे हैं। सभी मामलों में वसूली की प्रतीक्षा थी (मार्च 1989)। दूसरे खण्डों से बिल सृजित करने से सम्बन्धित सूचना अपेक्षित थी (मार्च 1989)।

(ख) विलम्बित भुगतान के लिये अतिरिक्त प्रभार की वसूली न करना

बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं पर लागू दर अनुसूची के अनुसार बिल में अंकित नियत तिथि के बाद भुगतान न की गयी शेष धनराशियों पर भुगतान में चूक के प्रत्येक दिन के लिये सात पैसे प्रति सौ रूपये या उसके भाग पर वसूली योग्य है।

दो खण्डों के अभिलेखों के लेखा परीक्षण (जुलाई से सितम्बर 1987) में यह पाया गया कि नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार बिलों के भुगतान में चूक के कारण दो उपभोक्ताओं पर 40.69 लाख रूपये की धनराशि के अतिरिक्त प्रभार के बिल सृजित नहीं किये गये:

खण्ड	उपभोक्त का नाम	अवधि	अतिरिक्त प्रभार (लाख रूपों में)	बिल सृजित करने की तिथि
1	2	3	4	5
विद्युत वितरण खण्ड I मिर्जापुर	कजरहट चुनार सीमेंट	फरवरी 1987 से जुलाई 1987	3.06	फरवरी 1988
विद्युत वितरण खण्ड II वाराणसी	भूपौली पम्प नहर वाराणसी	अगस्त 1984 से जनवरी-1987	37.63	अगस्त 1987
			40.69	

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर बिल अगस्त 1987 (रूपये 37.63 लाख रूपये) तथा फरवरी 1988 (3.06 लाख रूपये) में सृजित किये गये। जब कि 3.06 लाख रूपये की वसूली अक्टूबर - दिसम्बर 1988 में की गयी थी, 37.63 लाख रूपये की अभी तक नहीं की गयी (अप्रैल 1989)।

(ग) सार्वजनिक लैम्प उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ऊर्जा प्रभारों तथा विद्युत शुल्क का कम धनराशि का बिल बनाना

सार्वजनिक लैम्प उपभोक्ताओं को लागू अगस्त 1986 से प्रभावी परिषद् की दर अनुसूची (एल.एम.वी.-3) में उन मामलों में जहाँ मीटर संस्थापित नहीं किये गये या चालू हालत में नहीं हैं 9 रूपये प्रति 40 वाट प्रकाश बिन्दु (समय पर भुगतान हेतु 60 पैसे प्रति मास की छूट के साथ और 500 वाट तक आनुपातिक रूप से स्थूल समान दर का प्रावधान था।

बिना मीटर की विद्युत आपूर्ति पर दिसम्बर 1986 तक 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 125 वाट और 250 वाट के प्रति प्रकाश बिन्दु पर क्रमशः 0.48 रूपये, 0.72 रूपये, 1.20 रूपये, 1.50 रूपये तथा 3.00 रूपये प्रतिमाह की दर से और जनवरी 1987 से सकल ऊर्जा प्रभारों के 10 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभार्य था।

3 खण्डों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण (जुलाई 1987 से अक्टूबर 1988) के दौरान यह देखा गया कि दर अनुसूची में निर्धारित दरों पर बिल सृजित नहीं किये गये परिणामस्वरूप

निम्न विवरण के अनुसार 20.30 लाख रूपये धनराशि के बिल सृजित किये गये:

खण्ड	अवधि	ऊर्जा प्रभार	कम बिल की गई विद्युत शुल्क की धनराशि	योग
		(लाखा	रूपयों	में)
1	2	3	4	5
विद्युत वितरण खण्ड III गाजियाबाद	अगस्त 1986 से दिसम्बर 1987	1.17	1.13	2.30
विद्युत वितरण खण्ड I मुरादाबाद	अगस्त 1986 से सितम्बर 1987	0.50	0.08	0.58
आगरा विद्युत प्रदाय उपक्रम	(1)अगस्त 1986 से मार्च 1987	14.44	1.19	15.63
	(2)अप्रैल 1987 से अक्टूबर 1988	-	1.79	1.79
	योग	**16.11**	**4.19**	**20.30**

अधिशाषी अभियन्ता, आगरा विद्युत प्रदाय उपक्रम ने निवम्बर 1988 में बताया कि आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के बाद बिल पुनरीक्षित किये जायेंगे। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मुरादाबाद ने सितम्बर 1988 में बताया कि संशोधित बिल फरवरी 1988 में निर्गत कर दिये गये थे लेकिन चूँकि

कुछ उपभोक्ताओं के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे अतः धनराशि वसूल नहीं की जा सकी ।

(घ) बिजली कटौती के उल्लंघन के कारण अर्थदण्ड के न लगाने के कारण हानि:

शासन ने सभी बड़े एवं भारी विद्युत उद्योग उपभोक्ताओं पर अगस्त 1978 से जुलाई 1979 तक बारह मासों के दौरान किसी माह में अंकित अधिकतम मांग या अनुबन्धित मांग जो कम हो उस पर 3 सितम्बर 1979 से 50 प्रतिशत की बिजली कटौती (बाद में बढ़ाकर 66.2/3 प्रतिशत की दी गयी) आरोपित किया। चूक की स्थिति में अनुज्ञेय माँग से अधिक अंकित माँग पर प्रथम उल्लंघन हेतु 100 रूपये प्रति के.वी.ए. प्रति माह, द्वितीय उल्लंघन हेतु 200 रूपये प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह तथा बाद के उल्लंघन हेतु 300 रूपये प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह का अर्थदण्ड आरोपणीय था। यद्यपि इलाहाबाद के एक भारी बिजली उपभोक्ता - इफको ने इन आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया, विद्युत वितरण खण्ड दो इलाहाबाद ने कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जो परिषद् की वाणिज्यिक प्रशाखा के अधीक्षण अभियन्ता (राजस्व) द्वारा मार्च 1980 में 13.05 लाख रूपये निर्धारित किया गया जिसमें खण्ड को उपभोक्ता के विरूद्ध बिल सृजित करने की सलाह दी।

जाँच परीक्षण के दौरान अप्रैल 1987 में यह देखा गया कि उपभोक्ता को बिल जारी नहीं किया गया था जिसके कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे । लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बिल जुलाई 1988 में अर्थात् 8 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद

जारी किया गया। यह बिल जुलाई 1988में उपभोक्ता द्वारा बिना भुगतान किये इस आधार पर वापस कर दिया गया कि बिजली कटौती की नोटिसें उन्हें तामील नहीं करायी गयी थी और बिल उस अवधि से सम्बन्धित था जिसका अनुबन्ध 30 सितम्बर 1980 को समाप्त हो गया था और यह सेवा भी स्थायी रूप से नियोजित कर दी गयी थी।

बिजली की कटौती की नोटिस जारी न करने और समय से बल सृजित न करने के फलस्वरूप 13.05 लाख रूपये की हानि हुयी जिसके लिये जिम्मेदारी नियत नहीं की गयी।

(ङ.) शुल्क दर सूची (टैरिफ) को गलत रूप से लागू करना

फरवरी 1986 से प्रभावी दर अनुसूची एच.वी.-2 के अन्तर्गत विश्व बैंक नलकूप उपभोक्ताओं के बिल जिनके पास अनुबन्धित भार 75 किलोवाट (100 वी.एच.पी./88 के.वी.ए.) से अधिक था बिल योग्य माँग का प्रति के.वी.ए. 60 रूपये और एक मास में उपयुक्त ऊर्जा का 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से सृजित किये जाने हैं।

अक्टूबर 1987 में विद्युत वितरण खण्ड । लखीमपुर के अभिलेखों के लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि अप्रैल 1987 से जुलाई 1987 की अवधि के दौरान एक विश्व बैंक नलकूप उपभोक्ता का बिल जिसका अनुबन्धित भार 806 के.वी.ए. (915.9 बी.एच.पी.) था, राज्य नलकूपों पर लागू दरों (78 रूपये बी.एच.पी. प्रतिमाह) पर गलत सृजित किया गया,

परिणामस्वरूप उक्त अवधि में 2.11 लाख रूपये का कम प्रभार हुआ ।

अक्टूबर 1987 में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपभोक्ता को फरवरी 1988 में 1.14 लाख रूपये के विलम्ब भुगतान अधिभार सहित 3.5 लाख रूपये का बकाया (एरियर) बिल जारी किया गया, जिसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(च) नये विद्युत संयोजनों का लेजरीकरण न करना

परिषद् के रेवेन्यू मैनुअल में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं के लेजरों में विभिन्न वर्गों के नये विद्युत संयोजनों की शीघ्र प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रकाश एवं पंखा उपभोक्ताओं के मामले में प्रत्येक 2 माह बाद तथा अन्य वर्गों के उपभोक्ताओं के मामले में मासिक शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड 2 शाहजहाँपुर अभिलेखों के लेखा परीक्षण (मई 1987, सितम्बर एवं नवम्बर 1988) से यह प्रकट हुआ कि 80 प्रकाश एवं पंखा उपभोक्ताओं और 22 लघु एवं मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1987 की अवधि के दौरान संयोजन दिये गये थे लेकिन इन्हें अगस्त 1988 (लेखा परीक्षण की तिथि) तक लेजर में अंकित नहीं किया गया था। इन उपभोक्ताओं को लेजरीकरण न करने के फलस्वरूप नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार अगस्त 1988 की अवधि के दौरान 1.19 लाख रूपये के न्यूनतम ऊर्जा प्रभारों की वसूली नहीं हुयी:

वर्ग	उपभोक्ताओं की संख्या	न्युनतम प्रभार की धन राशि जो बिल नहीं किये गये उर्जा प्रभार	मीटर किराया	योग
1	2	3	4	5
			(लाख रूपयों में)	
प्रकाश एवं पंखा	80	0.29	0.05	0.34
लघु एवं मध्यम विद्युत	22	1.55	0.02	1.57
			योग	1.91

(च) निर्गम दरों के गलत लागू करने के कारण सेवा संयोजन प्रभारों की कम वसूली

विद्युत वितरण वृत्त, देहरादून के अभिलेखों के लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि वर्ष 1979-80, 1981-82 एवं 1982-83 के दौरान 10 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में वृत्त द्वारा अनुमोदित जमा कार्यों के प्राक्कलनों में लाइन सामग्रियों हेतु प्रभारित निर्गम दरें उस अवधि के दौरान लागू वास्तविक भण्डार निर्गम दरों की अपेक्षा कम थी। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं से 1.20 लाख रूपये के सेवा संयोजन प्रभारों की कम वसूली हुयी। यद्यपि मामला लेखा परीक्षा द्वारा अक्टूबर 1980, सितम्बर 1981 और अक्टूबर 1984 और पुन: अगस्त 1987 में इंगित किया गया था लेकिन उपभोक्ताओं से धनराशि वसूल करने के लिये सितम्बर 1988 (लेखा परीक्षा की तिथि) तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अधीक्षण अभियन्ता ने सितम्बर 1988 में बताया कि बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद अधिशाषी अभियन्ता ने पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किये।

(छ) जल गये मीटरों की मरम्मत की लागत की वसूली न करना

विद्युत प्रदाय (उपभोक्ता) विनियमन 1984 के उपवाक्य 21(5) के अनुसार यदि मीटर उपभोक्ता के परिसर में जला पाया जाता है तो उपभोक्ता द्वारा इसकी लागत के जमा करने पर इसे प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। यदि परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण या निरीक्षण पर मीटर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो इसके मरम्मत की वास्तविक लागत प्रभारित की जायेगी और शेष उपभोक्त को वापस कर दी जायेगी।

वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग की लेखा परीक्षा के दौरान अगस्त 1987 में यह देखा गया कि जुलाई 1986 से जुन 1987 की अवधि में उपभोक्ताओं से मीटरों की लागत जमा कराये बिना 687 जल गये मीटर प्रतिस्थापित किये गये। और भी, परिषद ने उपभोक्ताओं से मरम्मत के प्रति वसूली 1.04 लाख रूपये की लागत वसूल करने की कार्यवाही नहीं की।

उपर्युक्त मामले मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता / परिषद को जून / जुलाई 1988 में तथा शासन को नवम्बर 1988 से फरवरी 1989 की अवधि में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4 ख.1.2 देशी उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण अनुपयोजित पड़ी हुयी मशीनरी

परिषद् की थर्मल डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग विंग (टी.डी.ई.) ने ओबरा परियोजना के परियोजना प्राक्कलनों में प्रावधान के समक्ष 100 टन की क्षमता वाले एक प्राइम मूवर (पुलिंग यूनिट) की खरीद के लिये स्कैमेल मोटर्स (ब्रिटिश लेलैण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, लन्दन) को फरवरी 1975 में एक आदेश भेजा। टी.डी.ई. ने उक्त पुलिंग यूनिट के लिये 100 टन ट्रेलर हेतु भी दूसरा आदेश जून 1975 में मद्रास की माउण्ट मैकेनिकल वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड को भेजा। 9.06 लाख रूपये मूल्य की आयातित पुलिंग यूनिट ओबरा में अक्टूबर 1975 में प्राप्त हुयी थी, जब कि दिसम्बर 1975 में परिदानित किये जाने के लिये नियत 10.55 लाख रूपये मूल्य का देशी ट्रेलर कहीं जाकर मई 1978 में प्राप्त हुआ। फिर भी उस समय तक ओबरा परियोजना चालू किये जाने की बढ़ी हुयी अवस्था में थी और अतएव मशीनरी ओबरा में प्रयोग नहीं की गयी। ट्रेलर के साथ पुलिंग की मांग की गयी थी और यह परिषद् की अनपारा परियोजना द्वारा नवम्बर 1979 में प्राप्त की गयी जहाँ भी उनका प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि रेल पथिका मार्च 1988 तक निर्माणाधीन थी और सिंगरौली रेल पथिका से अनपारा परियोजना कार्यस्थल तक इन उपस्करों की चढ़ाई-उतराई तथा परिवहन का कार्य मार्च 1981 में निर्माताओं को सौंपा गया। साढ़े छः वर्ष बाद जून 1986 में इन इकाइयों को परिषद् के ट्रान्समीशन (पूर्व) विंग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव

किया गया। किन्तु वास्तविक हस्तान्तरण नहीं किया गया और पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर अनपारा परियोजना पर बेकार पड़े हुये थे (अक्टूबर 1988)।

अनपारा परियोजना प्रबन्धकों ने मार्च 1988 में बताया कि अनपारा रेल पथिका पूरी नहीं हुयी थी और इसलिये यूनिटों का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा सका और यह कि यूनिटों का प्रयोग सिंगरौली रेल पथिका पर भी नहीं किया जा सका क्योंकि परिवहन की ब्यवस्था निर्माताओं द्वारा की गयी थी। आगे यह भी बताया गया कि चूँकि सिंगरौली पहाड़ी क्षेत्र में है और चूँकि यूनिटें अपनी विशेषा संरचनाओं के कारण समतल क्षेत्रों के प्रयोजनार्थ थीं अत: इनका प्रयोग नहीं कियका जा सका।

यह देखा गया कि परिषद भारतीय फर्म से ट्रेलर प्राप्त करने में असफल रही ताकि विदेशी फर्म द्वारा उपस्कर की आपूर्ति का समय अनुसूची से मिलान किया जा सके इसके परिणाम स्वरूप ट्रेलर की प्रतीक्षा में पुलर को 2.1/2 वर्षों तक अनुपयोजित रखना पड़ा और ट्रेलर की प्राप्ति के समय परियोजना पूर्णता की बढ़ी हुयी अवस्था में थी और इस प्रकार इन उपस्करों की प्राप्ति का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया। और भी इन उपस्करों को ओबरा से अनपारा मंगाने का भी कोई औचित्य नहीं था। इन चूकों के कारण 19.61 लाख रूपये मूल्य के उपस्कर अक्टूबर 1975 / अप्रैल 1978 से अक्टूबर 1979 तक ओबरा में और उसके बाद अनपारा में बेकार पड़े रहे।

मामला परिषद तथा शासन को जनवरी 1988 में तथा पुन: जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4ख.1.3 मरम्मत के अभाव में बेकार पड़ा हुआ ट्रान्सफार्मर

बम्बई की सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड से खरीदा गया 3.65 लाख रूपये मूल्य का एक 5 एम.वी.ए. ट्रान्सफार्मर 33 के.वी. परतापुर सब-स्टेशन मेरठ में सितम्बर 1970 में चालू किया गया। ट्रान्सफार्मर सितम्बर 1973 में विफल हो गया। जनवरी 1980 में लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि यद्यपि गारण्टी अवधि मार्च 1972 में समाप्त हो गयी थी, फर्म नवम्बर 1976 में उसकी नि:शुल्क मरम्मत करने को सहमति हो गयी थी बशर्ते परिषद उनके बम्बई स्थित कार्यशाला तक दोनो तरफ का भाड़ा तथा बीमा प्रभार एवं साथ ही ट्रान्सफार्मर की मरम्मत के लिये अपेक्षित उपसाधनों और ट्रान्सफार्मर तेल की लागत वहन करने को सहमत हो। फर्म ने मार्च 1978 में पुन: सूचित किया कि यदि निर्माण सम्बन्धी त्रुटि पायी गयी तो ट्रान्सफार्मर की मरम्मत नि:शुल्क की जायेगी। फिर भी ट्रान्सफार्मर मरम्मत हेतु फर्म को नहीं भेजा गया। फर्म ने मार्च 1979 में सूचित किया कि खण्ड ट्रान्सफार्मर को फरवरी 1979 तक भेजने में असफल रहा और यह कि अब उनके पास इसको रखने के लिये कोई स्थान नहीं है और वे खण्ड को सूचित करेंगे कि वे इसे कब भेजें। ट्रान्सफार्मर अब तक फर्म को मरम्मत के लिये नहीं भेजा गया (अगस्त 1988)।

परिणाम स्वरूप ट्रान्सफार्मर पिछले 15 वर्षों से

अनुपयोजित पड़ा हुआ है। लेखा परीक्षा में एक बार जनवरी 198 में तथा अगस्त 1987 में पुनः इंगित करने पर भी चूक के लिये जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी ।

मामला मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को जून 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4ख.1.4 कैपासिटर बैंक का उपयोग न करना

सब स्टेशन की भार वृद्धि परिस्थितियों के कारण, भविष्य में वोल्टता समस्याओं की दृष्टि से आगरा विद्युत प्रदाय उपक्रम द्वारा 2.25 लाख रूपये की लागत से स्विच गियर तथा रियेक्टर सहित दो 11 के.वी. कैपासिटर बैंक कमला नगर 33/11 के.वी. सब स्टेशन में जुलाई 1979 में संस्थापित किये गये।

तत्पश्चात् उपक्रम के अधिशाषी अभियन्ता ने मार्च 1982 में राय दी कि चूँकि आगरा में कमला नगर 33/11 के.वी.सब स्टेशन से निकलने वाले फीडर की लम्बाई 5 किलोमीटर से अधिक नहीं थी, अतः उपभोक्ताओं को कोई वोल्टता समस्या नहीं थी और इस प्रकार सब स्टेशन पर कैपासिटर बैंक संस्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी और बैंक को गिरा देने के लिये प्रस्ताव किया और अगस्त 1986 तथा पुनः फरवरी 1987 में इसे दोहराया। फिर भी भविष्य में भार वृद्धि स्थितियों के आधार पर उपक्रम के अधीक्षण अभियन्ता ने उसके प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया।

फिर भी कैपासिटर बैंक वी.डी.जी. रिले न होने के कारण जो इकाई द्वारा अधिप्राप्त नहीं किया गया था, अभी भी चालू नहीं किया गया (अक्टूबर 1988)।

इस प्रकार जो भी हो 1979 में संस्थापित कैपासिटर बैंक लगभग नौ वर्षों के बाद भी चालू नहीं किया जा सका, परिणाम स्वरूप 2.25 लाख रूपये की धनराशि इन वर्षों में अवरूद्ध रही। प्रत्याशित वोल्टता समस्याये भी गलत साबित हुयी और इस प्रकार बैंक का संस्थापन आवश्यक नहीं था ।

मामला मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को मार्च 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 के प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990)।

4ख.1.5 केबिल और बर्हिगामी स्विच गियर की लागत की वसूली न करना

जुलाई 1978 में जारी परिषद आदेशों के अनुसार 100 वी.एच.पी. (75 किलोवाट) से अधिक अनुबन्धित भार वाले उपभोक्ताओं को फीडर और साथ ही बहिर्गामी स्विच गियर की लागत उपभोक्ता से वसूल करने के बाद स्वतन्त्र फीडर की सुविधा प्रदान की जा सकती थी। विद्युत उपकरण खण्ड कानपुर के अभिलेखों के लेखा परीक्षण में सितम्बर 1987 में यह देखा गया कि 200 के.वी.ए. के अनुबन्धित भार वाले कानपुर के एक उपभोक्ता को स्वतन्त्र फीडर देते समय 33 के.वी.ए.सब स्टेशन चौबेपुर में 1.03 लाख रूपये मूल्य का बहिर्गामी स्विच गियर की लागत (स्विच गियर से दोहरे पोल तक

केबिल की लागत और दोहरे पोल फिटिंग्स की लागत सहित) न तो प्राक्कलन में शामिल की गयी और न ही उपभोक्ता से वसूल की गयी।

खण्डीय अधिकारी ने सितम्बर 1988 में बताया कि इस स्तर पर उपभोक्ता से वसूली संभव नहीं थी और इसकी वसूली चूक करने वाले अधिकारियों से की जा सकती थी। फिर भी, अभी तक चूक करने वाले कर्मचारियों की पहिचान नहीं की जा सकी (मार्च 1989)।

इसी प्रकार मुरादाबाद के एक उपभोक्ता के मामले में जिसके पास 360 के.वी.ए. का अनुबन्धित भार था, यह देखा गया कि स्वच गियर की लागत (0.50 लाख रूपये) विद्युत वितरण खण्ड 2 मुरादाबाद द्वारा वसूल नहीं की गयी।

खण्डीय अधिकारी ने अप्रैल 1989 में बताया कि 0.50 लाख रूपये का बिल सितम्बर 1988 में सृजित किया गयाथा। वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1989)।

मामला मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को जुलाई 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जून 1989)।

4ख.2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ख.2.1 मार्ग कर की वापस

प्रत्येक तिमाही के लिये मार्ग कर का अग्रिम भुगतान किया जाना अपेक्षित है। एक माह से लगातार अनधिक अवधि हेतु

सड़क पर न चलने वाले (लाइंग आफ रोड) वाहनों से सम्बन्धित कर वापसी योग्य है बशर्ते क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को इसकी समय से सूचना दे दी जाती है और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा टोकेन सूचना के साथ वापस कर दिये जाते हैं। फिर भी, 5 परिक्षेत्रों के लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को समय से सूचना नहीं दी गयी तथा टोकेन या तो वापस नहीं किये गये अथवा पर्याप्त विलम्ब से वापस किये गये। परिणाम स्वरूप, निगम को निम्न विवरण के अनुसार 10.63 लाख रूपये के मार्ग कर की वापसी नहीं हुयी:

परिक्षेत्र	सड़क पर न चलने (आफ रोड) की अवधि हेतु मार्ग कर की धनराशि (लाख रूपयों में)	मार्ग से संबन्धित अवधि
1	2	3
इलाहाबाद	2.80	1971 से 1985
अलीगढ़	2.43	1981 से 1986
आजमगढ़	0.76	1986 से 1987
गाजियाबाद	1.95	1981 से 1986
नैनीताल	2.69	1981 से 1987
योग	**10.63**	

मामला निगम को सितम्बर 1988 में तथा शासन को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4 ख.2.2 आवेदन पत्र के भरने में लापरवाही के कारण उपदान की हानि

अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण औद्योगिक इकाइयों की कठिनाई को दूर करने के लिये, शासन ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्रय किये गये डीजल जेनेरेटिंग सेटों की लागत का 50 प्रतिशत उपदान देने कानिर्णय लिया (मई 1980)। योजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू.पी.एफ.सी.) द्वारा सरकार के एक अभिकर्ता के रूप में कियका जाना थं ।

अप्रैल 1987 में लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि निगम के फैजाबाद परिक्षेत्र ने अप्रैल 1981 में 5.32 लाख रूपये मूल्य के 7 जेनेरेटिंग सेट (पांच 30 के.वी.ए. क्षमता के और दो 63 के.वी.ए. क्षमता के) खरीदे। यद्यपि परिक्षेत्र ने जून 1981 में यू.पी.एफ.सी. को 2.66 लाख रूपये (लागत का 50 प्रतिशत) के उपदान के लिये आवेदन किया किन्तु यह उसे प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि प्रस्तुत किया गयाक आवेदन पत्र ठीक से नहीं भरा गया था और अपेक्षित विवरण आवेदन पत्र के साथ नहीं दिये गये। बाद में यू.पी.एफ.सी. द्वारा सितम्बर 1981 में मांगी गयी सूचना एवं प्रलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारणअभिलेख में नहीं थे। इस प्रकार निगम ने अपने पक्ष में लापरवाही के कारण 2.66 लाख रूपये के उपदान का लाभ खो दिया ।

मामला निगम को सितम्बर 1987 में तथा शासन का दिसम्बर 1988में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 1989)।

4.ख.2.3 रोकड़ के अनुचित प्रयोग (हैण्डलिंग) के कारण हानि

दोहरी घाट डिपो (आजमगढ़ परिक्षेत्र) में 5 जून 1986 को खजांची को रोकड़ कक्ष से 1.12 लाख रूपये की चोरी का पता चला। उसी दिन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस जाँच के परिणाम स्वरूप, छः कर्मचारी जून 1986 में निलम्बित कर दिये गये लेकिन बाद में न्यायालय के आदेश से फरवरी 1987 में बहाल कर दिये गये। इस मामले में निगम ने भी अगस्त 1987 में एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश द्वारा एक स्वतन्त्र जाँच समिति गठित की लेकिन जाँच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुयी (दिसम्बर 1988)।

यह देखा गया कि निम्न कारणों से चोरी को सुगम बना दिया था:

1. दोहरे तालों की व्यवस्था की कमी थी।
2. तिजोरी की रोकड़ बीमाकृत नहीं थी।
3. रोकड़ का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों से जमानत नहीं ली गयी थी।

यद्यपि इन कमियों से निगम को लेखा परीक्षा में जुलाई 1981 तथा जून 1982 में अवगत करा दिया था, फिर भी निगम ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की।

मामला निगम को अगस्त 1987 में तथा शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (मार्च 1990)।

भारती प्रसाद

लखनऊ (भारती प्रसाद)

दिनाँक महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, उत्तरप्रदेश

30 अप्रैल 1991

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली (सि.जि.सोमैया)

दिनाँक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

10 मई 1991

परिशिष्ट - 1

उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रूपये से अधिक निवेशित किया है किन्तु जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है।

(प्रस्तावना के प्रस्तर 3 में सन्दर्भित)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	1987-88 तक कुल निवेश (लाखरूपयों में)
1	2	3
1.	ए.आर.सी.सीमेण्ट्स लिमिटेड	14.00
2.	यू.पी.दि्वगा फाइबर ग्लास लिमिटेड	72.35
3.	मयूर सिन्टेक्स लिमिटेड	40.00
4.	श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड	39.00
5.	बेलवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	29.00
6.	इण्डिया पोली फाइबर्स लिमिटेड	803.82
7.	अपकाम केबिल्स लिमिटेड	160.24
8.	श्री निवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	30.00
9.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	1816.79
10.	निक्को बैटरीज लिमिटेड	45.00
11.	भारत बर्ग लिमिटेड	50.00
12.	यू.पी.स्ट्रा एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	20.90

1	2	3
13.	रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	50.70
14.	जयवन्ती साल्वेन्ट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	10.95
15.	संजय पेपर एण्ड चेन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	27.00
16.	देवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	10.33
17.	सर्वोदय पेपर मिल्स लिमिटेड	20.48
18.	भारत फोटो सरकिट एण्ड इलेक्ट्रानिक्स-लिमिटेड (प्रीमियर फोटो सरकिट्स-टेक्नालाजीज लिमिटेड)	22.50
19.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लिमिटेड	37.62
20.	वाम आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	38.50
21.	रौनक आटोमोटिवस कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	67.06
22.	नेशनल लैम्प इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	20.91
23.	हारिंग क्रैन्क शाफ्ट लिमिटेड	76.74
24.	नेशनल स्विच गियर्स लिमिटेड	25.81
25.	पिकदान हैवी इक्विपमेण्ट लिमिटेड	30.13
26.	नार्थ इण्डिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	20.54
27.	सोलर सांग्स वरनरस लिमिटेड	18.07
28.	जलपाक इण्डिया लिमिटेड	17.18
29.	वेग्प्रो फूड्स एण्ड फीड्स लिमिटेड	113.42
30.	इण्डिया मेज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	25.56
31.	त्रिवेणी मेटल ट्यूब्स लिमिटेड	25.00
32.	फ्लोमोर पालिस्टर्स लिमिटेड	30.00
33.	बाल्स एण्ड सिल्पेन्स लिमिटेड	10.75

1	2	3
34.	हाजी मन्जूर आलम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	33.14
35.	सैब इलेक्ट्रानिक्स डेवाइसेज लिमिटेड	34.00
36.	सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड	29.72
37.	शिवालिक रसायन लिमिटेड	14.48
38.	आदित्य केमिकल्स लिमिटेड	25.00
39.	पी.वी.के. डिस्टिलरी लिमिटेड	19.00
40.	अभ्योदय पेपर मिल्स लिमिटेड	13.75
41.	पी.वे.के. पेपर्स लिमिटेड	20.80
42.	गंगा ऐस्बेस्ट्स सीमेण्ट लिमिटेड	30.00
[illegible]	मोदी नगर पेपर मिल्स लिमिटेड	17.10
[illegible]	राजेश पेपर मिल्स लिमिटेड	13.36
[illegible]	बसन्त पेपर मिल्स लिमिटेड	10.22
[illegible]	मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	11.08
[illegible]	युनिवर्सल इन्सूलेटर्स एण्ड सेरामिक्स लिमिटेड	10.60
[illegible]8.	मोरे वाटर पाइप्स लिमिटेड	14.00
49.	विकास इण्डस्ट्रीज गैसेज लिमिटेड	13.75
50.	मित्तल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	32.50
51.	इण्डोगल्फ एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	30.00
52.	वेल्गा फूड्स लिमिटेड	72.37
53.	पोरशा इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड	18.73
54.	अजन्ता टेक्सटाइल लिमिटेड	20.47
55.	सोमैय्या आरगेनिक लिमिटेड	29.57

1	2	3
56.	मोदी पान लिमिटेड	62.12
57.	जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड	14.37
58.	राठी एल्वाय इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	12.09
59.	शिवा पेपर मिल्स लिमिटेड	20.00
60.	गैंगेज फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	20.00
61.	सम्राट बाइसाइकिल्स लिमिटेड	19.00
62.	श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	20.00
63.	श्री दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	28.00

परिशिष्ट – 2

अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की धनराशि एवं उनके समक्ष बकाया धनराशि समस्त सरकारी कम्पनियों के अद्यतन कार्य निष्पादन परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.2.2 पृष्ठ 4 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 6(क) को छोड़कर आंकड़े लाख रूपये में हैं)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1987-88 की समाप्ति पर प्रदत्त पूँजी				1987-88 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	प्रदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	1987-88 की समाप्ति पर अनिस्तारित प्रत्याभूति की धनराशि	1987-88 की समाप्ति पर भुगतान योग्य अनिस्तारित प्रत्याभूति कमीशन	उस वर्ष की समाप्ति पर स्थिति जिसके लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है			
			राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग					वर्ष जिसमें लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है	समाप्ति पर प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	प्रदत्त पूँजी से अधिक हानि यदि कोई हो
1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
1.	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड-रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18.73	–	3.29	22.02	120.00	6.55	6.55	–	1986-87	22.02	–	–
2.	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम-लिमिटेड	उद्योग	439.65	–	–	439.65	1095.56	–	–	–	1984-85	191.75	–	–
3.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक-विकास निगम	उद्योग	2142.29	–	–	2142.29	1747.16	182.12	182.12	–	1986-87	2142.29	–	–
4.	मोहम्दाबाद पीपुल्स टैनरी-लिमिटेड	उद्योग	3.06	–	2.55	5.61	–	–	–	–	1976-77	5.61	4.26	–
5.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम-लिमिटेड	उद्योग	321.97	9.00	–	330.97	112.22	–	–	–	1985-86	212.52	70.64	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल-कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	1262.00	332.83	–	1594.83	907.00	–	–	–	1981–82	728.83	905.38	176.55
7.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम-लिमिटेड	उद्योग	9776.60	–	–	9776.60	2331.59	3729.00	2331.59	–	1987–88	9776.60	4468.90	–
8.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम-लिमिटेड	चीनी उद्योग	10613.84	–	–	10613.84	8913.30	–	–	–	1986–87 (30.9.87)	10613.84	15695.74	5081.90
9.	उत्तर प्रदेश बुन्देल खण्ड विकास-निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	123.30	–	–	123.30	7.72	–	–	–	1977–78	85.80	5.08	–
10.	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास-निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	114.80	–	–	114.80	30.00	–	–	–	1980–81	95.80	25.13	–
11.	कुमायूँ मण्डल विकास निगम – लिमिटेड	पर्वतीय विकास	479.73	–	–	479.73	242.00	–	–	–	1984–85	370.00	–	–
12.	किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की-सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	32.59	–	936.94	969.53	496.28	–	–	–	1985–86 (30.9.86)	703.77	1461.98	758.2
13.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड-इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	6869.75	–	–	6869.75	19262.75	2770.00	2770.00	–	1987–88	6869.75	–	–
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट-निगम लिमिटेड	उद्योग	6353.16	–	–	6353.16	5435.66	10.00	10.00	–	1987–88	6353.16	8261.08	1907.9
15.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन-एप्लॉयान्सेज (पी) लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश लघु उद्योग निगम की सहायक-कम्पनी)	उद्योग	–	–	3.20	3.20	4.82	–	–	–	1974–75	0.92	0.81	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
16.	उत्तर प्रदेश प्रेस ट्रेस्ड प्रोडक्टस-(प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु-उद्योग निगम की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	3.10	3.10	27.41	–	–	–	1976-77	2.17	2.13	–
17.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम-लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	150.00	–	–	150.00	–	–	–	–	1984-85 (30.9.85)	150.00	–	–
18.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	749.99	–	0.01	750.00	3079.00	–	–	–	1987-88	750.00	3551.73	2801.73
19.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा-निगम लिमिटेड	उद्योग	708.49	485.00	–	1193.49	833.14	–	–	–	1979-80	463.49	–	–
20.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त-एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती-राज	75.77	–	47.48	123.25	–	–	–	–	1983-84	83.99	–	–
21.	टेलेट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	पर्वतीय-विकास	–	–	133.21	133.21	9.33	10.51	10.51	–	1987-88 (30.6.88)	133.21	–	–
22.	ट्रांस कैबिल्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड-की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय-विकास	–	–	63.24	63.24	3.87	–	–	–	1984-85	63.24	56.38	–
23.	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय-विकास		–	0.07	0.07	1.06	–	–	–	1981-82	0.07	निर्माणाधीन	
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलेपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	411.98		–	411.98	178.52			–	1987-88	411.98	303.46	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
25.	उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर निगम लिमिटेड	उद्योग	470.36	10.00	–	480.36	230.63	69.33	4.32	–	1985-86	350.36	316.35	–
26.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास-निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	क्षेत्रीय-विकास	–	–	2.40	2.40	–	–	–	–	1979-80	2.40	0.54	–
27.	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज-विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	2726.91	–	–	2726.91	566.00	545.00	506.50	–	1984-85	1678.91	8.75	–
28.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स-कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	3718.32	–	–	3718.32	200.10	–	–	–	1986-87 (30.9.87)	3107.32	–	–
29.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास-निगम लिमिटेड	पर्यटन	453.85	–	–	453.85	60.95	–	–	–	1977-78	80.87	–	–
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स-कम्पनी लिमिटेड (नं0-1) (उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	3668.34	3668.34	2649.06	4048.00	3575.94	–	1987-88	3668.34	5881.34	2213.00
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स-कम्पनी (नं0 2) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	2356.52	2356.52	1698.48	1949.00	1698.48	–	1987-88	2356.52	2591.53	235.01
32.	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं-आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	118.12	–	–	118.12	–	–	–	–	1981-82	50.00	–	–
33.	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन-विकास निगम लिमिटेड	पशु पालन	44.00	6.00	–	50.00	–	–	–	–	1986-87	50.00	15.70	–

1.	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
34.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम-लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	202.22	202.22	174.92	–	–	–	1987-88	202.22	563.70	361.4
35.	उत्तर प्रदेश पशु धन उद्योग निगम-लिमिटेड	पशु पालन	100.40	–	–	100.40	42.99	1.59	1.59	–	1982-83	65.05	103.28	38.2
36.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त-एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	945.43	912.00	–	1857.43	–	–	–	–	1984-85	761.44	–	–
37.	नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्च चीनी-निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	–	–	1657.72	1657.72	1163.50	–	–	–	1985-86 (30.6.86)	1630.73	2834.35	1203.6
38.	चाँदपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड) की सहायक कम्पनी	चीनी-उद्योग	–	–	390.00	390.00	73.50	–	–	–	1986-87 (31.7.87)	390.00		
39.	छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम-लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी-उद्योग	–	–	268.00	268.00	140.53	–	–	–	1986-87 (31.7.87)	268.00	325.99	57.
40.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम-लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	100.00	–	–	100.00	–	147.18	–	–	1985-86	100.00	–	–
41.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास-निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास-निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	18.00	–	27.00	45.00	16.30	–	–	–	1980-81	20.00	0.81	–
42.	कुमायूँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम-लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम-लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय-विकास	22.00	–	28.00	50.00	–	–	–	–	1982-83	25.00	–	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
43.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	45.00	–	–	45.00	–	540.00	–	–	1980-81	25.00	–	–
44.	उत्तर प्रदेश (रूहेल खण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	12.75	–	11.90	24.65	–	297.00	297.00	–	1986-87 (30.6.87)	24.83	–	–
45.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज-एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	12.25	–	9.60	21.85	–	320.00	328.84	–	1987-88 (30.6.88)	21.85	–	–
46.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	12.75	–	4.51	17.26	0.08	298.00	185.96	–	1986-87 (30.6.87)	17.38	–	–
47.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज-एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	10.00	–	3.54	13.54	–	250.00	250.00	–	1982-83 (30.6.83)	14.75	–	–
48.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	708.21	–	0.21	708.42	256.25	66.25	38.05	–	1984-85	587.49	252.20	–
49.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिन्टिंग-कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश-राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की-सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	26.00	26.00	–	–	–	–	1979-80	16.00	–	–
50.	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास-निगम की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	111.68	111.68	216.91	–	–	–	1987-88	111.68	462.94	351.26
51.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय-विकास	70.00	–	–	70.00	59.60	1.71	26.53	–	1980-81	50.00	0.64	–
52.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम-लिमिटेड	क्षेत्रीय-विकास	67.00	–	–	67.00	4.31	10.06	4.31	–	1981-82 (30.6.82)	60.00	–	–
53.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	100.00	–	–	100.00	–	–	–	–	1985-86	100.00	44.37	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
54.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम-लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	93.56	–	32.47	126.03	3.92	–	–	–	1981-82	112.03	96.20	–
55.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम-लिमिटेड, वाराणसी	पर्वतीय विकास	350.00	–	–	350.00	1012.58	–	–	–	1980-81	200.00	19.82	–
56.	वाराणसी मण्डल विकास निगम-लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	70.00	–	–	70.00	8.36	–	–	–	1983-84	70.00	13.63	–
57.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय-विकास	100.00	–	–	100.00	–	–	–	–	1983-84	100.00	–	–
58.	यू.पी.एस.आई.सी. पाटरिज-लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग-निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	58.00	58.00	40.00	–	–	–	1980-81	23.26	13.10	–
59.	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	390.00	100.00	–	490.00	391.06	996.11	361.06	–	1984-85	490.00	108.59	–
60.	सघन हथकरघा विकास निगम-लिमिटेड (गोरखपुर एवं बस्ती) (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम-लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	3.00	3.00	74.34	–	–	–	1980-81	3.00	–	–
61.	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड	उद्योग	–	–	291.56	291.56	64.24	–	–	–	1987-88	291.56	273.45	–
62.	(उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम-लिमिटेड की सहायक कम्पनी)													
62.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम-लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	15.00	–	–	15.00	188.03	299.54	–	–	1987-88	15.00	–	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
63.	उत्तर प्रदेश एक्सकाट (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	5.06	5.06	70.34	–	–	–	1975-76	4.85	2.80	–
64.	हथकरघा सघन विकास परियोजना-(बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	–	–	2.00	2.00	–	–	–	–	1978-79	2.00	3.35	1.35
65.	उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	125.00	–	–	125.00	49.31	–	–	–	1980-81 (30.6.81)	100.00	7.31	–
66.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	योजना	100.00	–	–	100.00	262.84	–	–	–	1986-87	80.00	6.17	–
67.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मारकेटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	476.76	–	64.25	541.01	177.49	–	–	–	1982-83	70.76	162.69	91.93
68.	यू.पी.ए.आई.लिमिटेड	उद्योग	15.00	–	2.01	17.01	–	–	–	–	1979-80 (30.6.80)	70.05	1.01	–
69.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	–	–	22.00	22.00	9.89	–	35.78	–	1987-88 (30.6.88)	22.00	–	–
70.	अपट्रान सेम्पैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	–	–	2.55	2.55		–	–	–	1979-80	2.55	–	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
71.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	35.20	35.20	50.78	–	–	–	1984-85	35.20	–	–
72.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम-लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	25.00	–	–	25.00	64.64	–	–	–	1982-83	20.00	–	–
73.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	130.00	–	–	130.00	–	–	–	–	1983-84	130.00	–	–
74.	अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड-(उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	5.30	5.30	–	–	–	–	प्रारम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			
75.	उत्तर प्रदेश कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	497.36	497.36	1017.13	0.50	0.50	–	1985-86	497.36	102.51	–
76.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	1782.15	1782.15	1140.00	–	–	–	1986-87 (30.6.87)	1782.15	–	–
77.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	100.00	–	–	100.00	155.37	155.37	155.37	–	1984-85	100.00	–	–
78.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन-निगम लिमिटेड	विद्युत	23557.50	–	–	23557.50	20837.50	–	–	–	1986-87	100.00	निर्माणाधीन	
79.	उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	255.00	–	–	255.00	10.42	–	–	–	1985-86	55.00	4.76	–
80.	अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	900.00	900.00	556.39	–	–	–	1986-87 (30.6.87)	1097.61	58.66	–

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
81.	उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	विद्युत	20.00	–	–	20.00	150.00	–	–	–	1985-86	20.00	निर्माणाधीन	
82.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	339.21	–	39.15	378.36	–	–	–	–	1987-88 (30.6.88)	368.36	18.29	–
83.	विन्ध्याचल एब्रेसिब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अनुपलब्ध			प्रारम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया								
84.	घाटम पुर चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	–	–	515.00	515.00	506.61	–	–	–	1986-87 (31.7.87)	515.00	निर्माणाधीन	
85.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	10.00	–	–	10.00	–	–	–	–	1987-88	10.00	–	–
86.	कुमायूँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमायूँ-मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	–	–	17.28	17.28	15.94	–	16.60	–	1987-88 (30.6.88)	17.29	–	–
87.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	मुस्लिम वक्फ	100.00	–	–	100.00	–	–	–	लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया				
88.	कमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	7.01	7.01	–	–	–	–	1987-88 (30.6.88)	7.01	निर्माणाधीन	
89.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	.0011	.0011	–	–	–	–	लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
90.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–			उपलब्ध नहीं		–	–	1987-88 (30.6.88)	114.18	196.29	82.11
91.	अपट्रान लीजिंग लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन) अपट्रान (इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	100.00	100.00	–	–	–	–	लेखे को अन्तिम रूप देना अपेक्षित नहीं			
92.	उत्तर प्रदेश बिल्ड वेयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	0.10	0.10	–	–	–	–	प्रारम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			
93.	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	–	–	5.33	5.33	–	–	–	–	1974-75	4.02	.37	–
94.	इण्डिय बाबिन कम्पनी लिमिटेड				परिसमापन की प्रक्रिया में									
95.	दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)				परिसमापन की प्रक्रिया में									
96.	उत्तर प्रदेश पाटरीज (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)				परिसमापन की प्रक्रिया में									
97.	उत्तर प्रदेश रूफिंग्स (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)				परिसमापन की प्रक्रिया में									
98.	फैजाबाद रूफिंग लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी				परिसमापन की प्रक्रिया में									
99.	गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड				परिसमापन की प्रक्रिया में									

परिशिष्ट–3

समस्त सरकारी कम्पनियों के पूर्ण किये गये लेखों वाले नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(प्रस्तर 1.2.3 सन्दर्भित पृष्ठ 5) (स्तम्भ 20 एवं 21 को छोड़कर आंकड़े लाख रूपये में है)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन तिथि	लेखा वर्ष	निवेशित पूँजी: प्रदत्त पूँजी	निवेशित पूँजी: (आरक्षित) निधि तथा अधिशेष	निवेशित पूँजी: दीर्घावधिक ऋण	[illegible]	लाभ (+)/ हानि (–)	लाभ (+) हानि (–) खाता को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूँजी पर कुल (प्रति)लाभ (स्तम्भ–9+11)	नियोजित पूँजी: ग्रास ब्लाक	नियोजित पूँजी: मूल्य – ह्रास	नियोजित पूँजी: निवल अचल परिसम्पत्तियां	नियोजित पूँजी: वर्तमान परि–सम्पत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम	नियोजित पूँजी: वर्तमान देयतायें एवं एवं प्रावधान	नियोजित पूँजी: योग	नियोजित पूँजी पर कुल (प्रति)लाभ	कुल लाभ की प्रतिशतता: निवेशित पूँजी पर	कुल लाभ की प्रतिशतता: नियोजित पूँजी पर
1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 22, 1924	1986 –87	22.02	178.67	20.00	220.69	+22.19	3.07	0.48	+22.67	221.02	133.54	87.48	315.60	209.48	193.60	+25.26	10.2	13.0
2.	उत्तरप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	जून 13, 1953	1984 –85	191.75	111.53	502.73	806.01	+5.42	72.04	72.04	77.46	81.19	24.64	56.55	1718.82	837.81	937.56	77.46	9.6	8.2
3.	उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1961	1986 –87	2142.29	713.63	1632.89	4488.81	+121.31	67.48	67.48	188.79	–	–	–	–	–	4052.06	+188.79	4.2	4.6
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 21, 1964	1976 –77	5.61	–	–	5.61	–0.01	–	–	–0.01	–	–	–	1.49	0.14	1.35	–0.01	–	–
5.	उत्तरप्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	जनवरी 20, 1966	1985 –86	212.52	2.45	54.74	269.71	–15.55	8.72	6.82	–8.73	33.58	17.84	15.74	601.68	435.01	182.41	–6.83	–	–

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	मार्च 29, 1961	1981 -82	728.83	11.37	22.75	762.95	-163.80	176.84	-	-163.80	237.66	141.87	95.79	2549.65	1386.23	1259.21	13.04	—	—
7.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 2, 1969	1987 -88	9776.60	1096.09	2607.59	13480.28	-583.99	570.66	327.71	-256.28	6403.12	4441.13	1961.99	4089.35	2175.15	3876.19	-13.33	—	—
8.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम-	चीनी उद्योग	मार्च 26, 1971	1986 -87 (30.9.87)	10613.84	123.56	3788.89	14526.29	-3284.02	2455.96	1445.14	-1838.88	4983.77	2732.74	2251.03	11577.38	7968.36	5860.05	-828.06	—	—
9.	उत्तर प्रदेश-बुन्देल खण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1971	1977 -78	85.80	0.67	-	86.47	-10.25	0.12	-	-10.25	35.65	11.93	23.72	47.33	[illegible]8.31	62.74	-10.13	—	—
10.	उत्तर प्रदेश-पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1971	1980 -81	95.80	2.21	-	98.01	-1.01	0.22	-	-1.01	37.26	10.44	26.82	73.80	57.03	643.59	-0.79	—	—
11.	कुमायूँ मण्डल-विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 30, 1971	1984 -85	370.00	36.30	232.00	638.30	+8.04	12.11	10.56	18.60	113.44	45.80	67.64	716.48	276.55	507.57	20.15	2.9	4.0

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	चीनी उद्योग	फरवरी 17, 1972	1985-86 (30.9.86)	703.77	111.49	657.75	1473.01	+46.11	186.24	115.89	162.20	962.14	576.71	385.45	584.29	725.36	244.36	232.35	10.9	95.0
13.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1972	1987-88	6869.75	512.38	18552.34	25934.47	+120.03	1327.94	1327.94	1447.97	–	–	–	–	–	24313.37	1447.97	5.6	6.0
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1972	1987-88	6353.16	0.05	5435.66	11788.87	-2579.69	1010.35	916.56	-1663.03	12506.77	5237.17	7269.60	5618.19	9064.50	3823.29	-1569.24	–	–
15.	उत्तर प्रदेश-प्लाण्ट प्रोटेक्शन ऐप्लियान्सेज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जून 28, 1972	1974-75	0.92	0.23	4.35	5.50	-0.81	0.28	0.28	-0.53	4.70	0.91	3.79	1.65	0.81	4.63	-0.53	–	–

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	उत्तर प्रदेश- प्रेम्ट्रिस्ड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	सितम्बर 30, 1972	1976 -77	2.17	-	9.07	11.24	-2.13	4.17	2.44	0.31	10.52	0.01	10.51	1.00	0.98	10.53	2.04	2.7	19.3
17.	उत्तर प्रदेश- राज्य सेतु निगम लिमिटेड	सार्व- जनिक निर्माण	अक्टूबर 18, 1972	1984 -85 (30.9.85)	150.00	1509.03	-	1659.03	-101.42	10.18	-	-101.42	2549.32	2158.13	391.19	5338.66	3938.10	1791.75	-171.24	-	-
18.	आटो ट्रैक्टर लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 28, 1972	1987 -88	750.00	-	3079.51	3829.51	-628.43	302.63	301.52	-326.91	1388.77	551.90	836.87	708.28	1063.40	481.75	-325.80	-	-
19.	उत्तर प्रदेश- राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	उद्योग	जनवरी 9, 1973	1979 -80	463.49	57.64	228.98	750.11	+99.37	15.49	15.46	114.83	133.86	21.05	112.86	1553.94	982.74	684.01	114.86	15.3	16.8
20.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज्यं वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	अप्रैल 24, 1973	1983 -84	83.99	10.57	6.00	100.56	+4.27	0.58	0.58	4.85	-	-	-	-	-	101.12	4.85	4.8	4.8
21.	टेलेट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	पर्वतीय विकास	नवम्बर 24, 1973	1987 -88 (30.6.88)	133.21	24.56	5.91	163.66	+0.13	9.09	0.88	1.01	62.13	24.63	37.50	317.60	185.87	169.23	9.22	0.6	5.4

1.	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.	ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	पर्वतीय विकास	नवम्बर 29, 1973	1984 -85	63.24	3.32	6.44	73.00	-16.28	8.15	-	-16.28	35.56	14.23	21.33	71.90	58.36	34.87	-8.13	-	-
23.	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	जनवरी 29, 1974	1981 -82	0.07				नि र्मा णा धी न												
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपेण्ट एण्ड मार्केटिंग-कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 12, 1974	1987 -88	411.98	16.14	174.02	602.14	-34.60	9.86	5.10	-29.50	281.04	68.08	212.96	492.71	75.77	629.99	-24.74	-	
25.	उत्तर प्रदेश ब्रास बेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 12, 1974	1985 -86	350.36	199.84	184.65	734.85	-87.60	47.97	47.97	-39.64	267.88	96.21	171.67	450.96	162.43	460.23	-39.64	-	
26.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देल खण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	क्षेत्रीय विकास	मार्च 12, 1974	1979 -80	2.40	-	-	2.40	-0.05	-	-	-0.05	1.62	0.03	1.59	0.16	0.21	1.54	-0.05	-	

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27.	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 23, 1974	1984-85	1678.91	24.95	410.00	2113.86	+27.81	—	—	+27.81	316.72	84.90	231.82	667.11	144.68	754.25	27.81	7.3	3.6
28.	उत्तर प्रदेश इले-क्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 30, 1974	1986-87 (30.9.87)	3107.32	45.26	201.10	3353.68	+76.45	27.93	27.93	104.38	21.32	12.25	9.07	575.61	256.18	328.50	104.58	3.1	31.8
29.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	अगस्त 5, 1974	1977-78	80.87	1.45	—	82.32	+0.31	0.18	—	0.31	36.79	8.41	28.38	82.36	28.47	82.27	0.49	0.3	0.6
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 1) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अगस्त 20, 1974	1987-88	3668.34	907.79	2531.38	7107.51	-970.75	576.52	310.51	-660.24	5562.69	3766.32	1796.37	2217.54	1729.37	2284.54	-394.03	—	—
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 2) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अगस्त 20, 1974	1987-88	2356.52	628.92	1698.48	4683.92	-723.50	311.23	227.12	-496.38	3961.42	1827.47	2133.95	1070.98	769.27	2435.66	-411.27	—	—
32.	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य तथा रसद	अक्टूबर 22, 1974	1981-82	50.00	46.81	—	96.81	+60.95	19.10	—	60.95	12.50	4.92	7.58	230.90	91.05	147.43	80.05	62.9	54.3

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
33.	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशु पालन	दिसम्बर 7, 1974	1986-87	50.00	–	–	50.00	-2.34	0.02	–	-2.34	2.95	2.45	0.50	38.24	4.73	24.01	-2.32	–	–
34.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेण्ट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जनवरी 10, 1975	1987-88	202.22	–	174.92	377.14	-101.01	34.72	30.22	-70.79	58.51	45.60	12.91	52.70	232.76	-167.15	-66.29	–	–
35.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 5, 1975	1982-83	65.05	0.20	10.00	75.25	-27.30	5.46	1.25	-26.05	38.42	19.79	18.63	129.14	128.43	19.34	-21.84	–	–
36.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	मार्च 25, 1975	1984-85	761.44	80.60	–	842.04	+25.48	–	–	+25.48	30.44	9.42	21.02	2533.53	1713.11	841.44	+25.48	3.0	3.0
37.	नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	अप्रैल 18, 1975	1985-86 (30.6.86)	1630.73	233.46	768.46	2632.65	-375.68	271.32	242.55	-133.13	1238.89	880.84	358.05	437.32	750.72	44.65	-104.36	–	–

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38.	चांदपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी	अप्रैल 18, 1975	1986 -87 (31.7.87)	390.00	225.47	–	615.43	+161.13	36.12	0.66	161.79	916.28	698.40	217.88	857.95	226.36	849.47	197.25	26.3	23.2
39.	छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी	अप्रैल 18, 1975	1986 -87 (31.7.87)	268.00	13.01	140.54	421.55	+77.38	54.15	26.56	103.96	644.81	515.58	129.30	493.22	201.64	420.81	131.53	24.7	31.3
40.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	मई 1, 1975	1985 -86	100.00	474.51	14.82	589.33	+462.26	3.99	–	462.26	712.33	406.41	305.92	4687.12	4413.06	579.98	466.25	78.4	80.3
41.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढवाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	पर्वतीय विकास	जून 30, 1975	1980 -81	20.00	–	–	20.00	-0.42	–	–	-0.42	0.59	0.25	0.34	32.91	14.07	19.18	-0.42	–	–
42.	कुमायूँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	पर्वतीय विकास	जून 30, 1975	1982 -83	25.00	3.78	–	28.78	-0.78	–	–	0.78	0.46	0.08	0.38	38.53	11.40	27.51	-0.78	–	–

1	2(क)	2(खा)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	अगस्त 2, 1975	1980 -81	25.00	3.54	-	28.54	+1.58	-	-	+1.58	1.39	0.62	0.77	163.71	110.95	63.53	1.58	5.5	2.9
44.	उत्तर प्रदेश स्टेल खण्ड तराई (गन्ना बीज विकास निगम लिमिटैड	सह-कारिता	अगस्त 27, 1975	1986 -87 (30.6.87)	24.83	18.21	-	43.04	+7.74	32.92	-	7.74	17.54	3.97	13.57	346.21	44.30	315.48	40.66	17.9	12.8
45.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	सह-कारित	अगस्त 27, 1975	1987 -88 (30.6.88)	21.85	9.70	-	31.55	+3.04	46.40	-	3.04	3.22	0.75	2.47	373.52	12.31	363.68	49.44	9.6	13.6
46.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	अगस्त 27, 1975	1986 -87 (30.6.87)	17.38	2.69	-	20.07	+0.21	21.76	-	0.21	1.78	0.68	0.10	209.48	18.96	191.62	21.97	1.0	11.4
47.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	अगस्त 27, 1975	1982 -83 (30.6.83)	14.75	1.77	12.00	28.52	0.08	12.93	-	0.68	2.04	1.06	0.98	147.76	11.45	137.29	12.85	—	9.4
48.	उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लिमिटेड	सूचना	सितम्बर 10, 1975	1984 -85	587.49	-	130.45	717.94	-117.35	15.73	15.73	-101.62	531.64	168.53	362.71	128.00	145.90	344.81	-101.62	—	—

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	सितम्बर 5, 1975	1979-80	16.00	2.74	-	18.74	+1.22	-	-	1.22	4.82	0.69	4.13	102.12	87.75	18.50	1.22	6.5	6.5
50.	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	जनवरी 14, 1976	1987-88	111.68	52.08	216.91	380.67	-23.02×	55.69	34.82	11.80×	238.52	143.37	95.15	159.33	194.25	60.23	22.67×	3.1×	54.2×
51.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1980-81	50.00	4.26	-	54.26	-0.29	-	-	-0.29	7.96	4.18	3.78	80.42	35.52	48.68	-0.29	—	—
52.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1981-82	60.00	0.27	-	60.27	-0.84	3.93	-	-0.84	31.78	5.70	26.08	8115.59	47.43	94.24	3.09	—	3.2

×क्रमांक 50 पर अंकित कम्पनी के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान हानि 105 लाख रूपये का उपदान समायोजित करने के बाद है, इसलिये निवेशित पूँजी एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ के विवरण इस दृष्टि से देखे जांय।

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1985-86	100.00	—	5.11	105.11	+3.33	1.73	—	3.33	45.89	15.99	29.90	87.43	93.89	23.44	5.06	3.2	21.6
54.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1981-82	112.03	2.01	32.85	146.89	-42.48	2.85	1.20	-41.19	63.00	16.22	46.78	68.92	60.45	55.25	-39.63	—	—
55.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	जनवरी 31, 1976	1980-81	200.00	3.13	150.00	353.13	-22.31	0.10	—	-22.31	105.90	42.62	63.28	345.99	62.00	347.21	-22.21	—	—
56.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1983-84	70.00	4.18	—	74.18	-7.13	3.04	—	-7.13	39.97	14.69	25.28	97.33	49.84	72.77	-4.09	—	—
57.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1983-84	100.00	14.51	—	14.51	+0.75	1.27	—	+0.75	32.08	3.39	28.69	102.08	16.35	114.42	2.02	0.7	1.8
58.	यू.पी.एस.आई.सी. पाटरीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 27, 1976	1980-81	23.26	—	—	23.26	-3.93	0.39	—	-3.93	4.20	1.42	2.78	12.10	17.37	-2.49	-3.54	—	—
59.	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	मई 26, 1976	1984-85	490.00	773.34	30	1293.34	-43.83	105.01	102.01	58.18	1124.40	170.56	953.84	1805.43	1222.84	1536.43	61.18	4.5	3.9

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60.	हथकरघा सघन विकास निगम (गोरखपुर एवं-बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	मई 26, 1976	1980 -81	3.00	17.60	91.50	112.10	+0.31	6.70	6.33	6.64	10.56	2.11	8.45	178.35	73.02	113.78	7.01	5.9	6.2
61.	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जून 14, 1976	1987 -88	291.56	22.64	–	314.20	–28.85	18.32	–	–28.85	182.23	120.21	62.02	228.91	188.70	102.23	–10.53	—	—
62.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	जून 25, 1976	1987 -88	15.00	373.57	188.03	576.60	+153.82	–	–	+153.82	406.44	231.72	174.72	9315.12	8913.24	576.60	+153.22	26.7	26.7
63.	उत्तर प्रदेश ऐक्सकाट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जून 28, 1972	1975 -76	4.85	–	10.41	15.26	–1.55	1.14	1.14	–0.41	13.09	0.02	13.07	0.91	1.59	12.39	–0.41	—	—

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
64.	हथकरघा सघन विकास परियोजना (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की सहायक कम्पनी)	उद्योग	सितम्बर 13, 1976	1978 -79	2.00	–	190.66	192.66	-0.23	9.22	9.20	8.97	652.76	385.75	267.01	145.02	222.77	189.26	8.99	4.6	4.7
65.	उत्तर प्रदेश परिश्चमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1980 -81 (30.6.81)	100.00	4.86	–	104.86	-2.87	0.01	–	-2.87	23.83	15.31	8.52	100.28	11.43	97.37	-2.86	–	–
66.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	मार्च 15, 1977	1986 -87	80.00	–	–	80.00	-0.97	–	–	-0.97	11.39	7.87	3.52	299.94	229.63	73.83	-2.86	–	–
67.	उत्तर प्रदेश स्टेट हर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	अप्रैल 6, 1977	1982 -83	70.76	1.26	55.00	127.02	-35.23	7.90	6.56	-28.67	55.99	23.15	32.84	99.93	113.86	18.91	-27.33	–	–
68.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड	उद्योग	अप्रैल 28, 1977	1979 -80 (30.6.80)	17.01	–	–	17.01	-0.14	–	–	-0.14	0.51	0.20	0.31	15.26	0.86	14.71	-0.14	–	–
69.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड कार्पोरेशन (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	अप्रैल 30, 1977	1987 -88 (30.6.88)	22.00	17.13	6.54	45.67	+4.13	30.71	1.75	5.88	95.68	44.58	51.10	273.12	85.41	238.81	34.84	12.9	14.6

1	2(क)	2(ख)	3
75.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 23, 1
76.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अक्टूब 18, 1
77.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशु पालन	अक्टूब 27, 1
78.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत	अगस्त 25, 19
79.	उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	नवम्बर 19, 19

18	19	20	21
86	−0.36	—	—
.92	−1.27	—	—
8	0.62	2.8	3.0
.52	−1.26	—	—

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	मई 23.1977	1979 -80	2.55	–	–	2.55	-0.78	0.42	–	-0.78	0.79	0.16	0.63	1.90	0.67	+1.
71.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटैड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	मार्च 5, 1978	1984 -85	35.20	–	–	35.20	-2.09	0.82	–	-2.09	58.41	5.28	53.13	12.13	15.34	49
72.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1977	1982 -83	20.00	1.80	–	21.80	+0.62	–	–	0.62	4.30	1.66	2.64	21.91	3.87	2
73.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	मार्च 30, 1978	1983 -84	30.00	1.24	–	131.24	-1.26	–	–	-1.26	14.99	8.03	6.96	122.87	29.31	100
74.	अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	मार्च 31, 1979	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।														

टिप्पणी: क्रमांक 70 एवं 74 पर निर्दिष्ट कम्पनियों के सम्बन्ध में यू.पी.इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि है कि ये कंम्पनियाँ बन्द हैं।

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
979	1985 -86	497.36	21.25	938.71	1457.32	-102.51	41.58	38.66	-63.85	1385.97	81.37	1304.60	312.51	325.75	1291.36	-60.93	—	—
र 979	1986 -87 (30.6.87)	1782.15	583.53	1033.06	398.69	+156.04	65.44	65.44	221.48	1381.69	415.35	966.34	6875.80	2422.79	5419.35	221.48	6.5	4.1
79	1986 -87	100.00	146.17	55.74	301.91	+2.37	6.11	6.11	+8.48	154.34	29.13	125.21	198.58	62.88	260.91	8.48	2.8	3.2
80	1986 -87	100.00	-	38995.00	39095.00	नि	र्मा	णा	धीन	594.74	186.29	408.45	2773.30	7183.14	-4001.39	-	-	-
84	1985 -86	55.00	-	-	55.00	-4.05	-	-	-4.05	2.51	0.36	2.15	48.49	0.70	49.94	-4.05	-	-

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80.	अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	नवम्बर 8,1985	1986-87 (30.6.87)	1097.61	64.79	1000.00	2162.40	+6.12	10.04	10.04	16.16	459.76	20.11	439.65	1039.05	249.62	1229.08	16.16	0.7	1.3
81.	उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	विद्युत	अप्रैल 5,1985	1985-86	20.00	–	–	20.00	निर्माणाधीन												
82.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	उद्योग	जून 26,1985	1987-88 (30.6.88)	368.36	–	–	368.36	-13.66	–	–	-13.66	6.63	1.57	5.06	320.29	3.41	321.94	-13.66	–	–
83.	विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	दिसम्बर 5,1985	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया																	
84.	घाटमपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	मई 30,1986	1986-87 (31.7.87)	515.00	–	426.00	941.00	निर्माणाधीन				25.83	2.85	23.25	194.70	37.50	180.37	–	–	–

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम	गृह	मार्च 27, 1987	1987 -88	10.00	1.39	-	11.39	-1.39	-	-	-1.39	7.61	1.48	6.13	454.61	450.83	9.91	1.39	12.2	14.0
86.	कुमायूँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी	पर्वतीय	अगस्त 29, 1974	1987 -88 (30.6.88)	17.29	24.32	17.42	59.03	-9.79	14.97	2.31	12.10	56.63	5.72	50.91	197.45	78.99	169.37	24.76	20.5	14.6
87.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	मुस्लिम वक्फ	अप्रैल 27, 1987						लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया												
88.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 27, 1987	1987 -88 (30.6.88)	7.01	-	-	7.01					निर्माणाधीन								
89.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	अगस्त 10, 1987					लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया													

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	फरवरी 1,1979	1987-88 (30.6.88)	114.18	0.50	136.38	251.06	-42.17	34.41	29.38	-12.79	223.60	65.40	158.20	105.15	164.65	98.70	-7.76	—	—
91.	अपट्रान लीजिंग लिमिटेड, अपट्रान इण्डिया (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन) लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जनवरी 5,1988	लेखे को अन्तिम रूप देना अपेक्षित नहीं																	
92.	उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	जून 28,1972	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया																	
93.	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	उद्योग	दिसम्बर 14,1973	परिसमापन की प्रक्रिया में																	

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
94. इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड												परिसमापन की प्रक्रिया में									
95. टर्पेन्टाइन सब्सिडयरी (इण्डस्ट्रीज) लिमिटेड (इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)												तदैव									
96. उत्तर प्रदेश पाटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)												तदैव									
97. उत्तर प्रदेश रूफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटे की सहायक कम्पनी)												तदैव									
98. फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)												तदैव									
99. गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड												तदैव									

टिप्पणी: क्रमांक 3, 13 एवं 20 पर निर्दिष्ट कम्पनियों के मामले मे नियोजित पूँजी (क) प्रदत्त पूँजी (ख) आरक्षित निधि तथा अधिशेष (ग) बाण्ड एवं डिबेन्चर तथा (घ) पुनर्वित्त पोषण सहित ऋण आदि और अन्त शेष के योग के मध्यमान का निरूपण करती है।

शानि वाली विवरणी

योजित र ति	निवेशित पूँजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता
	12	13
81	12.6	5.9
68	7.9	8.8
41	6.4	7.1
.27	8.0	12.3

ों के योग के मध्यमान का

परिशिष्ट - 4

सांविधिक निगमों के उस अन्ततम वर्ष हेतु जिसके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, सन्क्षिप्त वित्तीय परिणामों को व

(प्रस्तर 1.3.6 पृष्ठ 36 पर निर्दिष्ट)

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन वर्ष	लेखा वर्ष	कुल निवेशित पूँजी	लाभ(+)/ हानि(-)	दीर्घावधिक ऋणो पर ब्याज	निवेशित पूँजी पर कुल प्रति लाभ	नियोजित पूँजी	निया पूँजी प कुल प्र लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत	1959	1986-87	5072.27	-29.23	330.04	309.81	2370.67	300
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	1956	1987-88 (अनन्तिम सम्प्रेक्षण होना है)	478.53	+1.70	35.97	37.68	428.81	37
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	1958	1984-85	22.09	+0.40	1.01	1.41	1983.47	1
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1987-88	177.68	-0.04	14.23	11.27	115.60	14-

टिप्पणी:- (क) (1) प्रदत्त पूँजी (2) बाण्डों तथा डिबेन्चरों (3) आरक्षित निधियों (4) पुनर्वित्त पोषण सहित ऋणों के आदि और अन्त शेष- निरूपण करती है।

(ख) नियोजित पूँजी कार्यचालन पूँजी को जोड़कर निवल स्थिर परिसम्पत्तियों की द्योतक है।

पी०एस०यू०पी०-9 महालेखाकार-21-11-90—1950 प्रतियां (आफसेट)